आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
के
महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन

(जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020)

सुखद पर्यावास

आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

दूरभाष : 0522-4070567
Mail ID : awasbandhu@gmail.com
Websites : www.awas.up.nic.in ● www.awasbandhu.in

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
के
महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन

(जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020)

सुखद पर्यावास

आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

दूरभाष : 0522-4070567

Mail ID : awasbandhu@gmail.com

Websites : www.awas.up.nic.in ● www.awasbandhu.in

नितिन रमेश गोकर्ण

आई०ए०एस०

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
लाल बहादुर शास्त्री भवन,
उ०प्र० शासन।

संदेश

नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश शासन का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग क्रियाशील है। स्वतंत्रता के उपरान्त प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के साथ आवास एवं शहरी नियोजन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया है जिसका मुख्य कारण प्रदेश की ग्रामीण आबादी का नगरीय क्षेत्रों में पलायन है। अतः जनआकांक्षाओं के अनुरूप शहरी नियोजन सुनिश्चित करने तथा सुनियोजित नयी विकसित कालोनियों में जन सामान्य को अपने भवन निर्मित करने में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत शासन द्वारा समय–समय पर विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के लिए दिशा निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

वर्ष 2020 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा विभिन्न विषयों यथा– सम्पत्ति प्रबन्धन, नजूल भूमि प्रबन्धन, निर्माण एवं विकास योजनाएं, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, अनाधिकृत निर्माण शमन, शुल्क एवं फीस निर्धारण, वित्तीय प्रबन्धन, कार्मिक प्रबन्धन इत्यादि कं सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नीति विषयक शासनादेश जारी किये गये हैं।

अतः ऐसे शासनादेशों एवं शासन की नीतियों का प्रस्तुत संकलन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकसा प्रधिकरणों के साथ–साथ आवासीय सेक्टर से जुड़े निजी संगठनों एवं जनसामान्य के लिये अति उपयोगी सिद्ध होगी।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव
उ० प्र० शासन

विषय सूची

क्रम.स.	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक	पृष्ठ संख्या
1. सम्पत्ति प्रबन्धन				**1–12**
1.1	वन–टाईम सैटेलमेन्ट योजना (ओ.टी.एस. योजना) 2020 के संचालन के सम्बन्ध में।	8/2020/278/आठ–1–20–01विविध/2000	07.02.2020	1–4
1.2	कोविड–19 महामारी एवं लॉकडाउन के दृष्टिगत वन टाईम सेटेलमेन्ट योजना (ओ.टी.एस. योजना, 2020) के अन्तर्गत आवेदन पत्र देने की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	35/2020/703/आठ–1–20–01विविध/2000	06.06.2020	5
1.3	कोविड–19 के दृष्टिगत वन–टाईम सैटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना) 2020 के संशोधन के सम्बन्ध में।	39/2020/879/आठ–1–20–01विविध/2000	06.08.2020	6–9
1.4	वन–टाईम सैटेलमेन्ट योजना (ओ.टी.एस. योजना) 2020 के अन्तर्गत आवेदन पत्र देने की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	43/2020/1322/आठ–1 – 20–01विविध/2000	30.09.2020	10–11
1.5	इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के समाप्त पट्टागत सम्पत्तियों के फ्री–होल्ड की दरों एवं शर्तों के निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या–72/3488/आठ–1–14–30विविध/2014 दिनांक 12.12.2014 अपेक्षित संशोधन/परिवर्धन हेतु सुझावार्थ गठित समिति सम्बन्धी।	665/आठ–4–2020–02ट्रस्ट/2016	29.10.2020	12
2. नजूल भूमि प्रबन्धन				**13–14**
2.1	नजूल भूमि को फ्री–होल्ड किये जाने सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का स्थगन।	3/2020/460/आठ–4–2020–137एन/2013टी.सी.	27.07.2020	13–14
3. विकास/निर्माण योजनाएं				**15–17**
3.1	आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण /विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत जारी निर्माण/विकास कार्य तथा भवन मानचित्रों से सम्बन्धित स्वीकृतियाँ/अनापत्ति प्रमाण–पत्र (जो रेरा से आच्छादित नहीं है) की समयावधि को कोविड–19 के फलस्वरूप लागू किये गये लॉक–डाउन के कारण बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	4/2020/693/आठ–3–2020–211विविध/13टी.सी.	01.07.2020	15
3.2	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) की दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ कॉरीडोर परियोजना के लिए एन.सी.आर.टी.सी. केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य सहमति पत्र (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित किये जाने के सम्बन्ध में।	5/2020/2223/आठ–2–2020–11एन.सी.आर/09	25.09.2020	16–17
4. महायोजनाएं				**18–33**
4.1	शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित अटल मिशन फॉर रेज्यूवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (AMRUT) के अन्तर्गत जी.आई.एस आधारित महायोजना तैयार किये जाने विषयक।	195/आठ–3–20–170 विविध/2017	10.02.2020	18–20
4.2	राज्य सरकार बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बरेली महायोजना–2021 में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना विषयक।	395/आठ–8–2020–11 एलयूसी/2019	12.02.2020	21–23

4.3	सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश–लखनऊ महायोजना–2031 के अन्तर्गत गोमती नदी के तट तथा शहीद पथ के कार्नर पी.पी.पी. मोड पर अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बहुउद्देशीय क्रीडा संकुल विकसित किये जाने हेतु मै0 इकाना स्पोर्टज सिटी, प्रा0 लि0 स्तम्भ–2 में उल्लिखित भू–उपयोग तथा महायोजना को स्तम्भ–3 के अनुसार संशाधित किये जाने विषयक।	626 / आठ–3–2020–100 विविध–2011टी0सी0	13.07.2020	24–25
4.4	विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणें तथा विनियमित क्षेत्रों की शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत महायोजनाओं / क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु शासकीय समिति पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में।	873 / आठ–3–20–06महा0 / 2014	05.08.2020	26
4.5	अधिसूचना–उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2020 के सम्बन्ध में।	1 / 2020 / 1259 / आठ–8–2020–04विविध / 2020	10.11.2020	27–29
4.6	''भूमि–अर्जन अधिनियम, 1894'' की धारा–11(क) के अधीन ग्राम–पहाड़िया, परगना–शिवपुर जिला वाराणसी के आराजी सं0–104 / 2 के रकबा 02.10एकड़ भूमि के अर्जन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही को व्यपगत घोषित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना।	15 / 2020 / आई / 40771 / 2020, 8–3099 / 2285 / 2020	21.12.2020	30–31
4.7	अधिसूचना–कानपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर महायोजना–2021 में संशाधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव के सम्बन्ध में।	1377 / आठ–8–2020–17 एलयूसी / 2019	24.12.2020	32–33
5. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि				**34–36**
5.1	प्रकाश की व्यवस्था और संवातन सम्बन्धी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों में स्पष्टता के सम्बन्ध में।	I/19257/2020 File No.8-3099/87/2019--3-	29.01.2020	34
5.2	वक्फ सम्पत्तियों पर व्यवसायिक केन्द्र आदि बनाने हेतु उन्हें विकास प्राधिकरण की अनुमति से मुक्त किये जाने सम्बन्धी प्राविधान को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	1335 / आठ–3–2020–	17.11.2020	35
5.3	सेल्यूलर / मोबाईल / बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोगार्थ टावर निर्माण हेतु प्राप्त हो रहे आवेदनों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	13 / 2020 / 1382 / आठ–3–20–34विविध / 2008	25.11.2020	36
6. अनाधिकृत निर्माण शमन				**37–54**
6.1	अनाधिकृत / अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना–2020 लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	**MS-09** / आठ–3–20–234 विविध / 2017टी0सी0	15.07.2020	37–51
6.2	प्रदेश के विभिन्न अभिकरणों के क्षेत्रान्तर्गत किये जा रहे अवैध निर्माण के विरुद्व प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	1267 / आठ–8–2020–301काम्प / 2018	20.11.2020	52–54
7. शुल्क/फीस निर्धारण				**55–59**
7.1	अधिसूचना– प्रदेश के स्थाई व सतत् औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा घरेलू एवं निर्यात बाजार में राज्य निर्मित उत्पादों की क्षमता में वृद्धि हेतु एक जीवंत वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में औद्योगिक विकास विभाग के सम्बन्ध में।	I/19813/2020 File No.8-3099/91/2019--3-	17.02.2020	55–56

7.2	कोविड–19 के दृष्टिगत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।	36 / 2020 / 935 / आठ–1–20–03बैठक / 13टीसी–2	15.07.2020	57–58
7.3	कोविड–19 के दृष्टिगत सक्षम स्तर से स्वीकृत योजनाओं के मानचित्रों के सापेक्ष शुल्कों की देयता के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।	6 / 2020 / 829 / आठ–3–20–211विविध / 13टी0सी0	29.07.2020	59
8. वित्तीय प्रबन्धन				**60–190**
8.1	जनपद लखनऊ में सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	1 / 2020 / 6 / आठ–1–20–08बजट / 17	06.01.2020	60–61
8.2	गोरखपुर शहर में लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) द्वारा जंगल कौड़िया से मोहद्दीपुर तक फोरलेन निर्माण एवं विद्युत विभाग द्वारा लाईन शिफ्टिंग कार्य सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	2 / 2020 / 1017 / आठ–1–20–81बजट / 2019	08.01.2020	62–63
8.3	जनपद वाराणसी में कचहरी के सामने भूमिगत पार्किंग के निर्माण सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	4 / 2020 / 2602 / आठ–1–20–33बजट / 2017	10.01.2020	64–65
8.4	कुम्भ मेला–2019 हेतु ग्यारहवें चरण के अन्तर्गत त्रिवेणीपुरम आवास योजना, अवंतिका आवास योजना, नैनी के अन्तर्गत मार्गों का सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	5 / 2020 / 20 / आठ–1–20–94बजट / 2018	17.01.2020	66–68
8.5	बदायूँ रोड पर करगैना मोड़ से जुए की कलवर्ट तक आर.सी.सी.एस.डब्ल्यू ड्रेन के निर्माण (वित्तीय स्वीकृति 2019–20) के सम्बन्ध में।	6 / 2020 / 96 / आठ–1–20–129बजट / 2019	27.01.2020	69–70
8.6	अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद (समग्र विकास योजना) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड–6 में न्यू हैदरगंज प्रथम वार्ड के विभिन्न मोहल्लों में सड़क, नाली एवं इण्टरलाकिंग के निर्माण सम्बन्धी परियोजना की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	7 / 2020 / 279 / आठ–1–20–36बजट / 2018	05.02.2020	71–73
8.7	कुम्भ मेला–2019 हेतु ग्यारहवें चरण के अन्तर्गत त्रिवेणीपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत मुख्य मार्ग के सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	9 / 2020 / 345 / आठ–1–20–94बजट / 2018	14.02.2020	74–75
8.8	बरेली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत डोहरा रोड से बीसलपुर रोड को जोड़ने वाली 45.00 मी0 चौड़ी सड़क के निर्माण (वित्तीय स्वीकृति 2019–20) के सम्बन्ध में।	10 / 2020 / 276 / आठ–1–20–76बजट / 2019	14.02.2020	76–77
8.9	उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत काशीराम कालोनी एवं नये तहसील परिसर के उत्तरी भाग स्थित उन्नाव की ओर से आये नाले का रेलवे लाइन पुलिया तक निमार्ण की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	11 / 2020 / 223 / आठ–1–20–95बजट / 2018	17.02.2020	78–79

8.10	उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत नई तहसील भवन उन्नाव तिराहा के निकट जजेस कालोनी को जाने वाली सड़क व यू–टाइप ड्रेन के निमार्ण की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	12/2020/222/आठ–1–20–13बजट/2019	20.02.2020	80–81
8.11	झाँसी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ग्वालियर कानपुर हाईवे से मुस्तरा रेलवे स्टेशन तक 24.00 मीटर सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने (वित्तीय स्वीकृति 2019–20) के सम्बन्ध में।	14/2020/397/आठ–1–20–127बजट/2019	02.03.2020	82–83
8.12	वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–02 के लेखाशीर्षक–4217 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	1/2020/8एन.सी.आर./आठ–2–20–05एनसीआर/17टीसी	02.03.2020	84–86
8.13	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राप्ती नगर विस्तार योजना गोरखपुर में निर्माणाधीन 1500 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के आन्तरिक विकास कार्य की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	13/2020/415/आठ–1–20–01बजट/2020	02.03.2020	87–88
8.14	अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (गैर वेतन) के लिए द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति 2019–20 के सम्बन्ध में।	18/2020/426/आठ–1–20–31विविध/2009	16.03.2020	89–90
8.15	जनपद लखनऊ में चौक स्थित लोहिया पार्क कंचन मार्केट के मध्य स्थित भूमि पर स्वीकृत मल्टीलेविल पार्किंग का स्थान परिवर्तन करते हुए चौक स्थित ज्योतिबाफुले पार्क में मल्टीलेविल भूमिगत पार्किंग के निर्माण सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) संबंध में।	17/2020/486/आठ–1–20–30बजट/2013	16.03.2020	91–92
8.16	जनपद लखनऊ में पिपराघाट के समीप गोमती नदी पर निर्माणाधीन पुल से शहीद पथ तक गोमती नदी के बायें तटबंध पर फोरलेन सड़क निर्माण कार्य से सम्बन्धित पुनरीक्षित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (2019–20) संबंध में।	16/2020/445/आठ–1–20–114बजट/2015	16.03.2020	93–94
8.17	जनपद लखनऊ में अमर शहीद पथ से बाघामऊ की ओर 2.00 कि0मी0 की लम्बाई में बन्धे के निर्माण कार्य से सम्बन्धित परियोजना की तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) संबंध में।	15/2020/487/आठ–1–20–38बजट/2014	16.03.2020	95–96
8.18	अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत जनपद लखनऊ मे लखनऊ नगर के अन्तर्गत अभियंत्रण जोन–6 के अन्तर्गत हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मोहान रोड आलमनगर ओवर ब्रिज से रिंग रोड भूहर क्रासिंग तक नाला निर्माण सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	19/2020/497/आठ–1–20–79बजट/2018	17.03.2020	97–98
8.19	वित्तीय वर्ष 2018–19 में उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की द्वितीय किश्त की स्वीकृति के संबंध में।	1/2020/186/आठ–3–20–25विविध/2018टी0सी0	18.03.2020	99
8.20	गोरखपुर नगर के गोलघर स्थित जलकल परिसर में मल्टी लेविल पार्किग के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	22/2020/567/आठ–1–20–41विविध/2018	19.03.2020	100–101

8.21	जानकीपुरम् योजना थाना जानकीपुरम् से अटल चौराहे तक 60 फिट चौड़ी सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य की वित्तीय स्वीकृति (2019—20) के सम्बन्ध में।	23 / 2020 / 545 / आठ—1—20—32बजट / 2018	26.03.2020	102—103
8.22	लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड—3 के अन्तर्गत जानकीपुरम—प्रथम, फैजुल्लागंज प्रथम व द्वितीय, डालीगंज, निराला नगर एवं अयोध्यादास प्रथम वार्डों में नाली इन्टरलाकिंग एवं पेवर फिनिशर द्वारा सड़क का सुधार / नव—निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी कार्य योजना की वित्तीय स्वीकृति (2019—20) के सम्बन्ध में।	24 / 2020 / 556 / आठ—1—20—12बजट / 2019	26.03.2020	104—105
8.23	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अंशपूंजी विनियोजन की बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2019—20) के सम्बन्ध में।	25 / 2020 / 295 / आठ—1—20—08बजट / 2018	26.03.2020	106—107
8.24	पुराने लखनऊ (हुसैनाबाद क्षेत्र) के समेकित विकास कार्यों हेतु परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019—20) के सम्बन्ध में।	27 / 2020 / 575 / आठ—1—20—86बजट / 2015	27.03.2020	108—110
8.25	लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड—7 एवं 4 में इंसाफनगर, राजीव नगर शिवाजीपुरम्, इन्दिरानगर सेक्टर—11, गोमती नगर विजयन्त खण्ड—4 एवं विनम्र खण्ड—1 में पेवर फिनिशर द्वारा सड़क का नव—निर्माण कार्य की कार्य योजना की वित्तीय स्वीकृति (2019—20) के सम्बन्ध में।	29 / 2020 / 558 / आठ—1—20—25बजट / 2019	27.03.2020	111—112
8.26	जनपद लखनऊ में नादान महल रोड पर स्थित नवभारत पार्क में भूमिगत पार्किंग सम्बन्धी परियोजना की वांछित धनराशि की स्वीकृति (2019—20) संबंध में।	30 / 2020 / 565 / आठ—1—20—19बजट / 2017	27.03.2020	113—114
8.27	लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण—7 के अन्तर्गत इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत आदर्श नगर, मटियारी फेज—1, 2, 3, काशीनगर, गहमर कुंज एवं हिमासिटी में नाली इण्टरलाकिंग एव सड़क का पेवर फिनिशर द्वारा सुधार / नव—निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019—20) के सम्बन्ध में।	26 / 2020 / 555 / आठ—1—20—65बजट / 2018	27.03.2020	115—116
8.28	जनपद लखनऊ में सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019—20) के सम्बन्ध में।	31 / 2020 / 604 / आठ—1—20—08बजट / 17	27.03.2020	117—118
8.29	लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड—3 एवं 7 के अन्तर्गत जानकीपुरम—प्रथम वार्ड, बेगम हजरत महल, बजरंग बली वार्ड, श्रीनगर कालोनी, डुडौली, कृष्णलोक नगर, विष्णु विहार, गायत्री नगर—2, इस्माइलगंज प्रथम वार्ड में पेवर फिनिशर द्वारा सड़क का नव—निर्माण कार्य की कार्य योजना की वित्तीय स्वीकृति (2019—20) के सम्बन्ध में।	28 / 2020 / 603 / आठ—1—20—26बजट / 2019	27.03.2020	119—120
8.30	सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक रख—रखाव कार्यो की वित्तीय स्वीकृति (2019—20) के संबंध में।	32 / 2020 / 606 / आठ—1—20—43एलडीए / 2006टी.सी.(ए)	31.03.2020	121—126

8.31	स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वेतन–भत्तों के लिए धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020–21) के सम्बन्ध में।	2/2020/283/आठ–4–2020–01स्मारक(बजट)/2020	08.04.2020	127–128
8.32	विहित प्राधिकारियों के कार्यालय अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए धनराशि का आवंटन।	5/2020/767/आठ–6–20/04बजट/2019टी0सी0	16.04.2020	129–130
8.33	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए धनराशि का आवंटन।	6/2020/768/आठ–6–20/05बजट/2019टी0सी0	16.04.2020	131–133
8.34	नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि आवंटित/स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।	01/2020/766/आठ–6–20/06बजट/2019टी0सी0	16.04.2020	134–136
8.35	अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (वेतन) के लिए वित्तीय स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020–21 के सम्बन्ध में।	33/2020/610/आठ–1–20–31विविध/2009	17.04.2020	137–138
8.36	वित्तीय वर्ष 2020–21 में उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।	3/2020/603/आठ–3–20–25विविध/18टी0सी0	20.04.2020	139
8.37	वित्तीय वर्ष 2020–21 में उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।	2/2020/602/आठ–3–20–25विविध/18टी0सी0	20.04.2020	140
8.38	नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में धनराशि का आवंटन।	01/2020/290/आठ–4–2020–02एन(बजट)/2020	14.05.2020	141–143
8.39	भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई से आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 तक लिए गये ऋण के देय ब्याज/मूलधन के प्रतिदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	34/2020/655/आठ–1–20–06एल0आई0सी0–2013–14	23.05.2020	144–145
8.40	अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (गैर वेतन) के लिए प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति वर्ष 2020–21 के सम्बन्ध में।	37/2020/803/आठ–1–20–31विविध/2009	22.07.2020	146–147
8.41	जनपद लखनऊ में सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति (2020–21) के सम्बन्ध में।	38/2020/954/आठ–1–20–08बजट/17	27.07.2020	148–149
8.42	सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक रख–रखाव कार्यो की वित्तीय स्वीकृति (2020–21) के संबंध में।	40/2020/1107/आठ–1–20–43एलडीए/2006टी.सी.(ए)	24.08.2020	150–151
8.43	अधिसूचना–उ0प्र0 भू–सम्पदा अपील अधिकरण का कार्यालय 6–जगदीश चन्द्र बोस मार्ग लालबाग, लखनऊ से इन्दिरा भवन, चतुर्थ तल लखनऊ में स्थानान्तरित किय जाने के सम्बन्ध में।	9/2020/786/आठ–3–20–158विविध/2018	01.09.2020	152
8.44	वित्तीय वर्ष 2020–21 में उ0प्र0 भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण हेतु 42–अन्य मद व्यय 31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) में प्राविधानित बजट के पुनर्विनियोग के संबंध में।	10/2020/919(2)/आठ–3–20–25विविध/2018टी.सी.	15.09.2020	153–156

8.45	वित्तीय वर्ष 2020–21 में उ0प्र0 भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण हेतु 42–अन्य मद व्यय 20–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) में प्राविधानित बजट के पुनर्विनियोग के संबंध में।	11 / 2020 / 919 / आठ–3–20 –25विविध / 2018टी.सी.	15.09.2020	157–160
8.46	भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई से आवासीय योजनाओं हेतु लिए गये ऋण पर देय ब्याज के प्रतिदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	41 / 2020 / 1292 / आठ–1–20–01जी0आई0सी0–2012 –13	18.09.2020	161
8.47	वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–02 के लेखाशीर्षक–4217 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	3 / 2020 / 2052 / आठ–2–20–05एनसीआर / 17टीसी	21.09.2020	162–164
8.48	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अंशपूंजी विनियोजन की बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020–21) के सम्बन्ध में।	44 / 2020 / 1398 / आठ–1 –20–08बजट / 2018	15.10.2020	165–166
8.49	भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई से आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में लिए गये ऋण के देय ब्याज के प्रतिदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	45 / 2020 / 1493 / आठ–1–20–06एल0आई0सी0–2013–14	26.10.2020	167–168
8.50	सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक रख–रखाव कार्यो की वित्तीय स्वीकृति की द्वितीय किश्त (2020–21) के संबंध में।	46 / 2020 / 1763 / आठ–1–20–43एलडीए / 2006टी.सी.(ए)	27.11.2020	169–170
8.51	जनपद लखनऊ में सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति (2020–21) के सम्बन्ध में।	47 / 2020 / 1505 / आठ–1–20–08बजट / 17	08.12.2020	171–172
8.52	आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को भूमि हेतु सबआर्डिनेट ऋण की की बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020–21) के सम्बन्ध में।	49 / 2020 / 1406 / आठ–1–20–62बजट / 2019	09.12.2020	173–174
8.53	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को भूमि हेतु सबआर्डिनेट ऋण मद में बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020–21) के सम्बन्ध में।	52 / 2020 / 1818 / आठ–1 –20–08बजट / 2018	09.12.2020	175–176
8.54	आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को अंशपूंजी विनियोजन की बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020–21) के सम्बन्ध में।	48 / 2020 / 1378 / आठ–1–20–62बजट / 2019	09.12.2020	177–178
8.55	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केन्द्रीय करों के भुगतान हेतु ऋण मद में बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020–21) के सम्बन्ध में।	50 / 2020 / 1762 / आठ–1 –20–08बजट / 2018	09.12.2020	179–180
8.56	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को राज्य के करों के भुगतान हेतु ऋण मद में बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020–21) के सम्बन्ध में।	51 / 2020 / 1817 / आठ–1 –20–08बजट / 2018	09.12.2020	181–182

8.57	शासनादेश सं0 –919 / आठ–3–20–25विविध / 2018टी सी दिनांक 15.09.2020 एवं शासनादेश सं0–919(2) / आठ–3–20–25विविध / 2018टी.सी दिनांक 15.09.2020 से सम्बन्धित शुद्धि–पत्र।	14 / 2020 / 1353 / आठ–3–20–25विविध / 2018	10.12.2020	183
8.58	वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–02 के लेखाशीर्षक–4217 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	6 / 2020 / 86एनसीआर / आठ–2–20–05एनसीआर / 17टीसी	15.12.2020	184–186
8.59	अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (गैर वेतन) के लिए द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति 2020–21 के सम्बन्ध में।	53 / 2020 / 1272 / आठ–1–20–31विविध / 2009	23.12.2020	187–188
8.60	गोरखपुर शहर में निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) द्वारा जंगल कौड़िया से मोहद्दीपुर तक फोरलेन निर्माण एवं विद्युत विभाग द्वारा लाईन शिफ्टिंग कार्य सम्बन्धी परियोजना की द्वितीय किश्त वित्तीय स्वीकृति (2020–21) के सम्बन्ध में।	54 / 2020 / 1842 / आठ–1–20–81बजट / 2019	30.12.2020	189–190

9. कार्मिक प्रबन्धन 191–228

9.1	उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अवर अभियन्ता (सिविल) संवर्ग में दिनांक 22.10.1984 को आमेलित अवर अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची।	01 / 2020 / 01 / आठ–5–20–04ई / 2014	02.01.2020	191–218
9.2	अधिसूचना– उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 को संशोधित करने की दृष्टि से नयी नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में।	617 / आठ–5–20–05ई / 14टी0सी0	06.08.2020	219–220
9.3	प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन / वर्कचार्ज / संविदा पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं के विनियमितीकरण हेतु सृजित किये गये पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।	1187 / आठ–5–20–43डब्ल्यूई / 2000टीसी	28.12.2020	221
9.4	प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन / वर्कचार्ज / संविदा पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं के विनियमितीकरण हेतु 09 अवर अभियन्ता (सिविल) के अधिसंख्य सृजित पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।	1188 / आठ–5–20–43डब्ल्यूई / 2000टीसी	28.12.2020	222
9.5	उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011 के नियम–11 की व्यवस्थानुसार विकास प्राधिकरणवार पेंशन अंशदान के पुनर्निर्धारण हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।	1177 / आठ–5–20–11ई / 2011	29.12.2020	223–224
9.6	विकास प्राधिकरणवार पेंशन अंशदान के निर्धारण।	1178/आठ–5–20–11ई/2011	29.12.2020	225–228

10. ऑन–लाइन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम 229–240

10.1	उ.प्र. के ऑन लाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) के अन्तर्गत स्क्रूटनी शुल्क के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	608 / आठ–3–19–26 विविध / 2017 टी0सी0	26.07.2019	229
10.2	उ.प्र. के ऑन लाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) के अन्तर्गत स्क्रूटनी शुल्क के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	1077 / आठ–3–19–26 विविध / 2017 टी0सी0	11.09.2019	230
10.3	पुराने ऑन–लाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल पोर्टल पर लम्बित मानचित्रों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त।	1125 / 8–3–20–26 विविध / 2017 टी0सी0–II	02.11.2020	231–232

10.4	बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान–2020 में ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस के अन्तर्गत ऑन–लाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के सम्बन्ध में कार्यवाही की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।	12 / 2020 / 1398 / आठ–3 –20–26 विविध / 2017 टी0सी0 1	18.11.2020	233–236
10.5	Online Building Plan Approval System (OBPAS) पर मानचित्रों की स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 02.09.2019 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	1631 / आठ–3–20–26 विविध / 2017 टी0सी0 (संलग्नक–1036 / आठ–3–19–2 6विविध / 2017टी0सी0 दिनांक 02.09.2019)	24.12.2020	237–240

11. प्रधानमंत्री आवास योजना 241–270

11.1	अधिसूचना– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अधीन विकासकर्ता द्वारा निर्मित ई0डब्ल्यू0एस भवन के अन्तरण हेतु विकासकर्ता द्वारा लाभार्थी के पक्ष में निष्पादित लिखत पर रू500 /– से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।	06 / 2019 / 500 / 94–स्टा0 नि0–2–2019–700(46)2019	25.09.2019	241–243
11.2	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत "अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप" मद के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग हेतु भवनों का निर्माण।	20 / 2020 / 532 / आठ–1– 20–80विविध / 2010	18.03.2020	244–245
11.3	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018–2021) में संशोधन।	21 / 2020 / 531 / आठ–1– 20–106विविध / 2018	18.03.2019	246–270

12. विविध 271–298

12.1	वर्तमान में प्रदेश में भीषण शीत लहर के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी निर्देश के सम्बन्ध में।	3 / 2020 / एम.एस. 01 / आठ–1–2020	08.01.2020	271–272
12.2	प्राधिकरणों / परिषद / विनियमित क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत मानचित्रों / ले–आउट में निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था / सुविधा का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।	88 / आठ–3–20–3005 (002) / 431 / 2019	13.01.2020	273–274
12.3	अधिसूचना–उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 एवं उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम,1986 के सम्बन्ध में स्तम्भ–2 में उल्लिखित विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में।	132 / आठ–10–20–02 गठन / 07	28.02.2020	275–279
12.4	वर्ष 2020–21 के वृक्षारोपण लक्ष्यों के निर्धारण एवं उससे सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	642 / आठ–1–20–34बैठक / 17टी0सी0	18.05.2020	280–281
12.5	महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए विशेष अभियान संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।	1439 / आठ–1–2071439 / 20	27.10.2020	282–283
12.6	जनपद गोरखपुर एवं वाराणसी में मण्डल स्तर पर एकीकृत कार्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में।	1773 / आठ–1–20– 04विविध / 2020	08.12.2020	284–286
12.7	कार्यालय ज्ञाप– गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल में एकीकृत मण्डलीय कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु प्रस्तावित परियोजना के अन्तरविभागीय समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय गठित समिति सम्बन्धी।	1773 (i) / आठ–1–2020– 04विविध / 2020	08.12.2020	287

12.8	कार्यालय ज्ञाप– गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल में एकीकृत मण्डलीय कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति सम्बन्धी।	1773 (ii) / आठ–1–2020–04विविध / 2020	08.12.2020	288–289
12.9	कार्यालय ज्ञाप– गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल में एकीकृत मण्डलीय कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु क्रमशः गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	1773 (iii) / आठ–1–2020–04विविध / 2020	08.12.2020	290
12.10	न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये APLs का उपयोग कर विभागों / संस्थाओं में लम्बित कोर्ट केसेज के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुश्रवण / प्रबन्धन के सम्बन्ध में।	1153 / आठ–3–2020	22.12.2020	291–298

सम्पत्ति प्रबन्धन

संख्या:8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 07 फरवरी, 2020

विषय: वन-टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना) 2020 के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों तथा नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु वन टाईम सेटेलमेंट योजना, 2002 के संचालन के संबंध में शासनादेश संख्या-3201/9-आ-1-02-1वि0/2000, दिनांक 12.08.02, शासनादेश संख्या-4620/9-आ-1-02-1वि0/2000, दिनांक 30.10.02 एवं शासनादेश संख्या-3367/ आठ-1-11-01 विविध/2000, दिनांक 29.11.2011 निर्गत किये गये थे। उक्त योजना की समय-सीमा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है, जो दिनांक 31.03.2017 को समाप्त हो गई है।

2- आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं में आवासीय सम्पत्तियों तथा नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत सम्पत्तियों के सम्बन्ध में आवास एवं विकास परिषद व प्राधिकरणों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अभी भी बड़ी संख्या में इन सम्पत्तियों के आवंटी भुगतान में डिफाल्टर हैं, जिसके कारण प्राधिकरणों/ परिषद के बकाये की वसूली अवरुद्ध है। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इन सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों के प्रकरणों को विनियमित करने एवं बकाए की वसूली हेतु एक अवसर प्रदान करते हुए 'वन-टाईम सेटलमेन्ट' योजना-2020 निम्नवत् लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) आवंटियों के लिए निर्धारित श्रेणी:-

(1) ओ.टी.एस. योजना, समस्त प्रकार की आवासीय सम्पत्तियों (ग्रुप हाउसिंग सहित) पर लागू होगी, चाहे वे आवंटन पद्धति से आवंटित हों या नीलामी पद्धति से हो या अन्य पद्धति से आवंटित हो।

(2) समस्त प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों पर ओ.टी.एस. योजना लागू होगी, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार व सरकारी उपक्रमों को आवंटित सम्पत्तियाँ भी सम्मिलित होंगी।

(3) विभिन्न प्रकार के स्कूल भूखण्डों एवं चैरीटेबल संस्थाओं, आदि को आवंटित सम्पत्तियों पर भी ओ.टी.एस. योजना लागू होगी।

(4) समस्त प्रकार की व्यवसायिक सम्पत्तियों, चाहे नीलामी द्वारा अथवा अन्य पद्धति से आवंटित हों, पर ओ.टी.एस. योजना लागू होगी।

(5) सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों पर भी ओ.टी.एस. योजना लागू होगी।

(ख) सिद्धान्तः-

(1) ओ.टी.एस. योजनान्तर्गत सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज़, जो सम्पत्ति आवंटन के समय किस्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज़ दर के बराबर होगा, लिया जायेगा।

(2) आवंटियों से किसी भी प्रकार का दण्ड ब्याज़ नहीं लिया जायेगा। डिफाल्ट की अवधि का ब्याज उपरिलिखित सिद्धान्त (1) के अनुसार लिया जायेगा।

(3) आवंटी द्वारा किये गये भुगतान को सर्वप्रथम डिफाल्ट की अवधि तक ओ.टी.एस. आधार पर आगणित ब्याज, तदोपरान्त बकाया मूल धनराशि के सापेक्ष समायोजित किये जायेंगे।

(4) ओ.टी.एस. योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा (Surplus) धनराशि आती है, तो उस धनराशि का समायोजन अन्य व्ययों जैसे-फ्री होल्ड चार्ज, वाटर सीवर चार्ज एवं अन्य व्ययों में किया जा सकेगा। इसके बावजूद भी यदि Surplus धनराशि बचती है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा।

(5) यदि किसी आवंटी द्वारा स्वानुरोध अथवा किसी शासनादेश के क्रम में देयों/किस्तों का पुनर्निर्धारण कराया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में ओ.टी.एस. की गणना सम्पत्ति के आवन्टन के समय निर्धारित किस्तों एवं ब्याज़ के अनुरूप की जाएगी।

(ग) प्रोसेसिंग फीस

क्र.सं.	सम्पत्तियों का प्रकार	प्रोसेसिंग फीस (जी.एस.टी. सहित) (रू0)	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली प्रारम्भिक धनराशि (रू0)	अभ्युक्ति
1.	ई.डब्ल्यू.एस. भवन/भूखण्ड	100	5,000	ओ.टी.एस. आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धनराशि, आगणित लागत/देय धनराशि में समायोजित हो सकेगी। परन्तु प्रोसेसिंग फीस ओ.टी.एस. का मात्र शुल्क है, इसे किसी भी देय धनराशि में समायोजित नहीं किया जायेगा।
2.	एल.आई.जी. भवन/भूखण्ड	500	10,000	
3.	अन्य श्रेणी की आवासीय एवं मिश्रित उपयोग की सम्पत्तियों तथा व्यावसायिक निर्मित दुकानों व दुकानों के भूखण्डों पर	2,100	50,000	
4.	ग्रुप हाऊसिंग	11,000	5,00,000	
5.	संस्थागत सम्पत्तियाँ	11,000	5,00,000	
6.	क्रम संख्या-3 के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवसायिक सम्पत्तियों पर	11,000	5,00,000	

(घ) आवेदन हेतु समयावधिः-

(1) शासनादेश निर्गत होने के 01 माह तक सभी डिफाल्टर्स को ई-मेल/एस.एम.एस./पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए एवं योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार (शिविर/गोष्ठी का आयोजन, होर्डिंग आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाय) करते हुए इसके संचालन हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(2) तत्पश्चात ओ.टी.एस. हेतु आवेदन-पत्र देने के लिए 03 माह की अवधि निर्धारित की जाती है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) ओ.टी.एस. आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि वही मानी जायेगी, जिस तिथि को आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस तथा प्रारम्भिक धनराशि ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा कर दी गयी हो।

(ङ.) आवेदन की प्रक्रिया

(1) आवंटियों द्वारा आवेदन आफ लाईन/ऑनलाईन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु ओ.टी.एस. योजना का आवास बन्धु की वेबसाईट (www.awasbandhu.in) के होमपेज पर लिंक OTS2020 उपलब्ध है (जो दिनांक 06 मार्च, 2020 से क्रियाशील होगा), जिसके माध्यम से आवंटियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा। आवेदकों के लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने हेतु आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा हेल्प-डेस्क की व्यवस्था भी की जाएगी।

(2) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त गणनाशीट एवं वाँछित धनराशि जमा करने की सूचना आवंटी द्वारा दिये गये ई-मेल/एस.एम.एस./पत्र व्यवहार से दी जायेगी।

(च) आवेदन-पत्रों का निस्तारण

ओ.टी.एस. आवेदनों का निस्तारण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 03 माह में किया जायेगा। तत्पश्चात प्रवर्तन (इंफोर्समेंट) की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। जिन प्रकरणों में ओ0टी0एस0 हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे डिफाल्टरों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्तिम तिथि के बाद अनिस्तारित आवेदनों के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर प्राधिकरण/परिषद को हुयी वित्तीय क्षति की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(छ) भुगतान की प्रक्रिया

ओ.टी.एस. में आगणित धनराशि को जमा करने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

(1) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू. 50.00 लाख तक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच ('डिस्पैच' का तात्पर्य एस.एम.एस., ई-मेल एवं हार्ड कॉपी से है) होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 मासिक किस्तों में 03 माह में जमा करना होगा अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि कुल चार माह में जमा करनी होगी।

(2) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू. 50.00 लाख से अधिक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 द्विमासिक किस्तों में 06 माह में जमा करना होगा, अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी।

(3) अन्तिम किस्त हेतु निर्धारित तिथि तक यदि सूचित की गई समस्त किस्तों की धनराशि जमा कर दी जाती है, तो ओ.टी.एस. मान्य होगा अन्यथा ओ.टी.एस. निरस्त हो जाएगा। यदि सूचित की गई किस्तें विलम्ब से जमा की जाती हैं, तो विलम्ब की अवधि के लिए 11 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

(4) डाउन पेमेन्ट (1/3 धनराशि) के भुगतान के उपरान्त अवशेष 2/3 धनराशि के भुगतान हेतु निर्धारित किस्तों पर 11 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

(5) ओ.टी.एस. में आगणित सम्पूर्ण देय धनराशि को मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर एकमुश्त (Upfront) जमा करने पर सम्पूर्ण देय धनराशि पर 02 प्रतिशत की छूट होगी।

(ञ) बकाया धनराशि की वसूली

ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को देय कोई धनराशि का भुगतान यदि निर्धारित समय-सीमान्तर्गत आवंटी द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-40/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-91 के अधीन भू-राजस्व के बकाये की भांति की जाएगी।

(झ) योजना के क्रियान्वयन की मासिक प्रगति से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन आवास बन्धु द्वारा किया जाएगा तथा शासन स्तर पर आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की मासिक समीक्षा बैठकों में इस योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवास एवं विकास परिषद/प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी, जिसके द्वारा भी इसकी नियमित समीक्षा की जायेगी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ओ.टी.एस. योजना-2020 को प्रस्तर-2घ(1) के अनुसार सभी डिफाल्टर्स को ई-मेल/एस.एम.एस./पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा इस योजना के संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिरीक्षक, निबंधन को सभी प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में सब-रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए हितबद्ध एवं जनसामान्य को उपलब्ध कराने तथा अपने से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

संख्याः35/2020/703/आठ-1-20-01विविध/2000

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 06 जून, 2020

विषयः कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन के दृष्टिगत वन टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना, 2020) के अन्तर्गत आवेदन पत्र देने की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन-टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना, 2020) के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश निर्गत किए गये हैं। उक्त शासनादेश में आवेदन करने हेतु दिनांक 06.03.2020 से 03 माह की अवधि निर्धारित की गयी थी, जो दिनांक 05.06.2020 को समाप्त हो गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी तथा लॉकडाउन के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना के तहत आवेदन पत्र देने की तिथि दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिरीक्षक, निबंधन को सभी प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में सब-रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

संख्या:39/2020/879/आठ-1-20-01विविध/2000

प्रेषक,

दीपक कुमार

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 06 अगस्त, 2020

विषयः कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वन-टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना) 2020 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

विकास प्राधिकरण तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों, क्रेताओं व ऋणगृहीताओं के प्रकरण को विनियमित करते हुए एक अवसर प्रदान करने के लिए शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07.02.2020 द्वारा वन टाईम सेटलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना) 2020 लागू की गयी है।

2- कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत क्रेडाई उ0प्र0 द्वारा दिनांक 04.05.2020 तथा 08.05.2020 को प्रत्यावेदन दिये गये थे, जिसमें कतिपय बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। क्रेडाई द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचार करके संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-644/आठ-1-20-03बैठक/2013 टीसी दिनांक 18.05.2020 द्वारा आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। क्रेडाई द्वारा एक प्रत्यावेदन दिनांक 26.05.2020 को भी दिया गया। निदेशक, आवास बन्धु के पत्र दिनांक 04.06.2020 द्वारा समिति की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है।

3- आवास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में वन टाईम सेटलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना) 2020 में प्रस्तावित संशोधन पर पत्र दिनांक 09.06.2020 द्वारा आवास आयुक्त एवं 10 प्राधिकरणों क्रमशः लखनऊ/गाजियाबाद/मेरठ/गोरखपुर/प्रयागराज/आगरा/कानपुर/वाराणसी/मुरादाबाद एवं बरेली विकास प्राधिकरण का अभिमत/सुझाव मांगा गया।

4- वन टाईम सेटलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना) 2020 में प्रस्तावित संशोधन के सदर्भ में गठित समिति की संस्तुति व विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त सुझाव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश

संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07.02.2020 में निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0सं0	संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07.02.2020 का प्रावधान	संशोधन
1.	(ख) सिद्धान्तः- (4) ओ.टी.एस. योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा (Surplus) धनराशि आती है, तो उस धनराशि का समायोजन अन्य व्ययों जैसे- फ्री होल्ड चार्ज, वाटर सीवर चार्ज एवं अन्य व्ययों में किया जा सकेगा। इसके बावजूद भी यदि Surplus धनराशि बचती है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा।	(ख) सिद्धान्तः- (4) ओ.टी.एस. योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा (Surplus) धनराशि आती है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा।
2.	(घ) आवेदन हेतु समयावधिः- (2) तत्पश्चात ओ.टी.एस. हेतु आवेदन-पत्र देने के लिए 03 माह की अवधि निर्धारित की जाती है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।	(घ) आवेदन हेतु समयावधिः- (2) ओ.टी.एस. हेतु आवेदन-पत्र देने के लिए अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 2020 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3.	(च)आवेदन-पत्रों का निस्तारण ओ.टी.एस. आवेदनों का निस्तारण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 03 माह में किया जायेगा। तत्पश्चात प्रवर्तन (इंफोर्समेंट) की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। जिन प्रकरणों में ओ0टी0एस0 हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे डिफाल्टरों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्तिम तिथि के बाद अनिस्तारित आवेदनों के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर प्राधिकरण/परिषद को हुयी वित्तीय क्षति की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी।	(च)आवेदन-पत्रों का निस्तारण ओ.टी.एस. आवेदनों का निस्तारण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 02 माह में किया जायेगा। तत्पश्चात प्रवर्तन (इंफोर्समेंट) की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। जिन प्रकरणों में ओ0टी0एस0 हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे डिफाल्टरों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्तिम तिथि के बाद अनिस्तारित आवेदनों के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर प्राधिकरण/परिषद को हुयी वित्तीय क्षति की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी।
4.	(छ)भुगतान की प्रक्रिया ओ.टी.एस. में आगणित धनराशि को जमा करने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:- (1) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू. 50.00 लाख तक हो, तो उक्त	(छ)भुगतान की प्रक्रिया ओ.टी.एस. में आगणित धनराशि को जमा करने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:- (1) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू. 50.00 लाख तक हो, तो उक्त धनराशि

	धनराशि का 1/3 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच ('डिस्पैच' का तात्पर्य एस.एम.एस., ई-मेल एवं हार्ड कॉपी से है) होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 मासिक किस्तों में 03 माह में जमा करना होगा अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि कुल चार माह में जमा करनी होगी।	का 1/3 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच (डिस्पैच का तात्पर्य एस.एम.एस., ई-मेल एवं हार्ड कॉपी से है) होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 द्विमासिक किस्तों में (2/9 भाग प्रत्येक दो माह पर देय होगा) 06 माह में 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जमा करना होगा। विलम्ब की स्थिति में 02 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। परन्तु अन्तिम किश्त हेतु निर्धारित तिथि तक यदि सूचित की गयी समस्त किश्तों की धनराशि जमा कर दी जाती है, तो ओ0टी0एस0 मान्य होगा, अन्यथा ओ0टी0एस0 निरस्त हो जायेगा। इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी।
	(2) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू. 50.00 लाख से अधिक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन मे और अवशेष 2/3 भाग, 03 द्विमासिक किस्तों मे 06 माह में जमा करना होगा, अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी।	(2) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू. 50.00 लाख से अधिक हो, तो उक्त धनराशि का 1/2 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 1/2 भाग, 03 द्विमासिक किश्तों अर्थात 06 माह में 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जमा करना होगा। इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी। प्रथम बार विलम्ब से भुगतान किए जाने पर 02 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। किन्तु पुनः विलम्ब किए जाने पर ओ0टी0एस0 सुविधा निरस्त कर दी जायेगी।
	(3) अन्तिम किस्त हेतु निर्धारित तिथि तक यदि सूचित की गई समस्त किस्तों की धनराशि जमा कर दी जाती है, तो ओ.टी.एस. मान्य होगा अन्यथा ओ.टी.एस. निरस्त हो जाएगा। यदि सूचित की गई किस्तें विलम्ब से जमा की जाती हैं, तो विलम्ब की अवधि के लिए 11 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा।	(3) विलोपित
	(4) डाउन पेमेन्ट (1/3 धनराशि) के भुगतान के उपरान्त अवशेष 2/3 धनराशि के भुगतान हेतु निर्धारित किस्तों पर 11 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा।	(4) विलोपित

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07 फरवरी, 2020 द्वारा निर्गत वन टाईम सेटलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना) 2020 के अन्तर्गत जिन डिफाल्टर आवंटियों द्वारा ओ0टी0एस0 का लाभ देने हेतु आवेदन किये गये थे, उन आवंटियों को भी

उपर्युक्त संशोधन के उपरान्त मिलने वाला अतिरिक्त लाभ अनुमन्य होगा। मिलने वाले लाभ उन आवंटियों पर भी लागू होंगे जिनके प्रकरणों में ओ0टी0एस0 योजनान्तर्गत अन्तिम निर्णय पारित किया जा चुका है।

6- शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20 0।विविध/2000, दिनांक 07 फरवरी, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

7- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ओ.टी.एस. योजना-2020 में किये गये उपर्युक्त संशोधन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। साथ ही सभी डिफाल्टर्स को ई-मेल/एस.एम.एस./पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा इस योजना के संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का भी कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिरीक्षक, निबंधन को सभी प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में सब-रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए हितबद्ध एवं जनसामान्य को उपलब्ध कराने तथा अपने से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

6.8.2020

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या:43/2020/1322/आठ-1-20-01विविध/2000

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 30 सितम्बर, 2020

विषयः वन टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना) 2020 के अन्तर्गत आवेदन पत्र देने की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन-टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना) 2020 के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश निर्गत किए गये है। उक्त शासनादेश में आवेदन करने हेतु दिनांक 06.03.2020 से 03 माह की अवधि निर्धारित की गयी थी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-703/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 06.06.2020 द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन देने की तिथि दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ायी गयी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-39/2020/879/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 06.08.2020 द्वारा उक्त योजना में कतिपय संशोधन किये गये है।

2- कोविड-19 महामारी तथा अभिकरणों द्वारा उक्त योजना की समयावधि बढ़ाये जाने हेतु किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना के तहत आवेदन पत्र देने की तिथि दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07.02.2020 एवं शासनादेश संख्या-39/2020/879/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 06.08.2020 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

7- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिरीक्षक, निबंधन को सभी प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में सब-रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अरूणेश कुमार द्विवेदी

उप सचिव

rera.in.gov

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4
संख्या– 665/आठ–4–2020–02ट्रस्ट/2016
लखनऊ: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के समाप्त पट्टागत सम्पत्तियों, नॉन प्रीमियम सम्पत्तियों के फ्री–होल्ड की दरों एवं शर्तों को निर्धारित करते हुए शासनादेश संख्या–72/3488/आठ–1–14–30विविध/2014 दिनांक 12.12.2014 में अपेक्षित संशोधन/परिवर्धन किये जाने हेतु सुझावार्थ निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/विभाग	पदनाम
1.	अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	अध्यक्ष
2.	निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
3.	सलाहकार नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
4.	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
5.	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	सदस्य
6.	मुख्य नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।	सदस्य
7.	अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य संयोजक

उक्त समिति प्रकरण से सम्बन्धित समस्त पक्षों का गहन अध्ययन/परीक्षण कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगी।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– 665(1)/आठ–4–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव (श्रीमती अपूर्वा दुबे), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ/कानपुर।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सलाहकार नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मुख्य नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण, लखनऊ/कानपुर।

आज्ञा से,
(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
अनु सचिव।

नजूल भूमि प्रबन्धन

संख्या-3/2020/460/आठ-4-2020-137एन/2013टी0सी0

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 27 जुलाई, 2020**

विषयः **नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का स्थगन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1562/9-आ-4-92-293एन/90 दिनांक 23.05.1992 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नजूल भूमि के प्रबन्धन और इसके निस्तारण के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते हुए नजूल भूमि की फ्रीहोल्ड सम्बन्धी निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 23.05.1992 के क्रम में समय-समय पर अन्य शासनादेश निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में शासनादेश संख्या-1/416/8-4-14-137एन/2013 दिनांक 04.03.2014 तथा शासनादेश संख्या-3/2015/107/ 8-4-15-137एन/2013 दिनांक 15.01.2015 का शासनादेश प्रभावी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गवर्नमेण्ट ग्राण्ट एक्ट, 1895 रिपील हो चुका है। उक्त एक्ट के रिपील हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (प्रबन्धन एवं निस्तारण) अधिनियम, 2020 के प्राख्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नजूल भूमि से सम्बन्धित शासनादेशों को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया जाय ताकि किसी प्रकार की विषमता उत्पन्न न हो सके। उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (प्रबन्धन एवं निस्तारण) अधिनियम, 2020 के प्राख्यापन उपरान्त नियमावली/शासनादेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। अतः नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण तथा फ्रीहोल्ड सम्बन्धी निर्गत समस्त शासनादेशों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/2020/460(1)/आठ-4-2020-137एन/2013टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
8. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

विकास/निर्माण योजनाएँ

ई-मेल/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-4/2020/693/आठ-3-2020-211 विविध/13 टी.सी.

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 01 जुलाई, 2020

विषय:- **आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत जारी निर्माण/विकास कार्य तथा भवन मानचित्रों से संबंधित स्वीकृतियों/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (जो रेरा से आच्छादित नहीं हैं) की समयावधि को कोविड-19 के फलस्वरूप लागू किये गये लॉक-डाउन के कारण बढ़ाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

आप अवगत है कि लॉकडाउन काल में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण निर्माण क्रियाओं में गतिरोध उत्पन्न होने के कारण रियल एस्टेट सेक्टर को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में क्रेडाई, उ.प्र. द्वारा निर्माण/विकास कार्य एवं भवन मानचित्रों से संबंधित स्वीकृतियों एवं अनापत्ति पत्रों की समय वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- क्रेडाई, उ.प्र. द्वारा किये गए अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों द्वारा जारी निर्माण/विकास कार्य एवं भवन मानचित्रों से संबंधित स्वीकृतियों एवं अनापत्ति पत्रों की समय वृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा रेरा से आच्छादित स्वीकृतियों की समय वृद्धि हेतु जारी गाइड लाईन के अनुसार ही बढ़ाया जाना युक्तिसंगत एवं तर्कसंगत होगा। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा रेरा से आच्छादित प्रकरणों के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है :-

- Treat COVID 19 as an event of "Force Majeure" under RERA.
- Extend the registration and completion date suo-moto by 6 months for all registered projects expiring on or after 25th March 2020 without individual applications.
- Regulatory Authorities may extend this for another period of up to 3 months, if needed.
- Issue fresh 'Project Registration Certificates' automatically with revised timelines.
- Extend timelines for various statuary compliances under RERA concurrently.

3- तद्नुसार आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, द्वारा जारी निर्माण/विकास कार्य एवं भवन मानचित्रों से संबंधित स्वीकृतियों एवं अनापत्ति पत्रों, जो रेरा से आच्छादित नहीं हैं तथा जिनकी स्वीकृति अवधि दिनांक 25 मार्च, 2020 अथवा उसके बाद समाप्त हो रही है, को 06 माह की समय वृद्धि बिना किसी आवेदन के स्वतः प्रदान की जाए। इसे आवश्यकतानुसार अभिकरण स्तर से पुनः 03 माह और बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त समयवृद्धि हेतु कोई अतिरिक्त मानचित्र अथवा अन्य शुल्क देय नहीं होंगे।

4- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अभिकरणों से संबंधित निर्माण/विकास कार्यों एवं भवन मानचित्रों विषयक स्वीकृतियों एवं अनापत्ति पत्रों से संबंधी प्रकरणों पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त संबंधित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 5 /2020/2223/आठ-2-2020-11एन0सी0आर0/09

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 25 सितम्बर, 2020

विषय- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0) की दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर परियोजना के लिए एन0सी0आर0टी0सी0, केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-NCRTC/D-M/MoU/91, दिनांक 11.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-1/2019/617/आठ-2-2019-05एन0सी0 आर0/17, दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना के संचालन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी), केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(1) केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल के आदेश संख्या-K-14011/17/2017-MRTS-I(Vol-II) दिनांक 07.03.2019 द्वारा आर0आर0टी0एस0 परियोजना के लिए निर्गत की गयी स्वीकृति आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं/शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार परियोजना के संचालन एवं व्यय भार वहन करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति प्रदान किया जाना।

(2) उपरोक्त प्राविधानों के साथ दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आर.आर.टी.एस. कॉरीडोर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एम0ओ0यू0, जो कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के आदेशानुसार तैयार किया गया है तथा केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित और अग्रसारित है, पर उत्तर प्रदेश सरकार का अनुमोदन प्रदान किया जाना।

(3) केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित और अग्रसारित एम0ओ0यू0, जो केन्द्र सरकार, एन0सी0आर0टी0सी0 तथा प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित होना है, पर प्रदेश सरकार की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को अधिकृत किया जाना।

2- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा शासनादेश संख्या-1/2019/617/आठ-2-2019-05एन0सी0 आर0/17, दिनाक 07.03.2019 तथा एम0ओ0यू0 के प्रतिबन्धों के अधीन परियोजना लक्षित समयसीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- कृपया आर0आर0टी0एस0 परियोजना के लिए तैयार किये गये एम0ओ0यू0, जो केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एवं पत्र संख्या-K-14011/17/2017-MRTS-I(Vol.II) दिनांक 11.09.2019 द्वारा अग्रसारित है, को औपचारिक हस्ताक्षर हेतु शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 5 /2020/2223/आठ-2-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव/स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, वाह्य सहायतित परियोजना, न्याय, ऊर्जा, परिवहन, नगर विकास, गृह, वित्त, औद्योगिक विकास, राजस्व तथा नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
10. आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
11. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद।
12. प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0।
13. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
14. नगर आयुक्त, मेरठ/गाजियाबाद।
15. उपाध्यक्ष, मेरठ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महायोजनाएँ

शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–195/आठ–3–20–170 विविध/2017

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण

4. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र

5. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनाँक : 10 फरवरी, 2020**

विषय :– शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कियान्वित अटल मिशन फॉर रेज्यूवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (AMRUT) के अन्तर्गत जी0आई0एस0 आधारित महायोजना तैयार किये जाने विषयक।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कियान्वित अटल मिशन फॉर रेज्यूवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (AMRUT) के अन्तर्गत प्रदेश के 60 नगरों में जी0आई0एस0 आधारित महायोजना का निर्माण समयबद्ध रुप से किया जाना है। इस संबन्ध में भारत सरकार द्वारा नियमित रुप से अनुश्रवण भी किया जा रहा है। राज्य में जी.आई.एस. आधारित महायोजनाओं के निर्माण की कार्यवाही हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 पदेन नोडल अधिकारी नामित हैं।

2– AMRUT के अन्तर्गत जी0आई0एस0 आधारित महायोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 28 जनवरी, 2020 को नगर एवं ग्राम नियोजक के मुख्यालय में एक प्रस्तुतीकरण/बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें विभागीय अधिकारियों सहित उपरोक्त योजना से संबंधित कन्सलटेन्ट द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। उक्त बैठक में मुख्य रुप से यह तथ्य भी संज्ञान में आये कि इस प्रकरण में जिला/प्राधिकरण स्तर पर अपेक्षित गंभीरता का अभाव है तथा संबंधित कन्सलटेन्ट को वांछित सूचना यथा सजरा मानचित्र इत्यादि समय से उपलब्ध न हो पाने के कारण प्रथम चरण में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। उक्त बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 60 नगरों में से अभी तक 42 नगरों की सर्वे–शीट्स एन.आर.एस.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी है तथा जिन नगरों की सर्वे–शीट्स प्राप्त नहीं है, उन्हे उपलब्ध करायी गयी इन्सेप्शन रिपोर्ट, जो मात्र कन्सेप्ट प्लान है, जिसमें मेथोडोलाजी, सिटी प्रोफाइल, वे–फार्वर्ड आदि प्रस्ताव लिये गये है, को सर्वे–शीट्स के अभाव में न रोका जाये क्योंकि इन्सेप्शन रिपोर्ट में इसकी आवश्यकता नहीं है। जी0आई0एस0 आधारित महायोजनाओं का निर्माण, भारत सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार की भी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को जिला/प्राधिकरण स्तर पर शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुये अधिकारियों को और संवेदनशील/जागरुक कर संबंधित कन्सलटेन्ट/एजेंसी को अपेक्षित सहयोग प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

क्रमशः...2

3– उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है तथा संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सूचना/विवरण पर आधारित है। संबंधित विभागों की वास्तविक एवं समुचित सूचना/डेटा उपलब्ध न हो पाने अथवा विलम्ब से सूचना प्राप्त होने पर महायोजना के निर्माण की गति तथा इसकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह अवगत कराना उचित होगा कि संबंधित कन्सलटेन्ट द्वारा इन्सेप्शन (Inception) रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात चरणबद्ध रूप से महायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना है। अतएव इस कार्य हेतु समस्त संबंधित विभागों द्वारा इस कार्य में पूर्ण रूचि लेते हुए अपेक्षित सहयोग दिया जाना अपरिहार्य है। उल्लेखनीय है कि यह कार्य सामान्य जन की सुविधा से संबंधित है। अतएव इसमें समस्त संबंधित विभागों द्वारा विशेष ध्यान एवं रूचि लिये जाने की आवश्यकता है। प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित विभाग और उनसे वांछित सूचना के विवरण की चेक लिस्ट संलग्न है।

4– उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कियान्वित अटल मिशन फॉर रेज्यूवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (AMRUT) के अन्तर्गत जी0आई0एस0 आधारित महायोजना तैयार किये जाने हेतु समस्त संबंधित परिधिगत अधिकारियों को समयबद्ध रुप से कार्यवाही करने के निर्देश दिये जायें तथा संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय तथा विकास प्राधिकरण कार्यालय में किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रुप में नामित किया जाय, जिसका दायित्व महायोजना के निर्माण हेतु नामित संस्था के कन्सलटेन्ट को प्रश्नगत कार्य हेतु वांछित सूचना/डेटा सरलता और सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना होगा। नामित नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम, दूरभाष/मोबाइल संख्या एवं ई–मेल संबंधित कन्सलटेन्ट एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाय। उपरोक्त कार्यवाही तीन दिन में पूर्ण कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई जाय।

5– प्रश्नगत प्रकरण में निर्धारित समयावधि में समस्त वांछित कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु नियमित रुप से उच्च स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि इस प्रकरण में जिलाधिकारी के स्तर पर नियमित रूप से पाक्षिक बैठक आहूत कर जी0आई0एस0 आधारित महायोजना के निर्माण में कन्सलटेन्ट को आ रही कठिनाईयों का निराकरण कराया जाय तथा मण्डलायुक्त स्तर पर नियमित रुप से मासिक समीक्षा करते हुये मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को प्रगति आख्या उपलब्ध कराई जाय। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा समस्त मंडलों की संकलित सूचना/प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रश्नगत प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाय।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

क्रमश.....3

संख्या–195 (1)/आठ–3–20–170 विविध/2017–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, नगर विकास विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, सहकारिता विभाग, श्रम विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(4) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0

(5) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8
संख्या– 395 /आठ–8–2020–11एलयूसी/2019
लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी, 2020

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बरेली महायोजना–2021 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र "दैनिक जागरण" तथा "दि–टाईम्स ऑफ इण्डिया" के संस्करण में दिनांक 02.11.2019 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूँकि उपर्युक्त सूचना में विर्निदिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के गठन का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)–1974 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, बरेली विकास क्षेत्रान्तर्गत, बरेली महायोजना–2021 में अनुसूची में उल्लिखित गाटा संख्या में सम्मुख अंकित भू–प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं:–

अनुसूची

(क) क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशाला हेतु

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	बरेली महायोजना–2021 में निर्दिष्ट भू–उपयोग	महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन	भू–उपयोग परिर्वतन हेतु क्षेत्रफल (हे0 में)
1.	ट्यूलिया	212	0.6370	हरित पट्टिका	कार्यालय	0.6370
2.	"	220	0.1540	हरित पट्टिका	कार्यालय	0.1540
		कुल क्षेत्रफल	**0.7910**	–	–	**0.7910 हे0**

—2—

(ख) क्राइम ब्रान्च कार्यालय हेतु

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	बरेली महायोजना–2021 में निर्दिष्ट भू–उपयोग	महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन	भू–उपयोग परिवर्तन हेतु क्षेत्रफल (हे0 में)
1.	ट्यूलिया	217	0.02	महायोजना मार्ग	यथावत	–
2.	”	217	0.08	हरित पट्टिका	कार्यालय	0.08
	कुल क्षेत्रफल					**0.08 हे0**

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित हरित पट्टिका भूमि के बदले निम्नलिखित भूमि को 'हरित पट्टिका' भू–उपयोग में परिवर्तन किया जाता है, जो निम्नवत हैः–

क्रमांक	राजस्व ग्राम	आराजी संख्या व कुल रकबा (वर्ग मी0 में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	बरेली महायोजना–2021 के अनुसार भू–उपयोग	महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	बिथरी चैनपुर	287/3770	9000	कृषि (ग्राम समाज)	हरित पट्टिका
2	नवदिया हरिकिशन	41/ 3930		कृषि (परती भूमि)	हरित पट्टिका
		44/ 2040		कृषि (परती भूमि)	हरित पट्टिका
	कुल 03 किता	**9740 वर्ग मी0**	**9000 वर्ग मी0 (0.9 हे0)**		

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/आठ–8–2020–11एल.यू.सी./19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को उक्त अधिसूचना दिनांक 12/02/2020 की मूलप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए 10 मुद्रित प्रतियां शासन को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को 05–05 प्रतियां उन्हें सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव

संख्या– 395 (2)/आठ–8–2020–11एल.यू.सी./19 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2– आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
3– जिलाधिकारी, बरेली।
4– उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।
5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, फोरेंसिक साईन्स, लेब्रोरेट्री, महानगर, लखनऊ।
7– निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
12.02.2020

(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव

क्रम-संख्या—108

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्शेसनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 13 जुलाई, 2020

आषाढ़ 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3

संख्या 626/आठ-3–2020-100 विविध-2011 टी0सी0

लखनऊ, 13 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प०आ०—153

चूँकि राज्य सरकार लखनऊ महायोजना—2031 में निम्नवत् अनुसूची के स्तम्भ—3 के अनुसार संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में दैनिक समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान" एवं "हिन्दुस्तान टाइम्स" के दिनांक 31 अगस्त, 2019 के संस्करण में सूचना प्रकाशित करायी गयी थी और चूँकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर जनसामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्रकरण में आपत्ति एवं सुझाव के अभाव में समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लखनऊ महायोजना—2031 के अन्तर्गत गोमती नदी के तट तथा शहीद पथ के कार्नर पर पी0पी0पी0 मोड पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बहुउद्देशीय क्रीड़ा संकुल व क्रिकेट अकादमी को विकसित किये जाने हेतु मै0 इकाना स्पोर्ट्ज सिटी, प्रा0 लि0 के निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ—2 में उल्लिखित भू—उपयोग तथा महायोजना को स्तम्भ—3 के अनुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	लखनऊ महायोजना—2031 के अनुसार वर्तमान भू-उपयोग	लखनऊ महायोजना—2031 में संशोधित प्राविधान	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	2	3	4
1	45.0 मी0 चौड़ा महायोजना मार्ग	24.0 मी0 चौड़ा मार्ग	30016.56
1ए	45.0 मी0 सड़क का भाग	सुविधाएं	13682.83
1बी	45.0 मी0 सड़क का भाग	आवासीय	3228.84
1सी	45.0 मी0 सड़क का भाग	व्यवसायिक	13104.89
2	सुविधाएं	व्यवसायिक	30761.36
3	आवासीय	व्यवसायिक	113421.78

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 118 राजपत्र (हि०)—2020—(236)—599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 2 सा० आवास एवं शहरी नियोजन—2020—(239)—150 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या : 873/आठ–3–20–06 महा0/2014
लखनऊ : दिनांक : 05 जुलाई, 2020
अगस्त

कार्यालय–ज्ञाप

विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों की शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–54/आठ–3–18–06 महा/2014 दिनांक 08.01.2018 के द्वारा गठित शासकीय समिति को सम्यक् विचारोपरान्त एतद् द्वारा निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है :–

1. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।	अध्यक्ष
2. विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3।	सह–अध्यक्ष
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य/संयोजक
4. मुख्य अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	सदस्य
5. प्रधानाचार्य, राजकीय आर्कीटेक्चर कालेज, लखनऊ।	सदस्य
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।	सदस्य
7. सलाहकार (विकास एवं नियोजन), आवास बन्धु, उ0प्र0।	सदस्य
8. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नामित 02 विषय विशेषज्ञ।	सदस्य

2– समिति का यह दायित्व होगा कि एक रोस्टर बनाकर प्रत्येक डेढ़ माह में इन 60 महायोजनाओं के निर्माण की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें एवं यह देखें कि महायोजना निर्माण करने वाली एजेन्सी सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क में रहते हुए उनके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं तथा विभिन्न विभागों से संकलित होने वाली सूचनाएं/डेटा उन्हें समय से प्राप्त हो रहे हैं एवं नियमानुसार/दिशा निर्देशों के अनुसार ससमय महायोजनाओं के निर्माण का कार्य हो रहा है।

3– समिति द्वारा अपनी समीक्षा आख्या शासन को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या : 873(1)/आठ–3–20–06 महा/2014–तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समिति के अध्यक्ष/सह–अध्यक्ष/सदस्यगण।
2. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय–ज्ञाप को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त संबंधित को अपने स्तर से तामील कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-8
संख्या- 1/2020/1259/आठ-8-2020-04विविध/2020
लखनऊ : दिनांक : 10 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन 1973) की धारा 38-क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा-55 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद् ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद् ग्रहण एवं संग्रहण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ	1.(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद् ग्रहण एवं संग्रहण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। (3) यह नियमावली समस्त विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विनियमित क्षेत्रों से संबंधित उपबंधों के अधीन अंगीकृत की जायेगी।
अनुसूची 'क' का संशोधन	2. उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद् ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में, नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी अनुसूची 'क' के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 — विद्यमान अनुसूची

क्र. सं.	विद्यमान भू-उपयोग	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, सर्किल रेट/सेक्टर रेट के प्रतिशत के रूप में — प्रस्तावित भू-उपयोग: सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन भी है।	औद्योगिक	आवासीय	कार्यालय	मिश्रित	व्यावसायिक
	1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि, पार्क, खुले स्थान एवं ग्रीन बेल्ट	20%	35%	50%	100%	125%	150%
2.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन	कुछ नहीं	20%	40%	75%	100%	125%
3.	औद्योगिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%	75%	90%	110%
4.	आवासीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	50%	75%	100%
5.	कार्यालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	30%	50%
6.	मिश्रित	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%
7.	व्यावसायिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

स्तम्भ-2 — एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची

क्र. सं.	विद्यमान भू-उपयोग	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, सर्किल रेट/सेक्टर रेट के प्रतिशत के रूप में — प्रस्तावित भू-उपयोग: सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन भी है।	औद्योगिक	आवासीय	कार्यालय	मिश्रित	व्यावसायिक
	1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि, पार्क, खुले स्थान एवं ग्रीन बेल्ट	20%	20%	50%	100%	125%	150%
2.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन भी है।	कुछ नहीं	20%	40%	75%	100%	125%
3.	औद्योगिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%	75%	90%	110%
4.	आवासीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	50%	75%	100%
5.	कार्यालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	30%	50%
6.	मिश्रित	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%
7.	व्यावसायिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 1/2020/1259(1)/आठ-8-2020-04विविध/2020/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दिनांक :10 नवम्बर, 2020 के विधायी परिशिष्ट भाग 4-खण्ड (ख) में प्रकाशित करायें तथा गजट की मुद्रित 01-01 प्रतियां संबंधित अधिकारियों एवं शासन को 10 प्रतियां उपलब्ध करायी जाय।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

संख्या- 1/2020/1259(2)/आठ-8-2020-04विविध/2020/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
(4) महा निरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(9) अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(10) नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
(11) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार-प्रसार हेतु।
(12) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN

Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-8

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification

No. 1/2020/1259(3)/ 8-8-2020-04Vividh/2020

Lucknow : Dated : 10 November, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 55 read with sub-section (1) of section 38-A of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act 1973 (U.P. Act No. 11 of 1973) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Land Use Conversion Charge) Rules, 2014 :-

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT (ASSESSMENT, LEVY AND COLLECTION OF LAND USE CONVERSION CHARGE) (SECOND AMENDMENT) RULES, 2020

Short title, extent and commencement	**1.** (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Land Use Conversion Charge) **(Second Amendment)** Rules, 2020. (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette. (3) These rules shall be adopted under the respective provisions of all Development Authorities, Special Area Development Authorities, Uttar Pradesh Housing and Development Board and Regulated Areas.
Amendment of Schedule 'A'	In the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Land Use Conversion Charge) Rules, 2014 for Schedule 'A' set out in Column-1 below, the Schedule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1

Existing Schedule

Sl No	Existing Land Use	Land use conversion charge as percentage of Circle Rate/Sector Rate — Proposed land use: Public and Semi-Public Facilities, Services and Utilities including Traffic and Transportation	Industrial	Residential	Offices	Mixed	Commercial
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Agriculture, Parks, Open Spaces & Green Belt	20%	35%	50%	100%	125%	150%
2.	Public & Semi-Public Facilities, Services and Utilities including Traffic and Transportation	NA	20%	40%	75%	100%	125%
3.	Industrial	Nil	NA	25%	75%	90%	110%
4.	Residential	Nil	Nil	NA	50%	75%	100%
5.	Offices	Nil	Nil	Nil	NA	30%	50%
6.	Mixed	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	25%
7.	Commercial	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	NA

Column-2

Schedule as hereby substituted

Sl. No	Existing Land Use	Land use conversion charge as percentage of Circle Rate/Sector Rate — Proposed land use: Public and Semi-Public Facilities, Services and Utilities including Traffic and Transportation	Industrial	Residential	Offices	Mixed	Commercial
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Agriculture, Parks, Open Spaces & Green Belt	20%	**20%**	50%	100%	125%	150%
2.	Public & Semi-Public Facilities, Services and Utilities including Traffic and Transportation	NA	20%	40%	75%	100%	125%
3.	Industrial	Nil	NA	25%	75%	90%	110%
4.	Residential	Nil	Nil	NA	50%	75%	100%
5.	Offices	Nil	Nil	Nil	NA	30%	50%
6.	Mixed	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	25%
7.	Commercial	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	NA

By order,

Deepak Kumar

Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्याः 15/2020/आई/40771/2020, 8-3099/2285/2020
लखनऊः दिनांकः 21 दिसम्बर, 2020

<u>अधिसूचना</u>

चूँकि लोक प्रयोजन अर्थात सुनियोजित विकास योजना के अधीन वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वाराणसी के लोगों के लिए ग्राम-पहाड़िया, परगना-शिवपुर, जिला-वाराणसी में एक आवासीय कालोनी की स्थापना के लिए ग्राम- पहाड़िया, परगना-शिवपुर, जिला-वाराणसी की भूमि की आवश्यकता थी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (अधिनियम संख्या-01 सन्-1894) की धारा-6 की अधिसूचना दिनांक 30.09.1983 को जारी की गयी थी।

चूँकि प्रकरण में जिलाधिकारी, वाराणसी एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध आख्या, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों तथा प्रकरण में न्याय विभाग और राजस्व विभाग के परामर्श तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रश्नगत आराजी संख्या-104/2, रकबा 02.10 एकड़ भूमि ग्राम-पहाड़िया, परगना-शिवपुर, जिला-वाराणसी के संबंध में अर्जन की कार्यवाही को कालबाधित किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण के परिशीलनोपरान्त राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि प्रश्नगत भूमि पर अर्जन निकाय को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है और अभिनिर्णय की कार्यवाही भी नहीं हो पाई है।

सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" की धारा-11(क) के अन्तर्गत उक्त वर्णित भूमि के संबंध में अर्जन की समस्त कार्यवाही को व्यपगत किया जाय।

अतएव, अब उपर्युक्त अधिनियम, 1894 की धारा-11(क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम-पहाड़िया, परगना-शिवपुर, जिला-वाराणसी की आराजी संख्या-104/2 के रकबा 02.10 एकड़ भूमि की अर्जन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही को व्यपगत घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्याः 15/2020/आई/40771(1)/2020-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे दिनांक 21.12.2020 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित करायें तथा 10 मुद्रित प्रतियां इस अनुभाग को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को 05-05 प्रतियां उन्हें सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
अजय कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: 15/2020/ आई/40771(1)/2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी।
4. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
5. अपर जिलाधिकारी, (भू0अ0), वाराणसी।
6. श्री संदीप कुमार मौर्य, स-6/95, अकथा, सारनाथ, वाराणसी, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8
संख्या–1377/आठ–8–2020–17एलयूसी/2019
लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार कानपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर महायोजना–2021 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र "अमर उजाला" तथा "हिन्दुस्तान" के संस्करण में दिनांक 12.12.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूँकि उपर्युक्त सूचना में विर्निदिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के गठन का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)–1974 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, कानपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत, कानपुर महायोजना–2021 में अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित गाटा संख्या को प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रयोजनार्थ उनके सम्मुख अंकित भू–प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन इस शर्त के अधीन किया जाता है कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु निर्गत गाईडलाइन्स के अनुसार योजना स्थल हेतु विद्यमान लेपित/कन्क्रीट पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई एवं संगत शासनादेशों के आलोक में समस्त अवस्थापना सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त भू–उपयोग परिवर्तन केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया जा रहा है, अन्यथा की स्थिति में अधिसूचना निरस्त समझी जायेगी :–

अनुसूची

क्र. सं.	भूमि की स्थलीय स्थिति का विवरण	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी0)	कानपुर महायोजना–2021 के अनुसार भू–उपयोग	प्रस्तावित भू– उपयोग
1	खसरा सं0–526/2 की भूमि, 18 मी0 चौड़े तथा खसरा सं0–556/2 की भूमि 12 मी0 चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित (स्थलीय स्थिति सजरा प्लान, सेटलाइट इमेज, कानपुर महायोजना–2021 के मानचित्र पर दर्शित) राजस्व ग्राम सचेन्डी, चकरपुर, कानपुर नगर	526/2	15730.00	कृषि	आवासीय
		556/2	6039.00	कृषि	आवासीय

2. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना हेतु उपरोक्त भू–उपयोग के अनुसार आवासों का निर्माण पूर्ण कराये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा समयबद्ध यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना/आख्या 02 माह में शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव

<u>संख्या–1377 (1)/आठ–8–2020–17एलयूसी/19 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को उक्त अधिसूचना दिनांक 24/12/2020 की मूल प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए 10 मुद्रित प्रतियां शासन को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को 05–05 प्रतियां उन्हें सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव

<u>संख्या–1377 (2)/आठ–8–2020–17एल.यू.सी./19 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष/आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2– जिलाधिकारी, कानपुर।
3– उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
24.12.2020

(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनॉक : 25जनवरी, 2020**

विषय:प्रकाश की व्यवस्था और संवातन संबंधी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों में स्पष्टता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर-3.7 में "प्रकाश की व्यवस्था और संवातन" के संबंध में प्राविधान दिए गए हैं, परन्तु पूर्णतया वातानुकूलित भवनों के संबंध में विशिष्ट प्राविधान उल्लिखित नहीं है। वर्तमान समय में पूर्णतया वातानुकूलित आवासीय/व्यावसायिक भवनों के निर्माण की प्रवृत्ति का विस्तार देखा जा रहा है। रियल स्टेट क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा इस संबंध में स्पष्टता हेतु शासन स्तर से अनुरोध भी किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त श्रेणी के भवनों के लिए संवातन सम्बन्धी प्राविधानों में के संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि नेशनल बिल्डिंग कोड के पार्ट–3 Development Control Rules and General Building Requirements के प्रस्तर–8.2.5(b) के टिप्पणी कमांक–2 के उपबन्धों (For fully air conditioned residential/ business buildings the ventilation shaft need not be insisted upon provided the air conditioning system works in an uninterrupted manner, also, provided there is an alternative source of power supply.) के अनुसार आवासीय एवं व्यावसायिक भवन जो पूर्णतः वातानुकूलित हों के लिए संवातन साफ्ट का प्राविधान किया जाना अनिवार्य नहीं है, परन्तु इस संबंध में नेशनल बिल्डिंग कोड के उक्त प्राविधानों के अनुसार वातानुकूलन प्रणाली निर्बाध रूप से कार्यशील होने एवं विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के प्रस्तर–1.3(ii) की व्यवस्था के अनुसार पूर्णतः वातानुकूलित आवासीय/व्यवसायिक भवनों के अन्तर्गत केन्द्रीयत वातानुकूलन प्रणाली अबाधित रूप से संचालित होने तथा उसके निर्बाध रूप से संचालन हेतु वैकल्पिक पावर सप्लाई सुनिश्चित होने की दशा में नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अपूर्वा दुबे)
विशेष सचिव।

<u>संख्या–I/19257(1)/2019–तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति समस्त संबंधित को तामीला कराते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

2 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अपूर्वा दुबे)
विशेष सचिव।

Digitally signed by अपूर्वा दूबे
Date:Wed Jan 29 10:30:04 IST 2020
Reason: Approved

ई–मेल/महत्वपूर्ण
संख्या–1335/आठ–3–2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

4. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 17 नवम्बर, 2020

विषयः– वक्फ सम्पत्तियों पर व्यवसायिक केन्द्र आदि बनाने हेतु उन्हें विकास प्राधिकरण की अनुमति से मुक्त किये जाने संबंधी प्राविधान को समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1002/बावन–2–2020 दिनांक 23.10.2020 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सम्यक विचारोपरान्त मुस्लिम वक्फ अनुभाग के शासनादेश संख्या–379/वक्फ–293/94 दिनांक 04.02.1994 एवं शासनादेश संख्या–579/वक्फ–94–338/94 दिनांक 14.03.1994 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के निर्माण/विकास हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–14 के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए उक्त अधिनियम और प्रभावी भवन निर्माण उपविधि के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /आठ–3–2020–तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति समस्त संबंधितों को तामील कराते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

ई-मेल

संख्या- 13/2020/1382/आठ-3-20-34 विविध/2008

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

3. **जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ0प्र0 लखनऊ।

4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र,
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 25 नवम्बर, 2020**

विषयः सेल्यूलर/मोबाईल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोगार्थ टावर निर्माण हेतु प्राप्त हो रहे आवेदनों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय अभिकरणों में सेल्यूलर/मोबाईल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोगार्थ टावर की स्थापना हेतु प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों पर आर.डब्ल्यू.ए. का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। जबकि इस संबंध में शासनादेश संख्या-462/ 8-3-16-34 विविध/08 दिनांक 17.06.2016 के माध्यम से निर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित) अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग एवं बहुमंजिले भवनों हेतु आर.डब्ल्यू.ए. की अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये जाने के प्राविधान बिन्दु संख्या-12.1(i) को विलोपित किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में विभिन्न अभिकरणों/प्राधिकरणों में टावर की स्थापना हेतु प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आर.डब्ल्यू.ए. की अनापत्ति/सहमति की अनिवार्यता/बाध्यता नहीं है।

2- अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उक्त शासनादेश दिनांक 17.06.2016 में निहित प्राविधानों के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या: 13/2020/1382(1)/आठ-3-20-34 विविध/2008-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित को आदेश की प्रति तामील कराते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजय कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनाधिकृत निर्माण
का शमन

ई–मेल

संख्या–MS-09/आठ–3–20–234 विविध/2017 टी०सी०

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 15 जुलाई, 2020

विषय :– **अनधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना–2020 लागू किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त संबंध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाए गये हैं कि विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास एवं निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 तथा महायोजना एवं भवन उपविधियों में निहित प्राविधानों के उल्लघंन स्वरूप अनधिकृत निर्माण में वृद्धि हुयी है। ऐसे निर्माण का नियमितीकरण विकास प्राधिकरणों में प्रभावी शमन उपविधि–2010 के अन्तर्गत संभव नहीं है। ऐसे मामलों के अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण में निहित मुकदमेबाजी के फलस्वरूप प्राधिकरणों के बहुमूल्य समय/धन एवं शक्ति का ह्रास होता है तथा जनता को भी मानसिक यंत्रणा का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में कई स्तरों से शमन योजना लाए जाने हेतु मांग भी की गयी।

2– उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत शमन उपविधि–2010 में सरलीकरण कर शमन योजना–2020 लाए जाने हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ से अभिमत प्राप्त कर तथा शमन योजना के संबंध में विकास प्राधिकरणों, स्टेकहोल्डर्स, आम जन तथा अन्य हितबद्ध व्यक्तियों से दिनांक 12.02.2020 से 24.02.2020 की अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर विचार कर निदेशक, आवास बन्धु द्वारा सुविचारित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न शमन योजना–2020 लागू करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश निम्नवत् निर्देश जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. शमन योजना 2020 इस पत्र के जारी होने के दिनांक 15.07.2020 से एक सप्ताह के भीतर शमन योजना को सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा अपने–अपने अधिनियमों के अधीन विहित प्रक्रियानुसार परिचालन के माध्यम से अंगीकृत करने के उपरान्त उक्त अभिकरणों में एक साथ दिनांक 21.7.2020 से लागू की जायेगी।

2. शमन योजना 2020 प्रभावी होने की तिथि दिनांक 21.07.2020 से केवल 06 माह की अवधि के लिए दिनांक 20.01.2021 तक ही लागू होगी तथा शमन हेतु आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप पर आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा नियंत्रक प्राधिकारी को शमन योजना प्रभावी होने की अवधि दिनांक 21.07.2020 से दिनांक 20.01.2021 के भीतर आवेदन ऑनलाइन/ऑफलाइन किया जायेगा।

3. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा संबंधित विकास प्राधिकरण प्रत्येक सप्ताह अन्त में प्राप्त एवं निस्तारित आवेदन पत्रों तथा प्राप्त शमन शुल्क की सम्यक सूचना निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

4. शमन योजना 2020 के लागू रहने की अवधि में विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि 2010 के प्राविधान स्थगित रहेगें।

5. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा शमन योजना 2020 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण योजना की 06 माह की अवधि समाप्त होने की दिनांक से 03 माह के भीतर (दिनांक 21.04.2021 तक) किया जाना अनिवार्य है।

6. सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा इस योजना की जानकारी जनता को देने हेतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाए और योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार शमन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण अभियान चलाकर और कैम्प आयोजित कर सुनिश्चित किया जाए।

7. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा संबंधित विकास प्राधिकरण के स्तर पर विचाराधीन शमन संबंधी प्रकरण, जिन्हें अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, ऐसे मामलों में शमन योजना 2020 के अन्तर्गत नये सिरे से आवेदन किया जा सकेगा।

8. शमन शुल्क की धनराशि लाभार्थी द्वारा एकमुश्त अथवा 03 मासिक किस्तों में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की दिनांक 01.4.2020 की 02 वर्षों हेतु निर्धारित एम.सी.एल.आर. दर में 01 प्रतिशत बढ़ोत्तरी (7.95+1=8.95 अर्थात 9 प्रतिशत) के साथ साधारण ब्याज सहित देय होगी।

संलग्नक : शमन योजना–2020 की प्रति।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– MS-09(1)/आठ–3–20–234 विविध/2017 टी0सी0–तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0।
(2) मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
(4) अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
(5) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से कि पत्र का तामीला समस्त संबंधित को कराते हुए शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
(7) अध्यक्ष, आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन, उ0प्र0।
(8) प्रेसीडेन्ट, क्रेडाई, उ0प्र0।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

शमन योजना, 2020

1. शमन योजना, 2020 की आवश्यकता एवं उद्देश्य

1.1 नगरीय क्षेत्रों में हो चुके अवैध निर्माणों में वृहद् निजी पूंजी निवेश हो चुका है, ऐसे निर्माणों का न तो ध्वस्तीकरण व्यवहारिक है और न ही मानवीय दृष्टिकोण से वांछनीय हैं।

1.2 अधिकांश अवैध निर्माण विकास प्राधिकरणों की सामान्य शमन उपविधि के अन्तर्गत शमनीय नहीं है, अतः ऐसे निर्माण के शमन हेतु एक विशेष शमन योजना संचालित किए जाने की आवश्यकता है।

1.3 शमन योजना, 2020 के अन्तर्गत जनता को अवैध निर्माण के शमन हेतु एक सीमित समय अवधि का अवसर प्रदान करते हुए मानसिक परेशानी से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

1.4 इस योजना को लागू किए जाने के फलस्वरूप विकास प्राधिकरणों तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के मध्य चल रहे विवादों एवं मुकदमेबाजी का समाधान हो सकेगा।

1.5 शमन शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण/सम्वर्द्धन में करते हुए सम्बन्धित शहरों के रिहायशी पर्यावरण को बेहतर बनाया जाएगा।

1.6 राष्ट्रीय एवं राज्य शहरी आवास नीतियों के अनुपालन में जनता के निजी प्रयासों से निर्मित हाउसिंग स्टॉक के सुधार एवं संरक्षण सम्बन्धी उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित होगी।

1.7 शमन योजना को लागू करने के फ़लस्वरूप सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता नहीं होगा।

2. शमन के लिए अपात्रता

निम्न प्रकृति के अवैध विकास/निर्माण इस योजनान्तर्गत शमन हेतु पात्र नहीं होंगेः–

2.1 केन्द्र राज्य सरकार, विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकाय तथा अन्य शासकीय एवं शासन के अधीन संस्थाओं/उपक्रमों की भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर किया गया निर्माण।

2.2 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं यथा–सड़कें, रेलवे लाइन, पार्क एवं खुले स्थल, हरित पट्टी, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस.टी.पी.), इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन, वाटर वर्क्स, बस–टर्मिनल तथा समरूप अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित भूमि अथवा महायोजना/ज़ोनल प्लान में उक्त प्रकृति की सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भूमि पर किया गया निर्माण।

2.3 किसी न्यायालय में विवादित भूमि, बन्धक भूमि या कुर्क सम्पत्ति पर किया गया निर्माण।

2.4 महायोजना अथवा ज़ोनल प्लान अथवा ले–आउट प्लान में चिन्हित तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/जलाशय, नदी एवं नालों से आच्छादित भूमि पर किया गया निर्माण।

2.5 महायोजना अथवा ज़ोनल डेवलपमेन्ट प्लान अथवा ले–आउट प्लान अथवा लीज़ में अंकित भू–उपयोग के विपरीत किया गया निर्माण।

2.6 अनधिकृत क़ालोनियों अथवा उनके अन्तर्गत स्थित भूखण्डों/भवनों में किया गया निर्माण।

2.7 भूमि का सब–डिवीजन एवं ग्रुप हाउसिंग भवन, जो रियल इस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवल्पमेन्ट) एक्ट, 2016 के प्राविधानों से आच्छादित है, के अन्तर्गत किया गया निर्माण।

2.8 बहुमंजिले भवनों में सह–स्वामित्व की भूमि एवं सर्व–सामान्य सेवाओं (कॉमन सर्विसेज) हेतु आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण।

2.9 भूतल सहित तीन मंजिल से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों तथा 500 व.मी. से अधिक भू–आच्छादनयुक्त अवस्थापना सुविधाओं के भवनों में भूकम्परोधी व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण।

2.10 चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचाई के भवनों और विशिष्ट भवन यथा–शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों जिनका भू–आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो, में अग्निशमन व्यवस्था एवं न्यूनतम निर्धारित सेट–बैक के बिना किया गया निर्माण।

2.11 हेरिटेज ज़ोन, संरक्षित स्मारकों, नागरिक उड्डयन क्षेत्र अथवा प्रतिबन्धित ऊँचाई के क्षेत्र में भवन की ऊंचाई के उल्लंघनस्वरूप किया गया निर्माण।

3. शमन हेतु 'कट–ऑफ–डेट'

उपरोक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित प्रकृति के अवैध निर्माणों को छोड़कर शमन योजना, 2020 के जारी होने की तिथि तक हुए अन्य निर्माण शमनीय होंगे।

4. अवैध निर्माण के शमन की अधिकतम सीमा

4.1 सेट–बैक/भू–आच्छादन

(क) "निर्मित क्षेत्र" एवं उसके बाहर भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर निर्मित सभी उपयोगों के भवनों में भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत अतिरिक्त भू–आच्छादन इस प्रतिबन्ध के साथ शमनीय होगा कि साईड एवं पीछे के सेट–बैक में समस्त निर्माण शमनीय होगा, परन्तु फ्रन्ट सेटबैक के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 50 प्रतिशत निर्माण शमनीय होगा। 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से बड़े भूखण्डों में फ्रन्ट सेट–बैक के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 25 प्रतिशत, पीछे के सेट–बैक में अधिकतम 75 प्रतिशत तथा साईड सेट–बैक में अधिकतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण इस शर्त के साथ शमनीय होगा कि भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 20 प्रतिशत अतिरिक्त भू–आच्छादन शमनीय होगा।

स्पष्टीकरण: 300 वर्ग मीटर तक के कोने के भूखण्डों में फ्रन्ट सेट–बैक के अनुरूप साईड सेट–बैक के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण शमनीय होगा।

(ख) ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, कार्यालय, संस्थागत एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण में भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 15 प्रतिशत अतिरिक्त भू–आच्छादन भवन की निरन्तरता में शमनीय होगा। सेट–बैक क्षेत्र में 15 प्रतिशत अतिरिक्त भू–आच्छादन के शमन के फलस्वरूप सेट–बैक में होने वाली कमी इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि फायर सेफ्टी के सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी: भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की व्यवस्थानुसार ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, कार्यालय, संस्थागत एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण के शमन हेतु सड़क की न्यूनतम चौड़ाई भवन

निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार 12 मीटर होगी तथा मूल भूखण्ड हेतु निर्धारित निर्माण के मानकों यथा–सेटबैक, भू–आच्छादन, एफ.ए.आर., भवन की ऊंचाई, पार्किंग व्यवस्था, आदि के आधार पर शमन की कार्यवाही की जाएगी।

4.2 एफ.ए.आर.

(क) भूखण्डीय विकास में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होने पर एक अतिरिक्त तल का निर्माण इस प्रतिबन्ध के अधीन शमनीय होगा कि भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक नहीं होगी। पीछे के सेट–बैक में शमनीय भू–आच्छादन के अन्तर्गत अधिकतम 15 मीटर ऊंचाई तक किया गया निर्माण शमनीय होगा।

(ख) "निर्मित क्षेत्र" में ग्रुप हाउसिंग व्यवसायिक, कार्यालय, संस्थागत एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 20 प्रतिशत क्रय–योग्य एफ.ए.आर. शमनीय होगा, परन्तु प्रथम 10 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. हेतु क्रय–योग्य एफ.ए.आर. शुल्क देय नहीं होगा।

(ग) "निर्मित क्षेत्र" के बाहर ग्रुप हाउसिंग व्यवसायिक कार्यालय, संस्थागत एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण हेतु भवन उपविधि (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार 18 मीटर से अधिक एवं 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 33 प्रतिशत तथा 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. क्रय–योग्य आधार पर शमनीय होगा, परन्तु प्रथम 10 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. हेतु क्रय–योग्य एफ.ए.आर. शुल्क देय नहीं होगा।

4.3 बेसमेन्ट–भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भवन उपविधि की अन्य अपेक्षाएं सुनिश्चित होने पर सम्पूर्ण भूखण्ड पर बेसमेन्ट इस प्रतिबन्ध के अधीन शमनीय होगा कि बेसमेन्ट का निर्माण निजी स्वामित्व की भूमि के अन्तर्गत हो।

4.4 भवन की ऊंचाई–समस्त उपयोगों के भवनों हेतु ऊंचाई के सम्बन्ध में स्टेट्यूटरी प्रतिबन्धों को छोड़कर शमनीय एफ.ए.आर. एवं भू–आच्छादन की सीमान्तर्गत भवन की अतिरिक्त ऊंचाई शमनीय होगी अर्थात भवन की ऊंचाई के फलस्वरूप नियमानुसार वांछित सेटबैक में कमी इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि फायर सेफ्टी के सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.5 आवासीय इकाईयां–एकल आवासीय भवनों एवं भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत बहु–आवासीय इकाईयों के भवनों तथा ग्रुप हाउसिंग भवनों में शमनीय एफ.ए.आर. के अन्तर्गत निर्मित समस्त ईकाईयां इस प्रतिबन्ध के अधीन शमनीय होगी कि भवन में नियमानुसार पार्किंग, ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग तथा सामुदायिक सुविधाओं, आदि की समानुपातिक व्यवस्था उपलब्ध हो। यदि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों का नियमानुसार निर्माण न किया गया हो, तो उक्त भवनों की कमी के सापेक्ष शेल्टर फीस लेकर ऐसा निर्माण शमन किया जा सकेगा।

4.6 कम्पाउण्ड वाल–समस्त उपयोगों के भवनों में अनुमन्य ऊंचाई से अधिकतम 20 प्रतिशत अतिरिक्त ऊंचाई शमनीय होगी।

4.7 पार्किंग–पार्किंग हेतु स्वीकृत क्षेत्र पुनर्स्थापित करने अथवा उसी भूखण्ड पर वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था करने पर ही ऐसा निर्माण शमनीय होगा।

4.8 जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन अनुमन्यता–विकास प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले–आउट प्लान्स के बाहर स्थित क्षेत्र में समस्त उपयोगों के भवनों में सम्बन्धित

नगर की महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार 'सामान्यतः अनुमन्य' एवं 'सशर्त अनुमन्य' क्रियाओं के अनुरूप किया गया उपयोग/निर्माण निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए 'इम्पैक्ट फीस' के भुगतान पर इस शर्त के साथ शमनीय होगा कि भवन में नियमानुसार पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित हो।

4.9 **भूमि का अवैध उपविभाजन**—भूमि, जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर से कम हो, के सब-डिवीजन प्लान की स्वीकृति/नियमितीकरण के उपरान्त ही ऐसा अवैध उप-विभाजन शमनीय होगा। 3000 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड का अवैध उप-विभाजन शमनीय नहीं होगा।

4.10 **भूखण्ड आमेलन**—एक से अधिक आमेलित एकल आवासीय भूखण्डों पर किया गया निर्माण (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर) इस शर्त के अधीन शमनीय होगा कि आमेलित भूखण्ड एक व्यक्ति/परिवार/फर्म/कम्पनी के स्वामित्व में होने चाहिए तथा महायोजना तथा जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में उनका भू-उपयोग भी एक होना चाहिए। आमेलित भूखण्ड के सेट-बैक, ले-आउट प्लान के अनुसार होंगे तथा एफ.ए.आर., भवन की ऊंचाई, आदि के मानक शमन योजना, 2020 में निर्धारित शमनीय सीमा के अन्तर्गत होंगे। विकास शुल्क की देयता विकास शुल्क नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार होगी।

5. शमन शुल्क की दरें

शमन योजना, 2020 के अन्तर्गत वर्तमान में लागू शमन उपविधि, 2010 की तुलना में शमन शुल्क की दरों में छूट प्रस्तावित है। शमन योजना, 2020 के अनुसार विभिन्न प्रकृति के अवैध निर्माण के शमन हेतु शमन शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी:-

क्र. सं.		अवैध निर्माण का प्रकार	शमन शुल्क की दरें (रू. प्रति वर्ग मीटर)
1.		**सेट-बैक/अनुमन्य से अतिरिक्त भू-आच्छादन**	
	1.1	**आवासीय**	
	(क)	ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिले भवन	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत
	(ख)	भूखण्डीय विकास	
		• फ्रन्ट सेट बैक में	
		• पार्श्व (साइड) सेट बैक में	
		• पीछे के सेट बैक में	
	1.2	**व्यवसायिक**	
	(क)	भूखण्डीय विकास	भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत
		• फ्रन्ट सेट बैक में	
		• पार्श्व (साइड) सेट बैक में	
		• पीछे के सेट बैक में	
	(ख)	बहुमंजिले भवनों में	
	1.3	**कार्यालय**	
	(क)	बहुमंजिले भवनों में	भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत
	(ख)	भूखण्डीय विकास	
		• फ्रन्ट सेट बैक में	

		• पार्श्व (साइड) सेट बैक में	
		• पीछे के सेट बैक में	
	1.4	सामुदायिक सुविधाएं	
	(क)	बहुमंजिले भवनों में	भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत
	(ख)	भूखण्डीय विकास	
		• फ्रन्ट सेट बैक में	
		• पार्श्व (साइड) सेट बैक में	
		• पीछे के सेट बैक में	
2.	एफ.ए.आर.		
	2.1	आवासीय	रू. 200 प्रति वर्ग. मी.
	2.2	व्यवसायिक	रू. 400 प्रति वर्ग. मी.
	2.3	कार्यालय	रू. 300 प्रति वर्ग. मी.
	2.4	सामुदायिक सुविधाएं	रू. 100 प्रति वर्ग. मी.
3.	आवासीय इकाईयां		बहु–आवासीय इकाईयों तथा ग्रुप हाउसिंग भवनों में अनुमन्य एफ.ए.आर. के सापेक्ष निर्मित इकाईयों के अतिरिक्त अन्य समस्त इकाईयों हेतु रू. 20,000 प्रति इकाई।
4.	बेसमेन्ट		
	4.1	आवासीय	रू. 200 प्रति वर्ग. मी.
	4.2	व्यवसायिक	रू. 400 प्रति वर्ग. मी.
	4.3	कार्यालय/मिश्रित	रू. 300 प्रति वर्ग. मी.
	4.4	सामुदायिक सुविधाएं	रू. 100 प्रति वर्ग. मी.
5.	कम्पाउण्ड वाल (रू. प्रति रनिंग मीटर)		
	5.1	आवासीय	रू. 100, न्यूनतम रू. 10,000
	5.2	व्यवसायिक	रू. 200, न्यूनतम रू. 20,000
	5.3	कार्यालय	रू. 150, न्यूनतम रू. 15,000
	5.4	सामुदायिक सुविधाएं	रू. 50, न्यूनतम रू. 5,000
6.	अवैध भू–उपयोग		• भू–उपयोग परिवर्तन अनुमन्य नहीं • जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार अनुमन्य क्रियाओं हेतु वर्तमान दरों पर इम्पैक्ट फीस देय होगी
7.	भूमि का अवैध उप–विभाजन		(क) 3000 व.मी. से कम अवैध उप–विभाजन जो भवन उपविधि के अनुसार हो:– • आवासीय: भूमि मूल्य का 1.0 प्रतिशत • व्यवसायिक: 2.0 प्रतिशत • कार्यालय/मिश्रित: 1.5 प्रतिशत • सामुदायिक सुविधाएं: 0.5 प्रतिशत (ख) 3000 व.मी. से कम अवैध उप–विभाजन, जिसकी नियमानुसार अनुमति न हो:– • उपरोक्त(क) में निर्धारित दरों का दोगुना शमन शुल्क।

8	भूखण्ड आमेलन	• आवासीय: भूमि मूल्य का 1 प्रतिशत • व्यवसायिक: 2 प्रतिशत • कार्यालय/मिश्रित: 1.5 प्रतिशत • सामुदायिक सुविधाएं: 0.5 प्रतिशत

टिप्पणी:–

(1) 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के एकल आवासीय भवनों हेतु शमन शुल्क की दरें उपरोक्त अनुसूची में निर्धारित दरों की 50 प्रतिशत होगी।

(2) निम्न एवं लघु–मध्यम आय वर्ग (100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड) हेतु शमन शुल्क की दरें उपरोक्त टिप्पणी (1) में निर्धारित दरों में 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट होगी।

(3) अनुमन्य भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के अन्तर्गत बिना स्वीकृति के किये गये सभी प्रकृति के निर्माण के शमन हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर प्रति वर्ग मीटर निम्न दरें लागू होंगी:–

आवासीय	व्यवसायिक	कार्यालय	सामुदायिक सुविधाएं/अन्य
• 100 व.मी. तक रू. 10	आवासीय का 2.0 गुना	आवासीय का 1.5 गुना	आवासीय का 0.50 गुना
• 101–300 व.मी. रू. 15	तदैव	तदैव	तदैव
• 301–500 व.मी. रू. 20	तदैव	तदैव	तदैव
• 501–2000 व.मी. रू. 25	तदैव	तदैव	तदैव
• 2000 व.मी. से अधिक रू. 25	तदैव	तदैव	तदैव
• शमनीय इकाईयों हेतु रू. 20,000 प्रति इकाई	–	–	–

(4) क्रय–योग्य एफ.ए.आर. के शमन हेतु नियमानुसार देय क्रय–योग्य एफ.ए.आर. शुल्क के अतिरिक्त उपरोक्त अनुसूची में निर्धारित दरों पर शमन–शुल्क भी देय होगा।

(5) एक से अधिक भूखण्डों के आमेलन की स्थिति में शमन शुल्क आमेलित भूखण्डों के कुल क्षेत्रफल पर देय होगा।

(6) शमन शुल्क की गणना करते समय भूमि का मूल्य एक बार ही लिया जाएगा।

(7) चैरीटेबल संस्थाएं जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–80 (जी) के अन्तर्गत छूट प्राप्त हो तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्राविधानित संस्थाओं/सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं हेतु शमन शुल्क की दर भूमि मूल्य का 12.5 प्रतिशत होगी।

(8) शमन योजना, 2020 के अनुसार शमनीय निर्माण के अतिरिक्त अन्य अवैध निर्माण जो भवन उपविधि के विपरीत हो अथवा जिसकी स्वीकृति न दी गयी हो (यथा–पोर्च, बालकनी, छज्जे, आदि), परन्तु शमनीय हो, पर आवासीय भवनों हेतु रू. 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से शमन शुल्क लिया जाएगा। व्यवसायिक उपयोग हेतु इसकी दरें दो गुनी, कार्यालय हेतु डेढ़ गुना तथा सुविधायें एवं अन्य उपयोगों में 0.5 गुना होगी।

(9) सामुदायिक सुविधाओं/सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत सम्बन्धित विकास क्षेत्र की महायोजना के जोनिंग के अनुसार अनुमन्य कियाएं शामिल होंगी यथा–शिक्षण संस्थाएं, चिकित्सा संस्थाएं, अतिथिगृह, छात्रावास, क्लब, सामुदायिक केन्द्र, कान्फ्रेन्स हॉल, बैंक्वेट हॉल, आर्ट गैलरी, ऑडीटोरियम, अनाथालय, बारातघर, अजायबघर, सत्संग भवन, आदि।

6. आवेदन–पत्र के प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण की प्रक्रिया

6.1 आवेदक द्वारा अवैध निर्माण के शमन हेतु स्व–मूल्यांकित शमन शुल्क की धनराशि सहित निर्धारित संलग्न प्रपत्र (परिशिष्ट–1) पर आवेदन–पत्र आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद एवं उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण और नियंत्रक प्राधिकारी को ऑन–लाईन/ऑफ–लाईन, प्रस्तुत किया जाएगा। शमन शुल्क की धनराशि लाभार्थी द्वारा एकमुश्त अथवा 03 मासिक किस्तों में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की दिनांक 01.4.2020 की 02 वर्षो हेतु निर्धारित एम.सी.एल.आर. दर में 01 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ साधारण ब्याज़ सहित देय होगी। शमन शुल्क की धनराशि लाभार्थी द्वारा एकमुश्त जमा करने पर सम्पूर्ण देय शमन शुल्क की धनराशि पर 02 प्रतिशत की छूट होगी। किस्तों के भुगतान में डिफाल्ट होने पर बकाया धनराशि आर.सी. जारी कर वसूल की जाएगी। लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र तभी स्वीकृत/शमनित माना जाएगा, जब सम्पूर्ण धनराशि वसूल हो जाए। सम्पूर्ण धनराशि जमा होने के पश्चात् ही शमन मानचित्र रिलीज किया जाएगा।

6.2 अपार्टमेन्ट भवनों, जिनमें मूल आवंटी द्वारा अपार्टमेन्ट्स (दुकानें, कार्यालय, आदि) का विक्रय किया जा चुका है, के प्रकरणों में मूल आवंटी अथवा उ.प्र. अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का सम्वर्द्धन) अधिनियम, 2010 एवं उसके अधीन अधिसूचित बाई–लाज़ फॉर एसोसिएशन की व्यवस्थानुसार एसोसिएशन/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से शमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

6.3 आवेदन–पत्र के साथ वांछित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। शमन हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र अपूर्ण/स्वीकार्य न होने अथवा निरस्त किए जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा उसकी सूचना तत्काल आवेदक को दी जाएगी।

6.4 आवेदन–पत्र के साथ भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर निम्न प्रोसेसिंग शुल्क जमा किया जाएगा:–

क्र.सं.	भवन का प्रकार	प्रोसेसिंग शुल्क
(1)	आवासीय भवन (केवल भूखण्डीय विकास)	रू. 1.0 प्रति वर्ग मीटर
(2)	ग्रुप हाउसिंग	रू. 1.5 प्रति वर्ग मीटर
(3)	व्यवसायिक भवन	रू. 2.0 प्रति वर्ग मीटर
(4)	कार्यालय/मिश्रित उपयोग के भवन	रू. 1.50 प्रति वर्ग मीटर
(5)	सामुदायिक सुविधाएं	रू. 0.50 प्रति वर्ग मीटर

6.5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत योजना/ले–आउट प्लान के अन्तर्गत स्थित 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र प्राधिकरण में प्राप्त होने पर स्वतः अनुमोदित (डीम्ड एप्रूव्ड') माने जाएंगे, जबकि शेष समस्त मानचित्रों की चेकिंग की जाएगी। 'डीम्ड एप्रूव्ड' मानचित्रों (300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्ड) पर प्राधिकरण द्वारा मोहर लगायी जाएगी, जिसमें निम्न शर्त अंकित होगी:–

''यह मानचित्र आवेदक के स्व–प्रमाणीकरण के आधार पर रेण्डम चेकिंग के प्रतिबन्ध के अधीन 'डीम्ड एप्रूव्ड' मान्य है।''

6.6 किस्तों की सुविधा का लाभ लेने वाले आवेदकों के शमन मानचित्र सम्पूर्ण धनराशि जमा होने के पश्चात् तथा जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन अनुमन्य क्रियाओं से सम्बन्धित प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित होने के पश्चात ही अनुमोदित माने जाएंगे।

6.7 शमन मानचित्र की स्वीकृति के उपरान्त पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन–पत्र जमा करने की तिथि से सम्बन्धित अभिकरण द्वारा 07 दिन के अन्दर पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।

6.8 योजना अवधि में प्रत्येक माह में 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्डों के शमन हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों की 'रेन्डम चेकिंग' की जाएगी। यदि उक्त चेकिंग के अन्तर्गत शमन हेतु प्राप्त मानचित्र एवं मौके पर किए गए अवैध निर्माण में भिन्नता पाई जाती है अथवा अवैध निर्माण का कोई भाग अघोषित पाया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में उपरोक्त प्रस्तर–6 में निर्धारित दरों का दोगुना शमन शुल्क वसूल किया जाएगा तथा अशमनीय भाग को नियमानुसार ध्वस्त करने के लिए प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा। इस योजना के अनुरूप मानचित्र तैयार करने तथा शमन शुल्क की सही गणना करने का पूर्ण दायित्व आवेदक के साथ–साथ सम्बन्धित वास्तुविद्/अभियन्ता/मानचित्रकार का भी होगा, अतः योजना के प्राविधानों का उल्लंघन पाये जाने पर उनके विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

6.9 शमन हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात मानचित्र में प्रदर्शित भवन अथवा उसका कोई भाग प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाएगा। परन्तु अशमनीय भाग को यदि भवन स्वामी द्वारा शपथ–पत्र में इंगित अवधि के भीतर स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा उसे विधि के अनुसार ध्वस्त किया जाएगा, जिस पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा, जिसकी वसूली उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–40 के अधीन भू–राजस्व के बकाए के रूप में की जाएगी।

6.10 शमन शुल्क की बकाया धनराशि यदि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर जमा नहीं की जाती है, तो लाभार्थी से उसकी वसूली उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–40 के अधीन भू–राजस्व के बकाए के रूप में की जाएगी।

6.11 शमन शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि विकास प्राधिकरण के नगर स्तरीय अवस्थापना विकास फण्ड में जमा की जाएगी, जिसका उपयोग नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण/सम्वर्द्धन में किया जाएगा।

6.12 योजनान्तर्गत आवेदन–पत्रों को ऑन–लाईन/ऑफ–लाईन जमा करने, अनुमोदन/ निस्तारण तथा रेन्डम चेकिंग, आदि की कम्प्यूट्रीकृत व्यवस्था के लिए आवास बन्धु, द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित कराकर सम्बन्धित अभिकरणों को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. शमन हेतु अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

7.1 जहां भवन की संरचनात्मक सुरक्षा के सम्बन्ध में स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रमाण–पत्र, अग्निशमन विभाग, पुरातत्व विभाग, एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ

इण्डिया, उ.प्र. पर्यावरण निदेशालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ.प्र. लोक निर्माण विभाग, भारतीय रेलवे, कैन्टोनमेंट बोर्ड, नगर निगम, सिंचाई विभाग, आदि से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होगी, वहां उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात ही शमन की कार्यवाही विचारणीय होगी।

7.2 भूमि का मूल्य विकास प्राधिकरण की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर पर आंकलित किया जाएगा, प्राधिकरण की दर न होने पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि के वर्तमान आवासीय सर्किल रेट पर आंकलित किया जाएगा।

7.3 यदि किसी प्रकरण में अवैध निर्माण एक से अधिक प्रकार के अन्तर्गत आता है, तो शमन शुल्क प्रत्येक प्रकार के अवैध निर्माण के लिए देय शुल्क को जोड़कर लिया जाएगा।

7.4 यदि भवन मानचित्र स्वीकृत है, तो शमन शुल्क के अतिरिक्त मानचित्र शुल्क, मलवा शुल्क तथा अन्य निर्धारित शुल्क केवल शमनीय भाग पर देय होंगे। परन्तु मानचित्र स्वीकृत न होने की दशा में मानचित्र शुल्क एवं अन्य सभी निर्धारित शुल्क यथास्थिति, सम्पूर्ण भूखण्ड/निर्मित तल क्षेत्रफल पर देय होंगे।

7.5 जिन भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करना अनिवार्य है, ऐसे भवनों के स्वामी से इस आशय का शपथ–पत्र लिया जाएगा कि उसके द्वारा शमन मानचित्र की स्वीकृति के पश्चात् दो माह के अन्दर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर ली जाएगी। भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र निर्गत किया जाएगा।

7.6 शमन हेतु प्रस्तुत मानचित्र एवं शमन शुल्क की गणना सम्बन्धी विवरण लाइसेन्सयुक्त वास्तुविद/अभियंता/मानचित्रकार द्वारा तैयार/सत्यापित होना चाहिए।

7.7 शमन योजना, 2020 के लागू रहने की अवधि में विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 2010 स्थगित रहेगी।

7.8 प्राधिकरण स्तर पर विचाराधीन शमन सम्बन्धी प्रकरण, जिन्हें अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, ऐसे प्रकरणों में शमन योजना, 2020 के अधीन नए सिरे से आवेदन किया जा सकेगा।

8. अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही

8.1 शमन हेतु निर्धारित छः माह की अवधि के अन्तर्गत जिन अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा अवैध निर्माण के शमन हेतु आवेदन नहीं किया जाता है अथवा इस योजना के जारी होने के उपरान्त भी अवैध निर्माण किया जाता है/जारी रखा जाता है, तो उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा टीमों का गठन कर उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–27 एवं 28 के अधीन ऐसे अवैध निर्माणों के अभियोजन/सीलबन्द करने/ध्वस्तीकरण हेतु अभियान चलाया जाएगा।

8.2 महायोजना/जोनल डेवल्पमेन्ट प्लान, ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग के उल्लंघनस्वरूप किए गए अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा–26 के अधीन अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

9. योजना का प्रचार–प्रसार, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

9.1 विकास प्राधिकरणों द्वारा जनता की जानकारी हेतु इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा। योजना की पब्लिसिटी समाचार–पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न, विज्ञापन, प्रेस नोट, महत्वपूर्ण स्थलों पर नोटिस बोर्ड, आदि के माध्यम से की जाएगी। तत्पश्चात् योजना के

अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार चिन्हित अवैध निर्माणों को नोटिस जारी कर शमन शुल्क एवं अन्य फीस/शुल्क की धनराशि सहित आवेदन–पत्र प्राधिकरण में प्राप्त होने पर अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु कार्यवाही की जाएगी।

9.2 सम्बन्धित अभिकरण द्वारा शमन हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या एवं उनके निस्तारण की प्रगति तथा शमन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि की साप्ताहिक सूचना आवास बन्धु को 'ई–मेल' के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसका अनुश्रवण प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन के स्तर पर किया जाएगा।

9.3 सम्बन्धित अभिकरण द्वारा शमन की सम्पूर्ण कार्यवाही एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत सुनिश्चित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक जनता इस योजना का लाभ उठा सके और किसी का उत्पीड़न न हो।

9.4 इस योजनान्तर्गत शमन से सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में स्पष्टीकरण हेतु राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

शमन योजना, 2020 के अधीन आवेदन के लिए प्रपत्र

(जो लागू हो, वही भरा जाए)

1.	आवेदक का नाम		
2.	भूखण्ड/भवन संख्या		
3.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
4.	भूखण्ड/भवन की स्थिति(पूरा पता)		
5.	भू–उपयोग/भवन का प्रकार		आवासीय (एकल आवास/बहु–आवासीय इकाई/ ग्रुप हाउसिंग)/व्यवसायिक/कार्यालय/मिश्रित/. सामुदायिक सुविधाएं
6.	मानचित्र स्वीकृत अथवा नहीं		हाँ/स्वतः अनुमोदित/नहीं
7.	यदि स्वीकृत है, तो		परमिट संख्या..........................दिनांक..................
8.	संलग्न दस्तावेजों का विवरणः–		संलग्न/नहीं
	8.1	भवन मानचित्र की स्कैन की हुई प्रति	
	8.2	भूमि/भवन स्वामित्व प्रमाण–पत्र	
	8.3	भवन के अद्यतन फोटोग्राफ (सामने, पीछे एवं साइड की ओर)	
	8.4	रेन वाटर हार्वेस्टिंग से सम्बन्धित शपथ–पत्र	
	8.5	निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–1'क') पर शपथ–पत्र	
9.	अनापत्ति प्रमाण–पत्रों का विवरणः–		
	9.1	अग्निशमन विभाग	
	9.2	पुरातत्व विभाग	
	9.3	स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण–पत्र	
	9.4	एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया	
	9.5	नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया	
	9.6	उ.प्र. पर्यावरण निदेशालय	
	9.7	उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	
	9.8	उ.प्र. लोक निर्माण विभाग	
	9.9	नगर निगम	
	9.10	सिंचाई विभाग	
	9.11	नियमानुसार वांछित अन्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र	
10.	प्रोसेसिंग फीस जमा करने सम्बन्धी विवरण (रसीद की प्रति संलग्न करें/यू.टी.आर. नम्बर):–		संलग्न/नहीं
	(क)	डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक/चालान संख्या एवं दिनांक	
	(ख)	धनराशि (रूपए)	
	(ग)	जारी करने वाले बैंक का नाम	
11.	शमन शुल्क जमा करने सम्बन्धी विवरण (रसीद की प्रति संलग्न करें/यू.टी.आर. नम्बर):–		संलग्न/नहीं
	(क)	डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक/चालान संख्या एवं दिनांक	
	(ख)	धनराशि (रूपए)	
	(ग)	जारी करने वाले बैंक का नाम	

12.	विकारा शुल्क, मानचित्र शुल्क, भण्डारण शुल्क, निरीक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क जमा करने सम्बन्धी विवरण (रसीद की प्रति संलग्न करें/यू.टी.आर. नम्बर):–			संलग्न/नहीं
	(क)	डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक/चालान संख्या एवं दिनांक		
	(ख)	धनराशि (रूपए)		
	(ग)	जारी करने वाले बैंक का नाम		
13.	अवैध निर्माण का विवरण तथा शमन शुल्क का स्वमूल्यांकन:–			
	क्र. सं.	अवैध निर्माण का प्रकार	अवैध निर्माण का क्षेत्रफल (व.मी./मीटर/संख्या)	शमन शुल्क की धनराशि (रूपए)
	1	2	3	4
	1.	सेट–बैक/भू–आच्छादन		
	2.	एफ.ए.आर.		
	3.	आवासीय इकाईयां		
	4.	बेसमेन्ट		
	5.	कम्पाउण्ड वाल		
	6.	जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन इम्पैक्ट फीस		
	7.	अवैध उप–विभाजन		
	8.	भूखण्ड आमेलन		
		शमन शुल्क का योग–		

14. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। आवेदन–पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ दिनांक............2020 को लिए गए हैं, जो मेरे एवं तकनीकी अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा फोटोग्राफ के पीछे हस्ताक्षरित हैं। भवन मानचित्र मौके पर दिनांक 01.5.2016/2020 के पूर्व/तक हुए निर्माण की मापों के अनुरूप है, भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. शमन हेतु निर्धारित अधिकतम सीमाओं के अन्तर्गत है। मानचित्र में दर्शाए गए अशमनीय भाग को मैं निर्धारित अवधि में स्वयं ध्वस्त करूंगा/करूंगी अन्यथा प्राधिकरण को ध्वस्तीकरण का पूर्ण अधिकार होगा। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि शमन शुल्क की गणना इस योजना हेतु निर्धारित दरों के अनुरूप की गई है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

आवेदक के हस्ताक्षर..	वास्तुविद्/अभियंता/मानचित्रकार के हस्ताक्षर....................
आवेदक का नाम..	नाम एवं पता...
पता (दूरभाष एवं ई–मेल सहित)........................	....
....	पंजीकरण संख्या...
	दूरभाष ....ई–मेल..

स्थान ....
दिनांक..

परिशिष्ट–1 'क'

शमन योजना–2020 के अधीन शपथ पत्र समक्ष–उपाध्यक्ष,..............विकास प्राधिकरण

(रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम/श्री/श्रीमती..पुत्र/पुत्रगण श्री.. निवासी...शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ:–

1. यह कि शपथी ने शमन योजना, 2020 का विधिवत अध्ययन कर लिया है। शपथी उक्त योजना के नियमों से भली–भाँति अवगत होते हुए आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर रहा है तथा उक्त योजना में उद्धरित उपविधि से शपथी अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

2. यह कि शपथी ने.............................विकास प्राधिकरण में अपने भवन/भूखण्ड संख्या..............का भवन मानचित्र दिनांक..........................को जमा किया है, जिसमें अशमनीय भाग लाल रंग से दर्शाया गया है, जिसका क्षेत्रफल बेसमेन्ट में ....वर्ग मीटर, भूतल पर......................वर्ग मीटर तथा अनुवर्ती तलों पर कुल ....वर्ग मीटर है। शमन की स्व–मूल्यांकित कुल धनराशि रू. ...., बैंक ड्राफ्ट संख्या.....................दिनांक....................चालान संख्या......................दिनांक...................../आर.टी.जी.एस. द्वारा प्राधिकरण में जमा कर दी गई है, जिसकी रसीद/यू.टी.आर. संख्या संलग्न है।

3. यह कि अशमनीय भाग शपथी स्वयं हटा लेगा अन्यथा नियत अवधि के पश्चात उसे प्राधिकरण द्वारा हटाया जा सकेगा जिसका हर्जा–खर्चा शपथी पर उचित भार होगा और शपथी द्वारा उक्त खर्चा न देने की स्थिति में प्राधिकरण, उ.प्र. नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–40 के अधीन जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व के बकाये की भाँति वसूल कर लेगा।

4. यह कि प्रश्नगत भूखण्ड पर शपथी का निर्विवादित स्वामित्व है। स्वामित्व के सम्बन्ध में भविष्य में कोई विवाद होने पर उसका दायित्व स्वयं शपथी का होगा।

5. यह कि शपथी के भूखण्ड पर निर्माण वर्ष..................का है, जिसके प्रमाणस्वरूप नगर निगम/नगरपालिका परिषद द्वारा जारी कर निर्धारण/गृहकर से सम्बन्धित स्वप्रमाणित रसीद की प्रति संलग्न है।

6. यह कि शपथी के मानचित्र में दर्षाये गये एवं मौके पर किये गये अवैध निर्माण में प्राधिकरण द्वारा रेण्डम चेकिंग के अन्तर्गत यदि कोई भिन्नता पायी जाती है अथवा अवैध निर्माण का कोई भाग अघोषित पाया जाता है, तो प्रार्थी शमन योजना, 2020 के प्रस्तर–6 में निर्धारित दरों का दो गुना शमन शुल्क प्राधिकरण में जमा करने के लिए वचनबद्ध होगा तथा अषमनीय भाग को नियमानुसार ध्वस्त करने के लिए प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।

7. यह कि उपरोक्त पैरा एक से पांच की विषय–वस्तु शपथी की जानकारी में सत्य है। इसमें कोई भी बात छिपायी नहीं गयी है। ईश्वर मेरी मदद करें।

संलग्नक: (1) शमन शुल्क जमा करने की रसीद/यू.टी.आर. नम्बर।

(2) कर निर्धारण/गृहकर से सम्बन्धित प्रमाणित रसीद की प्रति।

स्थान .... शपथी,

दिनांक ....

नाम..

पुत्र/पत्नी श्री..........................

प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या : 1267 /आठ–8–2020–301काम्प/2018

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।
4. उपाध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 **लखनऊ : दिनांक: 20, नवम्बर, 2020**

विषयः– प्रदेश के विभिन्न अभिकरणों के क्षेत्रान्तर्गत किये जा रहे अवैध निर्माण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1554/आठ–8–2018–301काम्प/2018 दिनांक 17.09.2018, शासनादेश संख्या–1554(1)/आठ–8–2018–301काम्प/2018 दिनांक 27.09.2018 एवं शासनादेश संख्या–1725/आठ–8–2018–301काम्प/2018 दिनांक 12.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 के अधीन विकास क्षेत्र में कोई भी विकास/निर्माण कार्य करने से पूर्व अनुज्ञा तथा धारा–15ए के अधीन पूर्णता प्रमाण–पत्र (Completion Certificate) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। भू–माफियाओं द्वारा शासकीय भूमियों पर कब्जा कर अवैध निर्माण किये जाने तक विकासकर्ताओं द्वारा विभिन्न अभिकरणों की महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग के विपरीत ले–आउट प्लान/तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना आवासीय/व्यवसायिक/ग्रुप हाउसिंग के भवनों का निर्माण निर्धारित मानकों के विपरीत किये जाने की सूचना समय–समय पर शासन के संज्ञान में आती रहती है। शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु समय–समय पर शासन द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अधीन प्रभावी कार्यवाही/अनुश्रवण नहीं किये जाने के कारण अवैध निर्माण पर प्रभावी रोक लगने के स्थान पर उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद की "मासिक समीक्षा–समस्या विश्लेषण व निदान" की समीक्षा बैठक में अवैध

निर्माण को चिन्हित करते हुये प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 तथा अन्य संगत शासनादेशों के अनुसार नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्राधिकरणों/अभिकरणों के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत आने वाले समस्त अवैध निर्माणों को चिन्हित कर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। अवैध निर्माण को सील करने एवं ध्वस्तीकरण किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाय। शासकीय भूमियों पर कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय। अवैध निर्माण एवं ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना/आख्या संलग्न प्रारूप पर आवास बन्धु को उपलब्ध कराया जाय। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की संकलित सूचना आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाय। कृपया उपरोक्त समस्त कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायी जाय।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ कि कृपया ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्राधिकरणों/अभिकरणों को ससमय पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त सूचनाएं प्राप्त कर संकलित सूचना विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक से पूर्व शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
20.11.2.20
(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–   /आठ–8–2020–301काम्प/2018 दिनांक   11.2020 का संलग्नक

दिनांक 01 अप्रैल 2020 से सील/ध्वस्तीकरण प्रकरणों की सूचना का प्रारूप

क्र0 सं0	वाद संख्या	विपक्षी का नाम	निर्माण स्थल	सील किये जाने का आदेश दिनांक	निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु पारित आदेश संख्या व दिनांक	स्थल पर निर्माग सील/ध्वस्तीकरण किये जाने का दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव

शुल्क / फीस निर्धारण

I/19813/2020

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी, 2020

अधिसूचना

प्रदेश में स्थाई व सतत् औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा घरेलू एवं निर्यात बाजार में राज्य निर्मित उत्पादों की क्षमता में वृद्धि हेतु एक जीवंत वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–649/77–6–18–एल0सी04/18 दिनांक 27.02.2018 द्वारा वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 प्रख्यापित की गयी है जिसे अधिसूचना संख्या–05/2019/547/77–6–19–एन.सी.–04/18 दिनांक 22 जुलाई, 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। उक्त नीति (यथा संशोधित) में यह प्राविधान है कि निजी लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लाजिस्टिक्स इकाईयों के विकासकर्ताओं को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही यह भी प्राविधान है कि लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स इकाइयों से 25 प्रतिशत विकास शुल्क लिया जाएगा।

2– उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–53 में इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावलियों या विनियमों से छूट के संबंध में निम्नवत प्राविधान है :–

"इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तो एवं निबन्धनों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी भूमि या भवन को अथवा भूमि या भवन के किसी वर्ग को इस अधिनियम अथवा तद्न्तर्गत निर्मित किसी नियम अथवा विनियम के सभी अथवा किन्हीं उपबन्धों से छूट प्रदान कर सकेगी।"

3– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–2281/8–3–14–194 विविध/14, दिनांक 11.12.2014 के माध्यम से उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 अधिसूचित की गई है, जिसके नियम–3(तीन) के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि जहाँ पर पूर्ण या आंशिक रूप से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान को अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है तो भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क उद्ग्रहीत नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त उक्त विकास शुल्क नियमावली के नियम–3(छ:) में यह प्राविधान है कि जहाँ अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गई हो, वहाँ भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

अतएव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा 53 में वर्णित छूट संबंधी प्राविधानों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 में परिभाषित निजी लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स इकाईयों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दिए जाने तथा विकास प्राधिकरण की महायोजना (मास्टर प्लान) क्षेत्र में लागू विकास शुल्क दर का 25 प्रतिशत का भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

(1) उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 में परिभाषित इकाईयों को ही शुल्क से छूट की सुविधा अनुमन्य होगी।

(2) इकाईयों द्वारा सभी अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक स्वीकृतियाँ स्वयं प्राप्त की जाएगी।

(3) इकाई के लिए उद्यमी द्वारा स्थल का चयन यथा सम्भव ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जहां पर बिजली, सड़क, पानी, सीवर नाला (ड्रेनेज) आदि वाह्य विकास की सुविधाएं उपलब्ध हों।

(4) उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना होगा।

(5) उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 तथा इस अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर शुल्क में दी गई छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित राज्य सरकार को वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भाँति की जाएगी।

कृपया उपरोक्त प्राविधानों का अनुपालन कराते हुए प्रभावी महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स में यथावश्यक संशोधन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव.

संख्या–1/19813 (1) –तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
(3) जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
(4) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(5) अध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(6) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए समस्त संबंधित को तामील कराने का कष्ट करें।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-36/2020/135/आठ–1–20–03बैठक/13 टीसी

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2020**

विषयः– **कोविड–19 के दृष्टिगत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के सम्बंध में दिशा–निर्देश।**

महोदय,

केन्द्र सरकार द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत घोषित आर्थिक पैकेज के क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत प्रपत्र क्रमशः दिनांक 27 मार्च एवं 23 मई, 2020 तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 28 मई, 2020 के आलोक में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के सम्बंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया है:–

(1) सभी देयताओं पर दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.08.2020 तक की अवधि के लिए कोई दण्ड ब्याज अधिरोपित नहीं किया जायेगा, बशर्ते उक्त देयता दिनांक 30.09.2020 तक जमा कर दी जाये। उक्त अवधि में देय किश्तों/एकमुश्त धनराशि की वसूली संबंधित विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद की सामान्य ब्याजदर सहित की जायेगी।

(2) आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटन में देय धनराशि 45/60 दिन में एकमुश्त जमा किये जाने पर यदि कोई छूट अनुमन्य हो तो उक्त 45/60 दिन की गणना में दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.08.2020 तक की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(3) उपरोक्त बिन्दु–(1) व (2) को किसी प्रकार का "Concession" या Change in terms and conditions of agreement" नहीं माना जायेगा। पूर्व से लागू terms and conditions of agreement यथावत बने रहेंगे।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निजी सचिव, मा. मंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या-6/2020/829/आठ-3-2020-211 विविध/13 टी.सी.

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

वास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 29 जुलाई, 2020

विषय:- कोविड-19 के दृष्टिगत सक्षम स्तर से स्वीकृत योजनाओं के मानचित्रों के सापेक्ष शुल्कों की देयता के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत घोषित आर्थिक पैकेज के क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत प्रपत्र क्रमश: दिनांक 27 मार्च एवं 23 मई, 2020 तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 28 मई, 2020 के आलोक में सक्षम स्तर से स्वीकृत मानचित्र के ऐसे प्रकरणों जिनमें किश्तों में शुल्कों को लिये जाने की व्यवस्था है, के सम्बंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया है :-

(1) सभी देयताओं पर दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.08.2020 तक की अवधि के लिए कोई दण्ड ब्याज अधिरोपित नहीं किया जायेगा, बशर्ते उक्त देयता दिनांक 30.09.2020 तक जमा कर दी जाये। उक्त अवधि में देय किश्तों/एकमुश्त धनराशि की वसूली संबंधित विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद की सामान्य ब्याजदर सहित की जायेगी।

(2) देय धनराशि एकमुश्त जमा किये जाने पर यदि कोई छूट अनुमन्य हो तो एकमुश्त भुगतान की निर्धारित अवधि की गणना में दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.08.2020 तक की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(3) उपरोक्त बिन्दु-(1) व (2) को किसी प्रकार का "Concession" या Change in terms and conditions of agreement" नहीं माना जायेगा। पूर्व से लागू terms and conditions of agreement यथावत बने रहेंगे।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
4. निजी सचिव, मा. मंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इन पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय प्रबन्धन

संख्या:1/2020/06/आठ-1-20-08बजट/17

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 06 जनवरी, 2020

विषयः- जनपद-लखनऊ में सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ट्रेजरार-सी0एस0आई0 एजुकेशनल सोसाइटी, राजभवन कॉलोनी, लखनऊ के पत्रांक-टी0एस0एस0एल0/बजट एवं अनुदान अभिलेख/2017-18/05, दिनांक 20-11-2019 एवं प्रधानाचार्या, टी0एस0एस0एल0, लखनऊ के पत्रांक-टी0एस0एस0एल0/बजट एवं अनुदान अभिलेख/2017-18/05, दिनांक 19-12-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, जनपद-लखनऊ में सी0एस0आई0 एजुकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 222 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 11100000 (रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त वित्तीय स्वीकृति का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा तैयार कर तत्काल कोषागार से धनराशि आहरण कर इसकी सूचना शासन को तथा महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को दी जायेगी एवं आहरित धनराशि सचिव, सी0एस0आई0 एजुकेशनल सोसाइटी लखनऊ को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) धनराशि का प्रत्येक माह कोषागार से आहरण यथासंभव आनुपातिक आधार पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।

(3) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्त नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) व्यय के प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वित्तीय धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना सी0एस0आई0 एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के 2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-संस्कृति स्कूल के संचालन हेतु सी0एस0आई0 एजुकेशन सोसाइटी को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या:1/2020/06(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहरभवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
10. सचिव, सी0एस0आई0एजूकेशनल सोसायटी (संस्कृति विद्यालय), लखनऊ।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर सचिव, सी0एस0आई0एजूकेशनल सोसायटी, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2020

विषयः- गोरखपुर शहर में लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) द्वारा जंगल कौड़िया से मोहद्दीपुर तक फोरलेन निर्माण एवं विद्युत विभाग द्वारा लाईन शिफ्टिंग कार्य संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक-846/वि0का0सं0(गो0), दिनांक 25 जून, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर शहर में लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) द्वारा जंगल कौड़िया से मोहद्दीपुर तक फोरलेन निर्माण एवं विद्युत विभाग द्वारा लाईन शिफ्टिंग कार्य संबंधी परियोजना हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंश रू0 23.635 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0 9.454/- करोड़ (रू0 नौ करोड़ पैंतालीस लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी द्वारा संबंधित बैंक का एकाउन्ट नं0 एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक लखनऊ के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) जिलाधिकारी, गोरखपुर के उपरोक्त पत्र दिनांक 25 जून, 2019 में किये गये अनुरोध के क्रम में उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी के पक्ष में निर्गत की जा रही है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-07-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2380/दस-2019, दिनांक-01 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या :02/2020/1017(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके अर्द्धशा0 पत्र संख्या-1918/चौबीस-पी-1-2018, दिनांक 19 जुलाई, 2018 के क्रम में।
2. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
5. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6. उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
12. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
13. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:4/2020/2602/आठ-1-20-33बजट/2017

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक :10 जनवरी, 2020

विषय:- जनपद वाराणसी में कचहरी के सामने भूमिगत पार्किंग के निर्माण सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना प्रबंधक, कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, ग्लोबल कान्स्ट्रक्शन एवं कन्सलटेन्सी सेल, निर्माण इकाई-वाराणसी के पत्र संख्या-2158/डब्ल्यू-83/138, दिनांक 12.12.2019, शासनादेश संख्या-1596/आठ-1-18-33बजट/2017, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में कचहरी के सामने भूमिगत पार्किंग के निर्माण सम्बन्धी परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 1915.81 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0 766.324 लाख (रूपये सात करोड़ छाछठ लाख बत्तीस हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) परियोजना से संबंधित मानचित्रों को स्वीकृति हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण को पत्रांक-3008/डब्ल्यू-08/08, दिनांक 07.07.2018 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। स्वीकृति के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) डी0सी0 सेट, विद्युत संबंधित कार्य, फायर फाइटिंग तथा लिफ्ट का कार्य ई-निविदा के अनुसार स्पर्धात्मक दर प्राप्त कर कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अतः इस कार्य को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार कराया जायेगा।

(8) प्रस्तावित मल्टीलेबिल पार्किंग एवं परिसर में उपलब्ध करवाये जाने वाली अन्य सुविधाओं के निर्माण के उपरान्त रख-रखाव/संचालन की व्यवस्था संबंधित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (नगर निगम/विकास प्राधिकरण) द्वारा किया जायेगा।

(9) परियोजना का निर्माण अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठित करते हुए सक्षम स्तर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत कार्य के आगणन में प्रस्तावित मात्राओं का सत्यापन निर्माण के समय कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्णतः सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त कार्य को सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत कार्य का प्रस्ताव प्रारम्भिक प्राक्कलन के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त कार्य की आवश्यकतानुसार कार्य मदों की बढ़ोत्तरी, क्षेत्रफल में वृद्धि, लोड बियरिंग के स्थान पर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना, सामान्य फाउण्डेशन के स्थान पर पाइल/राफ्ट फाउण्डेशन आदि के अनुसार निर्माण किये जाने एवं अन्य उच्च विशिष्टियों की अनिवार्यता होने पर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्य की लागत में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी होने पर सक्षम स्तर से पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही विषयक कार्य की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।

(13) परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ का होगा।

(15) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(18) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या :4/2020/2602(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, वाराणसी।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।
5. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
6. आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद निर्माण इकाई, आफिस कम शॉपिंग कॉम्पलैक्स, द्वितीय तल, जवाहर नगर, भेलपुर, वाराणसी।
12. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
13. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:5/2020/20/आठ-1-20-94बजट/2018

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2020

विषयः- कुम्भ मेला-2019 हेतु ग्यारहवें चरण के अन्तर्गत त्रिवेणीपुरम आवास योजना, अवंतिका आवास योजना, नैनी के अन्तर्गत मार्गों का सौन्दर्यीकरण संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-745/अधि0अभि0/वि0प्रा0/2019-20, दिनांक 27.12.2019, शासनादेश संख्या-2399/आठ-1-18-94बजट/2018, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018, शासनादेश संख्या-19/2019/1530/आठ-1-19-94बजट/2018, दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुम्भ मेला-2019 हेतु ग्यारहवें चरण के अन्तर्गत त्रिवेणीपुरम आवास योजना एवं अवंतिका आवास योजना (नैनी) के अन्तर्गत मार्गों के सौन्दर्यीकरण संबंधी 04 परियोजनाओं की मूल्यांकित लागत धनराशि रु0 72544982.77 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न परियोजना के क्रमांक-2 पर अंकित कार्य की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0 9804177.00 (रूपये अठ्ठानवे लाख चार हजार एक सौ सतहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की होगी तथा प्रयागराज विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) प्रयागराज विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(8) प्रयागराज विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 01 प्रतिशत लेबर सैस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) परियोजनान्तर्गत बाट-आउट आइटमस् के कार्य मदों का क्रय एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन तथा सामग्री/उपकरण का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(10) प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) बाट-आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों हेतु कोई सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-प्रयागराज विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-प्रयागराज विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :5/2020/20(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
5. उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

<u>शासनादेश संख्या-5/2020/20/आठ-1-2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020</u>

कुम्भ मेला-2019 हेतु ग्यारहवें चरण के अन्तर्गत त्रिवेणीपुरम आवास योजना, आवंतिका आवास योजना, नैनी के अन्तर्गत मार्गों का सौन्दर्यीकरण संबंधी परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण :-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	लागत धनराशि (रूपये)
1-	**Renovation & Strengthening of Roads in Trivenipuram (Sector Ganga) Housing Scheme at Allahabad**	6711331.03
2-	**Renovation & Strengthening of Roads in Trivenipuram (Sector Yamuna IInd and Part of Yamuna 1st) Housing Scheme at Allahabad**	19608354.38
3-	**Renovation & Strengthening of Roads in Trivenipuram (Sector Sarswati) Housing Scheme at Allahabad**	5535127.59
3-	अवन्तिका आवास योजना (नैनी) के मुख्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण का कार्य पार्ट-1 एण्ड पार्ट : रोड वर्क	40690169.77
सकल योग रू0		72544982.77

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:6/2020/96/आठ-1-20-129बजट/2019

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27जनवरी 2020

विषयः- बदायूं रोड पर करगैना मोड़ से जुए की कलवर्ट तक आर0सी0सी0 एस0 डब्लू0 ड्रेन के निर्माण (वित्तीय स्वीकृति 2019-20) के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पत्र संख्या-4411/ब0वि0प्रा0/2019-20, दिनांक 02 नवम्बर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बदायूं रोड पर करगैना मोड से जुए की कलवर्ट तक आर0सी0सी0 एस0 डब्लू0 ड्रेन के निर्माण सम्बन्धी परियोजना की (प्रस्तावित लागत रू0 699.36 लाख) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त धनराशि रू0 621.27 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 310.635 लाख (रूपये तीन करोड़ दस लाख तिरसठ हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की ज़िम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) बरेली विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(8) बरेली विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था को सेन्टेज देय नहीं होगा। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-बरेली विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था/बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-बरेली विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-07-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-134/दस-20, दिनांक-21जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :6/2020/96(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, बरेली।
4. जिलाधिकारी, बरेली।
5. उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:7/2020/279/आठ-1-20-36बजट/2018

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

ग्राम एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2020

विषयः- अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद (समग्र विकास योजना) के अन्तर्गत अभियन्त्रण खण्ड-6 में न्यू हैदरगंज प्रथम वार्ड के विभिन्न मोहल्लों में सड़क, नाली एवं इण्टरलाकिंग के निर्माण संबंधी परियोजना की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1939/आठ-1-18-36बजट/2018, दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 व नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-डी 1080/14एसी526, दिनांक 23/12/2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद (समग्र विकास योजना) के अन्तर्गत अभियन्त्रण खण्ड-6 में न्यू हैदरगंज प्रथम वार्ड के विभिन्न मोहल्लों में सड़क, नाली एवं इण्टरलाकिंग के निर्माण संबंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत 268.92 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 93.07/- लाख (रूपये तिरानवे लाख सात हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) आहरित की गयी धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था- नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(4) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता तथा कार्य एवं फण्डिंग की द्विरावृत्ति न हो, अर्थात इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, यह कार्यदायी संस्था- नगर निगम लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) समस्त कार्य अनुमोदित लागत की सीमा में समयान्तर्गत (6 माह) में पूर्ण कर लिये जायेंगे। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ का होगा। भविष्य में इन सड़कों/नालियों का अनुरक्षण नगर निगम लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से टुकड़ों में अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गयी है।

(7) कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा परियोजना निर्माण हेतु समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(8) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था- नगर निगम लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दि0-22 मार्च, 2019 के अनुरूप किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत बाट-आउट आइटमस् के कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन तथा सामग्री/उपकरणों का क्रय स्टोर परचेज़ रूल्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था- नगर निगम लखनऊ को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित प्रायोजना का विवरण ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाईट पर अंकित किया जायेगा तथा कार्यस्थल पर शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास(चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या :7/2020/279/आठ-1-20, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त/मुख्य अभियंता, नगर निगम लखनऊ, लखनऊ ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-7/2020/279/आठ-1-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020

नगर निगम के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड-6 के अन्तर्गत न्यू हैदरगंज प्रथम वार्ड के विभिन्न मोहल्लों में सड़क, नाली एवं इण्टरलाकिंग के निर्माण कार्य कराये जाने वाले कार्य :-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	लागत धनराशि (लाख में)
1.	न्यू हैदरगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सुन्दरनगर में गुड्डू के घर के आस पास की गलियों में नाली एवं सड़क का सुधार कार्य।	33.53
2.	न्यू हैदरगंज प्रथम रिफा कालोनी की आन्तरिक गलियों का सुधार कार्य।	49.38
3.	न्यू हैदरगंज बीबीगंज की गली का सुधार कार्य।	22.13
4.	न्यू हैदरगंज प्रथम वार्ड लकड़मण्डी की आन्तरिक गलियों में नाली एवं सड़क का सुधार कार्य।	60.12
5.	न्यू हैदरगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत अमन बिहार की आन्तरिक गलियों में सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	42.98
6.	न्यू हैदरगंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत फुरकानिया मस्जिद के आस पास नाली एवं सड़क का सुधार कार्य।	60.78
	योग	268.92

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

संख्या:9/2020/345/आठ-1-20-94बजट/2018

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2020

विषयः- कुम्भ मेला-2019 हेतु ग्यारहवें चरण के अन्तर्गत त्रिवेणीपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत मुख्य मार्ग के सौन्दर्यीकरण संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-1045/अधि0अभि0/वि0प्रा0/2018-19, दिनांक 25/01/2020 व शासनादेश संख्या-2144/आठ-1-18-94बजट/2018, दिनांक 13.11.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुम्भ मेला-2019 हेतु ग्यारहवें चरण के अन्तर्गत त्रिवेणीपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत मुख्य मार्ग के सौन्दर्यीकरण संबंधी परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि (स्वीकृत निविदा के सापेक्ष) रू0 122.05173 लाख (रूपये एक करोड़ बाईस लाख पॉच हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित की गयी धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।
(2) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-प्रयागराज विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।
(3) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृरत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
(4) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक गुणवत्ता तथा कार्य एवं फण्डिंग की द्विरावृत्ति न हो, अर्थात इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, यह कार्यदायी संस्था- प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) समस्त कार्य अनुमोदित लागत की सीमा में समयान्तर्गत (6 माह) में पूर्ण कर लिये जायेंगे। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था-प्रयागराज विकास प्राधिकरण का होगा। भविष्य में इन सड़कों/नालियों का अनुरक्षण प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
(6) कार्यदायी संस्था-प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से टुकड़ों में अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गयी है।
(7) कार्यदायी संस्था-प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना निर्माण हेतु समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(8) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-प्रयागराज विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दि0-22 मार्च, 2019 के अनुरूप किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत वाट-आउट आइटमस् के कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन तथा सामग्री/उपकरणों का क्रय स्टोर परचेज़ रूल्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था-प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित प्रायोजना का विवरण ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाईट पर अंकित किया जायेगा तथा कार्यस्थल पर शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास(चालू कार्य)-24-वृहद् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :9/2020/345(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:10/2020/276/आठ-1-20-76बजट/2019

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 14फरवरी, 2020

विषयः- बरेली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत डोहरा रोड से बीसलपुर रोड को जोड़ने वाली 45.00 मी0 चौड़ी सड़क के निर्माण (वित्तीय स्वीकृति 2019-20) के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पत्र संख्या-4411/ब0वि0प्रा0/2019-20, दिनांक 02 नवम्बर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बरेली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत डोहरा रोड से बीसलपुर रोड को जोड़ने वाली 45.00 मी0 चौड़ी सड़क के निर्माण सम्बन्धी परियोजना की (प्रस्तावित लागत रू0 1198.00 लाख) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त धनराशि रू0 1036.68 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0 414.672 लाख (रूपये चार करोड़ चौदह लाख सड़सठ हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) बरेली विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(8) बरेली विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था को सेन्टेज देय नहीं होगा। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-बरेली विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था/बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-बरेली विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-07-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-339/दस-20, दिनांक- 11 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :10/2020/276(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, बरेली।
4. जिलाधिकारी, बरेली।
5. उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:11/2020/223/आठ-1-20-95बजट/2018

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी, 2020

विषयः- उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कांशीराम कालोनी एवं नये तहसील परिसर के उत्तरी भाग स्थित उन्नाव की ओर से आये नाले का रेलवे लाइन पुलिया तक निर्माण की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-958/वि0प्रा0/2019-20, दिनांक 28/01/2020 व शासनादेश संख्या-180/आठ-1-19-95बजट/2018, दिनांक 07.02.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कांशीराम कालोनी एवं नये तहसील परिसर के उत्तरी भाग स्थित उन्नाव की ओर से आये नाले का रेलवे लाइन पुलिया तक निर्माण संबंधी परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 79.38013 लाख (रूपये उन्नासी लाख अड़तीस हजार तेरह मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित की गयी धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृरत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(4) कार्य की विशिष्टियों, मानक गुणवत्ता तथा कार्य एवं फण्डिंग की द्विरावृति न हो, अर्थात इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, यह कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) समस्त कार्य अनुमोदित लागत की सीमा में समयान्तर्गत (6 माह) में पूर्ण कर लिये जायेंगे। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण का होगा। भविष्य में इन सड़कों/नालियों का अनुरक्षण उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से टुकड़ों में अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गयी है।

(7) कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना निर्माण हेतु समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(8) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दि0-22 मार्च, 2019 के अनुरूप किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत बाट-आउट आइटमस् के कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन तथा सामग्री/उपकरणों का क्रय स्टोर परचेज़ रूल्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित प्रायोजना का विवरण ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाईट पर अंकित किया जायेगा तथा कार्यस्थल पर शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक- 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास(चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :11/2020/223(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:12/2020/222/आठ-1-20-13बजट/2019

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 2020

विषयः- उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत नई तहसील भवन उन्नाव तिराहा के निकट जजेस कालोनी को जाने वाली सड़क व यू-टाइप ड्रेन के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-956/वि0प्रा0/2019-20, दिनांक 28/01/2020 व शासनादेश संख्या-179/आठ-1-19-13बजट/2019, दिनांक 07.02.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत नई तहसील भवन उन्नाव तिराहा के निकट जजेस कालोनी को जाने वाली सड़क व यू-टाइप ड्रेन के निर्माण संबंधी परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 37,54,046.00 (रूपये सैंतीस लाख चौवन हजार छियालिस मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित की गयी धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता तथा कार्य एवं फण्डिंग की द्विरावृत्ति न हो, अर्थात इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, यह कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) समस्त कार्य अनुमोदित लागत की सीमा में समयान्तर्गत (6 माह) में पूर्ण कर लिये जायेंगे। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण का होगा। भविष्य में इन सड़कों/नालियों का अनुरक्षण उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से टुकड़ों में अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गयी है।

(7) कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना निर्माण हेतु समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(8) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दि0-22 मार्च, 2019 के अनुरूप किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत बाट-आउट आइटमस् के कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन तथा सामग्री/उपकरणों का क्रय स्टोर परचेज़ रूल्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था-उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित प्रायोजना का विवरण ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाईट पर अंकित किया जायेगा तथा कार्यस्थल पर शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक- 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास(चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :12/2020/222(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफ़ाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक:02 मार्च, 2020

विषयः- झाँसी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ग्वालियर कानपुर हाईवे से मुस्तरा रेलवे स्टेशन तक 24.00 मी0 सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने (वित्तीय स्वीकृति 2019-20) के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी के पत्र संख्या-1365/जे0डी0ए0/(2019-20), दिनांक 23 नवम्बर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि झाँसी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ग्वालियर कानपुर हाईवे से मुस्तरा रेलवे स्टेशन तक 24.00 मी0 सड़क चौड़ीकरण का कार्य सम्बन्धी परियोजना की (प्रस्तावित लागत रू0 755.00 लाख) परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित धनराशि रू0 666.95 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 333.475 लाख (रूपये तीन करोड़ तैंतीस लाख सैतालिस हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टया, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) झाँसी विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(8) झाँसी विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था को सेन्टेज देय नहीं होगा। झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सैस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था झाँसी विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था/झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-झाँसी विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-07-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-522/दस-20, दिनांक-27 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :14/2020/397(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, झाँसी।
4. जिलाधिकारी, झाँसी।
5. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या-1/2020/8एन.सी.आर. /आठ-2-20-05एनसीआर/17टीसी

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 02 मार्च, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-02 के लेखाशीर्षक-4217 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-NCRTC/Fin./Fund/Delhi-Meerut/Delhi/54-A/II, दिनांक 17.01.2020 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 22.01.2020 का संदर्भ ग्रहण करें। तदनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-02 "लेखाशीर्षक-4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड़ में से स्वीकृति हेतु अवशेष रू0 100.00 करोड़ (रू0 एक अरब मात्र) आहरित कर प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप समयान्तर्गत सम्पादित कराये जायं ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हों।

(2) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा समस्त कार्य परियोजना की डी.पी.आर., डी.पी.आर. परिशिष्ट, इसकी संशोधित योजना, जिसका अनुमोदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया है की शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) एन0सी0आर0टी0सी0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2020 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अप्रैल, 2020 तक उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा परियोजना की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं सभी सम्बन्धित हितधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(10) परियोजना हेतु अवशेष किश्त/धनराशि की मांग करते समय निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-प तथा बी0एम0-15 प्रपत्र पर मांग कार्ययोजना के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) स्वीकृति धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8- 284/दस-2020, दिनांक 25.02.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 1/2020 /8एन.सी.आर. /आठ-2-2020, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, वाह्य सहायतित परियोजना, ऊर्जा, परिवहन, नगर विकास, गृह, वित्त, औद्योगिक विकास, राजस्व, सिंचाई तथा नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, रा य राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
12. आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
13. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद।
14. प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0।
15. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
16. नगर आयुक्त, मेरठ/गाजियाबाद।
17. उपाध्यक्ष, मेरठ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
18. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. समूह महाप्रबंधक (वित्त) रा य राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश की प्रति सभी सम्बन्धित को ई-मेल/फैक्स/डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:13/2020/415/आठ-1-20-01बजट/2020

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक:02 मार्च, 2020

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राप्ती नगर विस्तार योजना गोरखपुर में निर्माणाधीन 1500 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के आन्तरिक विकास कार्य की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के पत्रांक-722/अभि0अनु0/गो0वि0प्रा0/2019-20, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राप्ती नगर विस्तार योजना गोरखपुर में निर्माणाधीन 1500 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के आन्तरिक विकास कार्य के निर्माण सम्बन्धी परियोजना की (प्रस्तावित लागत रू0 1796.93 लाख) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित धनराशि रू0 1505.38 लाख (पन्द्रह करोड़ पांच लाख अड़तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0 602.152 लाख (रूपये छः करोड दो लाख पन्द्रह हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) गोरखपुर विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(8) गोरखपुर विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था को सेन्टेज देय नहीं होगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-गोरखपुर विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था/गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-गोरखपुर विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-07-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य)-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-255/दस-20, दिनांक-28 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :13/2020/415(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
4. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5. उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawasb@gmail.com पर एवं हार्डकापी शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या :18/2020/426/आठ-1-20-31विविध/2009

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान,
विपिन खण्ड, गोमतीनगर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 16 मार्च, 2020

विषयः- अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (गैर वेतन) के लिए द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति 2019-20 के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-22/उपभोग प्रमाण पत्र/2019-20/150, दिनांक 20 फरवरी, 2020 एवं शासनादेश संख्या-11/2019/1359/आठ-1-19-31विविध/2009, दिनांक 22 अगस्त, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (गैर वेतन) मद हेतु रूपये 1,70,00,000/- (रूपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 85,00000/- (रूपये पचासी लाख मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि कोषागार से कार्यात्मक आवश्यकतानुसार आहरित करके आहरण की बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि को कोषागार से आहरण हेतु संस्थान के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित बिल को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए शासन में उपलब्ध कराये जाने पर शासन स्तर पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में निर्गत धनराशि रूपये 85,00000/- का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी शासनादेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा मदवार व्यय का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) अनुदान के सदुपयोग हेतु संस्थान की गवर्निंग कौंसिल उत्तरदायी होगी तथा संस्थान के लेखों का आडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से कराया जायेगा।

(8) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(9) उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय संस्थान के नवीन निमार्णाधीन भवन के फर्नीशिंग इत्यादि कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

(11) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिये गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन, कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित करने, स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, पी०एल०ए०, डिपाजिट खाते में न रखने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना आदि निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-06-अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उ०प्र०-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत निम्नवत् प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा :-

(धनराशि लाख रूपये में)

20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 85.00

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-558/दस-20, दिनांक 13 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :18/2020(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
3. निदेशक, आवास बन्धु को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन ।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
8. निदेशक, सांख्यिकीय एवं वित्तीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1 ।
11. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन ।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:17/2020/486/आठ-1-20-30बजट/2013

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2020

विषयः- जनपद-लखनऊ में चौक स्थित लोहिया पार्क कंचन मार्केट के मध्य स्थित भूमि पर स्वीकृत मल्टीलेविल पार्किंग का स्थान परिवर्तित करते हुए चौक स्थित ज्योतिबाफूले पार्क में मल्टीलेविल भूमिगत पार्किंग के निर्माण संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक-1269/सचिव/अ0अ0-7/20, दिनांक 07 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-61/2016/591/आठ-1-16-30बजट/2013, दिनांक 18 फरवरी, 2016 एवं शासनादेश संख्या-194/2016/1671/आठ-1-16-30बजट/2013, दिनांक 14 जून, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-लखनऊ में चौक स्थित लोहिया पार्क कंचन मार्केट के मध्य स्थित भूमि पर स्वीकृत मल्टीलेविल पार्किंग का स्थान परिवर्तित करते हुए चौक स्थित ज्योतिबाफूले पार्क में मल्टीलेविल भूमिगत पार्किंग के निर्माण संबंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 4876.15 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा देय धनराशि रू0 4388.535 लाख की तृतीय किश्त की धनराशि रू0 268.18825 लाख (रूपये दो करोड़ अड़सठ लाख अट्ठारह हजार आठ सौ पच्चीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) आहरित की गयी धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों पर अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से संबंधित शासनादेश संख्या-33/954/आठ-1-14-30बजट/13, दिनांक 14.10.2014 एवं प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या-61/2016/591/आठ-1-16-30बजट/2013, दिनांक 18.02.2016 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के अनुरूप किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :17/2020/486(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawasb@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:16/2020/445/आठ-1-20-114बजट/2015

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2020

विषयः- जनपद लखनऊ में पिपराघाट के समीप गोमती नदी पर निर्माणाधीन पुल से शहीद पथ तक गोमती नदी के बायें तटबंध पर फोरलेन सड़क निर्माण कार्य से संबंधित पुनरीक्षित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-841/एए/जीएनवी/20, दिनांक 30/01/2020 व शासनादेश संख्या-1920/आठ-1-18-114बजट/2015, दिनांक 04.10.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में पिपराघाट के समीप गोमती नदी पर निर्माणाधीन पुल से शहीद पथ तक गोमती नदी के बायें तटबंध पर फोरलेन सड़क निर्माण कार्य से संबंधित परियोजना हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 8785.72 लाख) के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 8229.61 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये एवं पुनरीक्षित परियोजना की 05 प्रतिशत धनराशि रोकर, 95 प्रतिशत की अवशेष धनराशि रू0 339.4825 लाख (रूपये तीन करोड़ उनतालीस लाख, अड़तालीस हजार दो सौ पचास मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित की गयी धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना निर्माण हेतु समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(4) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त परियोजना का निर्माण कार्य ससमय (08 माह में) में पूर्ण किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्विरावृति रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि, यह कार्य पूर्व में किसी योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। प्रायोजना हेतु व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों का मदवार लागत का विवरण संलग्न है।

(6) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रायोजना का पुनः परीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबरसेस का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को सेंटेज चार्ज अनुमन्य नहीं होगा।

(9) कार्यदायी संस्थान द्वारा संबंधित प्रायोजना का विवरण का विवरण ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाईट पर अंकित किया जायेगा तथा तद्नुसार सूचना निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त कार्यस्थल पर शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्य के संबंध में विस्तृत विवरण अंकित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक- 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास(चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या :16/2020/445(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddnawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या :15/2020/487/आठ-1-20-38बजट/2014

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2020**

विषय:- जनपद लखनऊ में अमर शहीद पथ से बाघामऊ की ओर 2.00 कि0मी0 की लम्बाई में बन्धे के निर्माण कार्य से सम्बन्धित परियोजना की तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्रांक-943/एए/जीएनवी/20, दिनांक 06-03-2020 के संदर्भ एवं शासनादेश संख्या-56/2015/734/आठ-1-15-38बजट/2014, दिनांक 18 मार्च, 2015, शासनादेश संख्या-668/आठ-1-18-38बजट/2014, दिनांक 11 मई, 2018 में उल्लिखित विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, जनपद लखनऊ में अमर शहीद पथ से बाघामऊ की ओर 2.00 कि0मी0 की लम्बाई में बन्धे के निर्माण कार्य से सम्बन्धित परियोजना की **मूल्यांकित लागत रू0 5949.00 लाख, (जिसमें प्रायोजना पर राज्य सरकार द्वारा रू0 2000 लाख तथा शेष धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा वहन की जायेगी)** के सापेक्ष शासन द्वारा तृतीय किश्त की 15 प्रतिशत धनराशि रू0 **3,00,00,000/- (रूपये तीन करोड़ मात्र)** वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि रू0 3949/- लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि, व्यय की गयी धनराशि तथा भौतिक प्रगति का विवरण प्राधिकरण द्वारा एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर, कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित की गयी धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों पर व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यवर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर लखनऊ, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृत परियोजना का कार्य 02 वर्ष में पूर्ण किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) कार्य की विशिष्टियों, मानक गुणवत्ता तथा कार्य एवं फण्डिंग की द्विरावृत्ति न हो अर्थात धनराशि की दोहरी स्वीकृत न होने पाये तथा कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। लखनऊ विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था-अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर लखनऊ, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर कार्यदायी संस्था द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) परियोजना हेतु नोडल एजेन्सी लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा कार्यदायी संस्था-अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर लखनऊ, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ होगी।

(9) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति हेतु रू0 1962.00 लाख का प्राविधान किया गया है। अतः नोडल एजेन्सी/कार्यदायी संस्था द्वारा भूमि अध्याप्ति सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के अनुरूप किया जायेगा। कार्यदायी संस्था-अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर लखनऊ, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) नोडल एजेन्सी-लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ/कार्यदायी संस्था-अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर लखनऊ, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अधिष्ठान व्यय की धनराशि रू0 254.08 लाख वित्त(लेखा) अनु0-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस- 2011-74(4)/75/2011 दि0 25 जनवरी, 2011 के अनुसार समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष सिंचाई विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास(चालू कार्य)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :15/2020/487(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर लखनऊ, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
11. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, गोमतीनगर, लखनऊ।
12. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
13. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु लखनऊ।
14. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
15. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:19/2020/497/आठ-1-20-79बजट/2018

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2020

विषय:- अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में लखनऊ नगर के अन्तर्गत अभियंत्रण जोन-6 के अन्तर्गत हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मोहान रोड आलमनगर ओवर ब्रिज से रिंग रोड भूहर क्रासिंग तक नाला निर्माण संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-14/पी0एम0/19-20, दिनांक 20.02.2020, शासनादेश संख्या-1874/आठ-1-18-79बजट/2018, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में लखनऊ नगर के अन्तर्गत अभियंत्रण जोन-6 के अन्तर्गत हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मोहान रोड आलमनगर ओवर ब्रिज से रिंग रोड भूहर क्रासिंग तक नाला निर्माण संबंधी परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 584.82 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 292.41 लाख (रूपये दो करोड़ बानबे लाख इक्तालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर निगम लखनऊ की होगी तथा नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) नगर निगम लखनऊ द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) नगर निगम लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) नगर निगम लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) नगर निगम लखनऊ द्वारा व्यय वित्त समिति/एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) बाट-आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों हेतु कोई सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

(13) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(15) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :19/2020/497(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम लखनऊ का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या: 1/2020/186/आठ-3-20-25 विविध/2018 टी०सी०

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2020

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की द्वितीय किश्त की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10392/यू.पी.-रेरा/लेखा-कोषागार/2019-20 दिनांक 27.11.2019 एवं संख्या-745/यू.पी.-रेरा/लेखा/2019-20 दिनांक 17.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू० 294.12 लाख में से अवशेष रू० 147.06 लाख की द्वितीय किश्त शीघ्रतम निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रदत्त/प्राविधानित अधिकारों के तहत श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) हेतु अनुदान संख्या-2 के लेखा शीर्षक-2217 शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-उ०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित कुल रू० 294.12 लाख (रूपये दो सौ चैरान्नवे लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि में से द्वितीय किश्त के रूप में रू० 147.06 लाख (रूपये एक सौ सैंतालीस लाख छः हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू० 147.06 लाख (रूपये एक सौ सैंतालीस लाख छः हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत खण्डों/नियमों तथा शासनादेशों में की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जायेगा तथा किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।

4- कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिये गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित कर लिया जाय एवं स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखी जाय। उपकरणों, आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये देयकों पर सचिव, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

6- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-2 के "लेखा शीर्षक-2217 शहरी विकास-80-सामान्य 800-अन्य व्यय 05-उ०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा यू०ओ० संख्या-ई-8.348/दस-20 दिनांक 16.03.2020 के माध्यम से प्राप्त सहमति के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(अपूर्वा दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या-186(1)/आठ-3-20-25 विविध/18 टी०सी०-तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार उ०प्र०, प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(3) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 एवं 2
(6) आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
(7) अनुभाग अधिकारी (लेखा), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या:22/2020/567/आठ-1-20-41विविध/2018

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2020

विषयः- गोरखपुर नगर के गोलघर स्थित जलकल परिसर में मल्टी लेविल पार्किंग के निर्माण कार्य संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के पत्र संख्या-889/गो0वि0प्रा0/2019-20, दिनांक 06.03.2020 व शासन के पत्र संख्या-2170/आठ-1-18-41विविध/2018, दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर नगर के गोलघर स्थित जलकल परिसर में मल्टी लेविल पार्किंग के निर्माण कार्य संबंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 2911.34 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0 1164.536 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ चौसठ लाख तिरपन हजार छः सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी गोरखपुर विकास प्राधिकरण की होगी तथा गोरखपुर विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी बैंक /डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) गोरखपुर विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) गोरखपुर विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(8) गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय वित्त समिति/एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) ब्राट-आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यो हेतु कोई सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

(11) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-गोरखपुर विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित न करके, कार्य की आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय किया जायेगा।

(15) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) प्रायोजना प्रस्ताव में 125 के0वी0ए0 डी0जी0 सेट-1 नग, लिफ्ट-2 नग (13 पैसेन्जर क्षमता), बूम बैरियर एवं सी0सी0टी0वी0 की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत अनुमन्य किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/गोरखपुर विकास प्राधिकरण का होगा।

(18) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :22/2020/567(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
4. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5. उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:23/2020/545/आठ-1-20-32बजट/2018

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2020

विषयः- जानकीपुरम योजना थाना: जानकीपुरम से अटल चौराहे तक 60 फिट चौड़ी सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-532/एए-5/सचिव/2020, दिनांक 05/03/2020 व शासनादेश संख्या-2329/आठ-1-18-32बजट/2018, दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जानकीपुरम योजना में थाना-जानकीपुरम से अटल चौराहे तक 60 फुट चौड़ी सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने संबंधी परियोजना की आगणित लागत धनराशि रू0 1,14,52,631.00 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष स्वीकृत निविदा की धनराशि रू0 86,61,958.00 के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 29,35,643.00/- (रूपये उनतीस लाख पैंतिस हजार छः सौ तैंतालिस मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित की गयी धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(4) कार्य की विशिष्टियों, मानक गुणवत्ता तथा कार्य एवं फण्डिंग की द्विरावृत्ति न हो, अर्थात इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, यह कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) समस्त कार्य अनुमोदित लागत की सीमा में समयान्तर्गत (6 माह) में पूर्ण कर लिये जायेंगे। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण का होगा। भविष्य में इन सड़कों/नालियों का अनुरक्षण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से टुकड़ों में अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गयी है।

(7) कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना निर्माण हेतु समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(8) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के अनुरूप किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत वाट-आउट आइटमस के कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन तथा सामग्री/उपकरणों का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित प्रायोजना का विवरण ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाईट पर अंकित किया जायेगा तथा कार्यस्थल पर शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक- 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास(चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या :23/2020/545(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
12. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्याः24/2020/556/आठ-1-20-12बजट/2019

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2020

विषयः- लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड-3 के अन्तर्गत जानकीपुरम प्रथम, फैजुल्लागंज प्रथम व द्वितीय, डालीगंज, निराला नगर एवं अयोध्यादास प्रथम वार्डों में नाली इण्टरलाकिंग एवं पेवर फिनिशर द्वारा सड़क का सुधार/नव-निर्माण कार्य कराये जाने संबंधी कार्य योजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-784/एनएएस-7, दिनांक 12.03.2020, शासनादेश संख्या-404/आठ-1-19-12बजट/2019, दिनांक 09 मार्च, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड-3 के अन्तर्गत जानकीपुरम प्रथम, फैजुल्लागंज प्रथम व द्वितीय, डालीगंज, निराला नगर एवं अयोध्यादास प्रथम वार्डो में नाली इण्टरलाकिंग एवं पेवर फिनिशर द्वारा सड़क का सुधार/नव-निर्माण कार्य कराये जाने संबंधी कार्य योजना की मूल्यांकित लागत रू0 1502.62 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त की 40 प्रतिशत धनराशि रू0 601.048 लाख (रूपये छः करोड़ एक लाख चार हजार आठ सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर निगम लखनऊ की होगी तथा नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) नगर निगम लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(8) नगर निगम लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) नगर निगम, लखनऊ/कार्यदायी संस्था को सेन्टेज देय नहीं होगा।

(11) नगर निगम, लखनऊ द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :24/2020/556(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम लखनऊ का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2020

विषयः- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अंशपूंजी विनियोजन की बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक वित्त, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक-130/एल0एम0आर0सी0/एफ-4/कानुपर मेट्रो/I, दिनांक 28 जनवरी, 2019 व शासनादेश संख्या-13/2019/1042/आठ-1-19-08बजट/2018, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु गठित उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन (यू0पी0 एम.आर.सी.) नामक विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) के डी0पी0आर0 में राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी विनियोजन के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0 175.00 करोड़ के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 75,00,00,000/- (रूपये पिचहत्तर करोड़ मात्र) की धनराशि आहरित कर उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ को अंशपूंजी विनियोजन के रूप में उपलब्ध कराये जाने की श्रीराज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कानपुर मेट्रो रेल परियोजना/उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को भूमि हेतु उपलब्ध कराया जा रहा सब-आर्डिनेट ऋण ब्याज मुक्त होगा तथा उक्त ऋण का प्रतिदान ऋण की अदायगी प्रधान ऋण के भुगतान किये जाने के पश्चात आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ द्वारा समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन की होगी तथा उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा परियोजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में अंश पूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण मद" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-467/दस-2020, दिनांक- 26 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-25/2020/295(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कारपोरेशन का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 एवं 2 ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:27/2020/575/आठ-1-20-86बजट/2015

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2020

विषयः- पुराने लखनऊ (हुसैनाबाद क्षेत्र) के समेकित विकास कार्यों हेतु परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक-14/सचिव/ए0ए0-6/20, दिनांक 07 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-1491/आठ-1-18-86बजट/2015, दिनांक 16 अगस्त, 2018 एवं शासनादेश संख्या-40/2016/342/आठ-1-16-86बजट/2015, दिनांक 28 जनवरी, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुराने लखनऊ (हुसैनाबाद क्षेत्र) के समेकित विकास कार्यों हेतु परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 166.3877 करोड़ के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि रू0 30.298315 करोड़ (रूपये तीस करोड़ उनतीस लाख तिरासी हजार एक सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की होगी तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-11-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखा शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।

(9) लखनऊ विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(10) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्यप्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्य मदों की मात्राओं में वृद्धि, अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाईन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(11) प्रायोजना प्रस्ताव में पौधे रोपण, औद्योगिक कार्य, शर्व्स हेज आदि का रोपण एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य प्रस्तावित किया गया है। इन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उक्त कार्यों के विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया जायेगा, जो इनकी दरों एवं क्रय के संबंध में नीति का निर्धारण कर उनका क्रियान्वयन एवं क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रायोजना में हार्टीकल्चर मद में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधों व उनके लगाये जाने की दरों को हार्टीकल्चर विभाग से वेट कराये जाने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

(12) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण से पूर्व वन एवं पर्यावरण विभागों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करके ही अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(13) प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव में सिंचाई विभाग के बन्धे की भूमि पर रोड का निर्माण किया जाना है। अतः मार्ग निर्माण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य सिंचाई विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं में अनुमन्य तो नहीं है साथ ही निर्माण कार्य से पूर्व सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(14) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(15) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय वित्त समिति/एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) बाट-आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों हेतु कोई सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

(17) उक्त वित्तीय स्वीकृति परियोजना से संबंधित मूल शासनादेश संख्या-40/2016/342/आठ-1-15-86बजट/2015, दिनांक 28.01.2016 व शासनादेश संख्या-1491/आठ-1-18-86बजट/2015, दिनांक 16 अगस्त, 2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन है।

(18) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(19) उक्त परियोजना की नोडल एजेंसी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेंसी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) कार्यदायी संस्था द्वारा संबंधित प्रायोजना का विवरण ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाईट पर अंकित किया जायेगा तथा कार्यस्थल पर शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्य के संबंध में विस्तृत विवरण अंकित किया जायेगा।

(21) स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों पर अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(22) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त कराये जाने वाले कार्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही कराये जायेंगे। यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो इन मदों से संबंधित धनराशि राज्य सरकार को वापस की जायेगी (ब्याज सहित यदि कोई हो)।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या :27/2020/575(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:29/2020/558/आठ-1-20-25बजट/2019

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2020

विषयः- लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड-7 एवं 4 में इंसाफनगर, राजीव नगर शिवाजीपुरम, इन्दिरानगर सेक्टर-11, गोमती नगर विजयन्त खण्ड-4 एवं विनम्र खण्ड-1 में पेवर फिनिशर द्वारा सड़क का नव निर्माण कार्य की कार्य योजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-785/एनएएस-7, दिनांक 12.03.2020, शासनादेश संख्या-320/आठ-1-19-25बजट/2019, दिनांक 09 मार्च, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड-7 एवं 4 में इंसाफनगर, राजीव नगर शिवाजीपुरम, इन्दिरानगर सेक्टर-11, गोमती नगर विजयन्त खण्ड-4 एवं विनम्र खण्ड-1 में पेवर फिनिशर द्वारा सड़क का नव निर्माण कार्य की कार्य योजना की मूल्यांकित लागत रू0 1662.97 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त की 40 प्रतिशत धनराशि रू0 665.188 लाख (रूपये छः करोड़ पैंसठ लाख अठ्ठारह हजार आठ सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर निगम लखनऊ की होगी तथा नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) नगर निगम लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(8) नगर निगम लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) नगर निगम, लखनऊ/कार्यदायी संस्था को सेन्टेज देय नहीं होगा।

(11) नगर निगम, लखनऊ द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :29/2020/603(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम लखनऊ का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:30/2020/565/आठ-1-20-19बजट/2017

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2020

विषयः- जनपद लखनऊ में नादान महल रोड पर स्थित नवभारत पार्क में भूमिगत पार्किंग सम्बन्धी परियोजना की वॉछित धनराशि की स्वीकृति (2019-20) के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-19/एए-6/सचिव/20, दिनांक 19 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-1542/आठ-1-18-19बजट/2017, दिनांक 28.08.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में नादान महल रोड पर स्थित नवभारत पार्क में भूमिगत पार्किंग सम्बन्धी परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 1451.50 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की 40 प्रतिशत धनराशि रू0 580.60 लाख (रूपये पाँच करोड़ अस्सी लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की होगी तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी बैंक/पी0एल0ए0/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समयसमय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय वित्त समिति/एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) लखनऊ विकास प्राधिकरण वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2013 में नामित कार्यदायी संस्था के इतर कार्यदायी संस्था है। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्माण लागत में 05 प्रतिशत की कमी करते हुए 12.50 प्रतिशत सेन्टेज चार्ज सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अनुमन्य कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदयी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण होगी को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :30/2020/565(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:26/2020/555/आठ-1-20-65बजट/2018

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2020

विषयः- लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण-7 के अन्तर्गत इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत आदर्श नगर मटियारी फेज-1, 2, 3, काशीनगर, गहमर कुंज एवं हिमासिटी में नाली इण्टरलाकिंग एवं सड़क का पेवर द्वारा सुधार/नव-निर्माण कार्य संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-783/एनएएस-7, दिनांक 12.03.2020, शासनादेश संख्या-1601/आठ-1-18-65बजट/2018, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण-7 के अन्तर्गत इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत आदर्श नगर मटियारी फेज-1, 2, 3, काशीनगर, गहमर कुंज एवं हिमासिटी में नाली इण्टरलाकिंग एवं सड़क का पेवर द्वारा सुधार/नव-निर्माण कार्य संबंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 474.37 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 237.185 लाख (रूपये दो करोड़ सैंतीस लाख अठ्ठारह हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर निगम लखनऊ की होगी तथा नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) नगर निगम लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(8) नगर निगम लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) नगर निगम, लखनऊ/कार्यदायी संस्था को सेन्टेज देय नहीं होगा।

(11) नगर निगम, लखनऊ द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) परियोजना पूर्ण होने पर परियोजना का कार्यपूर्ण प्रमाण-पत्र, उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं कार्य का गूगल फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :26/2020/555(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम लखनऊ का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:31/2020/604/आठ-1-20-08बजट/17

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक:27 मार्च, 2020

विषयः- जनपद-लखनऊ में सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सक्रेटरी-सी0एस0आई0ई0एस0 एजुकेशनल सोसाइटी, राजभवन कॉलोनी, लखनऊ के पत्रांक-टी0एस0एस0एल0/बजट एवं अनुदान अभिलेख/2017-18/05, दिनांक 05-03-2020 शासनादेश संख्या-01/2020/06/आठ-1-20-08बजट/17, दिनांक 06 जनवरी, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, जनपद-लखनऊ में सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 222 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0 2000000 (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त वित्तीय स्वीकृति का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा तैयार कर तत्काल कोषागार से धनराशि आहरण कर इसकी सूचना शासन को तथा महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को दी जायेगी एवं आहरित धनराशि सचिव, सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी लखनऊ को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) धनराशि का प्रत्येक माह कोषागार से आहरण यथासंभव आनुपातिक आधार पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।

(3) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) व्यय के प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वित्तीय धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना सी0एस0आई0 एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के 2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-संस्कृति स्कूल के संचालन हेतु सी0एस0आई0 एजुकेशन सोसाइटी को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-810/दस-20, दिनांक 27 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-31/2020/604(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहरभवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
10. सचिव, सी0एस0आई0एजूकेशनल सोसायटी (संस्कृति विद्यालय), लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु सोसाईटी का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर सचिव, सी0एस0आई0एजूकेशनल सोसायटी, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:28/2020/603/आठ-1-20-26बजट/2019

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2020

विषयः- लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड-3 एवं 7 के अन्तर्गत जानकीपुरम प्रथम वार्ड बेगम हजरत महल बजरंग बली वार्ड, श्रीनगर कालोनी, डुडौली, कृष्णलोक नगर, विष्णु विहार गायत्री नगर-2, इस्माइलगंज प्रथम वार्ड में पेवर फिनिशर द्वारा सड़क का नव निर्माण कार्य की कार्य योजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-786/एनएएस-7, दिनांक 12.03.2020, शासनादेश संख्या-321/आठ-1-19-26बजट/2019, दिनांक 09 मार्च, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड-3 एवं 7 के अन्तर्गत जानकीपुरम प्रथम वार्ड बेगम हजरत महल बजरंग बली वार्ड, श्रीनगर कालोनी, डुडौली, कृष्णलोक नगर, विष्णु विहार गायत्री नगर-2, इस्माइलगंज प्रथम वार्ड में पेवर फिनिशर द्वारा सड़क का नव निर्माण कार्य सम्बंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 1267.83 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त की 40 प्रतिशत धनराशि रू0 507.132 लाख (रूपये पाँच करोड़ सात लाख तेरह हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर निगम लखनऊ की होगी तथा नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिप्राजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) नगर निगम लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(8) नगर निगम लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) नगर निगम, लखनऊ/कार्यदायी संस्था को सेन्टेज देय नहीं होगा।

(11) नगर निगम, लखनऊ द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या :28/2020/603(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम लखनऊ का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या :32/2020/606/आठ-1-20-43एलडीए/2006टी.सी.(ए)

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2020

विषयः-सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक रख-रखाव कार्यों की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

सी0एस0आई0 टावर्स परिसर के बी0 ब्लॉक के कुछ आवासों की स्थिति जर्जर एवं बाथरूम की पाईपलाईन फट जाने व रंगाई पुताई हेतु अनुरक्षण मद में एकमुश्त धनराशि किये जाने विषयक सचिव, सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी, लखनऊ के पत्र संख्या-सी0एस0आई0(टी0)/125, दिनांक 16.03.2020, शासनादेश संख्या-914/आठ-1-19-43एलडीए/2006टी.सी.(ए), दिनांक 18.06.2019, शासनादेश संख्या-25/2019/1946/आठ-1-19-43एलडीए/2006 टी.सी.(ए), दिनांक 14.11.2019 एवं पुनर्विनियोग संख्या-605/आठ-1-2020-43एलडीए/2006टी0सी0(ए), दिनांक 31.03.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग दिनांक 31.03.2020 (प्रति संलग्न) के माध्यम से "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के ट्रांजिट हास्टल का रख-रखाव-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन)" में प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) श्री राज्यपाल महोदय सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक मरम्मती कार्यों एवं रख-रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य या मद में किया जायेगा। पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, कर लिया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि आवास विकास परिषद को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ होगी। समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(6) कार्यकी विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ की होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण हो जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायीसंस्था का होगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजनान्तर्गत ऐसे कार्य मद जो बाजार दरों पर आधारित हैं/वॉट-आउट आइटम्स के कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर न्यूनतम आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा संबंधित धनराशि का व्यय वित्त विभाग के विभिन्न शासनादेशों/नियमों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों में वित्त विभाग के अधिष्ठान व्यय संबंधी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(84)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के अनुसार निर्माण कार्यों की लागत में 5 प्रतिशत की कमी करते हुए 12.5 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय, 02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी तथा एक प्रतिशत लेबर सेस अनुमन्य होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्य एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5-(भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के ट्रांजिट हास्टल का रख-रखाव-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :32/2020/606(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सचिव, सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
9. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरणकर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
14. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म बी०एम० 9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

जिस लेखाशीर्षक की बचत से पुनर्विनियोग प्रस्तावित है :- (धनराशि लाख रु० में)

अनुदान संख्या-2	बजट प्रावधान	बचत	पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि	शेष अनुदान (3-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-02 2202-02-110-03-00-संस्कृति स्कूल के संचालन हेतु सी०एस०आई० एजुकेशनल सोसाइटी को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	222.00	91.00	20.00	20.00	71.00
योग-	222.00	91.00	20.00	20.00	71.00

जिस लेखाशीर्षक/मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है :- (धनराशि लाख रु० में)

अनुदान संख्या-2	बजट प्रावधान	जनवरी, 2020 तक का व्यय	पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-02 2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के ट्रांजिट हास्टल के रख-रखाव-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद	125.00	125.00	20.00	20.00	145.00
योग	125.00	125.00	20.00	20.00	145.00

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है :-

संस्कृति स्कूल के संचालन हेतु सी0एस0आई0एजुकेशनल सोसाइटी को अनुदान हेतु (गैर वेतन) वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 222 लाख का बजट प्राविधान है। इस प्राविधान के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 06 जनवरी, 2020 द्वारा धनराशि रू0 111 लाख अवमुक्त की गयी थी। उक्त संस्था हेतु वित्त विभाग की सहमति से द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 20 लाख शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2020 द्वारा अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार इस मद में धनराशि रू0 91.00 लाख बचत के रूप में उपलब्ध है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के ट्रांजिट हास्टल के रख-रखाव मद में धनराशि रू0 125 लाख की व्यवस्था थी। उक्त धनराशि शासनादेश दिनांक 18 जून, 2019 एवं 14 नवम्बर, 2019 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। सी0एस0आई0 टावर्स के बी0 ब्लाक के कुछ आवासों की स्थिति जर्जर एवं बाथरूम की पाईपलाइन फट जाने के दृष्टिगत उक्त मद में सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी द्वारा धनराशि रू0 36.30288 लाख की व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-750/ई-8-यू0ओ0-895/दस-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020

सेवा में,
महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

चन्द्रशेखर मिश्र
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या:605/आठ-1-2020-43एलडीए/2006टी0सी0 (ए), दिनांक 31 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहरभवन, लखनऊ।
7. सचिव, सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. सचिव, सी0एस0आई0 इजुकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

10. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
12. लेखानुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरणकर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या :2/2020/283 /आठ-4-2020-01स्मारक(बजट)/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,

स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की

प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति/उपाध्यक्ष,

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 08 अप्रैल, 2020

विषयः- स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वेतन-भत्तों के लिए धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020-21) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वर्ष 2020-21 के लिए अधिष्ठान व्यय (वेतन व भत्ते) के भुगतान हेतु की गयी बजट व्यवस्था रू0 30000.00 लाख (रूपये तीन अरब मात्र) की धनराशि आहरित एवं व्यय किये जाने हेतु आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि को कोषागार से आहरण हेतु समिति के सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिल को शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन स्तर पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिल को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
2. धनराशि का प्रत्येक माह कोषागार से आहरण यथासंभव आनुपातिक आधार पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्त नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. धनराशि के आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ।
5. व्यय के प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

-2-

6. धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-01-राज्य की राजधानी का विकास-800-अन्य व्यय-05-स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वेतन-भत्ते आदि-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या :2/2020/283(1)/आठ-4-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. लेखा प्रकोष्ठ, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव।

संख्या-5/2020/ 767 /आठ-6-20/04बजट/2019टी0सी0

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2020

विषय : विहित प्राधिकारियों के कार्यालय अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के विहित प्राधिकारियों के कार्यालय अधिष्ठान व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित प्राविधानों एवं शर्तो के अधीन अनुदान संख्या-002 मुख्य लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 800-अन्य व्यय, 03-विहित अधिकारियों का अधिष्ठान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये कुल व्यवस्थित धनराशि रू0 10,06,03,000.00 (रूपये दस करोड़ छः लाख तीन हज़ार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, उक्त स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि लाख में)

कोड नं0	मद	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आवंटित/स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	757.05	757.05
03	मंहगाई भत्ता	189.26	189.26
04	यात्रा व्यय	1.00	1.00
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
06	अन्य भत्ते	10.00	10.00
07	मानदेय	0.02	0.02
08	कार्यालय व्यय	3.00	3.00
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.50	1.50
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
49	चिकित्सा व्यय	10.00	10.00
51	वर्दी व्यय	0.20	0.20
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	--	--
55	मकान किराया भत्ता	24.00	24.00
56	नगर प्रतिकर भत्ता	5.00	5.00
	कुल योग	1006.03	1006.03

(रूपये दस करोड़ छः लाख तीन हज़ार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि ''अनुदान संख्या- 2 मुख्य लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-विहित अधिकारियों का अधिष्ठान'' के नामे डाली जायेगी।

3- स्वीकृत धनराशि व्यय करने के लिए बजट मैनुअल तथा फाइनेंशियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों का अनुपालन किया जाय एवं जहां अन्य अधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक हो वहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय एवं नियम विरूद्ध व्यय के लिए सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर, आवश्यकता अनुसार ही किया जाये।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-5/2020/767 (1) /आठ-6-2020, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम), इलाहाबाद उ0प्र0 ।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त सलाहकार, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त (व्यय -नियन्त्रण) अनुभाग-8
5. वित्त (आय -व्ययक) अनुभाग-1/2
6. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
7. नियोजन अनुभाग-1
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सिद्धाशरण पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या- 6/2020/ 768 /आठ-6-20/05बजट/2019टी0सी0

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2020

विषय : नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुदान संख्या-002, मुख्य लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास, 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 06-नगर एवं ग्राम नियोजन अधिष्ठान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये कुल व्यवस्थित धनराशि रू0 36,74,80,000.00 (रूपये छत्तीस करोड़ चौहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, उक्त स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि लाख में)

कोड नं0	मद	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आवंटित/स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	2528.12	2528.12
02	मजदूरी	3.30	3.30
03	महंगाई भत्ता	632.03	632.03
04	यात्रा व्यय	10.00	10.00
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.00	6.00
06	अन्य भत्ते	50.00	50.00
07	मानदेय	0.10	0.10
08	कार्यालय व्यय	10.00	10.00
09	विद्युत देय	50.00	50.00
10	जलकर/जल प्रभार	9.00	9.00
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.50	5.50
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.40	4.40
13	टेलीफोन पर व्यय	5.00	5.00

14	मोटर गाडियों का क्रय	–	–
15	गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	12.50	12.50
16	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
17	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	30.00	30.00
19	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.25	0.25
26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	20.00	20.00
29	अनुरक्षण	20.00	20.00
42	अन्य व्यय	0.55	0.55
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00	5.00
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.50	2.50
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00	5.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10.00	10.00
49	चिकित्सा व्यय	60.00	60.00
51	वर्दी व्यय	0.55	0.55
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	--	--
55	मकान किराया भत्ता	150.00	150.00
56	नगर प्रतिकर भत्ता	20.00	20.00
58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	20.00	20.00
	योग	3674.80	3674.80

(रूपये छत्तीस करोड़ चौहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)

2. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि अनुदान संख्या-002, मुख्य लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास, 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 06-नगर एवं ग्राम नियोजन अधिष्ठान के नामे डाली जायेगी।

3. स्वीकृत धनराशि व्यय करने के लिए बजट मैनुअल तथा फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों का अनुपालन किया जाय एवं जहां अन्य अधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक हो वहां व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय एवं नियम बिरूद्व व्यय के लिए सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर, आवश्यकता अनुसार ही किया जाये।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-6/2020/768(1)/आठ-6-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम), इलाहाबाद, उ0प्र0।
2. सम्बन्धित समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
3. वित्त सलाहकार, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
7. राज्य सूचना आयोग अनुभाग-1
8. नियोजन अनुभाग-4
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सिद्धाशरण पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या- 01/2020/ 766 /आठ-6-20/06बजट/2019टी0सी0

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर भूमि सीमारोपण,
जवाहर भवन, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2020

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम,1999 के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि आवंटित/स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम,1999 के कार्यान्वयन हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित प्राविधानों एवं शर्तो के अधीन अनुदान संख्या-002, मुख्य लेखा शीर्षक-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, 201-भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर), 03-शहरी भूमि सीमारोपण, 0301-मुख्यालय (निदेशालय स्तर) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये कुल व्यवस्थित धनराशि रू0 6,43,24,000.00 (रूपये छः करोड़ तैंतालीस लाख चौबीस हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, उक्त स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

अनुदान संख्या-002 के लेखा शीर्षक
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें,
201-भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर)
03-शहरी भूमि सीमारोपण,
0301-मुख्यालय (निदेशालय स्तर)

(धनराशि लाख में)

कोड नं0	मद	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आवंटित/स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	460.22	460.22
03	मंहगाई भत्ता	115.06	115.06
04	यात्रा व्यय	6.65	6.65
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.81	0.81
06	अन्य भत्ते	8.92	8.92
08	कार्यालय व्यय	2.60	2.60
09	विद्युत देय	0.30	0.30
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.41	1.41

12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.86	0.86
13	टेलीफोन पर व्यय	0.45	0.45
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	4.00
26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.40	0.40
42	अन्य व्यय	0.50	0.50
45	अवकाश यात्रा व्यय	3.50	3.50
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.60	1.60
49	चिकित्सा व्यय	6.48	6.48
51	वर्दी व्यय	0.10	0.10
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.10	0.10
55	मकान किराया भत्ता	23.18	23.18
56	नगर प्रतिकर भत्ता	3.10	3.10
58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3.00	3.00
	कुल योग	643.24	643.24

(रूपये छः करोड़ तैंतालीस लाख चौबीस हज़ार मात्र)

2- निदेशालय एवं 11 नगर बस्ती कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त स्वीकृत समस्त धनराशि को तत्काल आवंटित कर सूचना शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध करायी जाय।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता संबंधी मदों में वित्तीय नियमों तथा वर्तमान में लागू आदेशों एवं वित्त संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता अनुभाग एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक मितव्ययता संबंधी निर्गत निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा यथा आवश्यकता धनराशि आहरित किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/ डाकघर में जमा नहीं की जायेगी।

5- उपर्युक्त धनराशि के संबंध में बजट नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से व्यय-विवरण शासन के प्रशासनिक विभाग एवं वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8 को उपलब्ध कराये जाये।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में किसी अन्य मद में शासन की बिना अनुमति के परिवर्तित कर आहरण न किया जाय।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-1/2020/766(1)/आठ-6-2020,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण-अलीगढ, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी एवं कानपुर।
4. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी-अलीगढ, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी एवं कानपुर।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8
7. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
8. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सिद्धाशरण पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या :33/2020/610/आठ-1-20-31विविध/2009

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान,
विपिन खण्ड, गोमतीनगर, उ0प्र0, लखनऊ ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 17अप्रैल, 2020

विषयः- अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (वेतन) के लिए वित्तीय स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020-21) के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के पत्रांक-01/शा0अनु0/2020-21/01, दिनांक 08.04.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु **अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के कर्मियों के अधिष्ठान व्यय (वेतन) के लिए धनराशि रू0 72.00/- लाख (रूपये बहत्तर लाख मात्र)** आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या-1801(1)/आठ-1-09-31विविध/09, दिनांक 18 जून, 2009 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके आहरण की बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) उक्त धनराशि को कोषागार से आहरण हेतु संस्थान के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित बिल को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए शासन में उपलब्ध कराये जाने पर शासन स्तर पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 के प्राविधान के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा मदवार व्यय का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) अनुदान के सदुपयोग हेतु संस्थान की गवर्निंग कौंसिल उत्तरदायी होगी तथा संस्थान के लेखों का आडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से कराया जायेगा।

(9) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(10) उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय संस्थान के नवीन निर्माणाधीन भवन के फर्नीशिंग इत्यादि कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-06-अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)" के अन्तर्गत प्राथमिकता इकाईयों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि लाख रूपये में)

31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	72.00

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :33/2020/610(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कानपुर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, शासन।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
13. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या: 3/2020/603/आठ-3-20-25 विविध/18टी.सी.

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण पत्र संख्या-वि0नि0कै013/यू0पी0 -रेरा/लेखा-शा0पत्र/2020-21 दिनांक 09.04.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के संचालन हेतु अनुदान संख्या-2 के लेखा शीर्षक-2217 शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 600.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्रदत्त/प्राविधानित अधिकारों के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) हेतु अनुदान संख्या-2 के लेखा शीर्षक-2217 शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित कुल रू0 600.00 लाख (रूपये छह सौ लाख मात्र) की धनराशि के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत खण्डों/नियमों तथा शासनादेशों में की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जायेगा तथा किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये देयको पर सचिव, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

5- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-2 के "लेखा शीर्षक-2217 शहरी विकास-80-सामान्य 800-अन्य व्यय 05-उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या- 3/2020/603(1)/आठ-3-20-25 विविध/18टी.सी.-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(3) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 एवं 2
(6) आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
(7) अनुभाग अधिकारी (लेखा), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजय कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-2/2020/602/आठ-3-20-25 विविध/18टी.सी.

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण पत्र संख्या-वि0नि0कै013/यू0पी0-रेरा/लेखा-शा0पत्र/2020-21 दिनांक 09.04.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के संचालन हेतु अनुदान संख्या-2 के लेखा शीर्षक-2217 शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 350.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपया 87.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्रदत्त/प्राविधानित अधिकारों के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) हेतु अनुदान संख्या-2 के लेखा शीर्षक-2217 शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित कुल रू0 350.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपया 87.50 लाख (रूपये सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत खण्डों/नियमों तथा शासनादेशों में की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जायेगा तथा किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।

4- कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिये गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित कर लिया जाय एवं स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखी जाय। उपकरणों, आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये देयको पर सचिव, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

6- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-2 के "लेखा शीर्षक-2217 शहरी विकास-80-सामान्य 800-अन्य व्यय 05-उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या-2/2020/602 (1)/आठ-3-20-25 विविध/18टीसी-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(3) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 एवं 2
(6) आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
(7) अनुभाग अधिकारी (लेखा), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजय कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-01/2020/290/आठ-4-2020-02एन(बजट)/2020

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा एवं बांदा।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2020

विषयः नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु कर्मचारियों के अधिष्ठान संबंधी व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-002 के लेखाशीर्षक "2029-भू-राजस्व-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-कलेक्टरों के कार्यालय(नजूल)" के अन्तर्गत प्राविधानित संलग्नक के अनुसार जनपदवार कुल धनराशि रू0 1,60,08,000/- (रूपये एक करोड़ साठ लाख आठ हजार मात्र) आवंटित कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त आवंटित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के भुगतान के संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवंटित धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

<u>संख्या-01/2020 /290(1)/आठ-4-2020, तद-दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उ0प्र0, प्रयागराज।

2- अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व/नजूल)/आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा व बाँदा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वे अपने जनपद से सम्बन्धित बजट आवंटन को निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ से सम्पर्क कर इन्टरनेट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

4- कोषाधिकारी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, बांदा।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

8- अनुभाग अधिकारी (लेखा), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

9- बजट/गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव।

संख्या-01/2020/290 /आठ-4-2020-02एन(बजट)/2020, दिनांक 14 मई, 2020 का संलग्नक।

अनुदान संख्या-002

लेखाशीर्षक

2029-भू-राजस्व

001-निदेशन तथा प्रशासन

03-कलेक्टरों के कार्यालय (नजूल)

धनराशि (लाख रूपये में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2020-21				
	प्रयागराज	अयोध्या	मथुरा	बांदा	
1	2	3	4	5	6
01-वेतन	15.00	91.08	2.25	4.00	112.33
03-महंगाई भत्ता	3.75	22.77	0.56	1.00	28.08
04-यात्रा व्यय	0.40	0.20	0.00	0.00	0.60
06- अन्य भत्ते	0.52	3.06	0.08	0.14	3.80
07- मानदेय	0.01	0.02	0.01	0.01	0.05
08- कार्यालय व्यय	0.75	0.85	0.30	0.60	2.50
09- विद्युत व्यय	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.25	0.20	0.00	0.15	0.60
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.19	0.20	0.00	0.11	0.50
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.30	0.20	0.50	0.00	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.34	0.10	0.00	0.06	0.50
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
49- चिकित्सा व्यय	0.20	0.70	0.00	0.10	1.00
51- वर्दी व्यय	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12
55- मकान किराया भत्ता	0.55	3.22	0.08	0.15	4.00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	0.14	0.80	0.02	0.04	1.00
58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.40	0.40	0.10	0.10	1.00
योग-	24.30	124.42	4.40	6.96	160.08

मनोज कुमार मौर्य

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
संख्या:34/2020/655/आठ-1-20-06एल0आई0सी0-2013-14
लखनऊ : दिनांक 23 मई, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई से आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में लिए गये 7,20,00,000/- (रूपये सात करोड़ बीस लाख मात्र) के ऋण के प्रतिदान की तिथि दिनांक 15.05.2020 है, पर देय ब्याज/मूलधन के प्रतिदान के मद में रू0 32,54,400.00 (रू0 बत्तीस लाख चौवन हजार चार सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि में मूलधन की वापसी की धनराशि रू0 28,80,000.00 (रू0 अठ्ठाईस लाख अस्सी हजार मात्र) तथा ब्याज की धनराशि रू0 3,74,400.00 (रू0 तीन लाख चौहत्तर हजार चार सौ मात्र) है।

2- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 (आवास विभाग) के अन्तर्गत मूलधन की धनराशि रू0 28,80,000.00 (रू0 अठ्ठाईस लाख अस्सी हजार मात्र) को लेखा शीर्षक "6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-103-भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज-03-निगम से लिये गये ऋणों का प्रतिदान-30-निवेश/ऋण (भारित)" तथा ब्याज की धनराशि रू0 3,74,400.00 (रू0 तीन लाख चौहत्तर हजार चार सौ मात्र) को लेखाशीर्षक "2049-ब्याज अदायगियाँ-01-आन्तरिक ऋण पर ब्याज-200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-03-भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज-32-ब्याज/लाभांश/(भारित)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ-बी-3-37/दस-2020, दिनांक 22/05/2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4- उक्त धनराशि अनु सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा आहरित कर ससमय भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्धक (इन्वेस्टमेंट), भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई।
4. अनु सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (6 अतिरिक्त प्रतियां सहित)।
5. वित्त आय-व्यय अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-34/2020/655(1)/आठ-1-20-06एल0आई0सी0-2013-14, दिनांक 23 मई, 2020 का संलग्नक

दिनांक 15.05.2020 का भुगतान चार्ट

ऋण का वर्ष	ऋण राशि	प्रतिदान तिथि	देय मूलधन	देय ब्याज	योग
1995-96	7,20,00,000.00	15.05.2020	28,80,000.00	3,74,400.00	32,54,400.00
योग			28,80,000.00	3,74,400.00	32,54,400.00

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या :37/2020/803/आठ-1-20-31विविध/2009

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान,
विपिन खण्ड, गोमतीनगर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 22 जुलाई, 2020

विषयः- **अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (गैर वेतन) के लिए प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति 2020-21 के संबंध में ।**

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्या-01/शा0अनु0/2020-21/23, दिनांक 18 जून, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2020-21 में **अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (गैर वेतन)** मद हेतु रूपये 1,70,00,000/- (रूपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष 04 समान किश्तों में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 42,50000/- (रूपये बयालीस लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि कोषागार से कार्यात्मक आवश्यकतानुसार आहरित करके आहरण की बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि को कोषागार से आहरण हेतु संस्थान के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित बिल को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए शासन में उपलब्ध कराये जाने पर शासन स्तर पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में निर्गत धनराशि रूपये 42,50000/- का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी शासनादेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा मदवार व्यय का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) अनुदान के सदुपयोग हेतु संस्थान की गवर्निंग कौंसिल उत्तरदायी होगी तथा संस्थान के लेखों का आडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से कराया जायेगा।

(8) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(9) उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय संस्थान के नवीन निर्माणाधीन भवन के फर्नीशिंग इत्यादि कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

(11) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिये गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन, कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित करने, स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, पी0एल0ए0, डिपाजिट खाते में न रखने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना आदि निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-06-अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उ0प्र0-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत निम्नवत् प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा :-

(धनराशि लाख रूपये में)

20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**42.50**

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :37/2020/803(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3. निदेशक, आवास बन्धु को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
8. निदेशक, सांख्यिकीय एवं वित्तीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 ।
11. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन ।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या:38/2020/954/आठ-1-20-08बजट/17

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक: 27 जुलाई, 2020

विषयः- जनपद-लखनऊ में सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना की प्रथम किश्त वित्तीय स्वीकृति (2020-21) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सक्रेटरी-सी0एस0आई0ई0एस0 एजुकेशनल सोसाइटी, राजभवन कॉलोनी, राजभवन, लखनऊ के पत्रांक-टी0एस0एस0एल0/बजट एवं अनुदान अभिलेख/2017-18/05, दिनांक 07-07-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, जनपद-लखनऊ में सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 111 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 2775000 (रूपये सत्ताईस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त वित्तीय स्वीकृति का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा तैयार कर तत्काल कोषागार से धनराशि आहरण कर इसकी सूचना शासन को तथा महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को दी जायेगी एवं आहरित धनराशि सचिव, सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी लखनऊ को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) धनराशि का प्रत्येक माह कोषागार से आहरण यथासंभव आनुपातिक आधार पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।

(3) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्त नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) व्यय के प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वित्तीय धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना सी0एस0आई0 एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के 2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकारी माध्यामिक विद्यालयों को सहायता-03-संस्कृति स्कूल के संचालन हेतु सी0एस0आई0 एजुकेशन सोसाइटी को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या:38/2020/954(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहरभवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
10. सचिव, सी0एस0आई0एजूकेशनल सोसायटी (संस्कृति विद्यालय), लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु सोसाईटी का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर सचिव, सी0एस0आई0एजूकेशनल सोसायटी, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या :40/2020/1107/आठ-1-20-43एलडीए/2006टी.सी.(ए)

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 24अगस्त, 2020

विषयः-सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक रख-रखाव कार्यों की वित्तीय स्वीकृति (2020-21) के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी, लखनऊ के पत्र संख्या-सी0एस0आई0(टी0)/55, दिनांक 04.08.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल महोदय सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक मरम्मती कार्यों एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट प्राविधानित धनराशि रू0 125.00 लाख में से चार समान किश्तों में प्रथम किश्त की धनराशि रू0 31.25 लाख (रूपये इकतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य या मद में किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि आवास विकास परिषद को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ होगी। समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्ससक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(6) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ की होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण हो जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायीसंस्था का होगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजनान्तर्गत ऐसे कार्य मद जो बाजार दरों पर आधारित हैं/बॉट-आउट आइटम्स के कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर न्यूनतम आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा संबंधित धनराशि का व्यय वित्त विभाग के विभिन्न शासनादेशों/नियमों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों में वित्त विभाग के अधिष्ठान व्यय संबंधी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(84)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के अनुसार निर्माण कार्यों की लागत में 5 प्रतिशत की कमी करते हुए 12.5 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय, 02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी तथा एक प्रतिशत लेबर सेस अनुमन्य होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्य एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5-(भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के ट्रांजिट हास्टल का रख-रखाव-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :40/2020/1107(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सचिव, सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु परिषद का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हाईकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
9. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरणकर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या : 9/2020/786/आठ-3-20-158 विविध/20218
लखनऊ : दिनाँक : 01 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-334/आठ-3-19-158 विविध/2018 दिनांक 25.03.2019 के क्रम में उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपील अधिकरण का कार्यालय (पुराना लखनऊ विकास प्राधिकरण) 6- जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ से इन्दिरा भवन, चतुर्थ तल, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव,

संख्या-9/2020/786(1)/आठ-3-20-158 विविध/2018- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 01.09.2020 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित कराते हुए 5-5 प्रति संबंधित विभागों तथा 25 प्रतियां आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-9/2020/786(2)/आठ-3-20-158 विविध/2018- तद्दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(5) अध्यक्ष, उ0प्र0 भू-सम्पदा अपील अधिकरण, लखनऊ।
(6) सदस्य (न्यायिक/प्रशासनिक/तकनीकी), उ0प्र0 भू-सम्पदा अपील अधिकरण।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(8) समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
(9) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
(10) आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
(11) सचिव, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), लखनऊ।
(12) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
(13) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य (प्रशासनिक),
उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक: 15 सितम्बर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण हेतु 42-अन्य मद व्यय 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित बजट के पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-442/विविध/यू0पी0आर0ई0ए0टी0/2020 दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के राज्य सरकार के आय-व्ययक में उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण हेतु अनुदान संख्या-02 में लेखाशीर्षक 2217-80-800-07-उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण 42- अन्य व्यय मद में प्राविधानित रू0 800.00 लाख को पुनर्विनियोजित करते हुए 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) में रू0 450.00 लाख एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में रू0 350.00 लाख का प्राविधान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्रदत्त/प्राविधानित अधिकारों के तहत श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुनर्विनियोग (प्रति संलग्न) के माध्यम से लेखाशीर्षक 2217-80-800-07-उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण 42- अन्य व्यय 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 350.00 लाख के सापेक्ष रू0 200.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) जिस मद का पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिये गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्यालक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित कर लिया जाय एवं स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखी जाय।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत खण्डों/नियमों तथा शासनादेशों में की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जायेगा तथा किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(6) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-02 के "लेखाशीर्षक 2217-80-800-07-उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण 42- अन्य व्यय 31 सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये देयको पर सदस्य (प्रशासनिक), उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

(8) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या-10/2020/919(3)/आठ-3-20-25 विविध/18 टी0सी0-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(3) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 एवं 2
(6) आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
(7) अनुभाग अधिकारी (लेखा), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृत के लिए आवेदन
(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम: अनुदान संख्या-2 उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण वित्तीय वर्ष 2020-21 (धनराशि लाख रु0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
01	02	03	04	05	06
अनुदान संख्या-02 2217-शहरी विकास 800-अन्य व्यय 07-उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण 42- अन्य व्यय	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00
योग -	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
07	08	09	10	11	12
अनुदान संख्या-02 2217-शहरी विकास 800-अन्य व्यय 07-उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण 42- अन्य व्यय 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	0.00 0.00	450.00 350.00	450.00 350.00	200.00 200.00	200.00 200.00
योग -	00.0	800.00	800.00	400.00	400.00

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है -
मानक मद 42-अन्य व्यय में कुल मूल प्राविधान होने के कारण बचत है जिसे अधिकरण के प्रस्ताव के अनुसार वेतन एवं गैर- वेतन मद में पुनर्विनोयोजित किया जाना है।

2- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा आर0ई0 संख्या-52/ई-8-/दिनांक 02.09.2020 के अन्तर्गत प्रदान की गयी सहमति के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अनु सचिव
वित्त विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-10/2020/919(4)/आठ-3-20-25 विविध/18 टी0सी0-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भू-सम्पदा अपील अधिकरण, चतुर्थ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:11/2020/ 919/आठ-3-20-25 विविध/2018 टी0सी0

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य (प्रशासनिक),
उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 15 सितम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण हेतु 42-अन्य मद व्यय 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित बजट के पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-442/विविध/यू0पी0आर0ई0ए0टी0/2020 दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के राज्य सरकार के आय-व्ययक में उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण हेतु अनुदान संख्या-02 में लेखाशीर्षक 2217-80-800-07-उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण 42- अन्य व्यय मद में प्राविधानित रू0 800.00 लाख को पुनर्विनियोजित करते हुए 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) में रू0 450.00 लाख एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में रू0 350.00 लाख का प्राविधान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्रदत्त/प्राविधानित अधिकारों के तहत श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुनर्विनियोग (प्रति संलग्न) के माध्यम से लेखाशीर्षक 2217-80-800-07-उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण 42- अन्य व्यय 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 450.00 लाख के सापेक्ष रू0 200.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) जिस मद का पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिये गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित कर लिया जाय एवं स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखी जाय। उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाय।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत खण्डों/नियमों तथा शासनादेशों में की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जायेगा तथा किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(6) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-02 के "लेखाशीर्षक 2217-80-800-07-उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण 42- अन्य व्यय 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये देयको पर सदस्य (प्रशासनिक), उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

(8) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या-11/2020/919(1)/आठ-3-20-25 विविध/18 टी0सी0-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(3) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 एवं 2
(6) आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
(7) अनुभाग अधिकारी (लेखा), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृत के लिए आवेदन
(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम: अनुदान संख्या-2 उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण वित्तीय वर्ष 2020-21 (धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
01	02	03	04	05	06
अनुदान संख्या-02 2217-शहरी विकास 800-अन्य व्यय 07-उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण 42- अन्य व्यय	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00
योग -	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
07	08	09	10	11	12
अनुदान संख्या-02 2217-शहरी विकास 800-अन्य व्यय 07-उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण 42- अन्य व्यय 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	0.00	450.00	450.00	200.00	200.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	0.00	350.00	350.00	200.00	200.00
योग -	00.0	800.00	800.00	400.00	400.00

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है -
मानक मद 42-अन्य व्यय में कुल मूल प्राविधान होने के कारण बचत है जिसे अधिकरण के प्रस्ताव के अनुसार वेतन एवं गैर- वेतन मद में पुनर्विनोयोजित किया जाना है।

2- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा आर0ई0 संख्या-52/ई-8-/दिनांक 02.09.2020 के अन्तर्गत प्रदान की गयी सहमति के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अनु सचिव
वित्त विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-11/2020/919(4)/आठ-3-20-25 विविध/18 टी0सी0-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भू-सम्पदा अपील अधिकरण, चतुर्थ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
संख्या:41/2020/1292/आठ-1-20-01जी0आई0सी0-2012-13
लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, **2020**

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई से आवासीय योजनाओं हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज के प्रतिदान के मद में रूपये **7,79,040.00** (रू0 सात लाख उन्यासी हजार चालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऋणों के सापेक्ष दिये गये ब्याज/मूलधन का विवरण निम्नवत है :-

(धनराशि : रूपये में)

ऋण का वर्ष	ऋण की धनराशि	प्रतिदान की तिथि	देय मूलधन	देय ब्याज	योग
1996-97	2164 लाख	30.09.2020	0.00	7,79,040.00	7,79,040.00
कुल योग			0.00	7,79,040.00	7,79,040.00

2- उपरोक्तानुसार ब्याज की धनराशि रूपये **7,79,040.00** (रू0 सात लाख उन्यासी हजार चालीस मात्र) वित्तीय वर्ष, **2020-21** के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-02 (आवास विभाग) लेखा शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियां-01-आंतरिक ऋण पर ब्याज-200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज-04 भारत के जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन अथवा उससे सम्बद्ध अन्य सहायक कम्पनियों आदि से प्राप्त ऋण पर ब्याज (भारित)-32-ब्याज/लाभांश के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-बी-3-यू0ओ0 84/दस/2020, दिनांक 10.09.**2020** में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4- उक्त धनराशि अनु सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा 'ई-भुगतान' के माध्यम से ससमय भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई को भुगतान कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय) एवं महालेखाकार लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
3. वित्त आय-व्यय अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4. आहरण वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (6 अतिरिक्त प्रतियां सहित)
5. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
6. चीफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर, भारतीय साधारण बीमा निगम, लि0 मुम्बई।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या- 3 /2020/ 2052 /आठ-2-20-05एनसीआर/17टीसी

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 21 सितम्बर, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-02 के लेखाशीर्षक-4217 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-NCRTC/Fin./Fund/Delhi-Meerut/UP/54-B, दिनांक 14 मई 2020 तथा शासनादेश संख्या-02/2020/38एन.सी.आर./आठ-2-20-05एन.सी.आर/17टीसी, दिनांक 10 जुलाई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। तद्दनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-02 "लेखाशीर्षक-4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" में प्राविधानित धनराशि रू0 900.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 100.00 करोड़ (रू0 एक सौ करोड़ मात्र) आहरित कर प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप समयान्तर्गत सम्पादित कराये जायं ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी एन0सी0आर0टी0सी0 की होगी। प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हों।

(2) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा समस्त कार्य परियोजना की डी.पी.आर., डी.पी.आर. परिशिष्ट, इसकी संशोधित योजना, जिसका अनुमोदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया है की शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) एन0सी0आर0टी0सी0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2021 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा परियोजना की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं सभी सम्बन्धित हितधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) परियोजना हेतु अवशेष किश्त/धनराशि की मांग करते समय निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा बी0एम0-15 प्रपत्र पर मांग कार्ययोजना के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) स्वीकृति धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8- 1644/दस-2020, दिनांक 07 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 3/2020/2052/आठ-2-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, वाह्य सहायतित परियोजना, ऊर्जा, परिवहन, नगर विकास, गृह, वित्त, औद्योगिक विकास, राजस्व, सिंचाई तथा नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
12. आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
13. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद।
14. प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0।
15. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
16. नगर आयुक्त, मेरठ/गाजियाबाद।
17. उपाध्यक्ष, मेरठ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
18. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. समूह महाप्रबंधक, (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश की प्रति सभी सम्बन्धित को ई-मेल/फैक्स/डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:44/2020/1398/आठ-1-20-08बजट/2018

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2020

विषयः- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अंशपूंजी विनियोजन की बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020-21) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक वित्त, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक-1030/एल0एम0आर0सी0/एफ-4/कानपुर मेट्रो/I, दिनांक 14 अगस्त, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु गठित उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन (यू0पी0 एम.आर.सी.) नामक विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) के डी0पी0आर0 में राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी विनियोजन के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0 187.20 करोड़ के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 955000000/-(रूपये पन्चानबे करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि आहरित कर उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ को अंशपूंजी विनियोजन के रूप में उपलब्ध कराये जाने की श्रीराज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कानपुर मेट्रो रेल परियोजना/उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को भूमि हेतु उपलब्ध कराया जा रहा सब-आर्डिनेट ऋण ब्याज मुक्त होगा तथा उक्त ऋण का प्रतिदान ऋण की अदायगी प्रधान ऋण के भुगतान किये जाने के पश्चात आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ द्वारा समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन की होगी तथा उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वैधानिक आपत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा परियोजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में अंश पूँजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण मद" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1871/दस-2020, दिनांक- 14 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-44/2020/1398(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कारपोरेशन का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 एवं 2 ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
संख्या:45/2020/1493/आठ-1-20-06एल0आई0सी0-2013-14
लखनऊ : दिनाँक 26 अक्टूबर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई से आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में लिए गये 7,20,00,000/- (रूपये सात करोड़ बीस लाख मात्र) के ऋण के प्रतिदान की तिथि दिनांक 15.11.2020 है, पर देय ब्याज के प्रतिदान के मद में रू0 1,87,200.00 (रू0 एक लाख सत्तासी हजार दो सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि की वापसी में मात्र ब्याज की धनराशि रू0 1,87,200.00 (रू0 एक लाख सत्तासी हजार दो सौ मात्र) है।

2- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 (आवास विभाग) के अन्तर्गत ब्याज की धनराशि रू0 1,87,200.00 (रू0 एक लाख सत्तासी हजार दो सौ मात्र) को लेखाशीर्षक "2049-ब्याज अदायगियों-01-आन्तरिक ऋण पर ब्याज-200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-03-भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज-32-ब्याज/लाभांश/(भारित)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ-वी-3-यू0ओ093/दस-2020, दिनांक 22/10/2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4- उक्त धनराशि अनु सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा आहरित कर ससमय भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्धक (इन्वेस्टमेंट), भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई।
4. अनु सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (6 अतिरिक्त प्रतियां सहित)।
5. वित्त आय-व्यय अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-45/2020/1493(1)/आठ-1-20-06एल0आई0सी0-2013-14, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक

दिनांक 15.11.2020 का भुगतान चार्ट

ऋण का वर्ष	ऋण राशि	प्रतिदान तिथि	देय मूलधन	देय ब्याज	योग
1995-96	7,20,00,000.00	15.11.2020	00.00	1,87,200.00	1,87,200.00
योग			00.00	1,87,200.00	1,87,200.00

अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या :46/2020/1763/आठ-1-20-43एलडीए/2006टी.सी.(ए)

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 नवम्बर, 2020

विषयः-सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक रख-रखाव कार्यों की वित्तीय स्वीकृति की द्वितीय किश्त (2020-21) के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी, लखनऊ के पत्र संख्या-सी0एस0आई0(टी0)/71, दिनांक 17.10.2020, शासनादेश संख्या-40/2020/1107/आठ-1-20-43एलडीए/2006टी0सी0(ए), दिनांक 24 अगस्त, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल महोदय सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक मरम्मती कार्यों एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट प्राविधानित धनराशि रू0 125.00 लाख में से चार समान किश्तों में द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 31.25 लाख (रूपये इकतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, इसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य या मद में किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि आवास विकास परिषद को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ होगी। समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्ससक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(6) कार्यकी विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ की होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण हो जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायीसंस्था का होगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजनान्तर्गत ऐसे कार्य मद जो बाजार दरों पर आधारित हैं/वॉट-आउट आइटम्स के कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर न्यूनतम आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा संबंधित धनराशि का व्यय वित्त विभाग के विभिन्न शासनादेशों/नियमों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों में वित्त विभाग के अधिष्ठान व्यय संबंधी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(84)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के अनुसार निर्माण कार्यों की लागत में 5 प्रतिशत की कमी करते हुए 12.5 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय, 02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी तथा एक प्रतिशत लेबर सेस अनुमन्य होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखने, कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित करने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5-(भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी शासनादेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के ट्रांजिट हास्टल का रख-रखाव-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2186/दस-2020, दिनांक 23 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या :46/2020/1763(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सचिव, सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु परिषद का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
9. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरणकर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या:47/2020/1505/आठ-1-20-08बजट/17

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक:08 दिसम्बर, 2020

विषयः- जनपद-लखनऊ में सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति (2020-21) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सेक्रेटरी-सी0एस0आई0ई0एस0 एजुकेशनल सोसाइटी, राजभवन कॉलोनी, राजभवन, लखनऊ के पत्रांक-टी0एस0एस0एल0/बजट एवं अनुदान अभिलेख/2017-18/05, दिनांक रहित एवं शासनादेश संख्या-38/2020/954/आठ-1-20-08बजट/17, दिनांक 27 जुलाई, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, जनपद-लखनऊ में सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी (संस्कृति विद्यालय) के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु0 111 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रु0 2775000 (रुपये सत्ताईस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त वित्तीय स्वीकृति का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा तैयार कर तत्काल कोषागार से धनराशि आहरण कर इसकी सूचना शासन को तथा महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को दी जायेगी एवं आहरित धनराशि सचिव, सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी लखनऊ को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) धनराशि का प्रत्येक माह कोषागार से आहरण यथासंभव आनुपातिक आधार पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।

(3) धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) व्यय के प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वित्तीय धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखने, कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित करने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5-(भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी शासनादेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के 2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-संस्कृति स्कूल के संचालन हेतु सी0एस0आई0 एजुकेशन सोसाइटी को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2221/दस-2020, दिनांक- 03 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहा हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या:47/2020/1505(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहरभवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
10. सचिव, सी0एस0आई0एजूकेशनल सोसायटी (संस्कृति विद्यालय), लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु सोसाईटी का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर सचिव, सी0एस0आई0एजूकेशनल सोसायटी, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्याः49/2020/1406/आठ-1-20-62बजट/2019

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2020

विषयः- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को भूमि हेतु सबआर्डिनेट ऋण की बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020-21) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक वित्त, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक-1265/एल0एम0आर0सी0/एफ-4/आगरा मेट्रो/I, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि हेतु सब-आर्डिनेट ऋण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 51.00 करोड़ सापेक्ष धनराशि रु0 250000000/-(रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित कर उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने की श्रीराज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आगरा मेट्रो रेल परियोजना/उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को भूमि हेतु उपलब्ध कराया जा रहा सब-आर्डिनेट ऋण ब्याज मुक्त होगा तथा उक्त ऋण का प्रतिदान ऋण की अदायगी प्रधान ऋण के भुगतान किये जाने के पश्चात आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ द्वारा समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन की होगी तथा उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्डस् आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा परियोजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के **"लेखाशीर्षक-6217-शहरी विकास के लिए कर्ज-01-राज्य की राजधानी का विकास-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-07-आगरा मेट्रो रेल परियोजना-0703-भूमि हेतु सबआर्डिनेट ऋण-30-निवेश/ऋण मद"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2411(1)/दस-2020, दिनांक-08 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहा हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-49/2020/1406(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, आगरा।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कारपोरेशन का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या:52/2020/1818/आठ-1-20-08बजट/2018

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2020

विषयः- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को भूमि हेतु सबआर्डिनेट ऋण मद में बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020-21) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक-743/एल0एम0आर0सी0/एफ-4/कानुपर मेट्रो/I, दिनांक 09 जुलाई, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि हेतु सब-आर्डिनेट ऋण मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू0 42.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0 175000000/-(रूपये सत्रह करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित कर उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कानपुर मेट्रो रेल परियोजना/उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को भूमि हेतु उपलब्ध कराया जा रहा सब-आर्डिनेट ऋण ब्याज मुक्त होगा तथा उक्त ऋण का प्रतिदान ऋण की अदायगी प्रधान ऋण के भुगतान किये जाने के पश्चात आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ द्वारा समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन की होगी तथा उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस् आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा परियोजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के **"लेखाशीर्षक-6217-शहरी विकास के लिए कर्ज-01-राज्य की राजधानी का विकास-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-06-कानपुर मेट्रो रेल परियोजना-0603-भूमि हेतु सबआर्डिनेट ऋण-30-निवेश/ऋण मद"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2113(2)/दस-2020, दिनांक-08 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहा हैं।

भवदीया,
मालों श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-52/2020/1818(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कारपोरेशन का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 एवं 2 ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या:48/2020/1378/आठ-1-20-62बजट/2019

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09दिसम्बर, 2020

विषयः- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अंशपूंजी विनियोजन की बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020-21) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक वित्त, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक-1265/एल0एम0आर0सी0/एफ-4/आगरा मेट्रो/I, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-12/2019/1043/आठ-1-19-62बजट/2019, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के लिए अंशपूंजी विनियोजन मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू0 138.60 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रु0 500000000/-(रूपये पचास करोड़ मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित कर उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने की श्रीराज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आगरा मेट्रो रेल परियोजना/उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को भूमि हेतु उपलब्ध कराया जा रहा सब-आर्डिनेट ऋण ब्याज मुक्त होगा तथा उक्त ऋण का प्रतिदान ऋण की अदायगी प्रधान ऋण के भुगतान किये जाने के पश्चात आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ द्वारा समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन की होगी तथा उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस् आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा परियोजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-2** के **"लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-05-आगरा मेट्रो रेल परियोजना में अंश पूँजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण मद"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2411/दस-2020, दिनांक-08 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
मालों श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-48/2020/1378(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज को परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज को परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, आगरा।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कारपोरेशन का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 एवं 2।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफाइल।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या:50/2020/1762/आठ-1-20-08बजट/2018

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2020

विषयः- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केन्द्रीय करों के भुगतान हेतु ऋण मद में बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020-21) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक-743/एल0एम0आर0सी0/एफ-4/कानुपर मेट्रो/I, दिनांक 09 जुलाई, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए केन्द्रीय करों के भुगतान हेतु ऋण मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू0 48.60 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0 202500000/-(रूपये बीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित कर उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने की श्रीराज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कानपुर मेट्रो रेल परियोजना/उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को भूमि हेतु उपलब्ध कराया जा रहा सब-आर्डिनेट ऋण ब्याज मुक्त होगा तथा उक्त ऋण का प्रतिदान ऋण की अदायगी प्रधान ऋण के भुगतान किये जाने के पश्चात आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ द्वारा समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन की होगी तथा उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खातों में नहीं रखी जायेगी।

(5) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा परियोजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-6217-शहरी विकास के लिए कर्ज-01-राज्य की राजधानी का विकास-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-06-कानपुर मेट्रो रेल परियोजना-0601-केन्द्रीय करों के भुगतान हेतु ऋण-30-निवेश/ऋण मद" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2113/दस-2020, दिनांक-08 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-50/2020/1762(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कारपोरेशन का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 एवं 2 ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या:51/2020/1817/आठ-1-20-08बजट/2018

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2020

विषयः- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को राज्य के करों के भुगतान हेतु ऋण मद में बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2020-21) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक-743/एल0एम0आर0सी0/एफ-4/कानुपर मेट्रो/I, दिनांक 09 जुलाई, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए राज्य के करों के भुगतान हेतु ऋण मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू0 80.40 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0 335000000 /-(रूपये तैतीस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित कर उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने की श्रीराज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन महर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कानपुर मेट्रो रेल परियोजना/उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को भूमि हेतु उपलब्ध कराया जा रहा सब-आर्डिनेट ऋण ब्याज मुक्त होगा तथा उक्त ऋण का प्रतिदान ऋण की अदायगी प्रधान ऋण के भुगतान किये जाने के पश्चात आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ द्वारा समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन की होगी तथा उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खातें में नहीं रखी जायेगी।

(5) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा परियोजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-6217-शहरी विकास के लिए कर्ज-01-राज्य की राजधानी का विकास-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-06-कानपुर मेट्रो रेल परियोजना-0602-राज्य के करों के भुगतान हेतु ऋण-30-निवेश/ऋण मद" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2113(1)/दस-2020, दिनांक-08 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहा हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-51/2020/1817(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कारपोरेशन का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 एवं 2 ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-14/2020/1353/आठ-3-20-25 विविध/2018
लखनऊ : दिनांक : 10 दिसम्बर, 2020

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष-2020-21 में उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण हेतु 42-अन्य मद व्यय-31-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) एवं 42-अन्य मद व्यय-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित बजट के पुर्नविनियोग हेतु क्रमशः शासनादेश संख्या-919/आठ-3-20-25 विविध/2018 टी0सी0 दिनांक 15.09.2020 एवं शासनादेश संख्या-919(2)/आठ-3-20-25 विविध/2018 टी0सी0 दिनांक 15.09.2020 के द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त शासनादेशों के प्रस्तर-2(7) की प्रथम पंक्ति में अंकित "प्राधिकरण" के स्थान पर "अधिकरण" तथा पृष्ठांकन के बिन्दु संख्या-2 में "मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ" के स्थान पर "मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ" पढ़ा जाय। उक्त शासनादेशों के शेष अंश/निर्देश यथावत रहेगें।

अजय कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-1353(1)/आठ-3-20-25 विविध/2018-तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्लखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) सदस्य (प्रशासनिक) उ0प्र0 भू-सम्पदा अपील अधिकरण, चतुर्थ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(2) महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 एवं 2
(7) आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
(8) अनुभाग अधिकारी (लेखा), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भू-सम्पदा अपील अधिकरण, चतुर्थ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-6/2020/ 86एनसीआर/आठ-2-20-05एनसीआर/17टीसी

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 15 दिसम्बर, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-02 के लेखाशीर्षक-4217 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-NCRTC/Fin./Fund/Delhi-Meerut/UP/54-A, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 तथा शासनादेश संख्या-02/2020/38एन.सी.आर./आठ-2-20-05एन.सी.आर/17टीसी, दिनांक 10 जुलाई, 2020 एवं शासनादेश संख्या-3/2020/2052/आठ-2-20-05एनसीआर/17टीसी, दिनांक 21.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करें। तदनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-02 "लेखाशीर्षक-4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" में प्राविधानित धनराशि रू0 900.00 करोड़ में अवशेष रू0 700.00 करोड के सापेक्ष रू0 250.00 करोड़ (रू0 दो सौ पचास करोड़ मात्र) आहरित कर प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप समयान्तर्गत सम्पादित कराये जायं ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी एन0सी0आर0टी0सी0 की होगी। प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हों।

(2) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा समस्त कार्य परियोजना की डी.पी.आर., डी.पी.आर. परिशिष्ट, इसकी संशोधित योजना, जिसका अनुमोदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया है की शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी०एल०ए०/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) एन०सी०आर०टी०सी० यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2021 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) एन०सी०आर०टी०सी० द्वारा परियोजना की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं सभी सम्बन्धित हितधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) परियोजना हेतु अवशेष किश्त/धनराशि की मांग करते समय निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा बी०एम०-15 प्रपत्र पर मांग कार्ययोजना के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) स्वीकृति धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2311/दस-2020, दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 6 /2020 /86एनसीआर/आठ-2-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, वाह्य सहायतित परियोजना, ऊर्जा, परिवहन, नगर विकास, गृह, वित्त, औद्योगिक विकास, राजस्व, सिंचाई तथा नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
12. आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
13. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद।
14. प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0।
15. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
16. नगर आयुक्त, मेरठ/गाजियाबाद।
17. उपाध्यक्ष, मेरठ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
18. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. समूह महाप्रबंधक, (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश की प्रति सभी सम्बन्धित को ई-मेल/फैक्स/डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:53/2020/1272/आठ-1-20-31विविध/2009

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान,
विपिन खण्ड, गोमतीनगर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

विषयः- अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (गैर वेतन) के लिए द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति 2020-21 के संबंध में ।

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्या-01/शा0अनुदान/2020-21/75, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-37/2020/803/आठ-1-20-31विविध/2009, दिनांक 22.07.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (गैर वेतन) मद हेतु रूपये 1,70,00,000/- (रूपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष 04 समान किश्तों में से द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 42,50,000/- (रूपये बयालीस लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि कोषागार से कार्यात्मक आवश्यकतानुसार आहरित करके आहरण की वाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि को कोषागार से आहरण हेतु संस्थान के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित बिल को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए शासन में उपलब्ध कराये जाने पर शासन स्तर पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में निर्गत धनराशि रूपये 42,50000/- का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी शासनादेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा मदवार व्यय का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) अनुदान के सदुपयोग हेतु संस्थान की गवर्निंग कौंसिल उत्तरदायी होगी तथा संस्थान के लेखों का आडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से कराया जायेगा।

(8) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(9) उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय संस्थान के नवीन निमार्णाधीन भवन के फर्नीशिंग इत्यादि कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

(11) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिये गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन, कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित करने, स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, पी०एल०ए०, डिपाजिट खाते में न रखने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना आदि निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत/अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा। नियमानुसार ही धनराशि का व्यय करने का पूर्ण दायित्व अध्यक्ष एवं निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, उ०प्र० का होगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-06-अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उ०प्र०-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत निम्नवत् प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा :-

(धनराशि लाख रूपये में)

20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 42.50

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2234/दस-2020, दिनांक- 22 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहा हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :53/2020/1272(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज को अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज को अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।
3. प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ०प्र० शासन को उनकी विज्ञप्ति संख्या-1594/चार-2020, दिनांक 02.11.2020 के संदर्भ में।
3. निदेशक, आवास बन्धु को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन ।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
8. निदेशक, सांख्यिकीय एवं वित्तीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1 ।
11. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन ।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
13. गार्ड फाइल ।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्याः54/2020/1842/आठ-1-20-81बजट/2019

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2020

विषयः- गोरखपुर शहर में लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) द्वारा जंगल कौड़िया से मोहद्दीपुर तक फोरलेन निर्माण एवं विद्युत विभाग द्वारा लाईन शिफ्टिंग कार्य संबंधी परियोजना की द्वितीय किश्त वित्तीय स्वीकृति (2020-21) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के पत्रांक-1446/प0नि0पू0वि0वि0नि0लि0(वा0)/लेखा, दिनांक 26-11-2020 एवं शासनादेश संख्या-02/2020/1017/आठ-1-20-81बजट/2019, दिनांक 08.01.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर शहर में लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) द्वारा जंगल कौड़िया से मोहद्दीपुर तक फोरलेन निर्माण एवं विद्युत विभाग द्वारा लाईन शिफ्टिंग कार्य संबंधी परियोजना हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंश रू0 23.635 करोड़ के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 15 प्रतिशत धनराशि रू0 3.545/- करोड़ (रू0 तीन करोड़ चौवन लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपांजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी द्वारा संबंधित बैंक का एकाउन्ट नं0 एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक लखनऊ के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29.09.2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :54/2020/1842(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके अ0शा0 पत्र संख्या-1918/चौबीस-पी-1-2018, दिनांक 19 जुलाई, 2018 के क्रम में।
2. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
5. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6. उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
12. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
13. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

कार्मिक प्रबन्धन

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5

संख्या : 01/2020/01/आठ-5-20-04ई/2014

लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2020

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अवर अभियन्ता (सिविल) संवर्ग में दिनांक 22.10.1984 को आमेलित अवर अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची शासनादेश संख्या-1723/9-आ-5-96-228 डी.ए/86, दिनांक 19.04.1996 द्वारा प्रख्यापित की गयी थी।

2- उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में दिनांक 22.10.1984 के पश्चात नियमित रूप से कार्यरत/नियुक्त अवर अभियन्ता (सिविल) की शासनादेश संख्या-6069/आठ-5-07-14ई/2000, दिनांक 23.11.2007 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची में अवर अभियन्ताओं के नाम अंकित न होने/उपयुक्त वरिष्ठता क्रम में न होने के कारण मा0 न्यायालय में वाद/अवमाननावाद संस्थित किये जाने, कई बार संशोधन होने, विद्युत/यॉंत्रिक उप संवर्ग के सृजन होने के पश्चात अवर अभियन्ता (विद्युत/यॉंत्रिक) की पृथक वरिष्ठता सूची दिनांक 12.03.2008 प्रख्यापित होने के कारण उनके नाम इस सूची से हटाये जाने तथा उ0प्र0 विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर संघ द्वारा अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 23.11.2007 को निरस्त कर निर्विवादित ज्येष्ठता सूची बनाये जाने की मांग के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक विचारोंपरान्त यह पाया गया कि अन्तिम वरिष्ठता सूची (सिविल) दिनांक 23.11.2007 में कई विसंगतियाँ विद्यमान होने के कारण निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया। तदनुसार उक्त वरिष्ठता सूची दिनांक 23.11.2014 द्वारा निरस्त कर दिया गया। यह कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं के अनुक्रम में की गयी है।

3- उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अभियन्ताओं के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है। उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवानियमावली, 1985 (यथा संशोधित) के नियम-7 एवं 28 में ज्येष्ठता दिये जाने का प्राविधान निम्नवत है :-

7-(1) नियम-28 में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की जो अधिनियम की धारा-5 (क) की उपधारा-(2) के अधीन सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये जाये, ज्येष्ठता, सेवा की निरन्तर अवधि जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, नगर महापालिका, नगर पालिका या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में उसी प्रकार के पद पर की गयी सेवा भी है, के सिद्धान्त पर अवधारित की जायेगी।

7-(2) ऐसे व्यक्तियों की स्थिति में जिनकी सम्मान निरन्तर सेवा अवधि हो, अधिक आयु वाला व्यक्ति ज्येष्ठ होगा और यदि ऐसे व्यक्तियों की आयु समान हो तो उच्च वेतन आहरित करने वाला व्यक्ति ज्येष्ठ होगा।

28-(1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखें गये हों, अवधारित की जायेगी।

परन्तु यदि किसी एक चयन के सम्बनध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम-25 के उपनियम-3 के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

28-(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगीए जो यथा स्थिति आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो।

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर युक्ति-युक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में बिफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

28-(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी है।

28-(4) उपनियम-(1) में किसी बात के होते हुये भी सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की स्थिति में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से और प्रोन्नत व्यक्तियों की स्थिति में निरन्तर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के दिनांक से अवधारित की जायेगी और जब प्रोन्नत व्यक्ति के निरन्तर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के दिनांक और सीधी भर्ती वाले

व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक एक ही हो, तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति ज्येष्ठ माना जायेगा।

परन्तु जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जायें और स्रोत का अलग-अलग कोटा विहित हो, वहाँ उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम-17 के अनुसार संयुक्त सूची में ऐसी रीति से जिससे विहित प्रतिशत बना रहे उनके नाम रखकर अवधारित की जायेगी।

4. शासनादेश संख्या.1309/आठ-5-2014-4ई/14 दिनांक 19.06.2014 द्वारा उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुये आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

5. उक्त शासनादेश दिनांक 19.06.2014 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों का निस्तारण उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथा संशोधित) के नियम-(7) व (28) के प्राविधानों एवं निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर किया गया :-

(1) उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली,1985 यथा संशोधित नियम-7 व 28 के प्राविधानों के अनुसार निर्गत की जा रही है।

(2) यह अन्तिम ज्येष्ठता सूची पूर्व में प्रख्यापित अवर अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 19.04.1996 के नीचे पढ़ी जायेगी।

(3) रिट याचिका संख्या-39699/2001 मो0 बाकर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2014 के अनुपालन में सर्वश्री मो0 बाकर, अशोक कुमार, मो0 सुलेमान, आदर्श चन्द्र भटनागर को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.10.2015 द्वारा दिनांक 22.10.1984 से आमेलन के फलस्वरूप ज्येष्ठता सूची में नाम अंकित किया गया है।

(4) प्राधिकरण सेवा में आमेलित/समायोजित अवर अभियन्ताओं को आमेलन/समायोजन की तिथि से ज्येष्ठता सूची में रखा गया है।

(5) तदर्थ/अस्थायी रूप से नियुक्त ऐसे अवर अभियन्ता, जिनकी सेवाऐं एक साथ विनियमित की गयी है, उन्हें विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में ज्येष्ठता सूची में रखा गया है।

(6) दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं को विनियमितीकरण की तिथि से विनियमितीकरण आदेश के क्रम में ज्येष्ठता सूची में रखा गया है।

(7) सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अवर अभियन्ताओं का नाम लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरिष्ठता के अनुसार ज्येष्ठता सूची में रखा गया है।

(8) अभिलेखानुसार जो अवर अभियन्ता (सिविल) सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा जिनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हो चुकी है उनके नाम वरिष्ठता सूची से निकाल दिये गये है।

(9) दिनांक 22.10.1984 को उ0प्र0 विकास प्राधिकरण सेवायें केन्द्रीकृत होने के फलस्वरूप प्राधिकरणों द्वारा अवर अभियन्ताओं की बिना शासन के पूर्वानुमति के स्वस्तर से की गयी नियुक्तियॉं, प्रोन्नतियॉं, स्थायीकरण, संविलियन की कार्यवाही निष्प्रभावी माने जाने के कारण प्राधिकरणों द्वारा की गयी नियुक्ति तिथि के स्थान पर शासन द्वारा की गयी नियुक्ति तिथि अंकित कर दी गयी है।

(10) श्री नरेश कुमार सिसौदिया, अवर अभियन्ता के प्रकरण में अलग से विचार कर वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(11) उक्त वरिष्ठता सूची में दिनांक 19.06.2014 तक के अवर अभियन्ता(सिविल) के नाम ही सम्मिलित किये गये हैं।

क्र0	नाम	आपत्ति का बिन्दु	अपत्ति का निराकरण
1	सर्वश्री, 2	3	4
1.	ओम प्रकाश त्रिपाठी, योगेन्द्र प्रताप सिंह, कुंज बिहारी, उमेश कुमार श्रीवास्तव, मो0 इस्माइल खां, दिलीप कुमार गुप्ता, सुनील कुमार श्रीवास्तव, शीतल प्रसाद, अवधेश कुमार सिंह, दान सिंह मेहरा, मनोज गुप्ता, कृष्णानन्द जगूडी, मदन मोहन पाण्डेय, तेजदत्त सिंह, राम गोविन्द, जितेन्द्र कुमार वर्मा विनोद कुमार, सुधीर कुमार सिंह, सतीश चन्द्र, विनोद कुमार, शिशिर कान्त बाजपेई, धनन्जय सिंह, उदयवीर सिंह, कुलदीप, नरेन्द्र कुमार, अवध राज	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1985 के नियम-4 के उपनियम-5(क) (2) के अनुसार आमेलन मे प्रतिबन्ध होने के कारण सूची के 1 एवं 2 पर अंकित नाम नियमानुसार नहीं है। शासनादेश दिनांक 17.12.1984 में उल्लिखित अधिनियम, 1973 की धारा-41 के अन्तर्गत दिनांक 09.03.1983 के पश्चात् दिनांक 22.10.1984 से 30.07.1986 के मध्य शासन के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा की गयी नियुक्ति गलत है। अतः जिन अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति दिनांक 31.07.1986 से पूर्व अंकित है, उसे संशोधित कर दिनांक 31.07.1986 अंकित होनी चाहिए।	1. आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। श्री चन्द्रभान दीक्षित एवं श्री श्रीनिवास पाण्डेय का समायोजन/आमेलन शासनादेश संख्या-1654/11-4डीए/87, दिनांक 18.07.87 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया है। 2. सम्बन्धित अभियन्ताओं के नाम के सम्मुख शासन द्वारा की गयी तदर्थ नियुक्ति की तिथि अंकित कर दी गयी है। 3. विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में ही वरिष्ठता सूची में नाम अंकित किये गये है।

2.	आदर्श चन्द्र भटनागर, मो0 सुलेमान, मो0 बाकर, अशोक कुमार,	रिट याचिका सं0-39699/2001 में पारित आदेश के अनुपालन में नियुक्ति तिथि 22.07.1997 के स्थान पर प्रथम योगदान तिथि 22.10.1984 के पूर्व अंकित की जाये। दिनांक 22.10.1984 से पूर्व नियुक्ति मानते हुये पूर्व में निर्गत ज्येष्ठता सूची (वर्ष 1996) में मो0 बाकर का नाम क्रमांक-213 पर तथा श्री अशोक कुमार का नाम क्रमांक-214 पर, आदर्श चन्द्र भटनागर का नाम क्रमांक-215 पर तथा मो0 सुलेमान का नाम क्रमांक-214 पर अंकित किया जाये।	रिट याचिका सं0-39699/2001 मो0 बाकर व अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित दिनांक 02.04.2014 के अनुपालन में सर्वश्री आदर्श चन्द्र भटनागर, मो0 सुलेमान, मो0 बाकर, अशोक कुमार को उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम,1973 की धारा-5(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 22.10.1984 से प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में का0ज्ञा0 दिनांक 23.10.2015 द्वारा संमेलित किया गया है। अतः मांग स्वीकार करते हुए वरिष्ठता सूची में यथा स्थान नाम रख दिये गये हैं।
3.	एस0पी0 जायसवाल, पंकज कपूर, कृष्ण प्रकाश गुप्ता, राकेश सिंह, ललिता राम, मै0कायम अली रिजवी, जय नारायण पाण्डेय,	लखनऊ वि0प्रा0 में तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति दि0 31.12.84 को की गयी थी। उक्त नियुक्ति के आधार पर विभागीय मानते हुए पुनः शासन का आदेश दि0 31.07.86 द्वारा नियुक्ति प्रदान करते हुए लखनऊ वि0प्रा0 से अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया। उक्त नियुक्ति तिथि 31.12.84 के आधार पर वेतन व अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ भी दिया गया है। अतः नियुक्ति तिथि 31.12.84 मानते हुए ज्येष्ठता प्रदान की जाय।	प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा का गठन दिनांक 22.10.84 को होने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा की गयी नियुक्ति को आधार नहीं माना जा सकता है। शासनादेश दिनांक 17.12.84 में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम,1973 की धारा-41 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-1726/37-2-83, दिनांक 09.03.83 के पश्चात से बिना शासन के पूर्वानुमोदन शासकीय अधिसूचना दिनांक 22.10.84 में उल्लिखित पदों पर की गयी नियुक्तियां, प्रोन्नतियां, स्थायीकरण, संविलियन इत्यादि के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही अनियमित व निष्प्रभावी मानी जायगी। अतः मांग स्वीकार योग्य नहीं है।

4.	वीरेन्द्र नाथ सिंह, राजीव कुमार खुराना, जीउत बन्धन सिंह, अनिल कुमार गंगवार, मुकेश मिश्रा, अजित कुमार सिंह, कर्णधीर सिंह, कुलदीप कुमार असरानी, धनन्जय सिंह, कवलेश्वर प्रसाद, मोहन यादव, बलवन्त सिंह, शिव प्रताप सिंह, अरूण कुमार सिंह, राजेश्वर सिंह, कमलेश कुमार शुक्ल	कानपुर वि0प्रा0 में चयन समिति की संस्तुति के अनुसार अस्थायी नियुक्ति दि0 23.11.84 को की गयी थी। उक्त नियुक्ति के आधार पर विभागीय मानते हुए पुनः शासन के आदेश दिनांक 31.07.86 द्वारा नियुक्ति प्रदान करते हुए कानपुर वि0प्रा0 से अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया। उक्त नियुक्ति तिथि 23.11.84 के आधार पर वेतन व अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ भी दिया गया है। अतः नियुक्ति तिथि 23.11.84 मानते हुए ज्येष्ठता प्रदान की जाय। कानपुर वि0प्रा0 में तदर्थ/ अस्थायी नियुक्ति दि0 23.11.84 को की गयी थी। पुनः शासन के आदेश दि0 31.07.86 द्वारा नियुक्ति प्रदान करते हुए कानपुर वि0प्रा0 से अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया। अतः नियुक्ति तिथि 23.11.84 मानते हुए ज्येष्ठता प्रदान की जाय। इसी प्रकार इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में तत्कालीन उपाध्यक्ष के आदेश पर गठित समिति के माध्यम से दिनांक 01.03.1985 से 06.08.1986 तक दैनिक वेतन में कार्यरत अवर अभियन्ता द्वारा अपना नाम दिनांक 01.03.1985 से सूची में अंकित करने तथा शासन के साक्षात्कार के उपरान्त दिनांक 07.08.1986 को प्राधिकरण में कार्य करने की सेवा अवधि को जोड़ते हुये वरिष्ठता सूची में नाम अंकित करने का अनुरोध किया गया है।	प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा का गठन दिनांक 22.10.84 को होने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा की गयी नियुक्ति को आधार नहीं माना जा सकता है। शासनादेश दिनांक 17.12.84 में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-1726/37-2-83, दिनांक 09.03.83 के पश्चात से बिना शासन के पूर्वानुमोदन शासकीय अधिसूचना दिनांक 22.10.84 में उल्लिखित पदों पर की गयी नियुक्तिया, प्रोन्नतिया, स्थायीकरण, संविलियन इत्यादि के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही अनियमित व निष्प्रभावी मानी जायगी। अतः मांग स्वीकार योग्य नहीं है।
5.	अशोक कुमार सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र पाल सिंह, रमेश चन्द्र, घनश्याम वर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता, नरेश चन्द्र, बजरंग कुमार गर्ग पुत्र स्व0 मूलचन्द्र गर्ग, राकेश कुमार, राजेन्द्र कुमार	नियुक्ति/विनियमितीकरण तिथि में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।	मांग स्वीकार्य योग्य है। त्रुटिपूर्ण तिथि को सही करते हुए ज्येष्ठता सूची में अंकित कर दिया गया है।
6.	सुनील दत्त तिवारी, राजीव मिश्रा, सुनीत कुमार दीक्षित, जगजीवन सिंह देवड़ी, फूल बदन यादव, अजय कुमार सिंह, मुकेश कुमार, अमित तोमर, महादेव शरण, राजेश कुमार शर्मा,	नाम में त्रुटि व जन्मतिथि में त्रुटि को सही किये जाने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोधानुसार उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर नाम व जन्मतिथि को सही कर दिया गया है।

	सत्य प्रकाश चौधरी, योगेश कुमार वर्मा, शशि भूषण मिश्रा, भरत कुमार पाण्डेय, लक्ष्मण सिंह, अब्दुल कदीर खां,		
7.	दूधनाथ, बगेदन राम, मलखान सिंह, सुबोध कुमार सिन्हा, अरविन्द कुमार पाण्डेय, भवनाथ सिंह, संजय गौत्तम, विजेन्द्र सिंह, अनिरूद्ध यादव, पारस सिंह यादव, के0पी0 सिंह, राजीव कोहली, अवनीश मित्तल, हीरालाल गुप्ता, प्रमोद कुमार वर्मा, विष्णु सिंह जारिया, सन्तोष कुमार सिंह, बाबू राम	शासन द्वारा जारी की गयी सूची में क्रमशः सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं सबसे अन्त में प्राधिकरणों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को रखा गया है तथा इसे ही वरिष्ठता सूची माना गया है, जो गलत है। नियुक्ति पत्र/नियुक्ति तिथि के आधार पर ज्येष्ठता सूची में नाम अंकित किये जाने की मांग की गयी है।	तदर्थ/अस्थायी रूप से नियुक्त अवर अभियन्ता को, जिन्हें वर्ष 1997 में विनियमित किया गया है, को उनकी तदर्थ/ अस्थायी नियुक्ति की तिथि के आधार पर ज्येष्ठता सूची में रखा गया है। विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में ही वरिष्ठता सूची में नाम अंकित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठता निर्धारित किये जाने का कोई आधार अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। अतः आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।
8.	वेद प्रकाश सिंह,	1. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में दिनांक 04.12.1985 को नियुक्ति के आधार पर ज्येष्ठता की मांग की गयी है। 2. वर्ष 1996 में निर्गत अवर अभियन्ता की ज्येष्ठता में रोस्टर लागू करने की मांग की गयी है।	1. प्रत्यावेदन के साथ मुरादाबाद में नियुक्ति का प्रमाण संलग्न न होने के कारण मांग स्वीकार्य योग्य नहीं है। 2. दिनांक 22.10.1984 के पूर्व आमेलित अवर अभियन्ताओं की वर्ष 1996 में अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की गयी है। अतः उक्त सूची में परिवर्तन किये जाने का औचित्य नहीं है। मांग अस्वीकार्य है।
9.	अनिल कुमार	आई0ई0आर0टी0 इलाहाबाद में असिटेन्ट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग के पद पर की गयी सेवा को जोड़कर ज्येष्ठता प्रदान की जाये। जैसाकि अन्य अभियन्ताओं को अन्य विभागों में सेवा करने पर ज्येष्ठता प्रदान की गयी है।	उ0प्र0विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली में आई0ई0आर0टी0 इलाहाबाद में की गयी सेवा जोड़ने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः मांग स्वीकार्य नहीं है।
10.	अजय कुमार वर्मा	कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 04.07.1997 के अनुसार विकलांग कोटे का आरक्षण देते हुये दिनांक 31.07.1986 को नियुक्त अवर अभियन्ताओं की सूची में मेरा नाम क्रमांक-01 पर होना चाहिए।	शासनादेश दिनांक 04.07.1997 पदोन्नति द्वारा भरे गये पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित है। श्री वर्मा की अवर अभियन्ता के पद पर

			नियुक्ति सीधी भर्ती के अन्तर्गत की गयी है। अतः उक्त शासनादेश के अनुसार ज्येष्ठता प्रदान करने की मांग स्वीकार्य योग्य नहीं है।
11.	नित्यानन्द शर्मा, भरत सिंह, अशोक कुमार शर्मा, संजय मिश्रा, संजय कुमार, हसन रजा, भवान सिंह बिष्ट, अनुराग नागर,	दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर की गयी सेवा को जोड़कर ज्येष्ठता प्रदान की जाय।	दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर की गयी सेवा को जोड़कर ज्येष्ठता दिये जाने का कोई प्राविधान नियमों में नहीं है। अतः मांग अस्वीकार्य है।
12.	कृष्ण पाल सिंह,	दिनांक 24.02.1987 को नियुक्त अवर अभियन्ताओं को सामान्य/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के क्रम में रखा जाना उचित नहीं हैए बल्कि नियुक्ति की मेरिट लिस्ट/शैक्षिक योग्यता के अनुसार ही ज्येष्ठता निर्धारित की जाये।	दिनांक 24.02.1987 को नियुक्त अवर अभियन्ताओं की सूची को अब मेरिट लिस्ट/शैक्षिक योग्यता के अनुसार परिवर्तित किये जाने का औचित्य नहीं है।
13.	शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल	विनियमितकरण की तिथि 23.11.2002 को संशोधित करते हुए दिनांक 22.01.1997 से विनियमित मानते हुए ज्येष्ठता प्रदान करने की माँग की गयी है।	मांग स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि पूर्व तिथि से विनियमित किये जाने का नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है।
14.	रमन कुमार, देवेन्द्र नाथ शुक्ला,	ज्येष्ठता सूची में नाम ऊपर अंकित किये जाने के सम्बन्ध में माँग की गयी है।	विनियमितीकरण के आधार पर ज्येष्ठता सूची में नाम यथा स्थान अंकित कर दिया गया है।
15.	उदय नारायण पाण्डेय	नियुक्ति तिथि 23.11.1984 अंकित की जाय तथा नियुक्ति तिथि के आधार पर ज्येष्ठता प्रदान की जाय।	श्री पाण्डेय की मांग स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि श्री पाण्डेय का विनियमितीकरण दिनांक 16.07.2013 को किया गया है। तद्नुसार उन्हें ज्येष्ठता सूची में रखा गया है।
16.	बृजेश बहादुर सिंह	मौलिक नियुक्ति तिथि 24.02.1987 तथा जन्मतिथि 10.07.1957 अंकित की जाय तथा उक्त आधार पर उन्हें ज्येष्ठता प्रदान करते हुए उनका नाम क्रमांक-174 पर अंकित किया जाय।	श्री सिंह की मांग स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि श्री सिंह का विनियमितीकरण दिनांक 16.07.2013 को किया गया है।
17.	महेन्द्र कुमार	अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 19.06.2014 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठता दिये जाने का अनुरोध किया गया है।	श्री महेन्द्र कुमार का विनियमितीकरण कदाचित जांच की वजह से अभी नहीं हुआ है। विनियमितीकरण के पश्चात श्री कुमार को वरिष्ठता दिये जाने पर विचार किया जावेगा।

18.	कुलदीप	1- जन्म तिथि 19.04.62 अंकित है जबकि नियुक्ति पत्र एवं सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि 01.07.1964 है। 2- नियुक्ति तिथि 23.11.1984 अंकित है जबकि सेवा पुस्तिका के आधार पर नियुक्ति तिथि 01.07.1986 है।	अनुरोधानुसार उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर नाम व जन्मतिथि को सही कर दिया गया है।
19.	योगेश कुमार वर्मा	योगेश कुमार वर्मा के स्थान पर योगेन्द्र कुमार वर्मा अंकित हो गया है।	अनुरोधानुसार उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर नाम सही कर दिया गया है।
20.	श्रीराम सिंह	नियुक्ति तिथि 11.08.86 अंकित है जबकि दिनांक 31.07.1986 होनी चाहिए।	अनुरोधानुसार उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति तिथि को सही कर दिया गया है।
21.	देशपाल सिंह	देशपाल सिंह के स्थान पर देश राज सिंह अंकित हो गया है।	अनुरोधानुसार उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर नाम को सही कर दिया गया है।
22.	मुकेश कुमार पुत्र श्री मदन पाल सिंह	नाम अंकित किये जाने का अनुरोध।	अनुरोधानुसार उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर नाम अंकित कर दिया गया है।
23.	मुकेश कुमार सक्सेना	1- नाम-मुकेश अंकित है। मुकेश कुमार सक्सेना किया जाने का अनुरोध। 2- जन्म तिथि 18.06.1969 अंकित है। संशोधित कर 08.06.1969 किये जाने का अनुरोध।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम व जन्मतिथि संशोधित कर दिया गया है।
24.	राजेन्द्र प्रसाद यादव	नाम-राजेन्द्र प्रताप यादव अंकित है। संशोधित कर राजेन्द्र प्रसाद यादव किये जाने का अनुरोध।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम संशोधित कर दिया गया है।
25.	अभय कुमार श्रीवास्तव	नाम अंकित किये जाने का अनुरोध।	आपत्ति स्वीकार करते हुये उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम सम्मिलित कर दिया गया है।
26.	प्रदीप कुमार गुप्ता	नाम अंकित किये जाने का अनुरोध।	आपत्ति स्वीकार करते हुये उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम सम्मिलित कर दिया गया है।
27.	श्रीरज सिंह यादव	नाम अंकित किये जाने का अनुरोध।	आपत्ति स्वीकार करते हुये उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम सम्मिलित कर दिया गया है।
28.	सत्यवीर सिंह	नाम अंकित किये जाने का अनुरोध।	आपत्ति स्वीकार करते हुये उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम सम्मिलित कर दिया गया है।

29.	मनोज कुमार सिंह	नाम अंकित किये जाने का अनुरोध।	अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 19.06.2014 को प्रकाशित हुई है। अतः उक्त नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रकरण में अलग से विचार कर कार्यवाही की जायेगी।
30.	सुशील कुमार सिंह	नाम अंकित किये जाने का अनुरोध। दिनांक 08.02.1985 से ज्येष्ठता दिये जाने का अनुरोध किया गया है।	अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 19.06.2014 को प्रकाशित हुई है। अतः उक्त नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रकरण में अलग से विचार कर कार्यवाही की जायेगी।
31.	अमर सहाय	नाम अंकित किये जाने का अनुरोध।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम अंकित कर दिया गया है।
32.	जितेन्द्र मोहन सिंह	नाम अंकित किये जाने का अनुरोध।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम अंकित कर दिया गया है।
33.	सुनील कुमार शर्मा	नाम अंकित किये जाने का अनुरोध।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम अंकित कर दिया गया है।
34.	अवध राज	अनन्तिम वरिष्ठता सूची में जन्मतिथि 03.02.1962 अंकित है, जिसके स्थान पर 02.03.1962 होना चाहिए।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जन्मतिथि संशोधित कर दिया गया है।
35.	राकेश कुमार सिंह	नाम अंकित किये जाने का अनुरोध।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम अंकित कर दिया गया है।
36.	श्याम मोहन शुक्ला	श्री श्याम मोहन श्रीवास्तव अंकित है। श्री श्याम मोहन शुक्ला अंकित किये जाने का अनुरोध।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम संशोधित कर दिया गया है।
37.	सुनीत कुमार दीक्षित	1- श्री सुनील कुमार दीक्षित अंकित है। श्री सुनीत कुमार दीक्षित अंकित किये जाने का अनुरोध। 2- जन्मतिथि 03.06.1964 अंकित है। जन्मतिथि 30.06.1964 किये जाने का अनुरोध।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम व जन्मतिथि संशोधित कर दिया गया है।
38.	ओम सिंह तोमर	जन्मतिथि 01.06.1964 अंकित है। जन्मतिथि 01.06.1961 किये जाने का अनुरोध।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जन्मतिथि संशोधित कर दिया गया है।
39.	राजीव कुमार त्यागी	जन्मतिथि 08.06.1968 अंकित है। जन्मतिथि 08.09.1968 किये जाने का अनुरोध।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जन्मतिथि संशोधित कर दिया गया है।

40.	हितेश कुमार शर्मा	श्री हितेश कुमार शर्मा अंकित है। श्री हितेश कुमार गुप्ता किये जाने का अनुरोध।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम संशोधित कर दिया गया है।
41.	विनय कुमार गर्ग	जन्मतिथि 03.05.1990 अंकित है। जन्मतिथि 30.05.1990 किये जाने का अनुरोध।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जन्मतिथि संशोधित कर दिया गया है।
42.	शैलेन्द्र सिंह	दिनांक 31.07.1986 से अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत होने तथा गोपनीय प्रविष्टियों के अनुपलब्ध होने के कारण विनियमितीकरण दि0 22.01.1997 को न करके दि0 23.11.2002 को किया गया है। अतः अपनी वरिष्ठता क्रमांक-265 के स्थान पर श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव की वरिष्ठता क्रमांक-70 के नीचे क्रमांक-71 पर अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। विनियमितीकरण की तिथि से वरिष्ठता सूची में क्रमांकित किया गया है।
43.	अरविन्द कुमार उपाध्याय	जन्मतिथि 07.04.1967 है के स्थान पर 04.07.1967 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जन्मतिथि संशोधित कर दिया गया है।
44.	अरविन्द कुमार उपाध्याय, जर्नादन सिंह, मदन मोहन सती, विमल कुमार श्रीवास्तव, जितेन्द्र नाथ दूबे, रवीन्द्र प्रकाश, कैलाश सिंह	वरिष्ठता सूची में पृष्ठ 11 से 16 तक अंकित नियुक्ति तिथि वरिष्ठता के क्रम में नहीं है।	आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में विनियमितीकरण की तिथि से वरिष्ठता सूची में नाम अंकित किये गये है।
45.	संतोष कुमार सिंह	1- क्रमांक-3 पर अंकित राजेन्द्र कुमार गुप्ता, 08.08.1986 को मेरे साथ ही नियुक्त हुये। 2- वरिष्ठता सूची दिनांक 19.06.2014 के प्रस्तर-3 (2) के अनुसार दैनिक वेतन वर्कचार्ज संविदा पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं को विनियमितीकरण तिथि से ज्येष्ठता प्रदान करते हुये सूची में निर्धारण किया गया है। जबकि प्रख्यापित सूची के क्रमांक-389 से 996 तक दिनांक 14.10.2004 को विनियमित नियुक्त अवर अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित जयेष्ठता हेतु कोई नियम/ सिद्धान्त प्रख्यापित नहीं है। 3- सूची क्रमांक-167 से 278 पर अंकित अवर अभियन्ता मूलतः 22.07.1987 से 24.02.1997 तक नियुक्त किये गये है जिनको वर्ष-1988, 1989 व 1990 में नियुक्त अवर अभियन्ताओं के ऊपर अंकित किया गया हैए जो त्रुटिपूर्ण है। 4- क्रमांक-229, 419, 425, 426, 427, 477 पर अंकित अवर अभियन्ताओं की जन्मतिथि अंकित नहीं है, जो वरिष्ठता निर्धारित हेतु अंकित है।	आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में विनियमितीकरण की तिथि से वरिष्ठता सूंची में नाम अंकित किये गये है। क्रमांक-167, 168, 169, 171 पर क्रमशः अंकित सर्वश्री आदर्श चन्द्र भटनागर, मो0 सुलेमान, मो0 बाकर तथा अशोक कुमार को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 22.10.1984 से आमेलित मानते हुये वरिष्ठता सूंची में स्थान दिया गया है। सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं की जन्मतिथि अभिलेखानुसार अंकित कर दी गयी है।

46.	रमेश चन्द्र वर्मा	1- सूची क्रमांक-504, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 549, 570, 571, 572, 573 पर अंकित अवर अभियन्ता वर्ष-1991 ने मूल नियुक्त प्राप्त है जिनको वर्ष-1988, 1989 व 1990 में नियुक्त अवर अभियन्ताओं के ऊपर अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। 2- क्रमांक-229, 419, 425, 426, 427, 477 पर अंकित अवर अभियन्ताओं की जन्मतिथि अंकित नहीं है, जो वरिष्ठता निर्धारित हेतु अनिवार्य है।	आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में विनियमितीकरण की तिथि से वरिष्ठता सूची में नाम अंकित किये गये है। सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं की जन्मतिथि अभिलेखानुसार अंकित कर दी गयी है।
47.	नवीन सक्सेना	वरिष्ठता सूची में विनियमितीकरण तिथि समान होने पर नियुक्ति तिथि के अनुसार पूर्व में नियुक्त अवर अभियन्ताओं को सूची में पहले स्थान दिया जाय। नियुक्ति तिथि के अनुसार वरिष्ठता सूची में क्रमांक-10 होना चाहिये।	प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा का गठन दिनांक 22.10.84 को होने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा की गयी नियुक्ति को आधार नहीं माना जा सकता है। शासनादेश दिनांक 17.12.84 में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम,1973 की धारा-41 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-1726/37-2-83, दिनांक 09.03.83 के पश्चात से बिना शासन के पूर्वानुमोदन शासकीय अधिसूचना दिनांक 22.10.84 में उल्लिखित पदों पर की गयी नियुक्तिया, प्रोन्नतिया, स्थायीकरण, संविलियन इत्यादि के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही अनियमित व निष्प्रभावी मानी जायगी। अतः मांग स्वीकार योग्य नहीं है।
48.	कदीर अहमद अंसारी	कबीर अहमद अंसारी अंकित है। कदीर अहमद अंसारी होना चाहिये।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम संशोधित कर दिया गया है।
49.	सन्त प्रसाद जायसवाल	नियुक्ति तिथि 07.08.1986 अंकित है जबकि तिथि 28.12.1984 अंकित होना चाहिये।	उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर शासन द्वारा की गयी तदर्थ नियुक्ति तिथि अंकित की गयी है। आपत्ति अस्वीकार्य है।
50.	धनपाल सिंह कठेरिया	1- जन्मतिथि 01.05.1969 अंकित है जबकि तिथि 01.05.1959 होना चाहिये। 2- प्रार्थी अनुसूचित जाति से है।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जन्मतिथि संशोधित कर दिया गया है।

51.	योगेन्द्र प्रताप सिंह	विनियमितीकरण आदेश दिनांक 22.01.1997 में योगेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर योगेन्द्र सिंह अंकित है।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नाम संशोधित कर दिया गया है।
52.	नरेश कुमार सिसौदिया	नियुक्ति तिथि 26.11.1984 है। उक्त के आधार पर वरिष्ठता सूची में नाम अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	प्रकरण में अलग से विचार कर वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।
53.	अशोक कुमार शर्मा	नियुक्ति तिथि 24.02.1987 के स्थान पर 01.07.1985 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर शासन द्वारा की गयी नियुक्ति तिथि अंकित की गयी है। आपत्ति अस्वीकार्य है।
54.	मनुज कुमार गुप्ता	जन्मतिथि 08.07.1964 अंकित है। दिनांक 15.07.1964 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जन्मतिथि संशोधित कर दिया गया है।
55.	नित्यानन्द शर्मा	वरिष्ठता नियुक्ति के दिनांक से दिये जाने का अनुरोध किया गया है। विनियमितीकरण की तिथि से दिया गया है।	आपत्ति स्वीकार्य योग्य नहीं है विनियमितीकरण की तिथि से ही वरिष्ठता निर्धारित की गयी हैए जो नियमानुसार है।
56.	मुकेश कुमार	जन्मतिथि 01.05.1966 के स्थान पर 01.03.1962 तथा नियुक्ति तिथि 04.09.1989 के स्थान पर 24.02.1987 किये जाने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोधानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जन्मतिथि व नियुक्ति तिथि संशोधित कर दिया गया है।
57.	राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री सोनेलाल	प्रार्थी को दिनांक 23.11.2007 द्वारा प्रख्यापित अवर अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची में दी गयीं आपत्ति के आधार पर क्रमांक-40 एवं 41 के मध्य वरिष्ठता संशोधित की गयी थी। उक्त संशोधन का संज्ञान अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 19.06.14 में नहीं लिया गया। वर्ष 1986 बैच में नियुक्त अवर अभियन्ताओं में से कुछ अवर अभियन्ताओं को पूर्व की सेवाओं को आमेलित करते हुये व्यवस्थित किया गया। जबकि मेरे द्वारा दिनांक 07.05.1985 से नवम्बर, 1985 तक वर्कचार्ज एवं 07.03.1986 से 08.08.1986 तक समाज कल्याण निर्माण निगम में की गयी सेवाओं को जोड़ते हुये वरिष्ठता प्रदान नहीं की गयी है।	प्रार्थी की आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज/संविदा पर की सेवायें वरिष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े जाने का कोई प्राविधान नियमों में नहीं है। विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में विनियमितीकरण की तिथि से नियमानुसार वरिष्ठता निर्धारित की गयी है।
58.	अनिल कुमार सिंह	प्रार्थी की नियुक्त तिथि 01.10.1990 है जो वरिष्ठता सूची में क्रमांक-568 पर स्थित है जबकि दिनांक 01.10.1990 के पश्चात नियुक्त अवर अभियन्ता वरिष्ठता सूची में प्रार्थी से ऊपर क्रमांक-525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 548 एवं 549 पर स्थित है जिन्हें प्रार्थी से नीचे होना चाहिए।	प्रार्थी की आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में विनियमितीकरण की तिथि से नियमानुसार वरिष्ठता निर्धारित की गयी है।

59.	रवि शंकर राय	पूर्व में जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 23.11.2007 में प्रार्थी का नाम क्रमांक-508 पर अंकित है जबकि वर्तमान अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 19.06.2014 में प्रार्थी क्रमांक-596 पर है जो गलत है। प्रार्थी का क्रमांक-508 अंकित किया जाय।	प्रार्थी की आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। नियमानुसार प्रार्थी की वरिष्ठता निर्धारित की गयी है।
60.	रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 19.06.2014 में प्रार्थी क्रमांक-238 पर स्थित है परन्तु उसके नाम के सम्मुख दिव्यांग दर्ज नहीं है।	आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। आपत्ति की पुष्टि हेतु प्रार्थी द्वारा कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है।
61.	घनश्याम वर्मा	प्रार्थी द्वारा अपने नाम के सम्मुख अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करने तथा क्रमांक-38 पर क्रमांकित करने का अनुरोध किया गया है।	प्रार्थी की आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रार्थी के नाम के सम्मुख अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित कर दिया गया है। विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में विनियमितीकरण की तिथि से नियमानुसार प्रार्थी की वरिष्ठता निर्धारित की गयी है। अतः क्रमांक-38 पर क्रमांकित करने की आपत्ति अस्वीकार्य है।

6- उपर्युक्त सिद्धान्तों एवं उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथा संशोधित) के नियम-(7) व (28) के प्राविधानों के दृष्टिगत अवर अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 19.06.2014 के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के निस्तारणोपरान्त एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अवर अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निम्नवत प्रख्यापित की जा रही है :-

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	आदर्श चन्द्र भटनागर	03.07.60	आमेलन	22.10.84
2.	मो0 सुलेमान	31.07.61	आमेलन	22.10.84
3	मो0 बाकर	07.05.62	आमेलन	22.10.84
4.	अशोक कुमार	20.01.63	आमेलन	22.10.84
5.	चन्द्रभान दीक्षित	25.07.63	समायोजन	28.05.94
6.	राजेन्द्र कुमार गुप्ता	10.10.65	31.07.86	22.01.97
7.	ओम प्रकाश त्रिपाठी	06.10.64	31.07.86	22.01.97
8.	अशोक कुमार सिंह, पुत्र श्री जय मूरत सिंह	21.02.65	31.07.86	22.01.97
9.	तुषार कान्त जैन	03.04.64	31.07.86	22.01.97
10.	रवि खरे	30.07.62	31.07.86	22.01.97

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
11.	योगेन्द्र प्रताप सिंह	01.01.64	31.07.86	22.01.97
12.	अरूण कुमार तायल	15.12.64	31.07.86	22.01.97
13.	सन्त प्रसाद जायसवाल	01.03.64	31.07.86	22.01.97
14.	राजीव कुमार शर्मा	03.02.61	31.07.86	22.01.97
15.	विजय पाल सिंह	30.10.62	31.07.86	22.01.97
16.	देवेन्द्र कुमार शुक्ला	01.07.61	31.07.86	22.01.97
17.	सतीश कुमार शर्मा	01.02.64	31.07.86	22.01.97
18.	सुनील दत्त तिवारी	30.09.64	31.07.86	22.01.97
19.	कुंज बिहारी	30.07.64	31.07.86	22.01.97
20.	उमेश कुमार श्रीवास्तव	15.05.63	31.07.86	22.01.97
21.	पंकज कपूर	12.01.63	31.07.86	22.01.97
22.	मो0 इस्माइल खां	12.07.61	31.07.86	22.01.97
23.	सत्येन्द्र कुमार गुप्ता	30.11.61	31.07.86	22.01.97
24.	राजीव मिश्रा	22.06.61	31.07.86	22.01.97
25.	प्रमोद कुमार गुप्ता	05.03.65	31.07.86	22.01.97
26.	विपिन कुमार त्रिपाठी	10.06.64	31.07.86	22.01.97
27.	राजपाल सिंह सिसौदिया	14.08.64	31.07.86	22.01.97
28.	रवीन्द्र शुक्ला	10.09.61	31.07.86	22.01.97
29.	संजय मेहरोत्रा	22.12.64	31.07.86	22.01.97
30.	देवेन्द्र कुमार शर्मा	08.10.64	31.07.86	22.01.97
31.	मांगे राम (पि0व0)	09.07.62	31.07.86	22.01.97
32.	आशा राम सिंह	23.12.63	31.07.86	22.01.97
33.	दिलीप कुमार गुप्ता	20.09.62	31.07.86	22.01.97
34.	राकेश कुमार शाही	16.03.63	31.07.86	22.01.97
35.	श्रीराम सिंह	15.05.61	31.07.86	22.01.97
36.	सुनील कुमार श्रीवास्तव	01.07.63	31.07.86	22.01.97
37.	शीतल प्रसाद	04.02.64	31.07.86	22.01.97
38.	अवधेश कुमार सिंह	01.01.64	31.07.86	22.01.97
39.	विनोद कुमार पाण्डेय	01.07.62	31.07.86	22.01.97
40.	राकेश कुमार जैन	11.07.63	31.07.86	22.01.97
41.	उपेन्द्र गौड़	22.06.60	31.07.86	22.01.97
42.	सुनीत कुमार दीक्षित	30.06.64	31.07.86	22.01.97
43.	जगजीवन सिंह देवड़ी	15.06.64	31.07.86	22.01.97
44.	कृष्ण प्रकाश गुप्ता	16.03.65	31.07.86	22.01.97
45.	किशन चन्द्र	09.07.60	31.07.86	22.01.97
46.	मनोज कुमार जोशी	17.06.65	31.07.86	22.01.97
47.	प्रशान्त कुमार तिवारी	01.07.64	31.07.86	22.01.97
48.	राजेन्द्र नाथ चौबे	01.09.63	31.07.86	22.01.97
49.	वीरेन्द्र नाथ सिंह	01.03.64	31.07.86	22.01.97
50.	कृष्ण कुमार सरावगी	29.06.63	31.07.86	22.01.97
51.	राकेश	12.04.62	31.07.86	22.01.97
52.	राजेश कुमार शर्मा	19.04.64	31.07.86	22.01.97
53.	देवेश राम (पि0व0)	28.04.65	31.07.86	22.01.97
54.	जानकी शरण मिश्र	07.02.64	31.07.86	22.01.97
55.	दान सिंह मेहरा	10.12.64	31.07.86	22.01.97
56.	विनोद कुमार मित्तल	04.11.61	31.07.86	22.01.97

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
57.	राम गोपाल गर्ग	01.07.62	31.07.86	22.01.97
58.	प्रदीप कुमार सिंह	22.07.64	31.07.86	22.01.97
59.	सै० हैदर अब्बास	29.02.64	31.07.86	22.01.97
60.	मनुज कुमार गुप्ता	15.07.64	31.07.86	22.01.97
61.	मुनीश शर्मा	18.06.62	31.07.86	22.01.97
62.	कृष्णानन्द जगूडी	08.03.65	31.07.86	22.01.97
63.	मदन मोहन पाण्डेय	15.06.64	31.07.86	22.01.97
64.	तेजदत्त सिंह	11.02.64	31.07.86	22.01.97
65.	राम गोविन्द	15.03.64	31.07.86	22.01.97
66.	जितेन्द्र कुमार वर्मा	16.09.61	31.07.86	22.01.97
67.	अनिल कुमार जौहरी	25.01.63	31.07.86	22.01.97
68.	रमेश चन्द श्रीवास्तव	23.12.62	31.07.86	22.01.97
69.	गणेश चन्द्र जोशी	01.12.63	31.07.86	22.01.97
70.	अनिल कुमार जैन	15.05.62	31.07.86	22.01.97
71.	प्रवीण कुमार मित्तल	01.09.61	31.07.86	22.01.97
72.	विनोद कुमार पुत्र श्री सुखपाल सिंह (अ0जा0)	02.01.65	31.07.86	22.01.97
73.	सूरज पाल (अ0जा0)	15.06.62	31.07.86	22.01.97
74.	आनन्द राम (अ0जा0)	30.10.65	31.07.86	22.01.97
75.	रामानन्द (अ0जा0)	03.03.63	31.07.86	22.01.97
76.	महेश कुमार गौतम (अ0जा0)	20.07.61	31.07.86	22.01.97
77.	योगेन्द्र (अ0जा0)	15.12.60	31.07.86	22.01.97
78.	दूधनाथ (अ0जा0)	30.06.63	31.07.86	22.01.97
79.	बगेदन राम (अ0जा0)	04.08.64	31.07.86	22.01.97
80.	देवेन्द्र कुमार (अ0जा0)	06.07.62	31.07.86	22.01.97
81.	अनिल कुमार कछाड़े (अ0जा0)	01.05.64	31.07.86	22.01.97
82.	बलवीर सिंह (अ0जा0)	20.04.64	31.07.86	22.01.97
83.	मलखान सिंह (अ0जा0)	14.07.62	31.07.86	22.01.97
84.	गौरी शंकर (अ0जा0)	20.08.61	31.07.86	22.01.97
85.	अजय कुमार अहिरवार (अ0जा0)	18.08.62	31.07.86	22.01.97
86.	संजीव कुमार (अ0जा0)	15.12.65	31.07.86	22.01.97
87.	वेद प्रकाश (अ0जा0)	20.07.64	31.07.86	22.01.97
88.	कबीर अहमद अंसारी (पि0व0)	01.06.64	31.07.86	22.01.97
89.	दीनदयाल (पि0व0)	03.12.63	31.07.86	22.01.97
90.	राकेश सिंह (पि0वर्ग)	20.06.64	31.07.86	22.01.97
91.	अनिल कुमार (पि0व0)	12.07.62	31.07.86	22.01.97
92.	सुधीर कुमार सिंह (पि0व0)	07.05.65	31.07.86	22.01.97
93.	रमेश चन्द (पि0व0)	20.08.62	31.07.86	22.01.97
94.	फूल बदन यादव (पि0व0)	10.11.63	31.07.86	22.01.97
95.	राम सिंह यादव (पि0व0)	10.08.62	31.07.86	22.01.97
96.	सुनील कुमार सैनी (पि0व0)	20.04.63	31.07.86	22.01.97
97.	सतीश चन्द (पि0व0)	01.01.65	31.07.86	22.01.97
98.	घनश्याम वर्मा (पि0व0)	08.08.63	31.07.86	22.01.97
99.	प्रदीप कुमार गुप्ता (पि0व0)	01.07.62	31.07.86	22.01.97
100.	महेश प्रसाद (पि0व0)	07.01.64	31.07.86	22.01.97
101.	चन्दन सिंह नेगी (पि0व0)	01.01.64	31.07.86	22.01.97
102.	रामजी प्रसाद गुप्ता (पि0व0)	15.03.63	31.07.86	22.01.97

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
103.	बृजेन्द्र पाल सिंह (पि0व0)	28.06.62	31.07.86	22.01.97
104.	देवेश कुमार (पि0व0)	30.08.62	31.07.86	22.01.97
105.	रमेश चन्द्र द्वितीय (पि0व0)	07.07.63	31.07.86	22.01.97
106.	अजय कुमार वर्मा (विकलांग)	06.06.63	31.07.86	22.01.97
107.	मनोज कुमार द्विवेदी (विकलांग)	02.02.64	31.07.86	22.01.97
108.	ओम प्रकाश गुप्ता (विकलांग)	15.03.61	31.07.86	22.01.97
109.	जीतेन्द्र पाल (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	18.08.63	31.07.86	22.01.97
110.	नरेन्द्र प्रताप सिंह (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	12.07.62	31.07.86	22.01.97
111.	विनोद कुमार (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	07.04.64	31.07.86	22.01.97
112.	अशोक कुमार सिंह (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	01.10.61	31.07.86	22.01.97
113.	अनूप कुमार बाजपेई	01.07.60	31.07.86	22.01.97
114.	राजीव कुमार खुराना	23.09.63	31.07.86	22.01.97
115.	सुनील कुमार त्यागी	02.04.60	31.07.86	22.01.97
116.	राजीव कुमार सिंह	08.05.60	31.07.86	22.01.97
117.	राकेश कुमार मेहरोत्रा	13.04.61	31.07.86	22.01.97
118.	सत्यवीर सिंह	01.07.61	31.07.86	22.01.97
119.	दिनेश चन्द्र उप्रेती	29.05.64	31.07.86	22.01.97
120.	गोकुल चन्द जोशी	20.05.61	31.07.86	22.01.97
121.	शिशिर कान्त बाजपेई	28.06.62	31.07.86	22.01.97
122.	जितत बन्धन सिंह	01.09.63	31.07.86	22.01.97
123.	अनिल कुमार गंगवार	01.05.61	31.07.86	22.01.97
124.	मुकेश मिश्रा	10.06.61	31.07.86	22.01.97
125.	अजीत कुमार सिंह	04.07.64	31.07.86	22.01.97
126.	कर्णधीर सिंह	07.07.62	31.07.86	22.01.97
127.	कुलदीप असरानी	09.04.62	31.07.86	22.01.97
128.	सुबोध कुमार सिन्हा	10.04.62	31.07.86	22.01.97
129.	अनिल कुमार सिंह	22.07.63	31.07.86	22.01.97
130.	अरविन्द कुमार पाण्डेय	12.12.60	31.07.86	22.01.97
131.	अरूण कुमार सिंह	12.09.62	31.07.86	22.01.97
132.	राजेश्वर सिंह	01.07.62	31.07.86	22.01.97
133.	अजय गहेन्द्र	07.07.62	31.07.86	22.01.97
134.	अरूण कुमार शर्मा	02.10.64	31.07.86	22.01.97
135.	शिव कुमार शर्मा	15.04.63	31.07.86	22.01.97
136.	बाबू राम वर्मा	01.12.62	31.07.86	22.01.97
137.	कमलेश कुमार शुक्ला	12.03.65	31.07.86	22.01.97
138.	धनन्जय सिंह	16.12.64	31.07.86	22.01.97
139.	कंवलेश्वर प्रसाद	30.06.63	31.07.86	22.01.97
140.	मोहन यादव	01.07.63	31.07.86	22.01.97
141.	बलवन्त सिंह	01.01.65	31.07.86	22.01.97
142.	शिव प्रताप सिंह	01.07.63	31.07.86	22.01.97
143.	लल्लन प्रसाद (अ0जा0)	01.01.63	31.07.86	22.01.97
144.	लालिता राम (अ0जा0)	10.02.62	31.07.86	22.01.97
145.	सै0 कायम अली रिजवी	01.03.63	31.07.86	22.01.97
146.	जग नारायण पाण्डेय	08.07.64	31.07.86	22.01.97
147.	मनोज कुमार श्रीवास्तव	18.02.62	31.07.86	22.01.97
148.	नवीन सक्सेना	22.05.64	31.07.86	22.01.97

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
149.	उदयबीर सिंह	01.03.65	31.07.86	22.01.97
150.	पारसनाथ (पि0व0)	05.08.61	31.07.86	22.01.97
151.	कुलदीप पुत्र श्री दशरथ लाल श्रीवास्तव	01.07.64	31.07.86	22.01.97
152.	नित्यानन्द चौबे	15.05.64	31.07.86	22.01.97
153.	राम प्रकाश यादव (पि0व0)	15.06.61	31.07.86	22.01.97
154.	राजेन्द्र राव	06.12.62	नियत वेतन	22.07.97 (मा0 न्यायालय के आदेशानुसार अन्तिम रूप से आमेलित)
155.	शैलेन्द्र सिंह	21.09.64	31.07.86	23.11.02
156.	शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल	20.06.64	31.07.86	23.11.02
157.	अरविन्द कुमार राठौर	10.06.63	31.07.86	23.11.02
158.	अंजुम परवेज खां	04.07.66	31.07.86	23.11.02
159.	संजीव कुमार गुप्ता	23.03.61	24.02.87	23.11.02
160.	मुकेश कुमार गुप्ता	20.07.64	24.02.87	23.11.02
161.	शील कुमार जैन	21.09.64	24.02.87	23.11.02
162.	सुखवीर सिंह	26.05.64	24.02.87	23.11.02
163.	प्रदीप कुमार शर्मा	03.06.62	24.02.87	23.11.02
164.	त्रिभुवन सिंह	07.05.64	24.02.87	23.11.02
165.	योगेश चन्द्र	15.06.65	24.02.87	23.11.02
166.	अरूण शर्मा	02.10.64	24.02.87	23.11.02
167.	अनिल कुमार शर्मा	01.04.65	24.02.87	23.11.02
168.	प्रभु नारायण पाण्डेय	16.01.63	24.02.87	23.11.02
169.	ओम प्रकाश राय	01.07.62	24.02.87	23.11.02
170.	अतुल कुमार गुप्ता	09.09.61	24.02.87	23.11.02
171.	सै0 रफत मुईन	14.11.63	24.02.87	23.11.02
172.	नीरज शर्मा	01.03.64	24.02.87	23.11.02
173.	अजय कुमार	01.03.63	24.02.87	23.11.02
174.	कुलदीप चन्द	02.01.65	24.02.87	23.11.02
175.	रंग नाथ सिंह	01.03.65	24.02.87	23.11.02
176.	मिस्बाहुद्दीन खां	12.11.63	24.02.87	23.11.02
177.	राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र स्व0 वंशीधर दुबे	18.07.62	24.02.87	23.11.02
178.	विनोद शंकर सिंह	30.04.64	24.02.87	23.11.02
179.	नित्यानन्द शर्मा	31.10.63	24.02.87	23.11.02
180.	ओम सिंह तोमर	01.06.61	24.02.87	23.11.02
181.	भरत सिंह	01.01.60	24.02.87	23.11.02
182.	चन्द्र मोहन अग्रवाल	01.09.62	24.02.87	23.11.02
183.	राम मनोहर द्विवेदी	01.01.61	24.02.87	23.11.02
184.	वीरेन्द्र कुमार राय	20.01.65	24.02.87	23.11.02
185.	श्याम किशोर श्रीवास्तव	01.01.64	24.02.87	23.11.02
186.	चमन सिंह त्यागी	15.11.61	24.02.87	23.11.02
187.	आसिफ रजा जैदी	13.07.60	24.02.87	23.11.02
188.	राजेन्द्र सिंह	06.04.63	24.02.87	23.11.02
189.	पद्माकर मिश्र	20.01.63	24.02.87	23.11.02
190.	विजेन्द्र कुमार शर्मा	03.11.64	24.02.87	23.11.02
191.	विनोद कुमार सिंह	03.12.59	24.02.87	23.11.02
192.	विजयपाल सिंह	01.01.62	24.02.87	23.11.02

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
193.	सच्चिदानन्द सिंह पुत्र श्री राम अवध सिंह	01.12.60	24.02.87	23.11.02
194.	अभय बेनीपुरी	30.12.61	24.02.87	23.11.02
195.	चन्द्र कान्त चतुर्वेदी	10.04.65	24.02.87	23.11.02
196.	प्रमोद कुमार गुप्ता	09.09.61	31.07.86	23.11.02
197.	राकेश चन्द्र गुप्ता	25.07.61	24.02.87	23.11.02
198.	विजय प्रताप सिंह रैकवार	01.06.60	24.02.87	23.11.02
199.	राकेश कुमार सिंह पुत्र राम अवतार सिंह	07.12.64	24.02.87	23.11.02
200.	अखिलेश कुमार	15.01.64	24.02.87	23.11.02
201.	अजय कुमार सिंह पुत्र श्री शिवमूर्ति सिंह	10.02.63	24.02.87	23.11.02
202.	राम प्रकाश खरे	05.03.65	24.02.87	23.11.02
203.	अमरेन्द्र प्रताप राव	15.04.60	24.02.87	23.11.02
204.	शबी शमीम सिद्दीकी	31.12.61	24.02.87	23.11.02
205.	भूपेन्द्र कुमार शर्मा	15.01.62	24.02.87	23.11.02
206.	राम बाबू तिवारी	13.12.61	24.02.87	23.11.02
207.	कैलाश चन्द्र पाराशर	01.01.60	24.02.87	23.11.02
208.	मुकेश कुमार	01.03.62	24.02.87	23.11.02
209.	राजबल सिंह सिसौदिया	16.05.62	24.02.87	23.11.02
210.	अरविन्द कुमार त्यागी	20.04.64	24.02.87	23.11.02
211.	राम कुमार गुप्ता	21.08.62	24.02.87	23.11.02
212.	पवन कुमार गुप्ता	06.04.64	24.02.87	23.11.02
213.	राकेश कुमार पुत्र श्री श्रीकृष्ण	01.07.60	24.02.87	23.11.02
214.	जुगेन्द्र कुमार जैन	14.07.64	24.02.87	23.11.02
215.	वेद प्रकाश	20.07.64	24.02.87	23.11.02
216.	अशोक कुमार शर्मा	27.08.62	24.02.87	23.11.02
217.	देवेन्द्र कुमार गोस्वामी	14.12.59	24.02.87	23.11.02
218.	संजय मिश्रा	13.06.65	24.02.87	23.11.02
219.	सुनील कुमार अग्रवाल	01.01.65	24.02.87	23.11.02
220.	संजय कुमार पुत्र हरि बाबू गुप्ता	19.01.64	24.02.87	23.11.02
221.	अमरनाथ	03.04.64	24.02.87	23.11.02
222.	रणबीर सिंह वर्मा	30.12.59	24.02.87	23.11.02
223.	सच्चिदानन्द	01.01.60	24.02.87	23.11.02
224.	रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	23.12.62	24.02.87	23.11.02
225.	मनोज कुमार शुक्ला (स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी)	08.12.62	24.02.87	23.11.02
226.	राम मनोहर (अ0जा0)	03.05.62	24.02.87	23.11.02
227.	अविनाश चन्द्र (अ0जा0)	28.09.62	24.02.87	23.11.02
228.	शिवराज सिंह (अ0जा0)	08.01.65	24.02.87	23.11.02
229.	सहोरी लाल (अ0जा0)	06.06.62	24.02.87	23.11.02
230.	नरेश चन्द (अ0जा0)	03.12.62	24.02.87	23.11.02
231.	महाराज सिंह (अ0जा0)	12.07.64	24.02.87	23.11.02
232.	भानु प्रकाश (अ0जा0)	17.11.64	24.02.87	23.11.02
233.	नरेन्द्र कुमार (अ0जा0)	03.01.64	24.02.87	23.11.02
234.	चन्द्रभानु प्रसाद (अ0जा0)	05.03.64	24.02.87	23.11.02
235.	संतोष कुमार वर्मा (अ0जा0)	01.04.61	24.02.87	23.11.02
236.	वीरेन्द्र प्रताप सिंह (अ0जा0)	24.03.64	24.02.87	23.11.02
237.	नेकराम (अ0जा0)	31.12.63	24.02.87	23.11.02
238.	नीरज कुमार (अ0जा0)	10.06.65	24.02.87	23.11.02

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
239.	सत्यव्रत भाबल (अ0ज0जा0)	01.02.63	24.02.87	23.11.02
240.	सिराज अहमद (पि0व0)	11.03.64	24.02.87	23.11.02
241.	मानिक चन्द गुप्ता (पि0व0)	03.12.63	24.02.87	23.11.02
242.	नेकराम राजपूत (पि0व0)	18.11.64	24.02.87	23.11.02
243.	भवनाथ सिंह (पि0व0)	15.04.64	24.02.87	23.11.02
244.	अनिल कुमार पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह (पि0व0)	21.07.61	24.02.87	23.11.02
245.	अवध राज (पि0व0)	02.03.62	24.02.87	23.11.02
246.	हसन रजा (पि0व0)	14.01.63	24.02.87	23.11.02
247.	मो0 हारून (पि0व0)	01.04.65	24.02.87	23.11.02
248.	कृष्ण पाल सिंह	16.06.62	24.02.87	23.11.02
249.	अनिल कुमार सचान (पि0व0)	21.07.61	24.02.87	23.11.02
250.	संतोष कुमार सिंह	05.01.64	31.07.86	19.07.03
251.	अशोक कुमार सिंह	01.01.61	31.07.86	19.07.03
252.	संजय गौतम	19.07.63	31.07.86	19.07.03
253.	राजेन्द्र कुमार	10.05.61	31.07.86	19.07.03
254.	राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	01.01.60	24.02.87	19.07.03
255.	चन्द्र शंकर प्रसाद	01.03.64	24.02.87	19.07.03
256.	भवान सिंह बिष्ट	15.03.65	24.02.87	19.07.03
257.	संजय कुमार गुप्ता	19.01.64	24.02.87	19.07.03
258.	अजय कुमार गर्ग पुत्र श्री सलेक चन्द्र गर्ग	10.03.64	24.02.87	19.07.03
259.	शरद कान्त	18.06.64	24.02.87	19.07.03
260.	अनुराग नागर	29.11.63	24.02.87	19.07.03
261.	संजय कुमार	05.08.62	24.02.87	19.07.03
262.	देवेन्द्र नाथ मिश्रा	01.01.60	दै0वे0/वर्कचार्ज/ संविदा	23.07.03
263.	राकेश कुमार श्रीवास्तव	25.05.62	तदैव	23.07.03
264.	राकेश चन्द गुप्ता	01.07.64	तदैव	23.07.03
265.	सुनील कुमार जैन	30.06.64	तदैव	23.07.03
266.	राजीव कुमार श्रीवास्तव	14.06.64	तदैव	23.07.03
267.	राकेश गुप्ता	14.09.65	तदैव	23.07.03
268.	राम कुमार अवस्थी	10.12.64	तदैव	23.07.03
269.	दिनेश कुमार पाण्डेय	10.05.63	तदैव	23.07.03
270.	शमीम अख्तर	01.11.64	तदैव	23.07.03
271.	अशोक कुमार अस्थाना	01.09.61	तदैव	23.07.03
272.	योगेन्द्र सिंह जैयार	28.12.62	तदैव	23.07.03
273.	प्रमोद शर्मा	20.05.66	तदैव	23.07.03
274.	अनिल कुमार श्रीवास्तव	18.02.64	तदैव	23.07.03
275.	प्रमोद कुमार पटेरिया	31.12.63	तदैव	23.07.03
276.	रवीन्द्र प्रकाश गुप्ता	31.03.64	तदैव	23.07.03
277.	कौशल कुमार गुप्ता	25.01.66	तदैव	23.07.03
278.	देवेन्द्र चन्द्र त्रिगुणायत	10.10.61	तदैव	23.07.03
279.	दिलीप कुमार मित्तल	28.06.63	तदैव	23.07.03
280.	लक्ष्मण सिंह रावत	05.06.65	तदैव	23.07.03
281.	राम किशन	10.07.65	तदैव	23.07.03
282.	मुकेश कुमार राघव	10.03.64	तदैव	23.07.03
283.	सुभाष चन्द चौबे	11.04.65	तदैव	23.07.03

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
284.	रमाकान्त तिवारी	05.05.64	तदैव	23.07.03
285.	पवन कुमार भारद्वाज	26.11.65	तदैव	23.07.03
286.	मो० फजल अहमद	13.06.66	तदैव	23.07.03
287.	बिजेन्द्र कुमार शर्मा	15.11.63	तदैव	23.07.03
288.	नरेन्द्र कुमार थापक	05.04.61	तदैव	23.07.03
289.	कुलदीप कुमार त्यागी	15.05.63	तदैव	23.07.03
290.	राम आशीष शर्मा	01.03.65	तदैव	23.07.03
291.	अरूण कुमार सिंह	02.12.64	तदैव	23.07.03
292.	शिव शंकर लाल श्रीवास्तव	01.01.67	तदैव	23.07.03
293.	रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव	05.06.67	तदैव	23.07.03
294.	संजय कुमार	15.06.62	तदैव	23.07.03
295.	अतुल शर्मा	30.09.69	तदैव	23.07.03
296.	बाबू सिंह	01.02.60	तदैव	23.07.03
297.	अविनाश अग्रवाल	05.10.67	तदैव	23.07.03
298.	सत्यदेव सिंह	14.07.62	तदैव	23.07.03
299.	चन्द्रमौलि पाण्डेय	01.07.64	तदैव	23.07.03
300.	अनिल कुमार श्रीवास्तव	04.05.60	तदैव	23.07.03
301.	सुधीर कुमार पाण्डेय	12.06.67	तदैव	23.07.03
302.	अम्बरीश कुमार शर्मा	16.04.65	तदैव	23.07.03
303.	आनन्द कुमार अस्थाना	12.06.65	तदैव	23.07.03
304.	अनूप कुमार श्रीवास्तव	07.04.66	तदैव	23.07.03
305.	राकेश कुमार गुप्ता	08.09.63	तदैव	23.07.03
306.	अशोक कुमार सिंह	18.10.60	तदैव	23.07.03
307.	रवीन्द्र कुमार गुप्ता	08.05.63	तदैव	23.07.03
308.	प्रदीप कुमार गुप्ता	24.05.64	तदैव	23.07.03
309.	पवन गुप्ता	14.10.65	तदैव	23.07.03
310.	राजेश कुमार अग्रवाल	27.12.66	तदैव	23.07.03
311.	रमाशंकर सक्सेना	22.06.62	तदैव	23.07.03
312.	छविनाथ पाण्डेय	11.08.64	तदैव	23.07.03
313.	अजय कुमार जैन	16.11.66	तदैव	23.07.03
314.	सुबोध कुमार वार्ष्णेय	20.10.63	तदैव	23.07.03
315.	राजेश कुमार राय	01.01.66	तदैव	23.07.03
316.	सोमदत्त पालीवाल	25.09.67	तदैव	23.07.03
317.	वंश बहादुर यादव (पि0व0)	01.12.65	तदैव	23.07.03
318.	हृदय नारायण सिंह (पि0व0)	20.06.62	तदैव	23.07.03
319.	यशपाल सिंह (पि0व0)	15.08.62	तदैव	23.07.03
320.	शिवपाल सिंह यादव (पि0व0)	10.03.62	तदैव	23.07.03
321.	तेजवीर सिंह (पि0व0)	01.07.64	तदैव	23.07.03
322.	सतीश चन्द कुशवाहा (पि0व0)	01.04.63	तदैव	23.07.03
323.	पौहारी यादव (पि0व0)	22.07.60	तदैव	23.07.03
324.	आसिफ हुसैन (पि0व0)	21.06.65	तदैव	23.07.03
325.	राम कुमार सिंह (पि0व0)	13.03.63	तदैव	23.07.03
326.	संतोष कुमार (पि0व0)	27.07.61	तदैव	23.07.03
327.	प्रमोद कुमार (पि0व0)	19.06.65	तदैव	23.07.03
328.	राजेन्द्र सिंह (पि0व0)	05.12.61	तदैव	23.07.03
329.	लाल बहादुर (पि0व0)	01.07.61	तदैव	23.07.03

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
330.	राम सागर वर्मा (पि0व0)	04.11.65	तदैव	23.07.03
331.	जितेन्द्र मोहन (पि0व0)	01.11.63	तदैव	23.07.03
332.	शील निधि शर्मा (पि0व0)	26.08.64	तदैव	23.07.03
333.	ज्योतेन्द्र सिंह (पि0व0)	01.08.66	तदैव	23.07.03
334.	सतीश कुमार यादव (पि0व0)	01.12.66	तदैव	23.07.03
335.	इन्द्रपाल सिंह (पि0व0)	15.02.64	तदैव	23.07.03
336.	परशुराम (पि0व0)	01.01.65	तदैव	23.07.03
337.	रवीन्द्र सिंह (पि0व0)	15.01.62	तदैव	23.07.03
338.	सत्यवीर सिंह (पि0व0)	03.07.65	तदैव	23.07.03
339.	रघुवीर सिंह (पि0व0)	10.06.66	तदैव	23.07.03
340.	अरूण कुमार (पि0व0)	01.07.67	तदैव	23.07.03
341.	देशराज सिंह (पि0व0)	08.01.63	तदैव	23.07.03
342.	राजन सिंह (पि0व0)	15.07.69	तदैव	23.07.03
343.	अशोक कुमार (पि0व0)	15.08.65	तदैव	23.07.03
344.	इलियास खान (पि0व0)	28.11.67	तदैव	23.07.03
345.	राजेश कुमार निरंजन (पि0व0)	15.01.63	तदैव	23.07.03
346.	अमित तोमर (पि0व0)	02.10.68	तदैव	23.07.03
347.	हंसराज सिंह (पि0व0)	12.01.68	तदैव	23.07.03
348.	शिव कुमार (अ0जा0)	21.03.66	तदैव	23.07.03
349.	अयोध्या प्रसाद (अ0जा0)	04.12.66	तदैव	23.07.03
350.	अशोक कुमार (अ0जा0)	14.12.67	तदैव	23.07.03
351.	रमेश राम (अ0जा0)	03.02.60	तदैव	23.07.03
252.	रवीन्द्र प्रकाश (अ0जा0)	15.01.67	तदैव	23.07.03
353.	चन्द्र शेखर (अ0जा0)	20.06.68	तदैव	23.07.03
354.	बांके लाल (अ0जा0)	10.12.61	तदैव	23.07.03
355.	योगेन्द्र कुमार (अ0जा0)	15.01.63	तदैव	23.07.03
356.	सरजीत कुमार (अ0जा0)	28.09.65	तदैव	23.07.03
357.	सुनील कुमार (अ0जा0)	18.05.66	तदैव	23.07.03
358.	जितेन्द्र कुमार (अ0जा0)	09.02.68	तदैव	23.07.03
359.	रामचन्द्र (अ0जा0)	01.01.68	तदैव	23.07.03
360.	अम्बरीश कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह	01.07.66	तदैव	14.10.04
361.	सुनील कुमार पुत्र श्री रामअवतार शर्मा	31.12.62	तदैव	14.10.04
362.	अजय कुमार शर्मा	18.06.63	तदैव	14.10.04
363.	उस्मान अली खां	30.06.67	तदैव	14.10.04
364.	राजीव कोहली	29.04.68	तदैव	14.10.04
365.	अमर सहाय	26.04.66	तदैव	14.10.04
366.	कपिलदेव प्रसाद गुप्ता	01.08.65	तदैव	14.10.04
367.	विमल कुमार गुप्ता	01.07.65	तदैव	14.10.04
368.	हीरा लाल गुप्ता	01.07.65	तदैव	14.10.04
369.	मनोज कुमार राठौर	19.07.67	तदैव	14.10.04
370.	सुनील कुमार पुत्र स्व0 ताराचन्द्र	15.03.65	तदैव	14.10.04
371.	सुरेन्द्र द्विवेदी	25.03.70	तदैव	14.10.04
372.	विक्रम सिंह	01.07.65	तदैव	14.10.04
373.	जीतेन्द्र नाथ दुबे	01.07.66	तदैव	14.10.04
374.	विनीत कुमार	01.01.68	तदैव	14.10.04
375.	मनोज कुमार सिसौदिया	01.07.69	तदैव	14.10.04

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
376.	ओमकार शर्मा	20.10.67	तदैव	14.10.04
377.	अरविन्द कुमार उपाध्याय	07.04.67	तदैव	14.10.04
378.	सर्वेश कुमार	03.05.66	तदैव	14.10.04
379.	अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री शशिभूषण सिंह	05.08.68	तदैव	14.10.04
380.	हरिओम	09.06.67	तदैव	14.10.04
381.	मनोज कुमार शर्मा	01.08.70	तदैव	14.10.04
382.	संजीव कुमार तिवारी	11.07.66	तदैव	14.10.04
383.	चन्द्रभानु पाण्डेय	12.09.67	तदैव	14.10.04
384.	जितेन्द्र मोहन सिंह	01.03.68	तदैव	14.10.04
385.	श्री भगवान त्रिपाठी	10.05.63	तदैव	14.10.04
386.	ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव	01.01.64	तदैव	14.10.04
387.	विवेक कुमार सिंह	07.03.70	तदैव	14.10.04
388.	अरविन्द कुमार श्रीवास्तव	10.07.68	तदैव	14.10.04
389.	अम्बरीश कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह	05.07.67	तदैव	14.10.04
390.	कृष्णकान्त शर्मा	05.07.67	तदैव	14.10.04
391.	अरूण कुमार	10.07.67	तदैव	14.10.04
392.	कमल कुमार थापर	01.02.69	तदैव	14.10.04
393.	पंकज कुमार शुक्ला	01.03.69	तदैव	14.10.04
394.	विवेक कुमार गुप्ता	18.06.66	तदैव	14.10.04
395.	वेद प्रकाश अवस्थी	01.01.67	तदैव	14.10.04
396.	सुधीर कुमार पुत्र श्री राधेश्याम वैश्य	20.11.64	तदैव	14.10.04
397.	अशोक कुमार सिंह	17.07.65	तदैव	14.10.04
398.	राकेश कुमार	29.12.66	तदैव	14.10.04
399.	मुनीश कुमार तिवारी	01.07.67	तदैव	14.10.04
400.	त्रिभुवन नाथ त्यागी	24.04.61	तदैव	14.10.04
401.	देवेन्द्र नाथ शुक्ला	01.01.65	तदैव	14.10.04
402.	नरेश कुमार	09.09.63	तदैव	14.10.04
403.	मनोज वशिष्ठ	11.10.63	तदैव	14.10.04
404.	अभय कुमार श्रीवास्तव	09.01.67	तदैव	14.10.04
405.	जावेद अख्तर	01.01.68	तदैव	14.10.04
406.	परमानन्द दुबे	01.01.65	तदैव	14.10.04
407.	कैलाश सिंह	01.07.66	तदैव	14.10.04
408.	संजय कुमार जैन पुत्र श्री जगवीर किशोर जैन	10.06.65	तदैव	14.10.04
409.	अनिल कुमार पुत्र श्री राजवीर सिंह त्यागी	19.08.67	तदैव	14.10.04
410.	हरिओम गुप्ता	15.08.63	तदैव	14.10.04
411.	करमेन्द्र सिंह	05.06.65	तदैव	14.10.04
412.	सोमेन्द्र प्रताप सिंह चौहान	08.05.66	तदैव	14.10.04
413.	उमेश कुमार	01.07.61	तदैव	14.10.04
414.	पियूष कुमार त्यागी	10.02.62	तदैव	14.10.04
415.	आदेश्वर प्रसाद	31.01.63	तदैव	14.10.04
416.	मदन मोहन सती	14.06.63	तदैव	14.10.04
417.	रमन कुमार	01.07.68	तदैव	14.10.04
418.	पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश राय शर्मा	26.04.69	तदैव	14.10.04
419.	राजीव कुमार त्यागी	08.09.68	तदैव	14.10.04
420.	नगेन्द्र मिश्र	04.02.64	तदैव	14.10.04
421.	बीरेश कुमार राणा	21.01.70	तदैव	14.10.04

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
422.	रविशंकर राय	15.11.66	तदैव	14.10.04
423.	अतुल कुमार जैन	06.04.66	तदैव	14.10.04
424.	संजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री सूरजमल	20.11.67	तदैव	14.10.04
425.	विभव पुण्डीर	01.01.69	तदैव	14.10.04
426.	मुकेश कुमार सक्सेना	08.06.69	तदैव	14.10.04
427.	सुभाष चन्द्र	01.07.64	तदैव	14.10.04
428.	ऋषि कुमार शर्मा	01.07.68	तदैव	14.10.04
429.	विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवी सिंह	03.03.63	तदैव	14.10.04
430.	पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	15.03.62	तदैव	14.10.04
431.	राज कुमार शर्मा	22.09.65	तदैव	14.10.04
432.	हितेश कुमार गुप्ता	05.06.66	तदैव	14.10.04
433.	अनुज कुमार शर्मा	15.06.66	तदैव	14.10.04
434.	सुशील कुमार शर्मा	02.01.68	तदैव	14.10.04
435.	अवनीश मित्तल	17.06.68	तदैव	14.10.04
436.	सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री धरम सिंह	01.07.68	तदैव	14.10.04
437.	राजीव कुमार	03.08.67	तदैव	14.10.04
438.	अनिल कुमार पुत्र श्री करतार सिंह	01.01.69	तदैव	14.10.04
439.	उमाशंकर सिंह	02.07.63	तदैव	14.10.04
440.	धर्मवीर सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह	31.03.66	तदैव	14.10.04
441.	मुकेश कुमार पुत्र श्री मदन पाल सिंह	01.05.66	तदैव	14.10.04
442.	योगेश कुमार गुप्ता	05.09.67	तदैव	14.10.04
443.	देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री समर बहादुर सिंह	10.10.62	तदैव	14.10.04
444.	धर्मेश	10.01.68	तदैव	14.10.04
445.	अशोक कुमार त्यागी	01.06.66	तदैव	14.10.04
446.	निमिष गुप्ता	06.11.67	तदैव	14.10.04
447.	विनोद कुमार	12.07.68	तदैव	14.10.04
448.	प्रवीण कुमार	15.11.65	तदैव	14.10.04
449.	दिनेश कुमार	04.07.67	तदैव	14.10.04
450.	संजय कुमार जैन पुत्र श्री राजेश्वर कुमार जैन	03.12.69	तदैव	14.10.04
451.	श्याम मोहन शुक्ला	22.08.62	तदैव	14.10.04
452.	विजय सिंह चौहान	19.01.65	तदैव	14.10.04
453.	जगदीश सिंह	12.08.67	तदैव	14.10.04
454.	नरेश कुमार शर्मा	03.08.68	तदैव	14.10.04
455.	अजय कुमार सिंघल	20.08.69	तदैव	14.10.04
456.	राकेश सिंह तोमर	20.11.68	तदैव	14.10.04
457.	महेश चन्द्र उप्रेती	24.02.68	तदैव	14.10.04
458.	सुरेश कुमार पाण्डेय	12.05.68	तदैव	14.10.04
459.	संजय वशिष्ठ	18.07.69	तदैव	14.10.04
460.	राज सिंह	22.08.69	तदैव	14.10.04
461.	मनोज कुमार गर्ग	01.01.65	तदैव	14.10.04
462.	संजय कुमार मिश्र	18.01.68	तदैव	14.10.04
463.	अनिल कुमार सिंघल	01.01.68	तदैव	14.10.04
464.	केदार सिंह कोरंगा	16.06.65	तदैव	14.10.04
465.	सुधीर कुमार पुत्र श्री वेद पाल वार्ष्णेय	02.06.66	तदैव	14.10.04
466.	देशपाल सिंह	05.01.67	तदैव	14.10.04
467.	अंशु	11.06.67	तदैव	14.10.04

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
468.	विवेक कुमार	17.07.66	तदैव	14.10.04
469.	घनश्याम तिवारी	15.05.70	तदैव	14.10.04
470.	सुनील कुमार पुत्र श्री आर०डी० शर्मा	14.06.65	तदैव	14.10.04
471.	सर्वेश कुमार गुप्ता	05.10.65	तदैव	14.10.04
472.	अवनीश कुमार गर्ग	18.12.65	तदैव	14.10.04
473.	आनन्द प्रकाश द्विवेदी	10.05.67	तदैव	14.10.04
474.	जय प्रकाश गुप्ता	05.12.67	तदैव	14.10.04
475.	सुनील कुमार पुत्र श्री जगरनाथ	20.11.64	तदैव	14.10.04
476.	सन्दीप मेहता	08.06.67	तदैव	14.10.04
477.	अंगद सिंह	15.09.68	तदैव	14.10.04
478.	जयकरन सिंह	01.11.68	तदैव	14.10.04
479.	संजय त्यागी	01.02.65	तदैव	14.10.04
480.	ब्रहमदत्त शर्मा	01.07.65	तदैव	14.10.04
481.	सचिन कुमार अग्रवाल	18.01.67	तदैव	14.10.04
482.	चन्द्र प्रकाश शर्मा	30.08.68	तदैव	14.10.04
483.	नीरज कुमार गुप्ता	21.09.68	तदैव	14.10.04
484.	सुनील कुमार पुत्र श्री मंगू सिंह त्यागी	20.07.64	तदैव	14.10.04
485.	बिनय कुमार गर्ग	30.05.66	तदैव	14.10.04
486.	रामरूप सिंह	08.07.62	तदैव	14.10.04
487.	मनोज कुमार अग्रवाल	08.06.68	तदैव	14.10.04
488.	सतीश कुमार पाण्डेय	15.07.62	तदैव	14.10.04
489.	राजेश कुमार शर्मा	21.01.67	तदैव	14.10.04
490.	विमल कोहली	17.04.66	तदैव	14.10.04
491.	हरगोबिन्द सिंह	20.07.65	तदैव	14.10.04
492.	शिव प्रकाश शुक्ला	15.05.67	तदैव	14.10.04
493.	राम एकबाल सिंह	04.06.63	तदैव	14.10.04
494.	सुशील कुमार	28.01.63	तदैव	14.10.04
495.	राजेन्द्र कुमार शर्मा	18.05.65	तदैव	14.10.04
496.	विजेन्द्र कुमार	10.07.63	तदैव	14.10.04
497.	दीप शिखर	01.07.67	तदैव	14.10.04
498.	सुधांक मिश्र	26.06.69	तदैव	14.10.04
499.	अशोक कुमार शुक्ला	15.09.68	तदैव	14.10.04
500.	पीयूष कुमार जैन	09.01.69	तदैव	14.10.04
501.	रामबली मिश्र	21.08.60	तदैव	14.10.04
502.	वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय	01.07.68	तदैव	14.10.04
503.	गिरीश कुमार पाण्डेय	05.07.67	तदैव	14.10.04
504.	अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री शारदानन्द सिंह	01.01.68	तदैव	14.10.04
505.	शोभा राम	10.05.62	तदैव	14.10.04
506.	रोहित कुमार	15.10.68	तदैव	14.10.04
507.	ब्रम्हदेव शुक्ला	15.01.64	तदैव	14.10.04
508.	प्रदीप कुमार गोयल	01.01.67	तदैव	14.10.04
509.	महेश कुमार श्रीवास्तव	01.07.67	तदैव	14.10.04
510.	विमल कुमार श्रीवास्तव	10.03.60	तदैव	14.10.04
511.	शिव ओम	11.06.67	तदैव	14.10.04
512.	गोपाल कृष्ण	17.12.66	तदैव	14.10.04
513.	विपिन बिहारी राय	09.07.68	तदैव	14.10.04

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
514.	पंकज जैन	21.06.69	तदैव	14.10.04
515.	अशोक कुमार मिश्रा	30.09.68	तदैव	14.10.04
516.	राजेश कुमार शर्मा	18.05.65	तदैव	14.10.04
517.	अतुल मिश्रा	30.08.69	तदैव	14.10.04
518.	रामेश्वर कुमार	01.09.65	तदैव	14.10.04
519.	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	17.10.63	तदैव	14.10.04
520.	गणेश कुमार सिंह	31.08.70	तदैव	14.10.04
521.	ज्ञान प्रकाश द्विवेदी	01.12.70	तदैव	14.10.04
522.	पंकज कुमार	01.07.64	तदैव	14.10.04
523.	चन्द्रपाल सिंह (पि0व0)	26.12.61	तदैव	14.10.04
524.	सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवभुवन सिंह (पि0व0)	10.09.65	तदैव	14.10.04
525.	सत्य प्रकाश कुशवाहा (पि0व0)	10.07.68	तदैव	14.10.04
526.	निमारुद्दीन सिद्दीकी (पि0व0)	20.06.63	तदैव	14.10.04
527.	धनेश कुमार (पि0व0)	01.07.69	तदैव	14.10.04
528.	अनिरुद्ध यादव (पि0व0)	01.01.66	तदैव	14.10.04
529.	प्रदीप कुमार (पि0व0)	05.06.68	तदैव	14.10.04
530.	सत्य प्रकाश (पि0व0)	05.07.63	तदैव	14.10.04
531.	योगेन्द्र कुमार वर्मा (पि0व0)	05.07.64	तदैव	14.10.04
532.	महादेव शरन (पि0व0)	01.12.65	तदैव	14.10.04
533.	पारस सिंह यादव (पि0व0)	15.01.61	तदैव	14.10.04
534.	के0पी0सिंह (पि0व0)	17.05.68	तदैव	14.10.04
535.	विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रतन सिंह (पि0व0)	05.07.69	तदैव	14.10.04
536.	गिरजा शंकर मल्ल (पि0व0)	01.04.66	तदैव	14.10.04
537.	जय प्रकाश नारायण (पि0व0)	08.07.65	तदैव	14.10.04
538.	जनार्दन सिंह (पि0व0)	01.02.65	तदैव	14.10.04
539.	प्रमोद कुमार वर्मा (पि0व0)	30.06.67	तदैव	14.10.04
540.	राम भूल खलौरिया (पि0व0)	04.09.66	तदैव	14.10.04
541.	शिव कुमार (पि0व0)	01.10.63	तदैव	14.10.04
542.	योगेश कुमार वर्मा (पि0व0)	01.02.67	तदैव	14.10.04
543.	देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री नत्थु सिंह (पि0व0)	10.10.62	तदैव	14.10.04
544.	निहाल सिंह (पि0व0)	12.09.64	तदैव	14.10.04
545.	राजेन्द्र प्रसाद यादव (पि0व0)	10.03.64	तदैव	14.10.04
546.	अब्दुल वाहिद अन्सारी (पि0व0)	10.09.67	तदैव	14.10.04
547.	धरमवीर सिंह पुत्र श्री मिश्रा सिंह (पि0व0)	24.12.69	तदैव	14.10.04
548.	जाकिर अली (पि0व0)	01.07.65	तदैव	14.10.04
549.	राजेश कुमार (पि0व0)	01.07.67	तदैव	14.10.04
550.	ओमपाल सिंह (पि0व0)	18.02.68	तदैव	14.10.04
551.	आज्ञाराम वर्मा (पि0व0)	28.10.67	तदैव	14.10.04
552.	रघुवीर सिंह (पि0व0)	02.05.64	तदैव	14.10.04
553.	राकेश कुमार (पि0व0)	01.07.66	तदैव	14.10.04
554.	श्रीराज सिंह यादव (पि0व0)	30.09.67	तदैव	14.10.04
555.	रामेश्वर दयाल (पि0व0)	15.02.69	तदैव	14.10.04
556.	सुशील कुमार वर्मा (पि0व0)	01.09.65	तदैव	14.10.04
557.	कृष्ण पाल यादव (पि0व0)	15.03.65	तदैव	14.10.04
558.	राकेश कुमार पवार (पि0व0)	05.07.65	तदैव	14.10.04
559.	सुनील कुमार मलिक (पि0व0)	10.12.68	तदैव	14.10.04

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
560.	योगेश कुमार शर्मा (पि0व0)	21.09.64	तदैव	14.10.04
561.	जयवीर सिंह (पि0व0)	24.04.65	तदैव	14.10.04
562.	यतेन्द्र कुमार (पि0व0)	08.08.65	तदैव	14.10.04
563.	विष्णु चन्द्र सिंह जरिया (पि0व0)	25.07.64	तदैव	14.10.04
564.	सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री सूरल मल्ल (पि0व0)	01.01.68	तदैव	14.10.04
565.	रमापति वर्मा (पि0व0)	15.07.65	तदैव	14.10.04
566.	रामचन्द्र यादव (पि0व0)	01.07.63	तदैव	14.10.04
567.	अखिलेश कुमार (पि0व0)	26.08.65	तदैव	14.10.04
568.	राजन सिंह (पि0व0)	07.06.67	तदैव	14.10.04
569.	महेन्द्र कुमार शर्मा ((पि0व0)	26.02.64	तदैव	14.10.04
570.	रमेश चन्द्र वर्मा (पि0व0)	01.09.67	तदैव	14.10.04
571.	संजय कुमार भाटी (पि0व0)	29.06.69	तदैव	14.10.04
572.	सुरेन्द्र सिंह यादव (पि0व0)	01.01.70	तदैव	14.10.04
573.	भगवान दास (पि0व0)	01.07.68	तदैव	14.10.04
574.	यशोदा नन्द त्रिपाठी	26.01.68	तदैव	04.01.05
575.	लक्ष्मण सिंह	01.08.67	तदैव	04.01.05
576.	शशिभूषण मिश्र	01.07.64	तदैव	04.01.05
577.	शरत कुमार पाण्डेय	31.01.66	तदैव	04.01.05
578.	इम्तियाज अहमद खां	06.03.68	तदैव	04.01.05
579.	नरेन्द्र कुमार सिंह	01.07.63	तदैव	04.01.05
580.	श्री रंग दुबे	15.06.64	तदैव	04.01.05
581.	ज्ञानेश्वर सिंह	01.05.66	तदैव	04.01.05
582.	शिव प्रसाद श्रीवास्तव	15.02.64	तदैव	04.01.05
583.	अनिल कुमार मिश्रा	05.01.61	तदैव	04.01.05
584.	अब्दुल कदीर खां	15.06.62	तदैव	04.01.05
585.	आशीष कुमार श्रीवास्तव	01.07.67	तदैव	04.01.05
586.	रवि प्रकाश यादव (पि0व0)	01.02.68	तदैव	04.01.05
587.	हरि प्रसाद गुप्ता (पि0व0)	01.07.62	तदैव	04.01.05
588.	ओम प्रकाश गुप्ता (पि0व0)	01.01.70	तदैव	04.01.05
589.	सत्य प्रकाश यादव (पि0व0)	07.05.64	तदैव	04.01.05
590.	पन्ची लाल (अ0जा0)	04.04.64	24.02.87	19.01.07
591.	देवेन्द्र नाथ मिश्र	10.01.60	24.02.87	19.01.07
592.	कौशल कुमार (अ0जा0)	10.11.83	सीधी भर्ती	19.06.09
593.	राज कपूर (अ0जा0)	06.12.83	सीधी भर्ती	19.06.09
594.	संजय कुमार (अ0जा0)	07.08.79	सीधी भर्ती	19.06.09
595.	प्रभु नारायण (अ0जा0)	24.06.75	सीधी भर्ती	19.06.09
596.	चन्द्र दीप (अ0जा0)	25.05.81	सीधी भर्ती	19.06.09
597.	रितु पाल (अ0जा0)	05.02.71	सीधी भर्ती	19.06.09
598.	सत्यवीर सिंह (अ0जा0)	01.09.78	सीधी भर्ती	19.06.09
599.	हरगोविन्द (अ0जा0)	05.06.66	सीधी भर्ती	19.06.09
600.	राकेश कुमार सिंह (अ0जा0)	05.10.75	सीधी भर्ती	19.06.09
601.	सुरेश कुमार (अ0जा0)	06.04.77	सीधी भर्ती	19.06.09
602.	नरेन्द्र कुमार मार्कण्डेय (अ0जा0)	13.01.80	सीधी भर्ती	19.06.09
603.	सरोज कुमार (अ0जा0)	01.07.69	सीधी भर्ती	01.09.09
604.	जगदीश पाल सिंह (अ0जा0)	20.12.69	सीधी भर्ती	19.06.09
605.	राजेन्द्र सिंह (अ0जा0)	15.05.68	सीधी भर्ती	19.06.09

ज्येष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की तिथि	आमेलन/ विनियमितीकरण/ मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
606.	कमलदीप (अ0जा0)	15.08.78	सीधी भर्ती	01.09.09
607.	राजीव (अ0जा0)	01.12.77	सीधी भर्ती	19.06.09
608.	राकेश कुमार (अ0जा0)	10.02.73	सीधी भर्ती	19.06.09
609.	धर्मेन्द्र (अ0जा0)	05.01.79	सीधी भर्ती	19.06.09
610.	शिव कुँवर (अ0ज0जा0)	10.05.68	सीधी भर्ती	19.06.09
611.	उदय नारायण पाण्डेय	25.11.63	31.07.86	16.07.13

7- अवर अभियन्ता (सिविल) की उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची रिट याचिका संख्या-29227(एस.एस)/2019 धनन्जय सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2019 के समादर में निर्गत की जा रही है।

8- उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अवर अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची पूर्व में समय-समय पर निर्गत समस्त ज्येष्ठता सम्बन्धी आदेशों को संशोधित/अवक्रमित करते हुये निर्गत की जा रही है।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 01/2020/01/(1)/आठ-5-2020, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।

(2) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 तथा अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ की अपने प्राधिकरण में कार्यरत सम्बन्धित कार्मिकों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

(3) सम्बन्धित कार्मिक को उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से ।

(4) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सिद्धाशरण पाण्डेय
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5
संख्या : 617 /आठ-5-20-05ई/14टी.सी.
लखनऊ : दिनांक 06 अगस्त, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुन: अधिनियमन) अधिनियम,1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुन: अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 5क के साथ पठित धारा 55 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली,1985 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (बाइसवाँ संशोधन) नियमावली,2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (बाइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी;
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-8 की अनुसूची-एक का संशोधन

2 उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली,1985 में, अनुसूची-एक में,नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये अभियंत्रण से सम्बन्धित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रविष्टियाँ				स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टियाँ			
सेवा	केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद का नाम	पद जिससे पदोन्नति की जायेगी	पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हकारी सेवा	सेवा	केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद का नाम	पद जिससे पदोन्नति की जायेगी	पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हकारी सेवा
1	2	3	4	1	2	3	4
अभियन्त्रण (एक)	मुख्य अभियन्ता (सिविल)	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	मौलिक रूप से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर अवश्य नियुक्त हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के रूप में आठ वर्ष की सेवा सम्मिलित करते हुए पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	अभियन्त्रण (एक)	मुख्य अभियन्ता (सिविल)	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	मौलिक रूप से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रूप में अवश्य नियुक्त हो और अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर दो वर्ष की सेवा सहित 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
अभियन्त्रण (दो)	मुख्य अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक)	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक)	मौलिक रूप से अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक) के पद पर अवश्य नियुक्त हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक) के रूप में आठ वर्ष की सेवा सम्मिलित करते हुए पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	अभियन्त्रण (दो)	मुख्य अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक)	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक)	मौलिक रूप से अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक) के रूप में अवश्य नियुक्त हो और अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक) के पद पर दो वर्ष की सेवा सहित 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या : 617 (1)/आठ-5-20-05ई/14टी.सी. तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस अधिसूचना को हिन्दी एवं संलग्न अंग्रेजी पाण्डुलिपि में दिनांक अगस्त, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में प्रकाशित करायें तथा प्रकाशित/मुद्रित अधिसूचना की 250 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या : 617 (2)/आठ-5-20-05ई/14टी.सी., तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1187 /आठ–5–20–43डब्लूई/2000टीसी

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

विषयः– प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं के विनियमितीकरण हेतु सृजित किये गये पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं के विनियमितीकरण हेतु शासनादेश संख्या–सीएम 240/9–आ–5–2003–43डब्लूई/2000, दिनांक 19.02.2004 द्वारा अवर अभियन्ता के 275 अधिसंख्य पदों का सृजन किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अधिसंख्य सृजित पदों को भविष्य में प्राधिकरणों में रिक्त होने वाले पदों से शनैः शनैः समायोजित किया जायेगा। उक्त पदों की निरन्तरता वर्षानुवर्ष कार्यहित में यथा आवश्यकता निर्गत होती रही है। शासनादेश संख्या–742/आठ–5–19–43डब्लूई/2000टीसी, दिनांक 14.06.2019 द्वारा अवर अभियन्ता (सिविल) के 160 अधिसंख्य पदों की निरन्तरता दिनांक 29.02.2020 तक बढ़ायी गयी थी। कार्यहित में उक्त पदों की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।

2– अतः वर्णित स्थिति में अवर अभियन्ता (सिविल) के 160 अधिसंख्य पदों की निरन्तरता दिनांक 01.03.2020 से 28.02.2021 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– शासनादेश संख्या–सीएम 240/9–आ–5–2003–43डब्लूई/04, दिनांक 19.02.2004 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सिद्धाशरण पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या : 1187 (1)/आठ–5–20, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8

2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सिद्धाशरण पाण्डेय)
उप सचिव।

Go A 20

संख्या–1188 /आठ–5–20–43डब्लूई/2000टीसी

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

विषयः– प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं के विनियमितीकरण हेतु 09 अवर अभियन्ता (सिविल) के अधिसंख्य सृजित पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या–1608/आठ–5–16–7ई/14, दिनांक 14.07.2016 द्वारा प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं के विनियमितीकरण हेतु 09 अवर अभियन्ता (सिविल) के अधिसंख्य पदों का सृजन किया गया था। शासन के पत्र संख्या–741/आठ–5–19–43डब्लूई/2000टीसी, दिनांक 14.06.2019 द्वारा उक्त पदों की निरन्तरता दिनांक 29.02.2020 तक बढ़ायी गयी थी। कार्यहित में उक्त पदों की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।

2– अतः वर्णित स्थिति में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 14.07.2016 द्वारा सृजित 09 अवर अभियन्ता (सिविल) के पदों की निरन्तरता दिनांक 01.03.2020 से 28.02.2021 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– शासनादेश संख्या–1608/आठ–5–16–7ई/14,दि0 14.07.2016 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सिद्धाशरण पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या :1188 (1)/आठ–5–20, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सिद्धाशरण पाण्डेय)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5
संख्या : 1177 /आठ–5–20/11ई/2011
लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011 के नियम–11 की व्यवस्थानुसार विकास प्राधिकरणवार पेंशन अंशदान के पुनर्निधारण हेतु शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–840/आठ–5–20–11ई/2011, दिनांक 04.10.2020 द्वारा विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति की संस्तुतियों को नियमानुसार स्वीकार करते हुए निम्नवत् विकास प्राधिकरणवार पेंशन अंशदान एतद्द्वारा निर्धारित किया जाता है:–

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	कुल पेन्शन अंशदान का योग का प्रतिशत	अंशदान (रुपये लाख में)
1	2	3	4
1	आगरा	3.40	120.7
2	अलीगढ़	1.19	42.1
3	अयोध्या	1.22	43.3
4	आजमगढ़	0.16	5.7
5	बागपत	0.19	6.8
6	बांदा	0.53	18.9
7	बरेली	3.10	110.2
8	बस्ती	0.00	0.0
9	बुलन्दशहर	1.23	43.8
10	चित्रकूट	0.01	0.4
11	फिरोजाबाद	0.64	22.8
12	गाजियाबाद	19.64	697.1
13	गोरखपुर	3.68	130.6
14	हापुड़	1.40	49.7
15	झांसी	1.28	45.4
16	कानपुर	14.79	525.0
17	कपिलवस्तु	0.00	0.0
18	खुर्जा	0.51	18.1
19	कुशीनगर	0.02	0.6
20	लखनऊ	22.44	796.6
21	मथुरा	2.25	79.9
22	मेरठ	5.77	205.0
23	मिर्जापुर	0.03	1.0
24	मुरादाबाद	3.53	125.3
25	मुजफ्फरनगर	0.80	28.2
26	उरई	0.21	7.4
27	प्रयागराज	6.31	223.9
28	रायबरेली	0.99	35.3
29	रामपुर	0.21	7.5
30	सहारनपुर	0.67	23.9

31	सोनभद्र	0.08	2.9
32	उन्नाव	0.86	30.6
33	वाराणसी	2.85	101.2
	योग	100.00	**3550.00**

2– उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली–2011 के नियम–11 के प्राविधानानुसार प्राधिकरण अंश का रिव्यू शासन द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

रणविजय सिंह
विशेष सचिव

संख्या:– 1177 /आठ–5–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उ0प्र0।
2. सचिव/वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या : 1178 /आठ–5–20–11ई/2011

प्रेषक,

रणविजय सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

विषय : **विकास प्राधिकरणवार पेंशन अंशदान का निर्धारण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सदस्यों को पेंशन दिए जाने के संबंध में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली–2011 के नियम–11 के अधीन शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1177/आठ–5–20–11ई/2011, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 द्वारा निम्न विवरण के अनुसार विकास प्राधिकरणवार पेंशन अंशदान/प्रतिशत का निर्धारण किया गया है:–

क्रम संख्या	विकास प्राधिकरण का नाम	कुल पेंशन अंशदान का योग का प्रतिशत	अंशदान (रुपये लाख में)
1	2	3	4
1	आगरा	3.40	120.7
2	अलीगढ़	1.19	42.1
3	अयोध्या	1.22	43.3
4	आजमगढ़	0.16	5.7
5	बागपत	0.19	6.8
6	बांदा	0.53	18.9
7	बरेली	3.10	110.2
8	बस्ती	0.00	0.0
9	बुलन्दशहर	1.23	43.8
10	चित्रकूट	0.01	0.4
11	फिरोजाबाद	0.64	22.8
12	गाजियाबाद	19.64	697.1
13	गोरखपुर	3.68	130.6
14	हापुड़	1.40	49.7
15	झांसी	1.28	45.4
16	कानपुर	14.79	525.0
17	कपिलवस्तु	0.00	0.0
18	खुर्जा	0.51	18.1
19	कुशीनगर	0.02	0.6
20	लखनऊ	22.44	796.6
21	मथुरा	2.25	79.9
22	मेरठ	5.77	205.0
23	मिर्जापुर	0.03	1.0

24	मुरादाबाद	3.53	125.3
25	मुजफ्फरनगर	0.80	28.2
26	उरई	0.21	7.4
27	प्रयागराज	6.31	223.9
28	रायबरेली	0.99	35.3
29	रामपुर	0.21	7.5
30	सहारनपुर	0.67	23.9
31	सोनभद्र	0.08	2.9
32	उन्नाव	0.86	30.6
33	वाराणसी	2.85	101.2
	योग	100.00	3550.00

2-- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आपके विकास प्राधिकरण हेतु निर्धारित पेंशन अंशदान की धनराशि संदर्भगत नियमावली नियम--16 के अन्तर्गत वित्त नियंत्रक लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के नियंत्रणाधीन गठित ''उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा पेंशन निधि'' में जमा कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(रणविजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:-- 1178 /आठ--5--2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5

संख्या : 53/2018/2291/आठ–5–18/11ई/2011

लखनऊ : दिनांक 24 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली–2011 के नियम–11 अधीन व्यवस्था अनुसार विकास प्राधिकरणवार पेंशन अंशदान के पुर्निर्धारण हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1854(1)/आठ–5–18/10ई/2011,दिनांक 11.10.2018 द्वारा विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा विकास प्राधिकरणों की अर्जित आय एवं स्वीकृत पद के सापेक्ष पेंशन अंशदान के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए श्री राज्यपाल निम्नवत् विकास प्राधिकरणवार पेंशन अंशदान निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का करते हैं :–

क्रमांक	विकास प्राधिकरण का नाम	कुल पेंशन अंशदान का योग का प्रतिशत	अंशदान की धनराशि (लाख में)
1	2	3	4
1	गाजियाबाद	22.49	494.50
2	कानपुर	16.20	356.47
3	लखनऊ	20.24	445.17
4	आगरा	3.58	78.65
5	प्रयागराज	5.10	112.29
6	मेरठ	5.35	117.75
7	मुरादाबाद	4.10	90.17
8	अलीगढ़	1.09	23.97
9	बरेली	2.43	53.39
10	गोरखपुर	4.34	95.42
11	मथुरा वृन्दावन	2.36	51.90
12	वाराणसी	2.60	57.73
13	बांदा	0.46	10.04
14	बुलन्दशहर	0.99	21.87
15	अयोध्या	1.20	26.50
16	फिरोजाबाद	0.64	14.00
17	हापुड़ पिलखुवा	1.50	33.00
18	झांसी	0.97	21.33
19	मुजफ्फरनगर	0.79	17.41
20	रायबरेली	0.92	20.30
21	सहारनपुर	0.68	14.93
22	उन्नाव	0.87	19.15
23	रामपुर	0.19	4.12
24	उरई	0.20	4.34
25	खुर्जा	0.40	8.90
26	बागपत बड़ौत	0.15	3.35
27	बस्ती	0.00	0
28	मिर्जापुर	0.01	0
29	शक्तिनगर	0.00	0
30	आजमगढ़	0.15	3.30
	योग	100.00	2200.00

2– उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली–2011 के नियम–11(1) में अंकित प्राविधानानुसार प्राधिकरण अंश का निर्धारण शासन द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

संजीव सिंह
विशेष सचिव

संख्या–53/2018/2291/आठ–5–2018 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उ0प्र0।
2. सचिव/वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

ऑन–लाइन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम

<u>सर्वोच्च प्राथमिकता</u>

<u>संख्या–608/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0</u>

प्रेषक

अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 25 जुलाई, 2019**

विषयः–उ.प्र. के ऑन लाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) के अन्तर्गत स्कूटनी शुल्क के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'' के अन्तर्गत ऑन लाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को प्रदेश में लागू करने हेतु मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के निर्धारण एवं मानचित्र स्वीकृति संबंधी शुल्कों के संबध में शासनादेश संख्या–563/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी.सी. दिनांक 20.06.2019 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–3.1.1 एवं 3.1.2 में आवास बन्धु उ0प्र0 एवं सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर के मध्य नियमानुसार निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार परीक्षण शुल्क (Scoutiny Fee) प्राप्त किये जाने का प्राविधान किया गया है। परीक्षण शुल्क के भुगतान के संबंध में सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी गयी सहमति से कम में परीक्षण शुल्क के भुगतान हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्/प्राधिकरण स्तर पर खाता खोले जाने तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/प्राधिकरणों द्वारा प्रत्येक 48 घण्टे में जमा हुई धनराशि को सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर के ICICI Bank, सतारा रोड, पूणे के खाता संख्या–77770517096 (IFS Code ICIC0000337) में स्वतः हस्तान्तरित किये जाने के स्थायी निर्देश संबंधित बैकों को प्रदान किया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया परीक्षण शुल्क के भुगतान हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण स्तर पर खाता खोले जाने तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रत्येक 48 घण्टे में जमा हुई धनराशि को सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर के ICIC Bank, सतारा रोड, पूणे के खाता संख्या–77770517096 (IFSC Code ICIC0000337) में स्वतः हस्तान्तरित किये जाने के स्थायी निर्देश संबंधित बैंक को देने का कष्ट करें। कृपया खोले गये खाते का विवरण अविलम्ब मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशक, आवास बन्धु उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाये।

कृपया उक्त कार्यवाही हेतु शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीया,

अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या–1077/आठ–3–19–26विविध/2017टी0सी0।

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एव विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2019

विषयः उ.प्र. के ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) के अंतर्गत स्क्रूटनी शुल्क के हस्तान्तरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–608/आठ–3–19–26विविध/17टी0सी0 दिनांक 25.07.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश द्वारा (OBPAS) के अंतर्गत परीक्षण शुल्क के भुगतान हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/प्राधिकरण स्तर पर खाता खोले जाने तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/प्राधिकरणों द्वारा प्रत्येक 48 घण्टे में जमा हुई धनराशि को सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाईडर के खाते में स्वतः हस्तान्तरित किये जाने के स्थायी निर्देश संबंधित बैंक को प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उपर्युक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 25.07.2019 के प्रस्तर–1 एवं प्रस्तर–2 में आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक खाता संख्या–77770517096 के स्थान पर आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक खाता संख्या 777705170696 पढ़ा जाये। उक्त शासनादेश के शेष अंश/शर्तें यथावत् प्रभावी रहेगी।

भवदीय,

पवन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या–1077(1)/आठ–3–19–26विविध/2017टी0सी01–तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया सभी सम्बन्धित को आदेश की प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
4. श्री जी0एस0 गोयल, सलाहकार विकास को उनके पत्र संख्या–4806/आ.ब.–1/स.वि.–OBPAS/2019–20 दिनांक 05.09.2019 के क्रम में।

आज्ञा से,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव।

ई-मेल/महत्वपूर्ण

संख्या : 1125/8-3-20-26 विविध/17 टी०सी०-II

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं
विकास परिषद, लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 02 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2020**

विषयः- पुराने ऑन लाइन बिल्डिंग प्लान एप्रुवल पोर्टल पर लम्बित मानचित्रों को स्वीकृत किये जाने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-567/आठ-3-19-26 विविध/2017 टी०सी० दिनांक 20.06.2019 द्वारा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में मानचित्रों की स्वीकृति हेतु ऑन-लाइन बिल्डिंग अप्रुवल सिस्टम को लागू किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में शासनादेश संख्या-1208/आठ-3-19-26 विविध/2017 टी०सी० दिनांक 24.10.2019 तथा उसके क्रम में निदेशक, आवास बन्धु के पत्र संख्या-5160/ आ०ब०/अधि०अभि०/2019-20 दिनांक 06.01.2020 के द्वारा सर्व सम्बन्धित को यू०पी० डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ के माध्यम से कम्प्यूटर केन्द्र, आगरा द्वारा तैयार किये गये पुराने ओ०बी०पी०एस० साफ्टवेयर पर अभिकरणों को प्राप्त होने वाले लो-रिस्क/हाई-रिस्क श्रेणी के नये मानचित्रों के आवेदनों को तत्काल बन्द करने के निर्देश जारी किये गये हैं :-

क्र.सं.	पत्र संख्या	अभिकरण का नाम	नये आवेदन न प्राप्त करने सम्बन्धित मानचित्र का प्रकार
1.	4784/आ.ब.-/निदेशक/ 2019-20 दिनांक 27.08.2019	लखनऊ वि०प्रा०	लो-रिस्क
2.	4819/आ.ब.-1/निदेशक/ 2019-20 दिनांक 09.09.2019	कानपुर वि०प्रा०	लो-रिस्क
3.	4820/आ.ब.-1/निदेशक/ 2019-20 दिनांक 09.09.2019	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	लो-रिस्क
4.	4822/आ.ब.-1/निदेशक/ 2019-20 दिनांक 11.09.2019	उन्नाव-शुक्लागंज वि०प्रा०	लो-रिस्क
5.	4887/आ.ब.-1/निदेशक/ 2019-20 दिनांक 30.09.2019	वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा-वृन्दावन झांसी तथा गाजियाबाद वि०प्रा०	लो-रिस्क
6.	4905/आ.ब.-1/निदेशक/ 2019-20 दिनांक 04.10.2019	बरेली, गोरखपुर, सहारनपुर, रामपुर, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, आजमगढ़, हापुड़-पिलखुआ, खुर्जा, बस्ती तथा बांदा वि०प्रा०	लो-रिस्क

7.	4907/आ.ब.-1/निदेशक/ 2019-20 दिनांक 09.10.2019	आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बागपत तथा बुलन्दशहर वि0प्रा0	लो-रिस्क
8.	4994/आ.ब.-1/निदेशक/ 2019-20 दिनांक 11.11.2019	रायबरेली एवं उरई वि0प्रा0	लो-रिस्क
9.	5160/आ.ब./अधि./2019-20 दिनांक 06.01.2020	समस्त अभिकरण	समस्त श्रेणी

2- शासन के संज्ञान में आया है कि उपर्युक्त विवरण के अनुसार पुराने ओ0बी0पी0एस0 के पूर्ण रूप से बंद होने से पूर्व प्रदेश के कतिपय अभिकरणों के समक्ष पुराने ओ0बी0पी0एस0 के माध्यम से प्राप्त हाई रिस्क श्रेणी के मानचित्र स्वीकृति के आवेदनों का निस्तारण अभी भी लम्बित है। इस संबंध में कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) पुराने ओ0बी0पी0एस0 सिस्टम पर दिनांक 06.01.2020 से पूर्व प्राप्त हाई-रिस्क श्रेणी के ऐसे मानचित्र, जो अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाये हैं, को निरस्त मानते हुए इन्हें नये ओ0बी0पी0ए0एस0 सिस्टम के माध्यम से प्रोसेस किया जायेगा।

(2) पुराने ओ0बी0पी0एस0 सिस्टम पर दिनांक 06.01.2020 से पूर्व प्राप्त ऐसे हाई-रिस्क मानचित्र, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान कर फीस जमा करा ली गयी थी परन्तु विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण इन्हें अन्तिम रूप से स्वीकृत करते हुए निर्गत नहीं किया जा सका था, में यदि वर्तमान में मानचित्रों के अन्तर्गत संबंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त हो गई हैं तथा प्राप्त अनापत्तियों के आधार पर मूल रूप से स्वीकृत मानचित्र के स्वरूप में कोई परिवर्तन निहित नहीं है, तो ऐसे मानचित्र को ही 15 दिवस की अवधि निर्धारित करते हुए अभिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर अन्तिम रूप से ऑफ लाईन निर्गत करने पर विचार किया जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पुराने ओ0बी0पी0एस0 पोर्टल पर लम्बित मानचित्रों के निस्तारण के संबंध में उपरोक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 तथा शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या : 1125(1)/8-3-20-26 विविध/17 टी0सी0-II-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या-12/2020/1398/आठ-3-20-26 विविध/2017 टी.सी. 1

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 18 नवम्बर, 2020

विषयः- बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान-2020 में ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑन-लाइन बिल्डिंग प्लान अप्रुवल के संबंध में कार्यवाही की प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा जारी "बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान" के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद में ऑन लाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न शुल्कों के उद्ग्रहण तथा मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता लाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-563/आठ-3-19-26 विविध/2017 टी0सी0 दिनांक 20.06.2019 तथा शासनादेश संख्या-1036/आठ-3-19-26 विविध/2017 टी0सी0 दिनांक 02.09.2019 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि BRAP 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ऑन लाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल हेतु की गयी कतिपय अपेक्षाओं के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त शासनादेश दिनांक 20.06.2019 में निर्धारित व्यवस्था में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1- ऐसे हाईरिस्क के मानचित्र जिन पर आपत्ति-सुनवाई अथवा बोर्ड से अनुमति की आवश्यकता नही है, के लिए प्राधिकरणों द्वारा जिन बिन्दुओं का परीक्षण किया जाना

आवश्यक है, की चेक-लिस्ट तैयार कर सिस्टम में अपलोड की जाए, जिससे आर्किटेक्ट/इंजीनियर/आवेदक द्वारा मानचित्र दाखिल करते समय रू 100.00 (रूपया एक सौ मात्र) के स्टैम्प पेपर पर उनके द्वारा शपथ पत्र के रूप में भरा जाए तथा प्रमाणित किया जाए कि चेक-लिस्ट में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का अनुपालन करते हुए मानचित्र तैयार किया गया है। आर्किटेक्ट/इंजीनियर/आवेदक द्वारा यह भी अंकित किया जाए कि यदि चेक-लिस्ट के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाया जाता है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित आर्किटेक्ट/इंजीनियर/आवेदक का होगा। उक्त के क्रम में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल हेतु BRAP 2020 की गाइड लाईन्स के अनुसार ऐसे मानचित्रों को निर्धारित 15 दिवस की समयसीमा के अन्तर्गत स्वीकृत किया जायेगा।

ऐसे हाई-रिस्क के मानचित्र जिन पर आपत्ति-सुनवाई अथवा बोर्ड से अनुमति की आवश्यकता हो, के मानचित्र जमा होने के 15 दिवस में इस आशय का प्रोविजनल पत्र सिस्टम द्वारा जारी/जेनरेट कर उपलब्ध कराया जाए कि मानचित्र बिल्डिंग बायलाज, महायोजना, जोनिंग रेगुलेशन्स एवं समय-समय पर जारी अन्य शासनादेशों मे उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार है तथा आवेदन आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने अथवा आपत्ति/सुझाव की सुनवाई के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु स्वीकार कर लिया गया है। उक्त प्रोविजनल पत्र द्वारा आवेदक को विज्ञप्ति का एक प्रारूप भी उपलब्ध कराया जाय, जिसके अनुसार उन्हें नगर के दो प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने हेतु सूचित किया जाय तथा प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के निस्तारणोपरान्त तथा मानचित्र स्वीकृति योग्य पाये जाने पर प्राधिकरण द्वारा उद्गृहीत किये जाने वाले समस्त शुल्कों के सम्बन्ध में आवेदक को अवगत करा दिया जाय। समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात मानचित्र के निस्तारण की कार्यवाही की जाय। इस प्रकार ऐसे प्रकरणों में भी अभिकरणों में प्राप्त मानचित्रों के सम्बन्ध में 15 दिवसों के अन्दर आवेदक को तद्नुसार सूचना प्रदान की जाय, जिससे कि BRAP 2020 की व्यवस्था का अनुपालन सम्भव हो सकेगा।

3- यदि आर्किटेक्ट/इंजीनियर द्वारा दिये गये शपथ पत्र में मानचित्र के अनुसार गलत सूचना पायी जाती है तो प्रथम तीन बार उसे इस हेतु नोटिस जारी किया जाय। यदि यही गलती चौथी बार की जाती है तो तीन माह हेतु, पांचवी बार के लिए 6 माह हेतु, छठी बार के लिए एक वर्ष एवं इसके उपरान्त आजीवन प्रोफेशनल प्रैक्टिस को निलम्बित किये जाने की संस्तुति काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर/आवास बन्धु को की जाय, जिससे मानचित्र जमा करने से पूर्व आर्किटेक्ट/इंजीनियर नियमानुसार कार्यवाही करने पर विवश हो सकें।

4- प्लिन्थ लेवल इन्सपेक्शन को अलग श्रेणी में रखा जाय। चूंकि बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के उपरान्त भवन का निर्माण प्लिन्थ लेवल तक आने में आवेदक की सुविधानुसार समय लग सकता है, अतः प्लिन्थ लेवल इन्सपेक्शन को अलग श्रेणी में रखते हुए आवेदक द्वारा मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन के उपरान्त BRAP 2020 की व्यवस्थानुसार 5 दिवस की समय सीमा निर्धारित की जाती है।

5- आवेदक द्वारा मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त भवन निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाना आवेदक की व्यक्तिगत एवं आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है तथा निर्माण पूर्ण किये जाने की समय सीमा नियमानुसार निर्धारित नही है व मानचित्र के स्वीकृति के कई वर्षों के पश्चात आती है। अतएव कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी किये जाने की व्यवस्था को भी कन्सट्रक्शन परमिट की अलग श्रेणी में रखा जाय, जिस हेतु BRAP 2020 मे निर्धारित 25 दिवस की समय सीमा निर्धारित की जाती है।

6- उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-53 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा विनियम के सभी अथवा किसी प्राविधान से उन्मुक्त किये जाने की व्यवस्था है जो अभिकरण विशेष अथवा नगर के विशेष क्षेत्र मात्र से सम्बन्धित हो सकता है। ऐसे प्रकरणो के सम्बन्ध में प्रस्तावित है कि सिस्टम में धारा-53 हेतु एक अलग से व्यवस्था रखी जाये जिसे आर्किटेक्ट/इंजीनियर द्वारा चुने जाने पर मानचित्र को बिना स्क्रूटनी के ही अभिकरण के अधिकारियों को अग्रसारित किया जाय एवं धारा-

53 के अन्तर्गत दी गई छूटो के क्रम में ऐसे मानचित्रों का इन-हाउस परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करायी जाय।

3- कृपया BRAP 2020 के संबंध में निर्धारित उक्त प्रक्रिया का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में शासन द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों के शेष प्राविधान और प्रक्रिया यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय

दीपक कुमार

प्रमुख सचिव

संख्या-1398(1)/आठ-3-20-26 विविध/2017 टी.सी. 1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को उनके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-2602/77-6-2020 दिनांक 10.09.2020 के क्रम में।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह

उप सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण
संख्या : 1631/आठ–3–20–26 विविध/2017 टी0सी0

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक :24 दिसम्बर, 2020**

विषयः Online Building Plan Approval System (OBPAS) पर मानचित्रों की स्वीकृति से संबंधित शासनादेश दिनांक 02.09.2019 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1036/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0 दिनांक 02.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के माध्यम से ऑन लाइन मानचित्र स्वीकृति हेतु ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त होने तथा शुल्क जमा होने के उपरांत अवर अभियन्ता स्तर पर प्राप्त आवेदनों के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों से आवेदक को अवगत कराये जाने हेतु अधिकतम 07 दिवस की समय–सीमा निर्धारित किये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त होने तथा शुल्क जमा होने के उपरांत अवर अभियन्ता स्तर पर प्राप्त आवेदनों के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों से आवेदक को अवगत कराये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 02.09.2019 में निर्धारित समय सीमा 07 दिवस के स्थान पर 07 कार्य दिवस समझी जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 02.09.2019 शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1631(1)/आठ–3–20–26 विविध/2017 टी0सी0–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन।

क्रमशः......

7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली।
9. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय आवास निर्माण एवं वित्त निगम लि. लखनऊ।
13. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन।
14. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
15. निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
16. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण
संख्या : 1036/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक :02 सितम्बर, 2019

विषयः Online Building Plan Approval System (OBPAS) को लागू करने हेतु मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के निर्धारण एवं मानचित्र स्वीकृति संबंधी शुल्कों में एकरूपता व पारदर्शिता लाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–563/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0 दिनांक 20.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार प्राधिकरणों/परिषद द्वारा 30 कार्य दिवस के भीतर मानचित्र/ले–आउट की स्वीकृति एवं प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के प्राविधान किये गये हैं।

2– उक्त शासनादेश के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऑन लाइन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त होने तथा शुल्क जमा होने के उपरांत अवर अभियन्ता स्तर पर प्राप्त आवेदनों के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों से आवेदक को अवगत कराये जाने हेतु अधिकतम 07 दिवस की समय–सीमा निर्धारित की जाती है। उक्त अवधि के उपरांत किसी भी स्तर द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी। यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ऑफ लाइन मानचित्र/ले–आउट स्वीकृति पूर्ण रूप से बन्द कर दी जाय। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आदेशों के उल्लंघन को शासन द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,

/

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1036(1)/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन।

क्रमशः......

7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली।
9. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय आवास निर्माण एवं वित्त निगम लि. लखनऊ।
13. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन।
14. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
15. निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
16. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

प्रधानमंत्री आवास योजना

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-06/2019/500/94-स्टा०नि०-2-2019-700(46)/2019

लखनऊ : दिनांक 25 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अधीन विकासकर्ता द्वारा निर्मित दुर्बल आय वर्ग (ई०डब्लू०एस०) भवन के अन्तरण हेतु विकासकर्ता द्वारा लाभार्थी के पक्ष में निष्पादित लिखत पर रू० 500/- से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हैं।

2. इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी अनुमन्य होगी यदि आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विहित प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेंगे कि, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अधीन निर्मित दुर्बल आय वर्ग भवन के अन्तरण का निष्पादन किया जा रहा है।

आज्ञा से,

वीना कुमारी

प्रमुख सचिव।

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-06/2019/500/94-स्टा०नि०-2-2019-700(46)/2019, दिनांक 25 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 25-09-2019 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)

संयुक्त सचिव।

संख्या-06/2019/500/94-स्टा०नि०-2-2019-700(46)/2019, दिनांक 25 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) आयुक्त,औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(5) अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश/ अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

(7) आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(8) आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(9) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

(10) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(11) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।

(12) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(13) विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।

(14) भाषा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।

(15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitutions, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.06/2019/500/94-S.R.-2-2019-700(46)/2019, Dated, 25 September, 2019.

Notification

Order

No.06/2019/500/94-S.R.-2-2019-700(46)/2019

Lucknow, Dated, 25 September, 2019

In exercise of the powers under clause (a) sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no.2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification, stamp duty in excess of rupees 500/- on the instrument executed by the developer in favour of beneficiary for transfer of E.W.S. house built by the developer under Pradhanmantri Avas Yojna (Shahari) Mission.

2- The remit under this notification shall be available if the officer nominated by the Housing Commissioner, Uttar Pradesh, Housing and Development Board/Vice Chairman, Development Authority/C.E.O. Special Area Development Authority/Prescribed Authority, Regulated Area, Uttar Pradesh/C.E.O. Industrial Area Development Authority shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer of E.W.S. house built under Pradhanmantri Avas Yojna (Shahari) Mission is being executed.

By order,

Veena kumari

Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2019-2020/
संख्या–532/आठ–1–20–80विविध/2010

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2020

विषय:– प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत "अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप" मद के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग हेतु भवनों का निर्माण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1855/आठ–1–17–80विविध/2010, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत "अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप" मद के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग हेतु भवनों के निर्माण के संबंध में अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ भवनों की सीलिंग कास्ट आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3267/आठ–1–16–80विविध/2010, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्धारित रू0 4.50 लाख प्रति भवन के अनुसार निर्धारित की गयी है।

2– प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक "अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप" के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न अभिकरणों द्वारा निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण की तुलनात्मक लागत रू0 6.50 लाख किये जाने एवं लाभार्थियों की मांग पर भवन की ड्राईंग परिवर्तन के कारण कॉरपेट/सुपर बिल्डप एरिया के बढ़ जाने पर प्रोरेटा के आधार पर लागत की बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर संस्तुति उपलब्ध कराये जाने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1040/आठ–1–19–106विविध/2018टी0सी0, दिनांक 02 अगस्त, 2019 द्वारा आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। समिति द्वारा ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण लागत की निम्नवत संस्तुति की गयी है :–

"पूर्व में निर्धारित रू0 4.50 लाख न्यूनतम सीलिंग कास्ट को 22.77 वर्गमी0 कारपेट एरिया के लिए रू0 6.00 लाख तथा 22.77 वर्गमी0 से 30 वर्गमी0 तक के कारपेट एरिया के भवनों को प्रो–रेटा क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जाय।"

3– समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की लागत निम्नवत संशोधित किया जाता है:–

"वर्ष 2019–20 की लागत के आधार पर ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की पूर्व में निर्धारित रू0 04.50 लाख सीलिंग कास्ट को 22.77 वर्गमी0 कारपेट एरिया के लिए सीलिंग कास्ट रू0 6.00 लाख तथा 22.77 वर्गमी0 से 30 वर्गमी0 तक के कारपेट एरिया के भवनों के लिए प्रोरेटा क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जाय। प्रति ई0डब्ल्यू0एस0 इकाई पर रू0 2.50 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा। अनुदान की धनराशि रू0 2.50 लाख के अतिरिक्त विक्रय मूल्य की अवशेष धनराशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।"

4– तद्नुसार शासनादेश संख्या–1855/आठ–1–17–80विविध/2010, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

5– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप के अन्तर्गत निर्मित होने वाले ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की निर्धारित लागत के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 20/2021/532 (1)/आठ–1–20 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग़रीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण।
5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
7. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या–21/2020/531 /आठ–1–20–106विविध/2018

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

4. नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक 10 मार्च, 2020

विषय:– प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018–2021) में संशोधन।

महोदय,

शासनादेश संख्या–1132/आठ–1–18–106विविध/2018,दिनांक 12 जुलाई, 2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018–2021) की प्रति प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये थे। उपर्युक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कतिपय प्रस्तरों में संशोधन किये गये हैं।

2– उक्त योजना के संशोधित प्रस्तरों की प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संशोधित प्राविधान के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। संशोधित प्रस्तरों की प्रति विभागीय http:/awas.up.nic.in पर उपलब्ध है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या:–21/2020/531 (1)/आठ–1–20 तद् दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नीति को समस्त संबंधितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, सूडा, उ0प्र0 लखनऊ।
8. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018-2021) में संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-21/280/53/आठ-1-20-106विविध/2018 दिनांक 18 मार्च, 2020 का संलग्नक :-।

<table>
<tr><th>क.सं.</th><th>वर्तमान प्राविधान</th><th>संशोधित प्राविधान</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>योजना के क्षेत्रफल के आधार पर विकासकर्ता की गत 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत नेटवर्थ निम्नानुसार होनी चाहिए:-
<table>
<tr><th>योजना का क्षेत्रफल</th><th>गत 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत नेटवर्थ</th></tr>
<tr><td>3 हेक्टेयर तक</td><td>रू. 2.00 करोड</td></tr>
<tr><td>3 हेक्टे. से अधिक परन्तु 5 हेक्टे. तक</td><td>रू. 5.00 करोड़</td></tr>
<tr><td>5 हेक्टे. से अधिक परन्तु 10 हेक्टे. तक</td><td>रू. 10.00 करोड़</td></tr>
</table></td><td>2.2 योजना के क्षेत्रफल के आधार पर विकासकर्ता की गत 3 वित्तीय वर्षों में रियल स्टेट में न्यूनतम औसत नेटवर्थ निम्नानुसार होनी चाहिए:-
<table>
<tr><th>योजना का क्षेत्रफल</th><th>गत 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत नेटवर्थ</th></tr>
<tr><td>3 हेक्टेयर तक</td><td>रू. 2.00 करोड</td></tr>
<tr><td>3 हेक्टे. से अधिक परन्तु 5 हेक्टे. तक</td><td>रू. 5.00 करोड़</td></tr>
<tr><td>5 हेक्टे. से अधिक परन्तु 10 हेक्टे. तक</td><td>रू. 10.00 करोड़</td></tr>
<tr><td>10 हेक्टेयर से अधिक</td><td>रू.1.00 करोड़ प्रति हेक्टेयर अथवा उसके अंश पर</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>योजना में कुल आवासीय इकाईयों की संख्या न्यूनतम 250 होगी जिसमें न्यूनतम 35 प्रतिशत (न्यूनतम 150 ई.डब्ल्यू.एस. इकाईयां प्रति हेक्टेयर, योजना का क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से कम या अधिक होने पर इसी अनुपात में) ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाईयां निर्मित की जाएंगी। ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाईयों का न्यूनतम कारपेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर एवं अधिकतम कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर तक होगा, उदाहरणार्थ, टिपिकल यूनिट प्लान संलग्न है (संलग्नक-3)। उक्त कारपेट एरिया की सीमान्तर्गत इससे भिन्न प्लान भी क्रियान्वित किया जा</td><td>4.1 योजना में कुल आवासीय इकाईयों की संख्या न्यूनतम 250 होगी जिसमें न्यूनतम 35 प्रतिशत (न्यूनतम 100 ई. डब्ल्यू.एस. इकाईयां प्रति हेक्टेयर, योजना का क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से कम या अधिक होने पर इसी अनुपात में) ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाईयां निर्मित की जाएंगी। ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाईयों का न्यूनतम कारपेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर एवं अधिकतम कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर तक होगा, उदाहरणार्थ, टिपिकल यूनिट प्लान संलग्न है (संलग्नक-3)।
उक्त कारपेट एरिया की सीमान्तर्गत इससे भिन्न प्लान भी क्रियान्वित किया जा सकेगा। योजनान्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का निर्माण संलग्नक-4 पर दिये</td></tr>
</table>

	सकेगा। योजनान्तर्गत ई.डब्लू.एस. भवनों का निर्माण संलग्नक–4 पर दिये गये स्पेसिफिकेशन्स अथवा शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन एवं संसदीय कार्य मन्त्री, भारत सरकार के F.No. BMT/ CBM/ ET/ 2014/ 17/6/14 में वर्णित 'उभरती, किफायती, आवास प्रोद्योगिकियों 'जो निम्नानुसार उल्लिखित है, के अनुसार करना होगा:– 1- Monolithic Concrete Construction System Using Plastic-Aluminium Formwork 2- Monolithic Concrete Construction System Using Aluminium Formwork 3- Expanded Polystyrene Core Panel System 4- Industrialized 3-S System Using Cellular Light Weight Concrete Slabs & Precast Columns 5- Factory made Fast Track Modular Building System- INSTACON 6- Glass Fibre Reinforced Gypsum Panel System 7- Advanced Building System EMMEDUE भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी की जाने वाली गाइडलाइन्स का पालन किया जाएगा। योजनान्तर्गत अन्य आय वर्गो की आवासीय इकाईयां, व्यवसायिक, संस्थागत, मनोरंजन तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएं नियोजित की जा सकती हैं। टिप्पणी: 'कारपेट एरिया' का तात्पर्य किसी अपार्टमेन्ट के शुद्ध प्रयोग में आने वाले तल क्षेत्रफल से है, जिसके अन्तर्गत बाह्य दीवारों से आच्छादित क्षेत्र, सर्विस शैफ्ट के अन्तर्गत क्षेत्र,	गये स्पेसिफिकेशन्स अथवा शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन एवं संसदीय कार्य मन्त्री, भारत सरकार के F.No. BMT/CBM/ET/2014/17/6/14 में वर्णित 'उभरती, किफायती, आवास प्रोद्योगिकियों 'जो निम्नानुसार उल्लिखित है, के अनुसार करना होगा:– 1- Monolithic Concrete Construction System Using Plastic-Aluminium Formwork 2- Monolithic Concrete Construction System Using Aluminium Formwork 3- Expanded Polystyrene Core Panel System 4- Industrialized 3-S System Using Cellular Light Weight Concrete Slabs & Precast Columns 5- Factory made Fast Track Modular Building System- INSTACON 6- Glass Fibre Reinforced Gypsum Panel System 7- Advanced Building System EMMEDUE भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी की जाने वाली गाइडलाइन्स का पालन किया जाएगा। योजनान्तर्गत अन्य आय वर्गो की आवासीय इकाईयां, व्यवसायिक, संस्थागत, मनोरंजन तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएं नियोजित की जा सकती हैं। टिप्पणी: 'कारपेट एरिया' का तात्पर्य किसी अपार्टमेन्ट के शुद्ध प्रयोग में आने वाले तल क्षेत्रफल से है, जिसके अन्तर्गत बाह्य दीवारों से आच्छादित क्षेत्र, सर्विस शैफ्ट के अन्तर्गत क्षेत्र, एक्सक्लूसिव बालकनी अथवा बरामदे का क्षेत्र एवं एक्सक्लूसिव खुले छत का क्षेत्र शामिल नहीं होगा, परन्तु अपार्टमेन्ट की आंतरिक दीवारों का क्षेत्रफल शामिल होगा।

	एक्सक्लूसिव बालकनी अथवा बरामदे का क्षेत्र एवं एक्सक्लूसिव खुले छत का क्षेत्र शामिल नहीं होगा, परन्तु अपार्टमेन्ट की आंतरिक दीवारों का क्षेत्रफल शामिल होगा।			
4.4	योजना स्थल हेतु विद्यमान लेपित/कन्क्रीट पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई योजना के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नवत् होगी :—		4.4 योजना स्थल हेतु विद्यमान लेपित/कन्क्रीट पहुंच मार्ग—की न्यूनतम चौड़ाई योजना के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नवत होगी:—	
	योजना का क्षेत्रफल	पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	योजना का क्षेत्रफल	पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई
	• 2.0 हे0 तक	12 मीटर	• 2.0 हे0 तक	12 मीटर
	• 2.0 हे0 से अधिक परन्तु 5.0 हे0 तक	18 मीटर	• 2.0 हे0 से अधिक परन्तु 5.0 हे0 तक	18 मीटर
	• 5.0 हे0 से अधिक परन्तु 10.0 हे0 तक	24 मीटर	• 5.0 हे0 से अधिक परन्तु 10.0 हे0 तक	24 मीटर
			• 10.0 हे0 से अधिक	30 मीटर
	टिप्पणी: महायोजना/जोनल प्लान में प्रस्तावित उक्त चौड़ाई के पहुँच मार्ग पर योजना स्थल स्थित होने की दशा में भी योजना स्वीकृत की जा सकेगी।		टिप्पणी :—महायोजना/जोनल प्लान में प्रस्तावित मार्गों पर भी योजना प्रस्तावित की जा सकती है, किन्तु ऐसे मार्गों की विद्यमान चौराई 12 मी0 होनी आवश्यक है तथा महायोजना/जोनल प्लान में प्रस्तावित चौड़ाई के अनुसार सड़क विस्तारीकरण हेतु आवश्यक भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा। 4.4.1 सम्पूर्ण परियोजना केवल ई0डब्ल्यू0एस0 इकाईयों हेतु प्रस्तावित होने की दशा में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई निम्नानुसार होगी :— योजना का क्षेत्रफल — पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई • 2.0 हे0 तक — 09 मीटर • 2.0 हे0 से अधिक परन्तु 5.0 हे0 तक — 12 मीटर	

		<table><tr><td>• 5.0 हे0 से अधिक परन्तु 10.0 हे0 तक</td><td>18मीटर</td></tr><tr><td>• 10.0 हे0 से अधिक</td><td>24मीटर</td></tr></table> टिप्पणीः महायोजना/जोनल प्लान में प्रस्तावित मार्गों पर भी योजना प्रस्तावित की जा सकती है, किन्तु ऐसे मार्गों की विद्यमान चौड़ाई न्यूनतम 09 मी0 होनी आवश्यक है तथा महायोजना/जोनल प्लान में प्रस्तावित चौड़ाई के अनुसार सड़क विस्तारीकरण हेतु आवश्यक भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा।
4.7	ई.डब्ल्यू.एस. इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता द्वारा परफार्मेंस गारण्टी के रूप में योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की 20 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि बंधक रखी जाएगी, जिसे ई.डब्लू.एस. इकाईयों के लाभार्थियों को कब्जा दिये जाने के अनुपात में अधिकतम दो समान किश्तों में अवमुक्त कर दिया जायेगा। विकासकर्ता विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक/गिरवी रखी भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य कर सकेगा, परन्तु उनका हस्तान्तरण तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं कर दिया जाता है। विकासकर्ता द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का निर्माण न किये जाने की स्थिति में बन्धक रखी भूमि व उस पर निर्मित सम्पत्ति को जब्त कर उसका विक्रय कर शासकीय अभिकरण द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जाएगा। इसके साथ ही ई.डब्ल्यू.एस. भवनों हेतु डी.पी.आर. में निर्धारित भूमि एवं उस पर आंशिक बने भवन	4.7 ई.डब्ल्यू.एस. इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता द्वारा परफार्मेंस गारण्टी के रूप में योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की 15 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि बंधक रखी जाएगी, जिसे ई.डब्लू.एस. इकाईयों के लाभार्थियों को कब्जा दिये जाने के अनुपात में अधिकतम चार समान किश्तों में अवमुक्त कर दिया जायेगा। विकासकर्ता विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक/गिरवी रखी भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य कर सकेगा, परन्तु उनका हस्तान्तरण तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं कर दिया जाता है। विकासकर्ता द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का निर्माण न किये जाने की स्थिति में बन्धक रखी भूमि व उस पर निर्मित सम्पत्ति को जब्त कर उसका विक्रय कर शासकीय अभिकरण द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जाएगा। इसके साथ ही ई.डब्ल्यू.एस. भवनों हेतु डी. पी.आर. में निर्धारित भूमि एवं उस पर आंशिक बने भवन (यदि कोई हों) भी जब्त किए जाएंगे।

	(यदि कोई हों) भी जब्त किए जाएंगे। ऐसे विकासकर्ता जो पूरी योजना में मात्र ई.डब्ल्यू.एस. इकाईयों का ही निर्माण कर रहे हैं, से इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए परफार्मेंस गारण्टी के रूप में विकासकर्ता को शासन द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि अथवा इससे कम धनराशि जो वह अवमुक्त कराना चाहते हैं, के बराबर बैंक गारण्टी ली जायेगी और बैंक गारण्टी की बैधता अवधि 20 माह होगी, जिसे लाभार्थियों को कब्जा दिये जाने के अनुपात में अवमुक्त कर दिया जायेगा।	ऐसे विकासकर्ता जो पूरी योजना में मात्र ई.डब्ल्यू.एस. इकाईयों का ही निर्माण कर रहे हैं, से इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए परफार्मेंस गारण्टी के रूप में विकासकर्ता को शासन द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि अथवा इससे कम धनराशि जो वह अवमुक्त कराना चाहते हैं, के बराबर बैंक गारण्टी ली जायेगी और बैंक गारण्टी की बैधता अवधि 20 माह होगी, जिसे लाभार्थियों को कब्जा दिये जाने के अनुपात में अवमुक्त कर दिया जायेगा।
4.9	योजनान्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. आवासों की संख्या 250 से अधिक होने की दशा में योजना के ई.डब्ल्यू.एस. एवं अन्य आवासों का निर्माण अलग–अलग भूखण्डों पर किया जा सकेगा। उक्त स्थिति में भूखण्डों की परस्पर अधिकतम 'एरियल' दूरी, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 5.0 किलोमीटर, 5.0 लाख से अधिक परन्तु 10.0 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में 3.0 किलोमीटर तथा 5.0 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में 2.0 किलोमीटर होगी। इन्सेंटिव के दृष्टिकोण से उपरोक्तानुसार अलग–अलग भूखण्डों पर नियोजित परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जाएगा।	4.9 योजनान्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. आवासों की संख्या 250 से अधिक होने की दशा में योजना के ई.डब्ल्यू.एस. एवं अन्य आवासों का निर्माण अलग–अलग भूखण्डों पर किया जा सकेगा। उक्त स्थिति में भूखण्डों की परस्पर अधिकतम 'एरियल' दूरी, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 5.0 किलोमीटर, 5.0 लाख से अधिक परन्तु 10.0 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में 3.0 किलोमीटर तथा 5.0 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में 2.0 किलोमीटर होगी। इन्सेंटिव के दृष्टिकोण से उपरोक्तानुसार अलग–अलग भूखण्डों पर नियोजित परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जाएगा। अतः सड़कों की चौड़ाई दोनों स्थलों हेतु एक समान ही होगी।
4.10	शासनादेश संख्या 3188/आठ–1–13–80विविध/2010, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 के प्रस्तर–2 (viii) के अनुसार ई. डब्ल्यू.एस. एव एल.आई.जी. भवनों का विक्रय/हस्तान्तरण आवंटन	शासनादेश संख्या 3188/आठ–1–13–80विविध/2010, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 के प्रस्तर–2 (viii) के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. एव एल.आई.जी. भवनों का विक्रय/हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से 05 वर्षों तक प्रतिबन्धित

	की तिथि से 05 वर्षों तक प्रतिबन्धित है। इस योजना अन्तर्गत उक्त शर्त का इस सीमा तक शिथिलीकरण किया जाता है किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिए दिये गये ऋण की वसूली हेतु बन्धक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। नीलामी/विक्रय राशि से शासकीय सब्सिडी भी वसूली जाएगी।	है। इस योजनान्तर्गत उक्त शर्त का इस सीमा तक शिथिलीकरण किया जाता है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिए दिये गये ऋण की वसूली हेतु बन्धक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा किन्तु नीलामी/विक्रय से प्राप्त धनराशि से सर्वप्रथम शासकीय सब्सिडी की वसूली की जाएगी तत्पश्चात् बैंक द्वारा अपने ऋण की वसूली की जाएगी। उपरोक्त दोनों धनराशि की वसूली के पश्चात् कोई धनराशि बचती है तो वह धनराशि सम्बन्धित विकास प्राधिकरण /आवास विकास को वापस की जाएगी। निर्माण के उपरान्त लाभार्थी के पक्ष में औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए पंजीकृत अनुबन्ध (त्रिपक्षीय) निष्पादित कराते हुए कब्जा दिया जाएगा। कब्जे की तिथि से 5 वर्ष तक उक्त इकाई का उपयोग आवंटी द्वारा स्वयं किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि के बाद ही विक्रय विलेख निष्पादित किया जाएगा। यदि 5 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त इकाई का उपयोग स्वयं हेतु नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त करते हुए उक्त इकाई सम्बन्धित प्राधिकरण में निहित हो जाएगी तथा आवंटी को कोई धनराशि देय नहीं होगी।
5.1	योजनान्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन हेतु विकासकर्त्ता को <u>प्रतिस्पर्धात्मक ढंग</u> से उसके द्वारा ऑफर किये गये ई.डब्ल्यू.एस. आवास के सापेक्ष निर्माण हेतु आवासों की संख्या आवंटित (जिसे आगे लक्ष्य कहा गया है) की जायेगी। <u>लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया प्रस्तर–5.4 एवं 5.5 के अनुसार होगी।</u>	5.1 योजनान्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन हेतु विकासकर्ता का तकनीकी आधार पर चयन के बाद ऑफर किये गये ई.डब्ल्यू.एस. आवास के सापेक्ष निर्माण हेतु आवासों की संख्या आवंटित (जिसे आगे लक्ष्य कहा गया है) की जायेगी। यह आवेदन प्रक्रिया आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित नगरवार लक्ष्यों की पूर्ति तक अनुमन्य रहेगी, जो प्रशासनिक आदेशों से कभी भी

		समाप्त की जा सकती है।
5.3	विकासकर्ताओं का चयन 'बिडिंग' के माध्यम से किया जाएगा। बिड दो भाग में होगी–तकनीकी तथा वित्तीय। तकनीकी बिड के साथ बिडर को एक 'प्रोजेक्ट ब्रीफ' (संलग्नक–7अ पर है) भी प्रस्तुत करनी होगी। विकासकर्ता द्वारा प्रति ई.डब्ल्यू.एस. आवास पर रू. 2.50 लाख के अनुदान के ऊपर कितनी धनराशि (अधिकतम रू. 2.00 लाख) लाभार्थी से ली जाएगी, को वित्तीय बिडिंग मापदण्ड (Parameter) माना जाएगा।	5.3 विकासकर्ताओं के आवेदन के आधार पर प्रस्ताव स्वीकृत किया जायेगा। आवेदन में विकासकर्ताओं को तकनीकी प्रस्तावना प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तावना के साथ एक 'प्रोजेक्ट ब्रीफ' (संलग्नक–7अ पर है) भी प्रस्तुत करनी होगी। ई0डब्लू0एस0 इकाई के कॉरपेट एरिया न्यूनतम 22.77 वर्गमी0 का सीलिंग कास्ट रू0 6.00 लाख प्रति यूनिट होगा। 22.77 वर्गमी0 से 30 वर्गमी0 तक कारपेट एरिया के भवनों का विक्रय मूल्य प्रो–रेटा (समानुपातिक) आधार पर आंकलित किया जा सकेगा। प्रति ई0डब्लू0एस0 इकाई पर रू0 2.50 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा। अनुदान की धनराशि रू0 2.50 लाख के अतिरिक्त विक्रय मूल्य की अवशेष धनराशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।
5.4	प्रदेश स्तर पर नगरवार ई0डब्ल्यू0एस0 इकाईयों का लक्ष्य निर्धारित कर विकासकर्ताओं से बिड्स आमन्त्रित की जायेगी। यदि L-1 विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों की संख्या नगर के कुल लक्ष्य से कम रहती है, तो शेष लक्ष्य अन्य विकासकर्ता (यदि कोई हो) जो सर्व निम्न बिड धनराशि पर कार्य कराने हेतु सहमति देते हैं, को उनके द्वारा दी गयी बिड के आरोहि कम में (L-2, L-3..) सूचीबद्ध करते हुए उनके द्वारा कुल आफर आवासों की संख्या को तब तक बॉटा जायेगा, जब तक की नगर का लक्ष्य पूर्ण रूप से नही बट जाता है। यदि नगर का कुल लक्ष्य पूर्ण करने हेतु अन्तिम बिडर जो L-1 विकासकर्ता की सर्वनिम्न बिड धनराशि पर कार्य करने की सहमति देता है एवं	5.4 अभिकरण द्वारा अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित विकासकर्ताओं को पत्र प्रेषित करने के तुरन्त पश्चात इनके द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवनों की संख्या व स्थल, उनमें प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं तथा, प्रति भवन मूल्य एवं रूपये 5000.00 मात्र पंजीकरण शुल्क का उल्लेख करते हुए मांग सर्वेक्षण (डिमाण्ड सर्वे संलग्नक–7ब पर है) हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। विज्ञापन राज्य नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) द्वारा ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के लिये ही प्रकाशित होगा। मांग सर्वेक्षण का प्रारूप शासनादेश संख्या: 2379/आठ–1–79 बैठक/2017 दिनांक 24.12.2018 द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु पंजीकरण पुस्तिका एवं ऑन–लाइन

	उसका आफर नगर के शेष कुल लक्ष्य से अधिक आवासों का है, तो उसे कुल लक्ष्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक अवशेष ई0डब्ल0एस0 भवन बनाने का आफर दिया जायेगा, यदि वह सहमति नहीं देते है, तो उसके अगले 'बिडर' को आफर दिया जायेगा तथा यह क्रम कुल लक्ष्य पूर्ण होने तक जारी रहेगा। उपरोक्तानुसार अभिकरण द्वारा निविदादाता/ निविदादाताओं को इसी स्तर पर चयनित विकासकर्ता माना जायेगा तथा इसकी सूचना चयनित विकासकर्ता को अभिकरण द्वारा पत्र के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।	पंजीकरण फार्म के प्रारूप के आधार पर स्थलीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित कर तैयार किया जा सकता है। मांग सर्वेक्षण (डिमाण्ड सर्वे) के विज्ञापन के आधार पर पर्याप्त आवेदकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से विकासकर्ता द्वारा अभिकरणों से स्वंय की योजना हेतु विज्ञापन के प्रारूप का अनुमोदन कराकर अपने व्यय पर विधिवत् प्रचार किया जा सकता है। विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदकों की सूची को अध्यक्ष डूडा/ जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी एवं वह इस सूची का भौतिक सत्यापन करते हुए सत्यापित सूची अभिकरणों को उपलब्ध करायेंगे। अभिकरणों द्वारा सत्यापित सूची के आधार पर आवंटन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है। पर्याप्त लाभार्थियों की संख्या के उपलब्ध होने पर ही विकासकर्ता के प्रस्ताव को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। यदि उपरोक्त चयन प्रक्रिया के क्रम में अपरिहार्य परिस्थितियों में योजना में न्यूनतम 250 भवन एवं 35 प्रतिशत दुर्बल आय वर्ग के भवनों की अनिवार्यता का अनुपालन सम्भव नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार की गाइड लाइन्स के प्रस्तर–6.4 के क्रम में राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (सीएसएमसी) इन प्रतिबन्धों को शिथिल कर सकती है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया जायेगा।
5.5	अभिकरण द्वारा अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवनों की संख्या व स्थल, उनमें प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं तथा प्रति भवन मूल्य का उल्लेख करते हुए पंजीकरण (आवेदन का प्रारूप संलग्नक–7ब पर है) खोले जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। विज्ञापन राज्य नोडल	

	एजेन्सी (एसएलएनए) द्वारा ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के लिये ही प्रकाशित होगा। विज्ञापन के पश्चात आवेदकों की सूची राज्य नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) को अग्रसारित कर सत्यापित कराई जायेगी। सत्यापित सूची के आधार पर अभिकरण द्वारा भवनो की संख्या व स्थल के अनुसार भवनों का आवंटन किया जायेगा। आवंटन प्रक्रिया में एस.एल.एस.एम.सी. द्वारा अनुमोदित आरक्षण व्यवस्था का पालन किया जायेगा। राज्य नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) द्वारा सत्यापित वास्तविक लाभार्थियों की संख्या के आधार पर उक्त चयनित विकासकर्ता के द्वारा योजना में भवनों की संख्या को अंतिम रूप से निर्धारित करते हुए विकासकर्ता की 'बिड' को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। यदि उपरोक्त चयन प्रक्रिया के क्रम में अपरिहार्य परिस्थितियों में योजना में न्यूनतम 250 भवन एवं 35 प्रतिशत दुर्बल आय वर्ग के भवनों की अनिवार्यता का अनुपालन सम्भव नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार की गाइड लाइन्स के प्रस्तर–6.4 के क्रम में राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (सीएसएमसी) इन प्रतिबन्धों को शिथिल कर सकती है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया जायेगा।	
5.6	जिन विकासकर्ताओं द्वारा उक्तानुसार निर्धारित सर्वनिम्न बिड धनराशि को मैच कराने की सहमति नहीं दी जाती है, उनकी बिड निरस्त करते हुए जमा करायी गयी अर्नेस्ट मनी वापस कर दी	

	जायेगी।	
5.7	राज्य नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) द्वारा सत्यापित लाभार्थियों को भवन आवंटन लाटरी के माध्यम से निम्न समिति द्वारा किया जायेगा :– (i) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डूडा — अध्यक्ष (ii) सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण / उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति, आवास विकास परिषद / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य संयोजक (iii) सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक / अधीक्षण अभियंता, आवास एवं विकास परिषद / वित्त नियंत्रक, औद्योगिक विकास प्राधिकरण — सदस्य (iv) सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, डूडा — सदस्य चयनित लाभार्थियों को आवंटन पत्र संबंधित अभिकरण द्वारा निर्गत किया जायेगा।	5.5 राज्य नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) द्वारा सत्यापित लाभार्थियों को भवन आवंटन लाटरी के माध्यम से निम्न समिति द्वारा किया जायेगा :– (i) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डूडा — अध्यक्ष (ii) सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण / उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति, आवास विकास परिषद / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य संयोजक (iii) सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक / अधीक्षण अभियंता, आवास एवं विकास परिषद / वित्त नियंत्रक, औद्योगिक विकास प्राधिकरण — सदस्य (iv) सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, डूडा — सदस्य चयनित लाभार्थियों को आवंटन पत्र संबंधित अभिकरण द्वारा निर्गत किया जायेगा।
5.8	उपर्लिखित प्रस्तर–5.5 के अनुसार अभिकरण द्वारा विज्ञापित किये गये विज्ञापन के आधार पर प्राप्त इच्छुक लाभार्थियों के पंजीकरण में से लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। लॉटरी कुल भवनों की संख्या से 10 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों (यदि उपलब्ध हो) हेतु की जायेगी।	5.6 उपर्लिखित प्रस्तर–5.4 के अनुसार अभिकरण द्वारा विज्ञापित किये गये विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। लॉटरी कुल भवनों की संख्या से 10 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों (यदि उपलब्ध हो) हेतु की जायेगी। उक्त 10 प्रतिशत की संख्या के लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची

	उक्त 10 प्रतिशत की संख्या के लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची अभिकरण द्वारा जारी करते हुए प्रतीक्षा सूची के अन्तर्गत आ रहे सभी लाभार्थियों को भी आवंटन पत्र जारी किया जायेगा। वास्तविक चयनित लाभार्थियों में से डिफाल्टर (यदि कोई हो) लाभार्थियों का आवंटन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची में स्थित लाभार्थियों को क्रमवार डिफाल्टर लाभार्थियों के भवन आवंटित कर संशोधित पत्र जारी किया जायेगा। ऐसी दशा में डिफाल्टर लाभार्थियों द्वारा जमा धनराशि अभिकरणों के आवंटन नियमावली के आधार पर कटौती के उपरान्त डिफाल्टर लाभार्थियों को वापस कर दी जायेगी। यदि लॉटरी से चयनित वास्तविक लाभार्थियों द्वारा मांग पत्र के अनुसार धनराशि जमा कर भवन हस्तगत कर लिया जाता है, तो प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को प्रचलित एफ.डी.आर. की दर से अभिकरण द्वारा ब्याज सहित पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।	अभिकरण द्वारा जारी करते हुए प्रतीक्षा सूची के अन्तर्गत आ रहे सभी लाभार्थियों को भी आवंटन पत्र जारी किया जायेगा। वास्तविक चयनित लाभार्थियों में से डिफाल्टर (यदि कोई हो) लाभार्थियों का आवंटन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची में स्थित लाभार्थियों को क्रमवार डिफाल्टर लाभार्थियों के भवन आवंटित कर संशोधित पत्र जारी किया जायेगा। ऐसी दशा में डिफाल्टर लाभार्थियों द्वारा जमा धनराशि अभिकरणों के आवंटन नियमावली के आधार पर कटौती के उपरान्त डिफाल्टर लाभार्थियों को वापस कर दी जायेगी। यदि लॉटरी से चयनित वास्तविक लाभार्थियों द्वारा मांग पत्र के अनुसार धनराशि जमा कर भवन हस्तगत कर लिया जाता है, तो प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को प्रचलित एफ.डी.आर. की दर से अभिकरण द्वारा ब्याज सहित पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।
6.1	यह योजना विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र/विनियमित क्षेत्र की महायोजना/औद्योगिक विकास क्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग में ऐसे स्थलों जहां पर न्यूनतम निर्धारित चौड़ाई के पहुंच मार्ग की सुविधा उपलब्ध हो, जलापूर्ति, जल निस्तारण (ड्रेनेज) एवं मल निस्तारण तथा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो, में क्रियान्वित की जा सकेगी। वाह्य विकास के आवश्यक कार्य योजना की सीमा से अधिकतम 50 मी0 की दूरी तक संबंधित शासकीय अभिकरण द्वारा कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त महायोजना मार्ग, पार्क एवं खुले	6.1 यह योजना विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र/विनियमित क्षेत्र की महायोजना/औद्योगिक विकास क्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग में ऐसे स्थलों जहां पर न्यूनतम निर्धारित चौड़ाई के पहुंच मार्ग की सुविधा उपलब्ध हो, जलापूर्ति, जल निस्तारण (ड्रेनेज) एवं मल निस्तारण तथा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो, में क्रियान्वित की जा सकेगी। अभिकरणों द्वारा योजना विशेष हेतु कोई विकास कार्य नही किये जायेगें। प्राधिकरणों को प्राप्त होने वाले विकास शुल्क से नगरीय स्तर के विकास कार्य कराये जा सकेंगें। इसके अतिरिक्त महायोजना मार्ग, पार्क एवं खुले स्थल, बाग,

	स्थल, बाग, बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, नगर स्तर की जनसुविधा/उपयोग यथा–बस टर्मिनल, एस.टी.पी., फायर स्टेशन, इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन, वाटर वर्क्स आदि प्रस्तावित भू–उपयोगों को छोड़कर अन्य भू–उपयोगों के अन्तर्गत भी नियमानुसार भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तन कराकर कियान्वित की जा सकेगी जिसके लिए भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता में पूर्ण छूट होगी।	बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, नगर स्तर की जनसुविधा/ उपयोग यथा–बस टर्मिनल, एस.टी.पी., फायर स्टेशन, इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन, वाटर वर्क्स आदि प्रस्तावित भू–उपयोगों को छोड़कर अन्य भू–उपयोगों के अन्तर्गत भी नियमानुसार भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तन कराकर क्रियान्वित की जा सकेगी जिसके लिए भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता में पूर्ण छूट होगी। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु आवासीय उपयोग जहां पर न्यूनतम चौड़ाई के पहुंच मार्ग की सुविधा उपलब्ध हो, जलापूर्ति जल निस्तारण (ड्रेनेज) एवं मल निस्तारण, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो, में ही क्रियान्वित की जायेगी।
6.2	गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर व आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ एवं गौतमबुद्ध नगर के विकासकर्ताओं को योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर वाह्य विकास शुल्क 50 प्रतिशत देय होगा। अन्य नगरों में विकासकर्ता द्वारा योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर 25 प्रतिशत वाह्य विकास शुल्क देय होगा। वाह्य विकास शुल्क का भुगतान 03 छमाही किश्तों में भी किया जा सकता है। योजना के समस्त आंतरिक विकारा कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वित किये जाएंगे। विकासकर्ता द्वारा योजना के निवासियों के लिए जलापूर्ति, जल–मल निस्तारण, सालिड वेस्ट डिस्पोजल, विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु विकासकर्ता को स्थल चयन ध्यानपूर्वक करना होगा। शासकीय अभिकरण द्वारा आवश्यक होने पर	6.2 गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर व आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ एवं गौतमबुद्ध नगर के विकासकर्ताओं को योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर वाह्य विकास शुल्क 50 प्रतिशत देय होगा। अन्य नगरों में विकासकर्ता द्वारा योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर 25 प्रतिशत वाह्य विकास शुल्क देय होगा। वाह्य शुल्क का भुगतान तीन छमाही किश्तों में एम.सी.एल.आर.+1.0 प्रतिशत ब्याज सहित भी किया जा सकता है। किश्तों में विलम्ब की स्थिति में 03 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा। योजना के समस्त आंतरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वित किये जाएंगे। विकासकर्ता द्वारा योजना के निवासियों के लिए जलापूर्ति, जल–मल निस्तारण, सालिड वेस्ट डिस्पोजल, विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु विकासकर्ता को स्थल चयन

<table>
<tr>
<td></td>
<td>योजना स्थल की सीमा से अधिकतम 50 मी0 की दूरी तक सीवरेज, ड्रेनेज तथा विद्युतीकरण की सुविधा तथा कनेक्टिविटी मुहैया करायी जायेगी।</td>
<td>ध्यानपूर्वक करना होगा। शासकीय अभिकरणों द्वारा अवस्थापना सुविधा उपलब्ध होने की दशा में वास्तविक आंगणन के आधार पर शुल्क लेते हुए कनेक्टिविटी की सुविधा दी जायेगी।

6.2.1 यदि कोई योजना केवल ई0डब्लू0एस0 हेतु प्रस्तावित की जाती है तो वाह्य विकास शुल्क देय नही होगा।

6.2.2 विकास शुल्क की दरों का निर्धारण, नगरों के प्रस्तावित वर्गीकरण के अनुसार निम्नानुसार प्रस्तावित है (वर्ष 2014–15) :–
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विकास क्षेत्र / नगर का नाम</th><th>विकास शुल्क (प्रतिवर्ग मी0)</th></tr>
<tr><td></td><td>गाजियाबाद</td><td>2500/–</td></tr>
<tr><td></td><td>लखनऊ, कानपुर, आगरा</td><td>1400/–</td></tr>
<tr><td></td><td>मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली</td><td>1000/–</td></tr>
<tr><td></td><td>अलीगढ़, गोरखपुर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मथुरा–वृन्दावन, झांसी, मुजफ्फरनगर, शामली, खतौली, पंडितदीन दयाल उपाध्याय नगर, खुर्जा, हापुड़–पिलखुआ, बागपत–बड़ौत–खेकड़ा, मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी, न्यू सिकन्दराबाद, फिरोजाबाद– शिकोहाबाद, उन्नाव–शुक्लागंज, सिकन्दराबाद, गजरौला</td><td>700/–</td></tr>
<tr><td></td><td>अयोध्या, रायबरेली, बांदा, रामपुर, उरई, आजमगढ़, बस्ती, बिठूर, अकबरपुर माती, फतेहपुर सीकरी, छाता, कोसीकला, चौमुहा, नन्दगांव, गोवर्धन–राधाकुण्ड, गढमुक्तेश्वर, जहांगीराबाद, शिकारपुर, मीरजापुर</td><td>400/–</td></tr>
<tr><td colspan="3">अधिसूचना संख्या–1811/8–3–14–211 विविध/13 दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के शेष प्राविधान यथावत् रहेगें। किन्तु शासनादेश संख्या–3188/ आठ–1–13–80 विविध/2010, दिनांक 05.12.2013 के प्राविधानों के दृष्टिगत योजनान्तर्गत निर्मित किए जाने वाले ई.डब्ल्यू.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		एस. भवन डेन्सिटी के प्राविधानों से मुक्त रहेंगे।
6.3	विकासकर्ता को योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 1.0 एफ.ए.आर. (मूल योजना में अवशेष एफ.ए.आर. सहित) ट्रान्सफरेबल डेवलपमेन्ट्स राइट्स (टी.डी.आर.) के रूप में निःशुल्क अनुमन्य होगा, जिसमें से अधिकतम 10 प्रतिशत तल क्षेत्रफल व्यावसायिक उपयोग में लाया जा सकता है। टी.डी.आर. का उपयोग उसी विकास क्षेत्र की महायोजना के अन्तर्गत किया जा सकेगा। टी.डी.आर की गणना हेतु ई.डब्ल्यू.एस. से आच्छादित भूमि के सर्किल रेट का आधार लिया जाएगा। ई.डब्ल्यू.एस. भूमि के सर्किल रेट एवं जिस भूमि पर टी.डी.आर. का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के सर्किल रेट के मध्य जो अनुपात होगा, उसी अनुपात में टी.डी.आर. की अनुमन्यता आंकलित की जाएगी। उदाहरणार्थ यदि ई.डब्ल्यू.एस. भूमि का सर्किल रेट 'क' एवं टी.डी.आर. का उपयोग किए जाने वाली भूमि का सर्किल रेट 'ख' है तो अनुमन्य टी.डी.आर. की गणना ('क'×अवशेष अनुमन्य एफ.ए.आर.)/'ख') के फार्मूला के आधार पर की जाएगी। टी.डी.आर. का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को भी किया जा सकेगा (टी0डी0आर0 उपविधि संलग्नक–8)।	6.3विकासकर्ता को योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 1.0 एफ.ए.आर. (मूल योजना में अवशेष एफ.ए.आर. सहित) ट्रान्सफरेबल डेवलपमेन्ट्स राइट्स (टी.डी.आर.) के रूप में निःशुल्क अनुमन्य होगा, जिसमें से अधिकतम 10 प्रतिशत तल क्षेत्रफल व्यावसायिक उपयोग में लाया जा सकता है। टी.डी.आर. का उपयोग उसी योजना में अथवा विकास क्षेत्र की महायोजना के अन्तर्गत किसी अन्य परियोजना में किया जा सकेगा। टी.डी.आर की गणना हेतु ई.डब्ल्यू.एस. से आच्छादित भूमि के सर्किल रेट का आधार लिया जाएगा। ई.डब्ल्यू.एस. भूमि के सर्किल रेट एवं जिस भूमि पर टी.डी.आर. का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के सर्किल रेट के मध्य जो अनुपात होगा, उसी अनुपात में टी.डी.आर. की अनुमन्यता आंकलित की जाएगी। उदाहरणार्थ यदि ई.डब्ल्यू.एस. भूमि का सर्किल रेट 'क' एवं टी.डी.आर. का उपयोग किए जाने वाली भूमि का सर्किल रेट 'ख' है तो अनुमन्य टी.डी.आर. की गणना (('क'×अवशेष अनुमन्य एफ.ए.आर.)/'ख') के फार्मूला के आधार पर की जाएगी। टी.डी.आर. का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को भी किया जा सकेगा (टी0डी0आर0 उपविधि संलग्नक–8)।
6.6	विकासकर्ता को प्रति ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाई के सापेक्ष रू. 2.50 लाख का अनुदान तथा लाभार्थियों से बिड एमाउण्ट की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।	6.6 विकासकर्ता को प्रति ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाई के सापेक्ष रू. 2.50 लाख का अनुदान तथा लाभार्थियों से विक्रय मूल्य की अवशेष धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
7.2	शासकीय अभिकरण द्वारा अनुमोदित डी.पी.आर. राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एस.एल.ए.सी.)	7.2शासकीय अभिकरण द्वारा अनुमोदित डी.पी.आर. राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एस.एल.ए.सी.) के माध्यम से

<table>
<tr>
<td></td>
<td>के माध्यम से राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (एस.एल.एस.एम.सी.) की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाएगी। तत्पष्चात एस.एल.एस.एम.सी. द्वारा केन्द्रीय सहायता के लिए अपनी संस्तुति केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (सी.एस.एम.सी.) को प्रेषित की जाएगी। शासनादेश संख्या–162/2016/623/69–1 –2016–14(139) /2015 टी.सी, दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एस.एल.ए.सी.) एवं राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (एस.एल.एस.एम.सी.) गठित की गयी है, जबकि भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) स्कीम दिशा–निर्देश में केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (सी.एस.एम.सी.) गठित की गयी है। उक्त समितियों का संरचनात्मक स्वरुप निम्नवत् हैः–
(क) राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एस.एल.ए.सी.)
<table>
<tr><td>(1)</td><td>मिशन निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित तकनीकी अधिकारी।</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>निदेशक, आवास बन्धु अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।</td></tr>
</table>
(ख) राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (एस.एल.एस.एम.सी.)
<table>
<tr><td>1.</td><td>मुख्य सचिव</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन</td><td>उपाध्यक्ष</td></tr>
</table>
</td>
<td>राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (एस.एल.एस.एम.सी.) की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाएगी। तत्पश्चात एस.एल.एस.एम.सी. द्वारा केन्द्रीय सहायता के लिए अपनी संस्तुति केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (सी.एस.एम.सी.) को प्रेषित की जाएगी। शासनादेश संख्या–162/2016/623/69–1–2016–14(139) /2015 टी.सी, दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एस.एल.ए.सी.) एवं राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (एस.एल.एस.एम.सी.) गठित की गयी है, जबकि भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) स्कीम दिशा–निर्देश में केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (सी.एस.एम.सी.) गठित की गयी है। उक्त समितियों का संरचनात्मक स्वरुप निम्नवत् हैः–
(क) राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एस.एल.ए.सी.)
<table>
<tr><td>(1)</td><td>मिशन निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित तकनीकी अधिकारी।</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>निदेशक, आवास बन्धु अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।</td></tr>
</table>
(ख) राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (एस.एल.एस.एम.सी.)
<table>
<tr><td>1.</td><td>मुख्य सचिव</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन</td><td>उपाध्यक्ष</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेष शासन।	
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास उ.प्र.शासन।	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र.शासन।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उ.प्र. शासन।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ.प्र. शासन।	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, उ.प्र. शासन।	सदस्य
8.	संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।	सदस्य
9.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
10.	निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (राज्य नोडल एजेन्सी (एसएलएनए)) /मिशन डायरेक्टर।	सदस्य सचिव

	कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास उ.प्र. शासन।	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उ.प्र. शासन।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ.प्र. शासन।	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, उ.प्र. शासन।	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास, उ0प्र0शासन।	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना, उ0प्र0शासन।	सदस्य
10.	संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।	सदस्य
11.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
12.	निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (राज्य	सदस्य सचिव

(ग) केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (सी.एस.एम.सी.)

1.	सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय।	अध्यक्ष
2.	सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय।	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभग)।	सदस्य
4.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।	सदस्य
5.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय।	सदस्य
7.	सचिव, श्रम मंत्रालय।	सदस्य
8.	सचिव, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय।	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव (यूपीए) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय।	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय/	सदस्य

	नोडल एजेन्सी (एसएलएनए))/मिशन डायरेक्टर।	

(ग) केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (सी.एस.एम.सी.)

1.	सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय।	अध्यक्ष
2.	सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय।	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभग)।	सदस्य
4.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।	सदस्य
5.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय।	सदस्य
7.	सचिव, श्रम मंत्रालय।	सदस्य
8.	सचिव, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय।	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव (यूपीए) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय।	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय/ आवास एवं शहरी	सदस्य

	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। 11. मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी), शहरी विकास मंत्रालय। — सदस्य 12. सभी के लिए आवास के प्रभारी संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। — सदस्य यदि उक्त समितियाँ सक्षम स्तर से संशोधित होती हैं तो संशोधित समिति प्रभावी होगी।	गरीबी उपशमन मंत्रालय। 11. मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी), शहरी विकास मंत्रालय। — सदस्य 12. सभी के लिए आवास के प्रभारी संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। — सदस्य यदि उक्त समितियाँ सक्षम स्तर से संशोधित होती हैं तो संशोधित समिति प्रभावी होगी।
7.9	विकासकर्ता द्वारा योजना का क्रियान्वयन रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीकरण की तिथि से प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा तथा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के भवनों का निर्माण (स्थल विकास सहित) 24 माह पूर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में उक्त कार्य पूर्ण न करने पर विकासकर्ता द्वारा डी.पी.आर. में उल्लिखित ई.डब्ल्यू.एस. योजना की लागत की 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन (अधिकतम 60 दिन तक) की दर से पेनाल्टी शासकीय अभिकरण को देय होगी। 60 दिन की अवधि के पश्चात् प्रस्तर–4.7 एवं प्रस्तर–4.8 के प्राविधानानुसार यथास्थिति, बैंक गारन्टी तथा बन्धक रखी गयी भूमि के जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। योजना के अवशेष विकास एवं निर्माण कार्य प्रभावी नियमों की व्यवस्थानुसार पूर्ण करके पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।	7.9 विकासकर्ता द्वारा योजना का क्रियान्वयन रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीकरण की तिथि से प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा तथा ई. डब्ल्यू.एस. श्रेणी के भवनों का निर्माण अधिकतम 04 तलों में प्रस्तावित होने की दशा में (स्थल विकास सहित) 24 माह तथा चार तलों से अधिक तलों में प्रस्तावित होने की दशा में अधिकतम 30 माह में पूर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में उक्त कार्य पूर्ण न करने पर विकासकर्ता द्वारा डी.पी.आर. में उल्लिखित ई.डब्ल्यू.एस. योजना की लागत की 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन (अधिकतम 60 दिन तक) की दर से पेनाल्टी शासकीय अभिकरण को देय होगी। 60 दिन की अवधि के पश्चात् प्रस्तर–4.7 एवं प्रस्तर–4.8 के प्राविधानानुसार यथास्थिति, बैंक गारन्टी तथा बन्धक रखी गयी भूमि के जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। योजना के अवशेष विकास एवं निर्माण कार्य प्रभावी नियमों की व्यवस्थानुसार

		पूर्ण करके पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
8.1	विकासकर्ता द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. इकाईयों का निर्माण कर उन्हें शासकीय अभिकरण द्वारा चिन्हित ऐसे लाभार्थियों के पक्ष में हस्तांतरित करना होगा जिनके द्वारा योजनान्तर्गत पंजीकरण कराया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत परियोजना की सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात लाभार्थी द्वारा बिड धनराशि का 25 प्रतिशत (अधिकतम रू. 50,000) पंजीकरण धनराशि अभिकरण के माध्यम से विकासकर्ता को दी जाएगी। बिड धनराशि का शेष 75 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.50 लाख) प्रति आवास की धनराशि तीन छमाही किश्तों में अभिकरण द्वारा लाभार्थियों से प्राप्त कर प्रत्येक तिमाही विकासकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार विकासकर्ता को 'बिड धनराशि' (अधिकतम रू. 2.00 लाख प्रति आवास) प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की गाईडलाइन्स के प्राविधानानुसार विकासकर्ता को कुल 2.5 लाख रूपये प्रति ई.डब्ल्यू. एस. आवासीय इकाई (केन्द्रांश 1.50 लाख एवं राज्यांश 1.00 लाख) शासकीय अभिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के विकास एवं निर्माण की शेष लागत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त इन्सेन्टिव्स से 'क्रास–सब्सिडाइज' की जानी होंगी।	8.1 विकासकर्ता द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. इकाईयों का निर्माण कर उन्हें शासकीय अभिकरण द्वारा चिन्हित ऐसे लाभार्थियों के पक्ष में हस्तांतरित करना होगा जिनके द्वारा योजनान्तर्गत पंजीकरण कराया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत परियोजना की सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात लाभार्थी द्वारा मात्र रू0 5000.00 (रू. पांच हजार मात्र) पंजीकरण धनराशि अभिकरण के माध्यम से विकासकर्ता को दी जाएगी। अवशेष धनराशि छः तिमाही किश्तों में अभिकरण द्वारा लाभार्थियों से प्राप्त कर प्रत्येक तिमाही विकासकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार विकासकर्ता को भवन मूल्य की धनराशि प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की गाईडलाइन्स के प्राविधानानुसार विकासकर्ता को कुल 2.5 लाख रूपये प्रति ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाई (केन्द्राश 1.50 लाख एवं राज्यांश 1.00 लाख) शासकीय अभिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के उपरोक्तानुसार निर्धारित 22.77 वर्गमी0 कारपेट एरिया के लिए रू0 6.00 लाख तथा 22.77 व0मी0 से 30 व0मी0 तक के कारपेट एरिया के भवनों की लागत को प्रो–रेटा क्षेत्रफल के आधार पर सीलिंग कॉस्ट के अतिरिक्त विकास एवं निर्माण की शेष लागत, (यदि कोई अवशेष हो) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त इन्सेन्टिव्स से 'क्रास–सब्सिडाइज' की जानी होंगी। केन्द्रांश व राज्यांश के मद की धनराशि प्राप्त होने पर अधिकतम एक माह में विकासकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।
8.3	योजना के सम्बन्ध में समस्त विधिक एवं नियमानुसार वांछित अन्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा पर्यावरणीय स्वीकृति, आदि	8.3 योजना के सम्बन्ध में समस्त विधिक एवं नियमानुसार वांछित अन्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा पर्यावरणीय स्वीकृति, आदि के सम्बन्ध में

	विकासकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वयं प्राप्त किए जाएंगे।	प्राधिकरणों में लागू ऑन लाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम व निवेश मित्र के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
8.10	विकसित योजना की सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उनका रख–रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा। योजनान्तर्गत निर्मित अपार्टमेन्ट्स में कॉमन सुविधाओं के रख–रखाव हेतु. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट अधिनियम, 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। विकासकर्ता द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण, भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं अकास्मिक अनुरक्षण कार्य हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि का कॉरपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनो फण्ड में सम्पूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात् अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फ़ण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी।	8.10 विकसित योजना की सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उनका रख–रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा। योजनान्तर्गत निर्मित अपार्टमेन्ट्स में कॉमन सुविधाओं के रख–रखाव हेतु उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट अधिनियम, 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। विकासकर्ता द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु, भवन के निर्धारित मूल्य की 01प्रतिशत की धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यों हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि का कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनो फण्ड में सम्पूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। उक्त भवनों के पूर्ण होने के उपरांत प्रथम कब्जे की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक अनुरक्षित किया जायेगा। 5 वर्ष से पूर्व आर.डब्ल्यू.ए. का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी। चार मंजिला से अधिक तलों के अपार्टमेंट भवनों के नियमित अनुरक्षण हेतु 1 प्रतिशत तथा वृहद एव आकस्मिक अनुरक्षण कार्यो हेतु 1 प्रतिशत प्रति इकाई का अतिरिक्त कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनो अतिरिक्त फण्ड में सम्पूर्ण धनराशि का योगदान विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। उक्त भवनों के पूर्ण

		होने के उपरांत प्रथम कब्जे की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक विकासकर्ता द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा। 5 वर्ष से पूर्व आर.डब्ल्यू.ए. का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात् अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी।
11	योजना के क्रियान्वयन की प्रगति के अनुश्रवण, क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाईयों के निवारण, निजी विकासकर्ताओं की समस्याओं तथा आवंटियों/क्रेताओं की शिकायतों के समाधान हेतु अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति होगी जिसमें विकासकर्ता/प्रतिनिधि, संबंधित शासकीय अभिकरण का प्रतिनिधि तथा प्रथम आवंटी/क्रेता (यदि हों) सदस्य होगें। उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के प्रकरण में उक्त समिति प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में होगी। इस सम्बन्ध में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-623/69-1-2016-14(139)/2015टी.सी., दिनांक 21 मार्च, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।	11. योजना के क्रियान्वयन की प्रगति के अनुश्रवण, क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाईयों के निवारण, निजी विकासकर्ताओं की समस्याओं तथा आवंटियों/क्रेताओं की शिकायतों के समाधान हेतु अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति होगी जिसमें विकासकर्ता/प्रतिनिधि, संबंधित शासकीय अभिकरण का प्रतिनिधि तथा प्रथम आवंटी/क्रेता (यदि हों) सदस्य होगें। उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के प्रकरण में उक्त समिति प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में होगी तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के प्रकरण में उक्त समिति प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना की अध्यक्षता में होगी। इस सम्बन्ध में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-623/69-1-2016-14(139)/2015टी.सी., दिनांक 21 मार्च, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xxxxxxxx

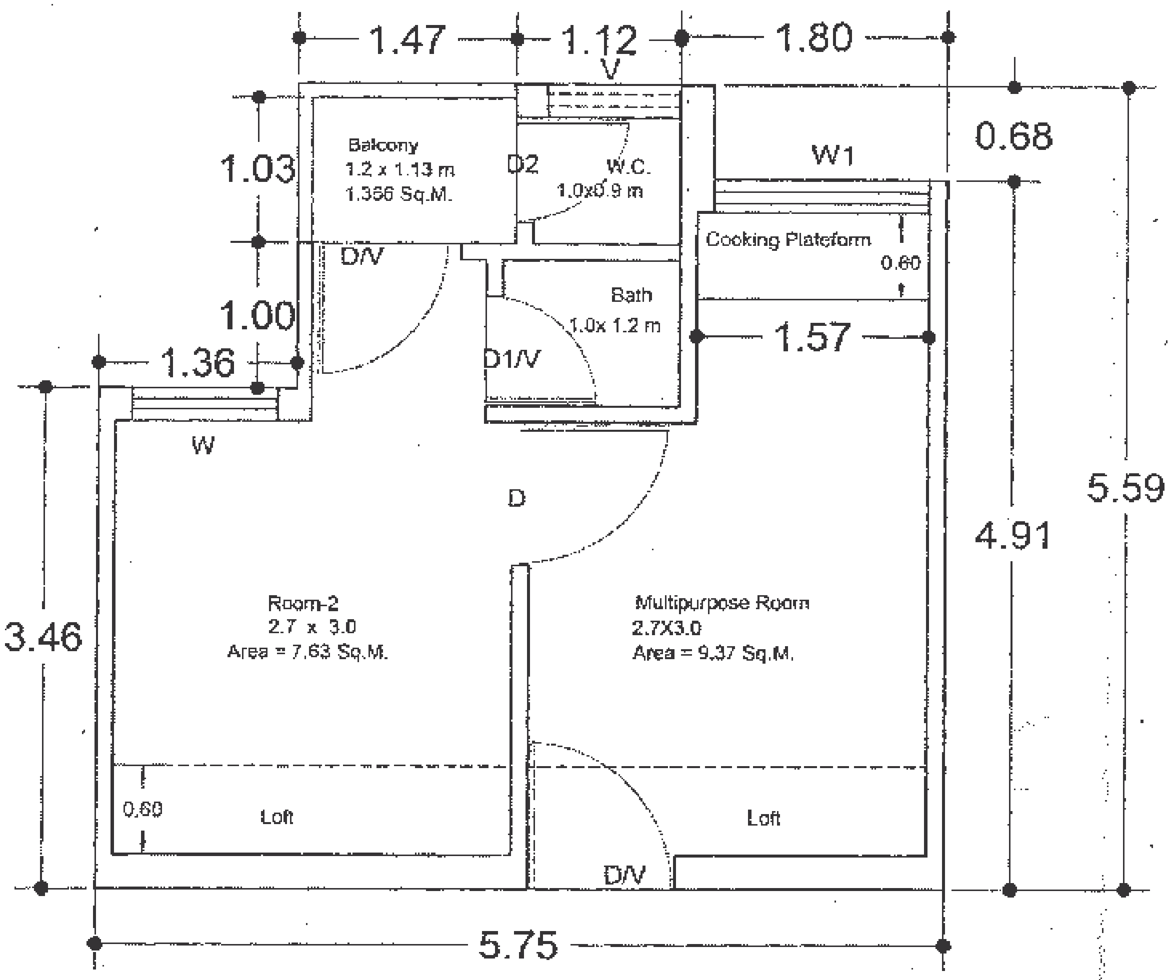

UNIT PLAN

CARPET AREA =22.77 SQ.M.
SUPER AREA OF ONE UNIT = 34.07 SQM
HT. FLOOR TO CEILING =2.9 M

OPENING:-

S.N.	TYPE	WIDTH	HEIGHT	REMARKS	BLOCK PLAN FOR PM AWAS YOJNA
1.	D/V	900	2700	ANGLE IRON SINGLE LEAF DOOR	
2.	D1/V	750	2700	ANGLE IRON SINGLE LEAF DOOR	
3.	D	900	2100	ANGLE IRON SINGLE LEAF DOOR	
4.	D1	750	2100	ANGLE IRON SINGLE LEAF DOOR	
5.	W	1200	1200	Z-SECTION SINGLE 3 LEAF WITH GRILL	
6.	W1	1000	1050	Z-SECTION SINGLE 2 LEAF WITH GRILL	
7.	V	600	600	Z-SECTION SINGLE LEAF WITH GRILL	

Conventional specification of proposed houses under Pradhanmantri Avas Yojna

1-CIVIL WORKS:-

- Base Concrete :- Foundation base concrete in 1:4:8 ¼ 1 cement : 4 coarse sane 8 with 40 MM graded stone ballast)
- R.C.C. Foundation :- M-20 grade or as per design.
- R.C.C. Column/Lintel/Beam/Slab :- M-20 grade or as per design.
- Superstructure :- 230 MM thick brick work/ 115 MM thick brick work in 1:6 ceme and coarse sand FM 1.5 to 2.0) as required
- Plaster :- Inner and outer 12 MM thick cement plaster in 1:6 (1 cement 6 coars sand) FM 2.0 to 2.6)
- Kitchen top :- With floor tile or any stone.
- Floor/Wall Tiles (In toilets & kitchen only) :- size not less than 300x300 MM floc tiles of approved make and wall tiles not less than of 200x300 MM over 20mm thic Cement Mortor of 1:4 (1 Cement : 4 Coarse sand)
- Finishing :- Outer finishing with 2 coat of apex whether coat with Birla Putti an internal finish with 2 coat colour wash Distemper.
- Door Shutter :- 30mm thick flush Door Shutter ISI Mark.
- Window and Ventilators:- UPVC two track sliding frames with 5.0 or 6.0 MM clea float glass.
- Water Storage Tank :- 500 ltr. triple layer per house. polyethylene water storage tank or RCC combined tank of required capacity
- Roof Treatment :- Brick coba with khurra or any other appropriate water proofing treatment.

2-Water Supply & Saintary :-

- 15/20/25 mm Dia B-Class CPVC PIPE with all required fittings ISI Mark.
- Orrisa pattern W.C. pan size 580 MM ISI Mark
- 15mm dia C.P. brass bib cock 400 gm and above.

3-Electrification :-Copper concealed wiring with PVC conduit pipe in slab and roof

- Points:- Light points, Fan points with regulator, 5 amp plug points & 15 amp power plugs
- Earthling:- As per requirement of site.
- Electric connection from pannel to source would be concealed.

नोट : उपरोक्त विशिष्टियों के अतिरिक्त इस योजना के प्रस्तर–4.1 में उल्लिखित 'उभरती, किफायती, आवास प्रोद्योगिकियों (F.No. BMT/CBM/ET/2014/17/6/14-शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन एवं संसदीय कार्य मन्त्री भारत सरकार) में का उपयोग भी किया जा सकता है।

PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA (P.M.A.Y.)
Project Brief

1.	Introduction of Project	Summary
2.	Location of Project	a) Site location on Google map
		b) Site location on Master Plan /Zonal Plan
		c) Site superimposed on Khasra Plan
		d) Total Station Survey with Key Plan
3.	Land Details of site	a) Type and status of land-*Acquired, Nazul , Gram Sabha* etc
		b) Area details
		c) Status of possession
4.	Layout Plan / Architectural details	a) Layout Plan & Landscape Plan of project
		b) Architectural Plan of building / cluster/ Unit Plan
		c) Elevation/ Sectional View
		d) Service plan/ Parking Plan of project
		e) Area Details- Carpet Area , Circulation Area , Saleable Area
5.	Estimates & Costing	a) Specifications of project
		b) Detailed Estimate & B.O.Q. with rate analysis
		c) PERT/ Bar Chart/ Time Line of Project
		d) Detailed costing and Sale Price
6.	NOCs	a) Environment/ Pollution Control Board
		b) Fire
		c) Structural Safety

विविध

संख्या:3/2020/एम.एस.01/आठ-1-2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

1 आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3 अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2020

विषयः- वर्तमान में प्रदेश में भीषण शीत लहर के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश के संबंध में।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 26.12.2019 की रात्रि में लखनऊ नगर में स्थित विभिन्न रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया। तत्क्रम में वर्तमान में भीषण शीत लहर को देखते हुए समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को निम्नवत निर्देश देते हुए राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को अपने स्तर से अनुश्रवण करने एवं समुचित निर्देश प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है :-

(1) समस्त चिकित्सालयों, मेडिकल कालेजों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, श्रमिकों के कार्य स्थलों एवं बाजारों में अनिवार्य रूप से रैन बसेरे संचालित किये जायें। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण आदि भी अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

(2) रैन बसेरा में ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों जिनके पास ठहरने की सुविधा नहीं है तथा विशेष रूप से जो चिकित्सा एवं रोजगार आदि के लिए बाहर से आये हैं उन्हें खुले में अथवा सड़क की पटरियों पर न सोना पड़े, बल्कि निकटस्थ रैन बसेरा में रहने की सुविधा दी जाय।

(3) रैन बसेरा में समस्त सुविधाएं अच्छी हों तथा इसमें साफ-सफाई, स्वच्छ बैड शीट, कम्बल, गरम पानी तथा सी0सी0टी0वी0 आदि की व्यवस्था हो एवं इसमें केयर टेकर भी तैनात किये जायें।

(4) रैन बसेरा में महिलाओं एवं पुरुषों के सोने व शौचालय आदि की भी अलग-अलग व्यवस्था हो।

(5) शासन द्वारा जिलाधिकारियों को कम्बल आदि के लिए पर्याप्त धनराशि दी गयी है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को कम्बल आदि उपलब्ध कराये जायें।

उपरोक्त व्यवस्थाओं को जिलाधिकारियों द्वारा अपने पर्यवेक्षण में भली-भाँति कराना सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाय।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मुख्यमंत्री जी के उपरोक्त निर्देशों का अपने नियंत्रणाधीन अभिकरणों में कड़ाई के अनुपालन सुनिश्चित कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने एवं कृत कार्यवाही से शासन एवं निदेशक, आवास बंधु को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या :3/2020/एम.एस.01(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, आवास बंधु, उ0प्र0 लखनऊ को समेकित अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण
संख्या–88/आठ–3–20–3005(002)/431/2019

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद।
   उ0प्र0 लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. **जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,**
   विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनॉक : 13 जनवरी, 2020**

विषय :– प्राधिकरणों/परिषद/विनियमित क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत मानचित्रों/ले–आउट में निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था/सुविधा का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भवन मानचित्र/ले–आउट स्वीकृति के समय भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के उपबन्धों के अधीन वांछित पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान हैं। यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि कतिपय स्थलों/भवनों के भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत अनुमन्य तथा मानचित्र/ले–आउट में चिन्हिंत पार्किंग को अन्य उपयोग में लाये जाने के कारण अतिक्रमण एवं ट्रैफिक जाम की समस्या से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या–22182/2019 श्रीमती राधा रानी सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में भी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार के मामलों में पार्किंग के उपयोग का कड़ाई से अनुपालन के आदेश दिये गये हैं। उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 17.12.2019 के संगत अंश निम्नवत् हैं :–

> "......During the course of arguments, it has been brought to our notice by the members of Bar that the buildings are not being constructed in the city of Lucknow as per sectioned plan and in some buildings the basement shown as parking place in the sanctioned plan is being used for other purposes which is causing traffic congestion and in some under construction commercial buildings it appears that without any place of parking space the plan has been sanctioned. Sri Deepak Kumar, Principal Secretary, Housing and Urban Development assured that the necessary action would be taken in respect to aforesaid. So on his request, matter is adjourned today. List the matter on 20.01.2020. By the said date, an affidavit be filed as directed by this Court earlier. In addition, an affidavit in relation to aforesaid issues be also filed indicating therein that what steps has been taken and what steps could be taken for restraining the illegal

constructions and for removal of traffic congestion. If the affidavits are filed, the appearance of officer concerned is exempted until further orders."

2– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समस्त भवन मानचित्र/ले–आउट स्वीकृति के समय भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के उपबन्धों के अधीन चिन्हित पार्किंग की व्यवस्था/सुविधा का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पार्किंग स्थलों को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु स्वीकृत पार्किंग स्थलों के अन्य प्रयोजनों में हो रहे उपयोग संबंधी गतिविधियों के विरूद्व नियमानुसार कठोर निषेधात्मक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कृपया शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–88(1)/आठ–3–20–3005(002)/431/2019–तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अपर मुख्य सचिव, गृह एवं गोपन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पार्किंग स्थलों पर अतिक्रमण हटाने तथा वाहनों के सुगम संचालन को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ।

(3) निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त संबंधितों को तामील कराते हुए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(4) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10
संख्या- 132 /आठ-10-20-02गठन/07
लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनयमन) अधिनयम, 1974 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, सन 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित तथा परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, सन 1973) की धारा-4 की उपधारा- (3) (अ) एवं उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन 1986) की धारा-4 की उपधारा- (3)(अ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित विकास प्राधिकरण /विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी होने के दिनांक से नाम निर्देशित **(nominate)** किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	विकास प्राधिकरण का नाम	क्र0	नाम	पिता/पति का नाम	पता
1	2	3	4	5	6
1	गाजियाबाद	1	डा0 केशव त्यागी	श्री सुखबीर सिंह त्यागी	आनंद हास्पिटल गाजियाबाद
		2	श्री चन्द्रमोहन शर्मा	स्व0 श्री श्यामलाल शर्मा	बी-24, नेहरू अपार्टमेंट, गाजियाबाद
		3	श्री पवन गोयल	श्री फतेहचंद गोयल	बी-100, लोहिया नगर
2	रामपुर	1	श्री मोहन लाल सैनी	श्री रामलाल सैनी	ग्राम हरैया रामपुर
		2	श्री काशीराम दिवाकर	श्री बट्टू लाल	ग्रा0-घारमपुर, शाहबाद, रामपुर
		3	श्री जोगेश्वर दयाल दीक्षित	श्री कमलेश्वर दयाल दीक्षित	आवास विकास गंगापार, बी514, रामपुर
3	हापुड़-पिलखुवा	1	श्री महेश अग्रवाल	स्व0 श्री शिवशरण अग्रवाल	वैष्णो कालोनी बस स्टैंड
		2	मुनेश त्यागी	श्री सोराज सिंह	ग्राम - धनौरा, पोस्ट- खास, हापुड़
		3	श्री अशोक पाल	श्री रघुवीर सिंह	उपाध्याय नगर
4	मेरठ	1	श्री नैनसिंह तोमर	श्री ईश्वरी सिंह	8, नेहरू नगर, गढ़ रोड मेरठ
		2	श्रीमती वर्षा कौशिक	श्री नीरज कौशिक	शास्त्री नगर, मेरठ
		3	श्री चरणसिंह लिसाड़ी	श्री रामकिशन लिसाड़ी	ग्राम-पोस्ट लिसाड़ी, मेरठ
5	मुजफ्फरनगर	1	श्री गजे सिंह	श्री तुगल सिंह	रेटटा नगर, पोस्ट- खुददा
		2	श्री शरद शर्मा	श्री रामप्रसाद शर्मा	315/3 गांधी कालोनी
		3	श्री श्रीमोहन तायल	स्व0 श्री योगराज तायल	862 , रामपुरी

6	मुरादाबाद	1	श्री राम किशोर चौहान	श्री कालीचरण सिंह	ग्राम करनपुर माफी, पोस्ट-हसनपुर, अमरोहा,
		2	श्री महेंद्र गुप्ता	स्व0 श्री शिवनारायण गुप्ता	लक्ष्मण पुरी, चिड़िया टोला, लाइन पार, मुरादाबाद
		3	श्री राजीव कालरा 'राजू'	श्री वेदप्रकाश कालरा	एल0आई0जी0 - बी 125 राम गंगा विहार-2, मुरादाबाद
7	बुलंदशहर	1	श्री नेमपाल सिंह	श्री हरपाल सिंह	अमरपुर वाया खानपुर
		2	श्री अजय त्यागी	स्व0 श्री भरतनन्द त्यागी	16/17 शिवपुरी, निर्मलाकान्वेंट स्कूल के पास, बुलंदशहर
		3	श्री राजीव राघव	स्व0 श्री भूप सिंह	ग्राम- बनैल, पोस्ट- बनैल बुलंदशहर
8	खुर्जा	1	श्री बी0 पी0 एलेहन्स	श्री किशनलाल	कालेज रोड, नई बस्ती, खुर्जा
		2	डा0 हर्ष जाटव	श्री लेखराज सिंह	कर्नीनी हाउस, खुर्जा
		3	श्री वेदपाल राघव	-	673,, न्यू शिवपुरी, सिद्धेश्वर रोड, खुर्जा, बुलंदशहर
9	बागप- बड़ौत- खेकड़ा	1	श्री सुदेश चौहान	स्व0 श्री रामकृष्ण चौहान	बड़ौत रोड बस स्टैंड, बागपत
		2	श्री नीरज शर्मा	श्री जगन्नाथ शर्मा	खिरनी मोहल्ला गुराना रोड बड़ौत
		3	श्री कुलप्रकाश	श्री हरपाल सिंह	बड़ौत देहात बागपत
10	सहारनपुर	1	श्री राकेश जैन	श्री प्रेमचन्द्र जैन	सरोजनी मदनपुरी कालोनी, सहारनपुर
		2	श्री सुरेन्द्र शर्मा	श्री छोटनलाल शर्मा	लेबर कालोनी, ब्लॉक-7, सहारनपुर
		3	श्री अमित गगनेजा	श्री केवलकृष्ण गगनेजा	प्रकाश पुरम बाजोरिया रोड, सहारनपुर
11	मथुरा	1	डा0 डी0एन0 गौतम	स्व0 श्री गिरिज किशोर गौतम	प्रह्लाद नगर थाना नरहौली चौराहा एन. एच. 2, मथुरा
		2	श्री भुवन भूषण कमल	श्री राम प्रसाद कमल	64/11 ए, दम्पियर नगर मथुरा
		3	श्री नवीन मित्तल	श्री ब्रजनन्दन मित्तल	एच 38 महाविधा कालोनी ए0 फर्स्ट, मथुरा
12	अलीगढ़	1	श्री हेमंत राजपूत	श्री नाथूराम राजपूत	मोहल्ला पथानन, अतरौली रोड, छर्रा
		2	सुश्री पूनम बजाज	स्व0 श्री किशनलाल बजाज	मित्रनगर रघुवीर पुरी, शिवपुरी चौराहा, अलीगढ़
		3	श्री देवराज सिंह	स्व0 श्री रघुराज सिंह	8/283 रंजीत गढ़ी
13	बरेली	1	श्री पुष्पेंद्र शर्मा	श्री ब्रह्मदत्त शर्मा	दुर्गा नगर, बरेली
		2	श्री हर्षवर्धन आर्य	स्व0 श्री श्रीकृष्ण आर्य	3 राजीव कुंज, थाना इज्जत नगर के पीछे, बरेली
		3	श्री उमेश कठेरिया	श्री महेश कुमार कठेरिया	कटरा चंदखा, बरेली
14	फिरोजाबाद- शिकोहाबाद	1	श्री अश्विनी भारद्वाज	श्री सुशील कुमार शर्मा	605, कृष्णा अपार्टमेंट, नवाब चौराहा, फिरोजाबाद
		2	श्री कन्हैयालाल गुप्ता	श्री सुधीर कुमार गुप्ता	पैमेश्वर गेट, उर्वशी रोड, फिरोजाबाद
		3	श्री बी0 एल0 वर्मा	श्री नाथूराम	फांदपुर

15	आगरा	1	श्री विजय दत्त पालीवाल	स्व0 श्री देवदत्त पालीवाल	49, विजय श्री, विजय नगर
		2	श्री शिवशंकर शर्मा	स्व0 श्री पूरन चंद शर्मा	आवास विकास कालोनी
		3	श्री नागेंद्र दुबे गामा	स्व0 श्री उमाशंकर दुबे	97, एम0आई0जी0 शहीद नगर
16	उरई-जालौन	1	श्री अनिल यादव	श्री यदुनाथ सिंह	चौरसी मोड़, चौराहा, उरई
		2	श्री दिलीप दुबे	श्री परमेसरी दयाल दुबे	राम नगर उरई
		3	श्री बृजभूषण सिंह मुन्नू	श्री कृष्ण पाल सिंह	129, राजेंद्र नगर, उरई
17	कानपुर	1	श्री रामलखन रावत	स्व0 श्री रामलाल	213/8, विजय नगर, कानपुर
		2	श्री सुरेश गुप्ता	स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	40/23, परेड, कानपुर
		3	श्री प्रमोद अग्रहरि	श्री वृन्दावन अग्रहरि	126/4, टी ब्लॉक, गोविंद नगर, कानपुर
18	बांदा	1	श्री अखिलेश नाथ दीक्षित	श्री रामचन्द्र दीक्षित	गायत्री नगर कालु कुआं
		2	श्री प्रेम नारायण द्विवेदी	श्री ईश्वरी प्रसाद द्विवेदी	कुशवाहा नगर अतर्रा रोड
		3	श्री विवेकानंद गुप्ता	श्री जवाहर लाल गुप्ता	अतर्रा रोड बबेरी बांदा
19	झांसी	1	श्री संजीव शृंगऋषि	श्री कैलाश नारायण शृंगऋषि	फ्लैट नं0 802, रायल सिटी शिवपुरी रोड झाँसी
		2	श्री सुधीर सिंह	श्री भगवान सिंह	1077/1, रावगंज कालोनी सीपरी बाज़ार, झाँसी
		3	श्री सुबोध गुबरेले	श्री गोपालदास गुबरेले	432/1, सी0टी0 मिशन कंपाउंड ग्वालीयर रोड झाँसी
20	लखनऊ	1	श्री प्रदीप भार्गव	श्री पुरुषोत्तम लाल	कैंट रोड, लखनऊ
		2	श्री पी0 एन0 सिंह	स्व0 श्री श्यामधर सिंह	308/2 क, पुराना पिकनिक स्पॉट रोड सेक्टर-12, इंदिरानगर, लखनऊ
		3	श्री पुष्कर शुक्ला	श्री शिवआधार शुक्ला	हिन्द नगर, कानपुर रोड
21	अयोध्या	1	श्री कमलेश श्रीवास्तव	स्व0 श्री सत्य नारायण लाल	188,अश्विनी पुरम कालोनी नगर, फैज़ाबाद,अयोध्या
		2	श्रीमती निर्मला सिंह	पत्नी श्री रणजीत विक्रम सिंह	3/19/45 इ. गौरा पट्टी, निमावा, फैज़ाबाद
		3	श्री परमानंद मिश्र	श्री चन्द्र देव मिश्र	25/5/40, वासुदेव घाट, अयोध्या
22	रायबरेली	1	श्री सुशील शर्मा	श्री जानकी प्रसाद	सूरज भवन दुर्गा मार्केट, के0 पी0 कचहरी रोड
		2	श्री दिनेश त्रिपाठी	श्री शिवकुमार त्रिपाठी	मो0 -कृष्णकुमार नगर
		3	श्री जय तलरेजा	श्री मेघराज तलरेजा	28 फिरोज नगर, रायबरेली
23	उन्नाव-शुक्लागंज	1	श्रीमती कमलेश सिंह	श्री धीरेंद्र सिंह	137, श्रीनगर, शुक्लागंज, उन्नाव
		2	श्री हरीशचन्द्र यादव	स्व0 श्री श्यामलाल यादव	126, रामनगर, उन्नाव
		3	श्री गणेश शंकर मिश्रा	श्री गोमती शंकर मिश्रा	12/87 शुक्लागंज, उन्नाव
24	प्रयागराज	1	श्री कमलेश कुमार	स्व0 श्री कैलाश नाथ	222, के0 जयरामपुर, पटपर,सूबेदागंज, प्रयागराज
		2	श्री रणजीत सिंह	स्व0 श्री गंगाराम सिंह	123/76 खरकौनी, नैनी, प्रयागराज
		3	श्री राजेंद्र मिश्र	श्री देवव्रत मिश्रा	137/6, चांदपुर सलोरी

25	वाराणसी	1	श्रीमती साधना वेदांती	श्री वेदप्रकाश वेदांती	के। 18/52रतन फाटक, नारायण दीक्षित लेन, विश्वेसरगंज, वाराणसी
		2	श्री प्रदीप अग्रहरि	श्री रामसुमेर अग्रहरि	माल दहिया लोहा मंडी
		3	श्री अम्बरीश कुमार सिंह (भोला)	श्री जय प्रकाश सिंह	सी0के0 65/467ए, बड़ी पियरी, थाना- चौक, वाराणसी
26	गोरखपुर	1	श्री राधेश्याम श्रीवास्तव	स्व0 श्री तमेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव	271- अशोक नगर , बशरातपुर
		2	श्री अनिल गुप्ता	स्व0 श्री मक्खनलाल गुप्ता	दीवान गमाराम , हिन्दी बाज़ार, गोरखपुर
		3	श्री पवन कुमार त्रिपाठी	श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी	पुराना गोरखपुर, गोरखनाथ गोरखपुर
27	आजमगढ़	1	श्री प्रेमप्रकाश राय	श्री बाँके राय	सशीयव, आजमगढ़
		2	श्री प्रेमनारायण पाण्डेय	स्व0 श्री रामलखन पाण्डेय	कनैला, आजमगढ़
		3	डा0 श्यामनरायण सिंह	श्री मुसाफिर सिंह	शिवली मंजिल रोड, चौधरी गेस्ट हाउस आर. जी. बाग आजमगढ़
28	बस्ती	1	श्री यशकान्त सिंह	श्री युवराज सिंह	ग्राम- बदोखर, पोस्ट- भनपुर बाबू
		2	श्रीमती रूपम श्रीवास्तव	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव	-
		3	श्री प्रेमसागर तिवारी	श्री प्रह्लाद त्रिपाठी	पियारेपुर, बस्ती
29	मिर्ज़ापुर - विंध्याचल	1	श्री मणिशंकर मिश्र	श्री कमला प्रसाद मिश्र	पुरानी वी0 आई0 पी0 रोड, विंध्याचल
		2	श्रीमती मालती त्रिपाठी	श्री केदारनाथ त्रिपाठी	पक्का पुल, पुतलीघर, मिर्ज़ापुर
		3	श्री ओंकार यादव	स्व0 श्री मिठाई लाल यादव	चेतगंज, इमामबाड़ा के पास, मिर्ज़ापुर
30	कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	स्व0श्री सुखदेव प्रसाद	राजेंद्र नगर,बांसी, वार्ड 20, सिद्धार्थनगर
		2	श्री हेमंत जायसवाल	श्री बलीकरण प्रसाद	सुभाष नगर, सिद्धार्थनगर
31	कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1	श्री जगदम्बा सिंह	श्री दशरथ सिंह	वार्ड 1, लक्ष्मीबाई पुरम, नगर पालिका कुशीनगर
		2	श्री ताराप्रसाद सिंह	श्री महावीर सिंह	ग्राम- रामपुर मिश्री, पोस्ट- अर्जुन डुमरी हाट, कुशीनगर
32	चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1	श्री जय विजय सिंह	श्री चतुरभुज सिंह	गोकुलपुरी शंकर बाज़ार कर्वी
		2	श्री शिवशंकर सिंह	श्री राम सिंह	ग्राम- बेराऊर, पोस्ट- राजापुर, चित्रकूट
33	शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1	श्री धर्मवीर तिवारी	श्री सुरेश तिवारी	वार्ड नं0- 18, टैगोर नगर, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र
		2	श्री के0सी0 जैन	स्व0 श्री लिखई जैन	बीना रोड, उनपाह, रजभादर

माला श्रीवास्तव

विशेष सचिव।

संख्या-132 (1)/आठ-10-20-02गठन/07, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस अधिसूचना को हिन्दी पाण्डुलिपि में दिनांक   फरवरी, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में प्रकाशित करायें तथा मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ शासन को एवं 5-5 प्रतियाँ नीचे अंकित/पृष्ठांकित अधिकारियों को सीधे अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(माला श्रीवास्तव)

विशेष सचिव।

संख्या-132 (2)/आठ-10-20-02गठन/07, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि वह संबन्धित सदस्य को अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0 प्र0, टी.सी.जी./1-ए-वी 5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(माला श्रीवास्तव)

विशेष सचिव।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या : 6192/आठ–1–20–34बैठक/17टी०सी०

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त वि०क्षे० विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2020

विषय:– वर्ष 2020–21 के वृक्षारोपण लक्ष्यों के निर्धारण एवं उससे संबंधित कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या–2/2019/881/81–5–2019–03/2019, दिनांक 21 नवम्बर, 2019(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण कष्ट करें, जिसके द्वारा वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लिए वर्ष 2020–21 में 5.00 लाख पौधरोपण, वर्ष 2021 22 में 6.00 लाख पौधरोपण एवं वर्ष 2022–23 में 7.00 लाख पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1328/आठ–1–19 34बैठक/17टी.सी., दिनांक 07.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल 07,41,500 पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

3– अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 21.11.2019 एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–1328/आठ–1–19–34बैठक/17टी.सी., दिनांक 07.08.2019 के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों हेतु वर्षाकाल 2020–21 में कुल 7,41,500 पौधरोपण का लक्ष्य अभिकरणवार निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

क.सं.	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2020–21 में पौधरोपण हेतु संशोधित लक्ष्य
1	2	3
1	आवास विकास परिषद	60000
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण	80000
3	कानपुर विकास प्राधिकरण	80000
4	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	117000
5	आगरा विकास प्राधिकरण	40000
6	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	40000
7	मेरठ विकास प्राधिकरण	35000
8	वाराणसी विकास प्राधिकरण	30000
9	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	15000
10	बरेली विकास प्राधिकरण	15000
11	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	15000
12	अयोध्या विकास प्राधिकरण	8000
13	झांसी विकास प्राधिकरण	30000

G.I.P.Sh 2020/G.O.-20

14	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	20000
15	अलीगढ विकास प्राधिकरण	15000
16	बांदा विकास प्राधिकरण	15000
17	मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण	15000
18	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	15000
19	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	11000
20	हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण	15000
21	उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	5500
22	फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	8000
23	रामपुर विकास प्राधिकरण	1000
24	रायबरेली विकास प्राधिकरण	8000
25	उरई विकास प्राधिकरण	8000
26	बागपत–बड़ोत–खेकड़ा विकास प्राधिकरण	10000
27	खुर्जा विकास प्राधिकरण	8000
28	आजमगढ विकास प्राधिकरण	8000
29	मिर्जापुर विकास प्राधिकरण	1000
30	बस्ती विकास प्राधिकरण	1000
31	कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	5000
32	शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	5000
33	चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1000
34	कपिलवस्तु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1000
	कुल योग	7,41,500

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्य की दिनांक 07 जुलाई, 2020 तक शतप्रतिशत पूर्ति एवं कार्य–योजना, जिसमें वृक्षारोपण स्थल का विवरण एवं उसका क्षेत्रफल, स्थल की जी0पी0एस0 लोकेशन (अक्षांश एवं देशान्तर), स्थलवार रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण, पौधों की प्राप्ति के लिए स्रोत (पौधशाला चिंहाकन), पौधरोपण हेतु तैयार किये गये गड्ढो की सूचना तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी कार्मिकों के नाम, मो0 नम्बर आदि का विवरण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को इस आशय से प्रेषित कृपया सम्बन्धित अभिकरणों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की समेकित सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या 1439 /आठ-1-20-1439/20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त वि0क्षे0 विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 अक्टूबर, 2020

विषय: महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए विशेष अभियान संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक गृह(पुलिस) अनुभाग-15 के पत्र संख्या-957/6- पु-15-2020, दिनांक 15.10.2020(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के संदर्भ में एक व्यापक कार्ययोजना बनायी गयी है और इस कार्ययोजना के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए एक विशेष अभियान चलाये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में उक्त अभियान शारदीय नवरात्र में दिनांक 17.10.2020 से प्रारम्भ कर दिनांक 25.10.2020 तक की अवधि में चलाया जायेगा। उक्त विशेष अभियान कुल 180 दिन तक चलाया जायेगा। गृह(पुलिस) अनुभाग-15 के उक्त पत्र दिनांक 15.10.2020 में उपर्युक्त विशेष अभियान के संचालन हेतु शासन की कार्ययोजना/दिशा निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ महिलाओं को उपलब्ध कराने हेतु इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए गोष्ठी का आयोजन किया जाए तथा महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाय। उ0प्र0 आवास विकास परिषद/ प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के स्तर पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित कराया जाय, जिसमें महिला कार्मिक की तैनाती की जाय। साथ ही दिन-प्रतिदिन के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। शासन स्तर पर इसकी मासिक समीक्षा की जायेगी।

3- विशेष अभियान की अवधि में किये गये कार्यक्रमों एवं कार्यों का प्रगति विवरण फोटोग्राफ/वीडियो सहित अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग के साथ-साथ प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को भी प्रेषित किया जाए।

<u>संलग्न : यथोक्त।</u>

भवदीय,

/

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–15 को उनके पत्र संख्या–957/6पु–15–2020, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 के संदर्भ में।
2. अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रकरण को अनुश्रवण करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या : 1773 / आठ–1–20–04विविध / 2020

प्रेषक,

दीपक कुमार

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

गोरखपुर / वाराणसी मण्डल,

उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक:8 दिसम्बर, 2020**

विषयः जनपद गोरखपुर एवं वाराणसी में मण्डल स्तर पर एकीकृत कार्यालय के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

वर्तमान में विभिन्न मण्डलों में स्थित मण्डलायुक्त कार्यालयों पर विभिन्न मण्डलीय कार्यालयों से आना जाना समय–साध्य एवं व्यय–साध्य है। मण्डलीय कार्यालय विभिन्न स्थान पर संचालित होने के कारण इनके मध्य समन्वय भी ठीक से नहीं हो पाता है। साथ ही साथ मण्डल स्तरीय कार्यालयों में स्थान की आवश्यकता एवं उपलब्धता में आसमानता के साथ–साथ नवीन तकनीकी सुविधाओं का भी अभाव है। अधिकांश कार्यालय किराये के भवन में चल रहे है अथवा कार्यालय भवनों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण है, जिससे कार्यालयी वातावरण भी प्रभावित होता है।

2– उक्त समस्याओं के समाधान के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल स्तर पर एकीकृत मण्डलीय कार्यालय परिसर के निर्माण के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है :–

(1) गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल में एकीकृत मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु सम्बंधित प्राधिकरण नोडल एजेन्सी होंगे। नोडल एजेंसी को नियमानुसार सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।

(2) विभिन्न प्रकरणों के नियमानुसार निस्तारण / निर्णय लेने हेतु मण्डल स्तरीय / राज्य स्तरीय समितियों का गठन शीघ्र किया जायेगा।

(3) अगर प्राधिकरण आवश्यक समझे तो किसी उपयुक्त व अनुभवी संस्था को नियमानुसार बतौर ट्रान्जेक्शन एडवाइजर आबद्ध करने की कार्यवाही प्राधिकरण के स्तर से कर ली जाए, जो परियोजना के कियान्वयन हेतु उपलब्ध भूमि के मुद्रीकरण के सबसे उपयुक्त प्रक्रिया का निर्धारण करेगा।

(4) दोनो विकास प्राधिकरण यथाआवश्यक उपयुक्त कन्सलटेंट का नियमानुसार चयन करते हुए परियोजना की Financial Viability, Administrative Viability

तथा Sustainability का गहनता से अध्ययन कराते हुए सभी विकल्पों पर विचार कर व Legal framework को ध्यान में रखते हुए परिपक्व उपयुक्त प्रस्ताव/डी०पी०आर० व आर०एफ०पी० मण्डलीय समिति की संस्तुति सहित उपलब्ध करायेगें। इसमे जो व्यय आयेगा उसे RFP फ्लोट करते समय परियोजना की लागत में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(5) परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर सुचारू रूप से शीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु बजट में प्रावधान किया जाए, जिसकी प्रतिपूर्ति भूमि मुद्रीकरण से प्राप्त होने वाली धनराशि से की जा सकेगी।

(6) उपरोक्त बिन्दु–5 के कियान्वयन में कठिनाई होने की स्थिति में गोरखपुर मण्डल व वाराणसी मण्डल के मण्डलीय कार्यालय के निर्माण हेतु सीड कैपिटल के रूप में 25–25 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रत्येक कार्यालय के निर्माण हेतु करायी जाए। दोनों परियोजनाओं का कियान्वयन सरकारी/नजूल भूमि/अन्य चिन्हित भूमि के मुद्रीकरण के आधार पर कराया जाये।

(7) नजूल भूमि के निस्तारण/मुद्रीकरण हेतु गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट में स्पष्ट प्रावधान रखे जाए व नियमावली भी शीघ्र बनायी जाए।

(8) गोरखपुर मण्डल स्तरीय कार्यालय के निर्माण हेतु मुद्रीकरण हेतु चिन्हित की गयी ग्राम–कोनी की भूमि को यथाशीघ्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में लाने की कार्यवाही की जाए, जिसे प्राधिकरण द्वारा विकसित कर प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जा सकेगा।

(9) उपर्युक्त कार्यालयों के निर्माण हेतु शीघ्र डी०पी०आर० तैयार कर परियोजना कियान्वित की जाए।

(10) भूमि मुद्रीकरण के लिए चिन्हित तथा भविष्य में चिन्हित होने वाली भूमि को यथावश्यक वाणिज्यिक/अन्य उपयुक्त भू–उपयोग में बदलने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति व इस हेतु समस्त शुल्कों से छूट दिया जाय।

(11) एकीकृत कार्यालय से संबंधित सभी नीति विषयक निर्णय एवं परियोजना के टाइम तथा कास्ट ओवर रन पर कार्यवाही सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0।
6. जिलाधिकारी, गोरखपुर/वाराणसी, उ0प्र0।
7. उपाध्यक्ष, गोरखपुर/वाराणसी विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन, विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।
10. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या–17730/आठ–1–2020–04विविध/2020
लखनऊ : दिनॉक 8 दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल में एकीकृत मण्डलीय कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु प्रस्तावित परियोजना के अन्तरविभागीय समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में निम्नवत राज्य स्तरीय समिति गठित की जाती हैं :–

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
(3) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(5) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
(6) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
(7) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग	सदस्य
(8) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास विभाग	सदस्य
(9) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
(10)अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग	सदस्य
(11)अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(12)प्रमुख सचिव, न्याय विभाग	सदस्य
(13)सम्बन्धित मण्डलायुक्त	सदस्य
(14)भूमि मुद्रीकरण से प्रभावित विभाग के प्रमुख सचिव	सदस्य
(15)विशेष आमंत्री के रूप में अध्यक्ष द्वारा नामित "Land Monetization & Redevelopment" के विशेषज्ञ	सदस्य
(16)मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(17)आयुक्त, आवास विकास परिषद	सदस्य संयोजक

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या–1773(ii)/आठ–1–2020–04विविध/2020
लखनऊ : दिनॉक 8 दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल में एकीकृत मण्डलीय कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में निम्नवत मण्डल स्तरीय समिति गठित की जाती हैं :–

(1)	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
(2)	जिलाधिकारी (मण्डल मुख्यालय)	सदस्य
(3)	उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण	सदस्य एवं संयोजक
(4)	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(5)	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन	सदस्य
(6)	सहयुक्त नियोजक (CTCP कार्यालय)	सदस्य
(7)	उप महानिरीक्षक निबन्धन	सदस्य
(8)	अध्यक्ष द्वारा नामित "Land Monetization &Redevelopment" के विशेषज्ञ	सदस्य

2– <u>मण्डलस्तरीय समिति के दायित्व निम्नवत् होंगें :–</u>

(1) मंडल स्तरीय समिति परियोजना कान्सेप्ट, एस्टीमेट, स्कोप/डिजाईन व लागत आदि को राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तावित करेगी तथा तदोपरान्त निर्माण कार्य का अनुश्रवण करेगी ।

(2) मण्डल स्तरीय समिति ऐसी सभी भूमि को चिन्हित करेगी, जो विभिन्न विभागों के मण्डल स्तरीय कार्यालय में स्थानान्तरित होने के कारण रिक्त हो जायेंगे।

(3) मण्डल स्तरीय समिति यह भी संस्तुति करेगी, कि किस भूमि का मुद्रीकरण पी०एम०सी०/नोडल एजेन्सी के माध्यम से किया जाना है तथा किस भूमि को राज्य सरकार में मात्र निहित किया जाना है।

(4) चिन्हित भूमियों के मुद्रीकरण हेतु प्राथमिकता क्रम भी निर्धारित करने पर विचार करेगी।

(5) मण्डल स्तरीय समिति ऐसी समस्त भूमि जिनको मुद्रीकरण या राज्य सरकार में निहित होना है, उसकी अनुमति राज्य स्तरीय समिति/सक्षम स्तर से लेकर तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही करेगी।

(6) मण्डल स्तरीय समिति यह भी सुनिश्चित करेगी, कि समस्त प्रस्तावित मण्डल स्तरीय अधिकारियों के लिए पर्याप्त जगह एकीकृत कार्यालय में हो तथा सभी कार्यालयों के अनुरुप लिफ्ट, टायलेट, पार्किंग हो और सभी विभागों को देखते हुए पर्याप्त मीटिंग हाल और प्रेक्षागृह हो।

(7) मण्डल स्तरीय समिति यह भी सुनिश्चित करेगी की सभी नीलामी e-auction के माध्यम से हों।

(8) सम्बंधित मण्डल के आयुक्त की अध्यक्षता में एक कैपिटल मैनेजमेंट कमेटी गठित की जायेगी। नोडल एजेन्सी के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए यह कमेटी बनायी जायेगी, जो परिसम्पत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग बैंक खाते के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति के मार्गदर्शन में करेगी। परिसम्पत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग सम्बंधित प्राधिकरण क्षेत्र की परियोजनाओं/विकास कार्यो पर किया जा सकेगा। साथ ही समय–समय पर अन्य भूमि मुद्रीकरण हेतु चिन्हित की जा सकेगी।

(9) परियोजनाओं की रिक्त् तथा निर्मित क्षेत्रफल को कैपिटल मैनेजमेन्ट कमेटी की देख–रेख में एक पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मुद्रीकरण किया जायेगा तथा मुद्रीकरण से प्राप्त धनराशि कैपिटल मैनेजमेन्ट कमेटी के खाते में नियमानुसार जमा की जायेगी।

(10) नोडल एजेन्सी द्वारा परिसम्पत्तियों की 30 वर्ष तक रख–रखाव की व्ययवस्थाए की जायेगी, जिसके लिए एक मेन्ट्रेनेन्सस कारपस फण्ड बनाया जायेगा, जिसमें एस्क्रो एकाउन्ट से धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। मेंटेनेंस कॉरपस फण्ड मण्डल स्तरीय समिति की देख–रेख में संचालित होगा व वार्षिक रिपोर्ट राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या–1773(ii)/आठ–1–2020–04विविध/2020
लखनऊ : दिनॉक 8 दिसम्बर, 2020

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल में एकीकृत मण्डलीय कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु कमशः गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी नामित किया जाता हैं। नोडल एजेंसी के कार्य एवं दायित्व निम्नवत है :–

(1) मण्डल स्तर पर पुराने भवन/परिसर व अन्य भूमि का पुर्नविकास किया जाना तथा उनके मुद्रीकरण से राजस्व प्राप्त किया जाना।
(2) पुराने भवनों के स्वामित्व की रिक्त भूमि पर भी नई परियोजनाओं का विकास कर राजस्व प्राप्त किया जाना।
(3) पुराने भवन परिसरों की रिक्त भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन के रुप में मुद्रीकरण करते हुए एक "Self-Sustainable Model" पर इन परिसम्पत्तियों का पुनर्विकास किया जाना।
(4) मण्डल स्तर पर एकीकृत सरकारी कार्यालय परिसर परियोजना की "Financial viability of the project on self-sustainable model" के आधार पर डी०पी०आर० तैयार करना। इस कार्य हेतु नोडल एजेन्सी नियमानुसार कन्सलटेंट/ट्रैन्सैक्शन ऐड्वाइजर को नियुक्त कर सकेगी।
(5) परियोजना पर व सभी रिक्त भूमि/भवन के पुनर्विकास/मुद्रीकरण इत्यादि पर मण्डल स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
(6) परियोजना लागत में परियोजना पर 30 वर्ष तक रख–रखाव की धनराशि सम्मिलित होगी तथा कन्सलटेंट/ट्रैन्सैक्शन ऐड्वाइजर को दिये जाने वाले चार्ज भी इसमें सम्मिलित होंगे।
(7) एकीकृत कार्यालय परिसर का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में 3 वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।
(8) प्रोजेक्ट पर थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग की व्यवस्था भी की जायेगी, जिस पर होने वाला व्यय परियोजना लागत में सम्मिलित होगा।
(9) परियोजना लागत का निर्धारण लोक निर्माण विभाग एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शेड्यूल आफ रेट के आधार पर किया जायेगा।
(10) एकीकृत मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु मुद्रीकरण के लिए विभिन्न विभागों की चिन्हित व भविष्य में चिन्हित की जाने वाली भूमि को बैंक से ऋण लेने हेतु यथाआवश्यकता बन्धक कार्यदायी संस्था द्वारा रखा जा सकेगा।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या : 1153 /आठ–5–2020

प्रेषक,

रणविजय सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2–अध्यक्ष
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2020**

विषय : न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये APLs का उपयोग कर विभागों/संस्थाओं में लम्बित कोर्ट केसेज के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुश्रवण/प्रबन्धन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये APLs का उपयोग कर विभागों/संस्थाओं में लम्बित कोर्ट केसेज के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुश्रवण/प्रबन्धन के संबंध में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 09.09.2020 द्वारा नेशनल ज्यूडीशियल डेटा ग्रिड (डेटाबेस) का शासकीय विभागों, अर्द्धशासकीय विभागों/संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि National API Exchange Platform (NAPIX) https://bharatapi.gov.in पर National Judicial Data Grid (NJDG) उपलब्ध है जिसमें मा0 उच्च न्यायालयों तथा देश के जनपद एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कोर्ट केसेज के ऑकड़ों का संग्रह है। शासकीय विभागों, अर्द्धशासकीय विभागों/संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों द्वारा उक्त पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न 47 Open Application Programming Interfaces (APLs) का उपयोग किया जा सकता है। यह पोर्टल विभागों/संस्थाओं में लम्बित कोर्ट केसेज के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुश्रवण/प्रबन्धन में उपयोगी सिद्ध होगा। इस हेतु इच्छुक शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों तथा स्थानीय निकायों को उक्त पोर्टल पर अपने एकाउण्ड सृजन के लिए https://bharatapi.gov.in पर पंजीकरण कराकर आवेदन करना होगा।

3– इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, आई.टी. इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1297/78–2–2020–118 आई0टी0/2017, दिनांक 23.11.2020 तथा संलग्न पत्र सचिव, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.09.2020 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
22.12.2020
(रणविजय सिंह)
विशेष सचिव।

.........2

संख्याः 1153 (1)/आठ–5–2020, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्री आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1297/ 78–2–2020–118 आई0टी0/2017, दिनांक 23.11.2020 के सन्दर्भ में।

2– समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(सिद्धार्शरण पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या— 1154 / आठ—5—2020

संख्या—1297 / 78—2—2020—118 आई0टी0 / 2017

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनाँक 23 नवम्बर,2020

विषयः-न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए APIs का उपयोग कर विभागों/संस्थाओं में लम्बित कोर्ट केसेज के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुश्रवण/प्रबन्धन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली के पत्र संख्या 12012/100/2020- ई-कोर्ट्स दिनाँक 09.09.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नेशनल ज्यूडीशियल डेटा ग्रिड (डेटाबेस) का शासकीय विभागों, अर्द्धशासकीय विभागों/संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग किए जाने की अपेक्षा की गई है।

2- अवगत कराना है कि National API Exchange Platform (NAPIX) https://bharatapi.gov.in पर National Judicial Data Grid (NJDG) उपलब्ध है जिसमें मा0 उच्च न्यायालयों तथा देश के जनपद एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कोर्ट केसेज के आँकड़ों का संग्रह है। शासकीय विभागों, अर्द्धशासकीय विभागों/संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों द्वारा उक्त पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न 47 Open Application Programming Interfaces (APIs) का उपयोग किया जा सकता है। यह पोर्टल विभागों/संस्थाओं में लम्बित कोर्ट केसेज के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुश्रवण/प्रबन्धन में उपयोगी सिद्ध होगा।

3- विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग तथा स्थानीय निकाय अपनी आवश्यकतानुसार विकसित कराए जा रहे अथवा कराए जाने वाले कोर्ट केसेज मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में उक्त APIs का उपयोग कर सकते हैं। उक्त हेतु इच्छुक शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों तथा स्थानीय निकायों को उक्त पोर्टल पर अपने एकाउन्ट सृजन के लिए https://bharatapi.gov.in पर पंजीकरण कराकर भारत सरकार के उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रारूप को भरकर, दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन करना होगा।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार के उक्त पत्र दिनाँक 09-09-2020 में की गई अपेक्षानुसार वांछित कार्यवाही कराने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों तथा स्थानीय निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 1297(1)/78-2-2020 तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,(निवेश),उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त,उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश।
6. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
7. प्रदेश के समस्त निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन/श्रीट्रान इण्डिया/अपट्रान पावरट्रानिक्स।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

बरुण मित्रा, भा.प्र.से.
BARUN MITRA, IAS

सचिव
न्याय विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
SECRETARY
DEPARTMENT OF JUSTICE
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
GOVERNMENT OF INDIA

DO. No. 12012/100/2020-eCourts

Dated the 09th September, 2020

Dear Shri Tiwari,

As you are aware, the National Judicial Data Grid (NJDG) is an online repository of case statistics of the district and subordinate courts of the country and the High courts. The NJDG database is a mine of data which captures both closed cases and ongoing matters at various stages of litigation. Its efficacy as an innovative case management tool has also been acknowledged by the World Bank. With a view to provide access to this storehouse of eCourts data, the eCommittee of the Supreme Court with the help of NIC has facilitated the creation of Open Application Programming Interfaces (APIs).

This Open API facility has now been made available to institutional litigants within the Government, including semi-Governmental and local bodies including PSUs. This Open API facility will allow the State Government Departments to consume the available NJDG data thereby helping them in effectively tracking and managing their litigation in various courts. The APIs can be utilized by each user Department to make its own developments using the platform. The Open API for institutional litigants can help them keep track of cases centrally at an institutional level. Institutional litigants can now monitor the state of readiness in respect of their court cases and manage pendency. This will promote transparency, efficiency and compliance from the litigants' perspective.

Through this facility, the various departments of the State Government can generate a unique department ID and authentication key for using the NJDG data. Using the department ID and authentication key, each department can access the NJDG data using Open APIs. The institutional litigants to register themselves for Open API access will have to register themselves on the National API Exchange Platform (NAPIX) which is available on https://bharatapi.gov.in. A set of simple guidelines explaining the facility and how to register for Open API access is also being enclosed for information.

Contd...P/2

जैसलमेर हाउस, 26 मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011, टेलि: +91-11-23383674 फैक्स: +91-11-23384516, ई–मेल : secy-jus@gov.in
Jaisalmer House, 26 Mansingh Road, New Delhi-110011, Tel: +91-11-23383674 (O), Fax: +91-11-23384516, E-mail : secy-jus@gov.in

Since litigation in government departments is an important issue requiring timely and effective monitoring, you may like to take advantage of the open API access to develop a robust case monitoring system based on the NJDG data.

With regards,

Yours sincerely,

Encl: as above

(Barun Mitra)

Shri Rajendra Kumar Tiwari,
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
Shri Lal Bahadur Shastri Bhawan,
Lucknow - 226001.

SUPREME COURT OF INDIA
E-COMMITTEE

REGISTRATION PROCESS FOR E-COURTS OPEN API

STEP 1: CREATE YOUR ACCOUNT

1. Go to this website https://bharatapi.gov.in/store

2. From the Home page, click on API REGISTRY at the top navigation menu.

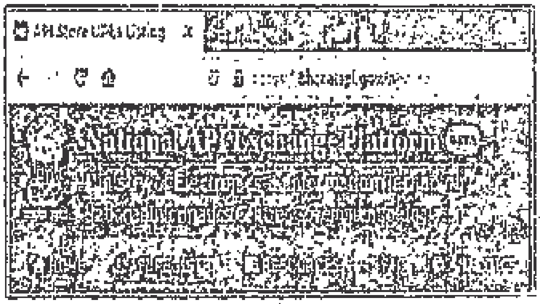

3. Click on the eCourts icon.

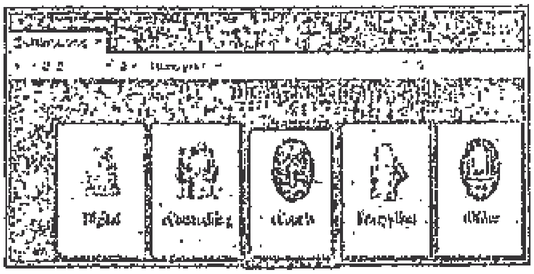

4. Click on "Sign up" at the top navigation menu to create subscriber user.

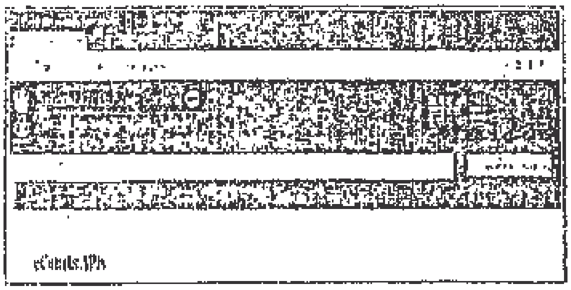

5. Fill the user subscription form. Click sign up subscriber button.

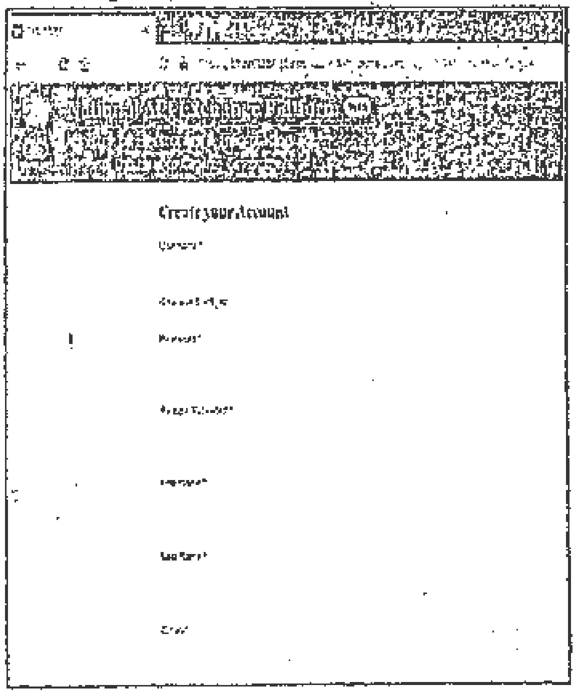

6. The user will get a notification after successful creation of the account. The subscriber can log in after approval of the e-Courts administrator.

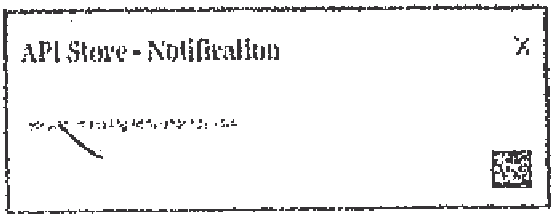

STEP 2 – APPLICATION FORM FOR E-COURTS OPEN API

1. The subscriber needs to fill the application form.

2. Signature and seal of the officer have to be affixed.

3. The countersignature of the Central Project Coordinator (CPC) of the High Court should be obtained for authentication and approval. (e-mail IDs of CPC are available in the following link: https://ecourts.gov.in/ecourts_home/static/contacts.php)

4. The scanned copy of the application to be sent to the e-Committee, Supreme Court of India at ecommittee@aij.gov.in

5. e-Committee will approve the subscriber and provide Department ID and Authentication Key to the subscriber.

6. Once Subscriber login is approved by e-Committee, the subscriber can log in to https://bharatapi.gov.in and sign in with the created credentials for the subscription of API.

****

SUPREME COURT OF INDIA
E-COMMITTEE

Application form for e-Courts Open API

1. Name of the Department:

2. Type of Department: Central Government/ State Government

3. Ministry:

4. Address:

5. Name of the Contact Person:

6. Designation:

7. Email:

8. Mobile No:

9. National API Exchange Platform Subscriber User name:

Signature of Applicant
with date and seal

Signature of Central Project Coordinator of the High Court

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
कार्पोरेशन Corporation
See how easy it is
to turn your gold into cash
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Union Gold Loan
9666606060
Follow us on

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
कार्पोरेशन Corporation
VYOM
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Your first car needs a partner.
We can help with that.
Union Miles
104 YEARS
#PoweredBy Goodness
9666606060